सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

राजस्व एवं आर्थिक क्षेत्र

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

राजस्थान सरकार

वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या 2

दिनांक 21.08.2020 को विधानसभा में प्रस्तुत की गई ।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

राजस्व एवं आर्थिक क्षेत्र

राजस्थान सरकार

वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या 2

विषय सूची

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना		v
विहंगावलोकन		vii-xiii
भाग-1 : राजस्व क्षेत्र		
अध्याय-I : सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1
राजस्व के बकाया का विश्लेषण	1.2	4
बकाया कर निर्धारण	1.3	4
विभाग द्वारा खोजा गया कर अपवंचन	1.4	5
प्रतिदाय के बकाया प्रकरण	1.5	5
लेखापरीक्षा पर सरकार/विभागों का उत्तर	1.6	6
खान एवं भू-विज्ञान विभाग में लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर कार्यवाही करने हेतु अपनायी गयी प्रणाली की समीक्षा	1.7	9
लेखापरीक्षा योजना	1.8	10
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.9	10
प्रतिवेदन में समाहित लेखापरीक्षा परिणाम	1.10	11
अध्याय-II : बिक्री, व्यापार, आपूर्तियों, इत्यादि पर कर		
कर प्रशासन	2.1	13
आन्तरिक लेखापरीक्षा	2.2	13
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.3	14
माल एवं सेवा कर की लेखापरीक्षा	2.4	15
अनुपालना लेखापरीक्षा टिप्पणियां	2.5	23
अध्याय-III : वाहनों पर कर		
कर प्रशासन	3.1	27
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.2	27
परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा	3.3	28
एकमुश्त कर की बकाया किश्तों की कम/अवसूली	3.4	62
मोटर वाहनों पर कर की अवसूली	3.5	63

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
अध्याय-IV : भू-राजस्व		
कर प्रशासन	4.1	65
आन्तरिक लेखापरीक्षा	4.2	65
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.3	66
अधिनियम/नियमों के प्रावधानों की अनुपालना का अभाव	4.4	67
अध्याय-V : मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क		
कर प्रशासन	5.1	69
विभाग द्वारा की गई आंतरिक लेखापरीक्षा	5.2	69
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.3	70
मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की कम वसूली	5.4	71
अध्याय-VI : राज्य आबकारी		
कर प्रशासन	6.1	77
आन्तरिक लेखापरीक्षा	6.2	77
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.3	78
राज्य आबकारी एवं मद्यसंयम नीति का क्रियान्वयन	6.4	79
अनुपालना लेखापरीक्षा टिप्पणियां	6.5	100
अध्याय-VII : कर-इतर प्राप्तियां		
कर प्रशासन	7.1	103
लेखापरीक्षा के परिणाम	7.2	103
प्रधान खनिजों से प्राप्तियां	7.3	105
अधिशुल्क संग्रहण ठेकों के त्रुटिपूर्ण संशोधन के कारण कम वसूली	7.4	121
स्थिर भाटक भुगतान नहीं करने/विलम्बित भुगतान पर ब्याज का कम आरोपण	7.5	124
आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता	7.6	125
भाग-2 : आर्थिक क्षेत्र		
अध्याय-VIII : आर्थिक क्षेत्र की अनुपालना लेखापरीक्षा		
परिचय	8.1	129
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की कार्यप्रणाली	8.2	133
मूल्य वृद्धि की गणना सुनिश्चित किये बिना अंतिम विपत्रों के भुगतान के कारण संवेदकों को किया गया अधिक भुगतान/अतिरिक्त भुगतान	8.3	157

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	**पृष्ठ**
निर्धारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर ग्रामीण गौरव पथ सड़कों के निर्माण पर अनियमित व्यय	8.4	160
सशर्त बोली की स्वीकृति एवं निविदाओं के अनुचित तकनीकी मूल्यांकन/प्रसंस्करण की स्वीकृति के परिणामस्वरूप अनियमित व्यय	8.5	163
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़क के निर्माण पर निष्फल व्यय	8.6	167
संवेदक को अग्रिम भुगतान	8.7	169
परिशिष्ट		
परिशिष्ट 8.1	8.2.6	173
परिशिष्ट 8.2	8.4	174
परिशिष्ट 8.3	8.4	176
परिशिष्ट 8.4	8.4	177
परिशिष्ट 8.5	8.5	179

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राजस्थान के राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 तथा इसके अन्तर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियमन, 2007 के तहत, राजस्थान राज्य के राजस्व एवं आर्थिक क्षेत्र के प्रमुख विभागों में सम्पादित प्राप्ति एवं व्यय लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित मामले उनमें से हैं जो वर्ष 2018-19 के दौरान अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आये तथा उनमें से भी हैं जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आये थे, किन्तु विगत प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके तथा जहाँ कहीं आवश्यक हुआ वहां वर्ष 2018-19 के बाद के प्रकरण भी शामिल हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गयी है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में 'परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 19 अनुच्छेद हैं जिनमें ₹ 316.42 करोड़ अन्तर्निहित हैं। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है:

I. सामान्य

राजस्थान सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2017-18 में ₹ 1,27,307 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2018-19 में ₹ 1,37,873 करोड़ थीं। सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व राशि ₹ 75,983 करोड़ में कर राजस्व ₹ 57,380 करोड़ तथा गैर कर राजस्व ₹ 18,603 करोड़ शामिल था। भारत सरकार से प्राप्तियाँ ₹ 61,890 करोड़ (विभाजन योग्य केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा ₹ 41,853 करोड़ एवं सहायता अनुदान ₹ 20,037 करोड़) थीं।

(अनुच्छेद 1.1)

इस कार्यालय द्वारा राजस्व संग्रहण करने वाले विभागों यथा वाणिज्यिक कर, परिवहन, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक, राज्य उत्पाद शुल्क एवं खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग की लेखापरीक्षा की जाती है तथा लेखापरीक्षित इकाइयों को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं। दिसम्बर 2018 तक जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि 2,281 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबधित 7,424 अनुच्छेद जून 2019 के अंत तक बकाया थे जिनमें ₹ 3,407.25 करोड़ अन्तर्निहित थे।

(अनुच्छेद 1.6)

प्रतिवेदित वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा अवगत करवाये जाने के उपरान्त कुल ₹ 87.01 करोड़ की वसूली की गयी।

(अनुच्छेद 1.10)

II. बिक्री, व्यापार, आपूर्तियों, इत्यादि पर कर

कार्यालय द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग की 162 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी। पायी गयी मुख्य अनियमिततायें हैं:

- लेखापरीक्षा में देखा गया कि विभाग के पास जीएसटी के अंतर्गत पंजीयन हेतु आवेदन की दिनांक के सम्बन्ध में आँकड़े उपलब्ध नहीं थे, इसलिये पंजीयन पूर्व स्टॉक पर आगत कर लाभ के अनियमित दावे की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
- कुल 132 करदाता जिनका अवधि 2016-17 के दौरान सकल पण्यावर्त (Turnover) ₹ 25 करोड़ से अधिक था, वैट के अंतर्गत पंजीकृत थे, जिनमें से 70 करदाता अंतिम रूप से जीएसटी में स्थानांतरित नहीं हुए।

(अनुच्छेद 2.4.2)

- एसजीएसटी प्राधिकारियों द्वारा छः प्रकरणों में अनुमत्य राशि ₹ 1.70 करोड़ के स्थान पर ₹ 2.21 करोड़ प्रतिदाय किये गये। इस प्रकार ₹ 0.51 करोड़ का त्रुटिपूर्ण प्रतिदाय दिया

गया। सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया एवं चार प्रकरणों में ₹ 0.41 करोड़ वसूल किये गये।

(अनुच्छेद 2.4.3.5)

- राज्य क्षेत्राधिकार के 123 करदाताओं की जांच में पाया गया कि 30.06.2017 को सम्बंधित विवरणियों में उपलब्ध अंतिम शेष के विरुद्ध 14 करदाताओं द्वारा अपनी TRAN-1 विवरणियों में ₹ 94.77 लाख के ट्रांज़िशनल क्रेडिट (एसजीएसटी) का अधिक दावा किया गया तथा नौ करदाताओं द्वारा अपनी TRAN-1 विवरणियों में ₹ 128.47 लाख के ट्रांज़िशनल क्रेडिट (सीजीएसटी) का अधिक दावा किया गया।

(अनुच्छेद 2.4.4.3)

- लेखा परीक्षा में सीएसटी/वैट/प्रवेश कर के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान कर/ब्याज के अनारोपण/कम आरोपण, आगत कर का अनियमित लाभ दिये जाने एवं अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की अनुपालना नहीं होने के 58 प्रकरण देखे गये जिनमें ₹ 59.29 करोड़ शामिल थे।

(अनुच्छेद 2.5)

III. वाहनों पर कर

'**परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली**' पर निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित दृष्टिगोचर हुआः

- पंजीयन हेतु आवेदन एक से सात वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत किये गये, नियमों में प्रावधानों के अभाव में पंजीयन प्रमाण पत्र 15 वर्ष तक वैधता के साथ जारी किये गये। इस प्रकार ये वाहन 15 वर्ष से अधिक अवधि के लिये संचालित होंगे।

(अनुच्छेद 3.3.8.2)

- अप्रैल 2014 से मार्च 2019 के मध्य की अवधि के लिये 2,736 वाहनों के सम्बन्ध में ₹ 20.24 करोड़ के मोटर वाहन कर तथा विशेष पथकर का भुगतान नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 3.3.9.1 व 3.5)

- 1,133 वाहनों के सम्बन्ध में ₹ 11.04 करोड़ के एकमुश्त कर का कम भुगतान किया गया।

(अनुच्छेद 3.3.9.3 व 3.4)

- पंजीयन प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, लाइसेंस जारी/नवीनीकरण करने एवं बंधक समझौते (hypothecation agreement) के पृष्ठांकन हेतु संशोधित शुल्क की वसूली न करने के कारण ₹ 70.87 लाख की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 3.3.9.4 व 3.3.10.3)

- एमनेस्टी योजना के अंतर्गत 51 वाहनों को ₹ 38.32 लाख की अनियमित छूट प्रदान की गयी।

(अनुच्छेद 3.3.9.5)

- 12 कार्यालयों में ₹ 13.23 करोड़ की लागत से स्वचालित ट्रेक्स का निर्माण किया गया किन्तु वे परिचालन में नहीं थे।

(अनुच्छेद 3.3.10.1)

- वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान मात्र 2.47 से 11.68 प्रतिशत प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी किये गये।

(अनुच्छेद 3.3.15.1)

- राज्य सड़क सुरक्षा नीति में राज्य में वर्ष 2020 तक सड़क दुर्घटना मृत्यु को वर्ष 2015 के आधारभूत अंकों के 50 प्रतिशत तक कम करने की दृढ़ प्रतिबद्धता प्रकट की गयी है। वर्ष 2018, 2019, व 2020 के लिये क्रमशः 15, 15, एवं 20 प्रतिशत के वार्षिक लक्ष्यों के विरुद्ध सड़क दुर्घटनाओं से मृत्यु में मात्र 0.43, 0.62 एवं 1.80 प्रतिशत की ही कमी हुई।

(अनुच्छेद 3.3.18.2)

- वर्ष 2017-18 के दौरान हुई 8,964 दुर्घटनाओं में से 5,968 दुर्घटनाओं में (67 प्रतिशत) गैर-परिवहन वाहन संलिप्त थे, जिनमें से 93 प्रतिशत दुर्घटनायें खतरनाक वाहन चालन एवं वाहन चालकों की लापरवाही के कारण हुईं। अतः सड़क सुरक्षा के उद्देश्य हेतु नियमित अंतराल पर प्रशिक्षण एवं रिफ्रेशर पाठ्यक्रमों की आवश्यकता है।

(अनुच्छेद 3.3.18.3)

IV. भू-राजस्व

कार्यालय द्वारा भू-राजस्व विभाग की 105 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी। तीन इकाइयों (छः प्रकरणों) में अधिनियम/नियमों की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप गलत दरें लगाने से भूमि की कीमत एवं नियमितिकरण प्रभार कम लेने तथा कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजनार्थ अनधिकृत उपयोग से सम्बंधित राशि ₹ 3.98 करोड़ की मुख्य अनियमिततायें पायीं गयीं।

(अनुच्छेद 4.4)

V. मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

कार्यालय द्वारा पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की 100 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी। 23 इकाइयों, जहां कि 104 प्रकरणों में, कृषि/आवासीय/मैरिज गार्डन/वाणिज्यिक/संस्थानिक भूमियों को विक्रय पत्रों/किरायेनामों/उपहार पत्रों/खनन पट्टों/बंधक पत्रों/हक़ त्याग पत्रों/विक्रय प्रमाण पत्रों के रूप में पंजीकृत किया गया था, में मुख्य अनियमिततायें पायीं गयीं। इसके मुख्य कारण चेक लिस्टों में सम्पूर्ण सूचना नहीं दिया जाना अथवा दस्तावेजों/संलग्न सहायक दस्तावेजों के विवरणों में बताये गये तथ्यों का 'ई-पंजीयन' में गलत इनपुट दिया जाना था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 17.82 करोड़ के मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 5.4)

VI. राज्य आबकारी

'**राज्य आबकारी एवं मद्यसंयम नीति का क्रियान्वयन**' की जांच में ज्ञात हुआ किः

- विभाग द्वारा निर्धारित अनाज से अल्कोहल के उत्पादन (40 बी एल प्रति क्विंटल) तथा प्रासव के मापन के मानक सही नहीं हैं तथा इनमें आसवानियों (distillers) द्वारा अपनायी गयी किण्वन एवं आसवन (Fermentation and Distillation) कुशलता के अनुसार संशोधित किये जाने की आवश्यकता है।

(**अनुच्छेद 6.4.7.1 व 6.4.7.2**)

- ब्रेवरीज द्वारा माल्ट एवं अन्य कच्चे माल से बीयर उत्पादन के निर्धारित मानकों को प्राप्त नहीं किया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप बीयर का कम उत्पादन हुआ।

(**अनुच्छेद 6.4.7.3**)

- वर्ष 2014-15 में मदिरा उपभोग 4830.45 बल्क लीटर से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 5726.23 बल्क लीटर हो गया। यह दर्शाता है कि विभाग मद्यसंयम नीति के अनुसार उचित जागरूकता का प्रसार नहीं कर सका।

(**अनुच्छेद 6.4.9.1**)

- जन जागरूकता अभियानो को उचित रूप से आयोजित नहीं किया गया क्योंकि वर्ष 2015-18 के दौरान आवंटित बजट का मात्र 53 प्रतिशत ही प्रसारण माध्यमों पर व्यय किया गया।

(**अनुच्छेद 6.4.9.1**)

- 2015-18 के दौरान 228 अनुज्ञाधारियों के सम्बन्ध में आबकारी शुल्क की मासिक गारण्टी जमा कराने में राशि ₹ 6.05 करोड़ की कमी रही।

(**अनुच्छेद 6.4.10.2**)

- निर्धारित समयावधि में आवश्यक प्रतिभूति राशि एवं अग्रिम विशेषाधिकार राशि जमा न कराये जाने के कारण 13 दुकानों/समूहों का चयन निरस्त किया जाना चाहिये था। सम्बंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा कार्यवाही के अभाव में सरकार को ₹ 3.13 करोड़ के जमा अमानत राशि, प्रतिभूति जमा, अग्रिम विशेषाधिकार राशि, जिसे जब्त किया जाना चाहिये था, से वंचित रहना पड़ा।

(**अनुच्छेद 6.4.11.1**)

- परिधीय क्षेत्र की छः कम्पोजिट दुकानों/समूहों हेतु ₹ 56.50 लाख का कम्पोजिट शुल्क निर्धारित किया जाना था किन्तु सम्बंधित जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा इन अनुज्ञाधारियों से मात्र ₹ 13.33 लाख ही निर्धारित एवं वसूल किये गये। इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 43.17 लाख की राजस्व हानि हुई।

(**अनुच्छेद 6.4.11.2**)

इसके अतिरिक्त इस कार्यालय द्वारा राज्य आबकारी विभाग की 34 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी। पायी गयी मुख्य अनियमिततायें हैं :

राजस्थान राज्य आबकारी एवं मद्यसंयम नीति के उल्लंघन में 249 अनुज्ञाधारियों ने 2017-18 के दौरान निर्धारित सीमा तक भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर के उठाव में वृद्धि नहीं की। जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा कम्पोजिट शुल्क की गलत गणना एवं आरोपण के कारण ₹ 206.99 लाख की कम वसूली हुई।

(**अनुच्छेद 6.5**)

VII. कर-इतर प्राप्तियां

'**प्रधान खनिजों से प्राप्तियां**' की लेखापरीक्षा जांच में ज्ञात हुआ कि:

- खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा खनिज नीति 2015 के सन्दर्भ में किया गया सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण कार्य नगण्य है क्योंकि यह लक्षित वृद्धि 3,287.59 वर्ग किलोमीटर के विरुद्ध मात्र 19.89 वर्ग किलोमीटर (0.61 प्रतिशत) में ही किया गया।

(**अनुच्छेद 7.3.6.1**)

- खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा भारत सरकार के निर्देशानुसार खनन पट्टा क्षेत्रों में खनन गतिविधियाँ नहीं रोकी गयीं, जिसके परिणामस्वरूप 25 मई 2015 एवं मार्च 2019 के मध्य दो खानों से ₹ 2,937.42 करोड़ मूल्य का 2.41 करोड़ मीट्रिक टन खनिज लिग्नाइट निर्गमित किया गया जिसमें से 49 प्रतिशत (₹ 1,439.34 करोड़) पब्लिक लिमिटेड कम्पनी की सहायक को गया।

(**अनुच्छेद 7.3.6.2**)

- नमूनों के अपनी प्रयोगशाला में जाँच की विभागीय व्यवस्था के अभाव में आठ प्रधान खनिज पट्टाधारियों द्वारा 2015-16 से 2018-19 के मध्य विभाग के प्रधान खनिजों से कुल राजस्व का 63.09 से 76.98 प्रतिशत भुगतान उनके स्वयं के द्वारा निर्धारित अयस्क/मिश्रण में धातु तत्व की प्रतिशतता के आधार पर किया जा रहा था।

(**अनुच्छेद 7.3.6.3**)

- विभागीय वेब पोर्टल के माध्यम से जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) फण्ड के भुगतान के प्रावधानों के अभाव में 21 प्रधान खनिज पट्टाधारियों द्वारा DMFT फण्ड में राशि ₹ 36.96 करोड़ का कम भुगतान किया गया।

(**अनुच्छेद 7.3.7.1**)

- विभाग द्वारा राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (NMET) फण्ड में किये जाने वाले अंशदान के सही भुगतान को सुनिश्चित नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरुप 22 प्रधान खनिज पट्टाधारियों द्वारा अवधि 2015-16 से 2017-18 के दौरान NMET फण्ड राशि ₹ 19.54 करोड़ का कम भुगतान किया गया।

(**अनुच्छेद 7.3.7.2**)

- विभाग ने सरकार को देय रॉयल्टी एवं अन्य राशियों के 38 से 2,764 दिनों से विलम्ब से भुगतान पर ब्याज आरोपित नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 30.16 करोड़ के ब्याज का अनारोपण हुआ।

(अनुच्छेद 7.3.7.3)

- दो चूना पत्थर (सीमेंट ग्रेड) खनन पट्टों के रॉयल्टी निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय सही क्लिंकर- चूना पत्थर अनुपात (Clinker-Limestone ratio) को प्रयोग नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 0.87 करोड़ की रॉयल्टी का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 7.3.7.4)

विभाग द्वारा रॉयल्टी संग्रहण ठेकों के त्रुटिपूर्ण संशोधन के कारण ₹ 1.97 करोड़ के रॉयल्टी एवं DMFT फण्ड की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 7.4)

VIII. आर्थिक क्षेत्र की अनुपालना लेखापरीक्षा

महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा)*, राजस्थान, जयपुर द्वारा बारह आर्थिक क्षेत्र विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा की जाती है। इन विभागों का नेतृत्व अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों द्वारा किया जाता हैं, जो आयुक्तों, उप सचिवों एवं अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से कार्य करते हैं। इस भाग में इनमें से नौ विभागों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों को शामिल किया गया है चूंकि, ऊर्जा, पर्यटन, एवं उद्योग विभाग के लेखापरीक्षा आक्षेप राजस्थान के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल हैं।

आर्थिक क्षेत्र-II लेखापरीक्षा समूह# में 2018-19 के दौरान 256 इकाईयों की लेखापरीक्षा हेतु 1699 पार्टी दिवसों का उपयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त एक विषयक लेखापरीक्षा हेतु 201 पार्टी दिवसों का उपयोग किया गया था। मार्च 2019 को आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत नौ विभागों के विरुद्ध 2,680 निरीक्षण प्रतिवेदन (11,248 अनुच्छेद) बकाया थे।

विज्ञान एवं तकनीकी विभाग की कार्यप्रणाली

विज्ञान एवं तकनीकी विभाग (विभाग) की स्थापना वर्ष 1983 में समाज में वैज्ञानिक समझ के विकास एवं जनसमूह, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक-सामाजिक स्थिति एवं विज्ञान एवं तकनीक के लाभों का उपयोग कर समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के उद्देश्य से की गयी। 2016-17 से 2018-19 की अवधि के लिये जनवरी से जून 2019 में लेखापरीक्षा की गयी। कार्यालय निदेशक, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, राजस्थान, जयपुर के साथ पाँच क्षेत्रीय कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच की गयी।

- विभाग द्वारा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके क्योंकि आवंटित बजट का मात्र 45.65 प्रतिशत ही उपयोग किया गया, सेटकॉम डिवीज़न की विभिन्न परियोजनाओं

* दिनांक 18.05.2020 से पूर्ववर्ती 'कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा)' के नाम को बदलकर कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) किया गया है।

\# दिनांक 18.05.2020 से पूर्ववर्ती आर्थिक क्षेत्र-II लेखापरीक्षा समूह के नाम को बदलकर ए.एम.जी.-II (कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II)) किया गया है।

के लिये 2015-16 से 2018-19 की अवधि में राज्य योजना शीर्ष के अंतर्गत आवंटित सम्पूर्ण बजट समर्पित कर दिया गया।

- विभाग द्वारा बायो-टेक्नोलॉजी नीति 2015 को छोड़कर कोई व्यापक नीति (दीर्घ अवधि/लघु अवधि) एवं दिशा निर्देशक सिद्धांत तैयार नहीं किये गये; तथा इस नीति के उद्देश्य भी प्राप्त नहीं किये जा सके।
- विभाग द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा 2016-19 के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत आवंटित ₹ 29.93 करोड़ समर्पित कर दिये गये। इस प्रकार विभाग समाज में वैज्ञानिक समझ के विकास एवं विज्ञान एवं तकनीक के लाभों का उपयोग कर समाज के कमजोर वर्ग की आर्थिक-सामाजिक स्थिति के उत्थान के अपने मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा।

(**अनुच्छेद 8.2**)

लोक निर्माण विभाग/जल संसांधन विभाग

लोक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग ने मूल्य वृद्धि क्लॉज के तहत उचित समायोजन सुनिश्चित किए बिना अंतिम बिल पारित किए, गलत थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्षों पर आधारित मूल्यवृद्धि दावों की गणना एवं भुगतान किये गये और वित्तीय बोली खोलने की तिथि को आधार तिथि मानने की बजाए गलत तरीके से तकनीकी बोली खोलने की तिथि को आधार तिथि माना जिसके परिणामस्वरूप संवेदकों को अधिक भुगतान किया गया।

(**अनुच्छेद 8.3**)

लोक निर्माण विभाग ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रामगढ़ पचवारा से कंवरपुरा रोड़ पर गलत श्रृंखला में फ्लश कॉजवे (flush causeway) निर्माण पर ₹ 1.22 करोड़ का निष्फल व्यय किया, जिसके परिणामस्वरूप, बारिश के दौरान सड़क का 800 मीटर हिस्सा बह गया।

(**अनुच्छेद 8.6**)

लोक निर्माण विभाग द्वारा लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के उल्लंघन में एक संवेदक को ₹ 0.78 करोड़ का भुगतान कार्य आदेश देने के एक सप्ताह के भीतर किया गया। तथापि, कार्य, कार्यादेश जारी करने के एक वर्ष के बाद शुरू किया गया था।

(**अनुच्छेद 8.7**)

भाग–1

राजस्व क्षेत्र

अध्याय–I

सामान्य

अध्याय-I : सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा वसूल किया गया कर एवं कर–इतर राजस्व, भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्क की शुद्ध प्राप्तियों में राज्य का भाग और भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुरूप आंकड़ों की स्थिति तालिका 1.1.1 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.1.1

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	**राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व**					
	• कर राजस्व[1]	38,672.87	42,712.92	44,371.66	50,605.41	57,380.34
	• कर-इतर राजस्व[2]	13,229.50	10,927.87	11,615.57	15,733.72	18,603.01
	योग	**51,902.37**	**53,640.79**	**55,987.23**	**66,339.13**	**75,983.35**
2	**भारत सरकार से प्राप्तियां**					
	• विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में भाग[3]	19,817.04	27,915.93	33,555.86	37,028.01	41,852.35
	• सहायतार्थ अनुदान[4]	19,607.50	18,728.40	19,482.91	23,940.04	20,037.32
	योग	**39,424.54**	**46,644.33**	**53,038.77**	**60,968.05**	**61,889.67**
3	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 और 2)**	**91,326.91**	**1,00,285.12**	**1,09,026.00**	**1,27,307.18**	**1,37,873.02**
4	**1 की 3 से प्रतिशतता**	**57**	**53**	**51**	**52**	**55**

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि विगत पांच वर्षों के दौरान एकत्रित राजस्व में सतत वृद्धि रही। वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (₹ 75,983.35 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,37,873.02 करोड़) का 55 प्रतिशत रहा। वर्ष 2018-19 में शेष 45 प्रतिशत प्राप्तियां भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में हिस्सा एवं सहायतार्थ अनुदान से प्राप्त हुई थी।

---

1 ब्यौरे के लिये कृपया इस अध्याय की तालिका संख्या 1.1.2 देखें।

2 ब्यौरे के लिये कृपया इस अध्याय की तालिका संख्या 1.1.3 देखें।

3 ब्यौरे के लिये कृपया राजस्थान सरकार के वर्ष 2018-19 के वित्त लेखे की विवरण संख्या-14-लघु शीर्षवार राजस्व के विस्तृत लेखे देखें। वित्त लेखों में 'कर राजस्व के अन्तर्गत प्रदर्शित मद शीर्ष 0005- केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर, 0008- एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, 0020- निगम कर, 0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0022-कृषि आय पर कर, 0032-संपदा पर कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं 0044-सेवा कर और 0045-वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क प्राप्तियां एवं अन्य विभाजित होने वाले संघीय कर' सम्मिलित है।

4 ब्यौरे के लिये कृपया राजस्थान सरकार के वर्ष 2018-19 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या 14 में शीर्ष 1601 देखें।

1.1.2 अवधि 2014-15 से 2018-19 के दौरान एकत्रित कर राजस्व के संबंध में संशोधित अनुमान व वास्तविक प्राप्तियों का विवरण तालिका 1.1.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1.2

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	संशोधित अनुमान वास्तविक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2018-19 में 2017-18 पर वृद्धि (+)/कमी (-) की प्रतिशतता
1	बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर	संशोधित अनुमान	24,120.00	27,635.00	27,767.60	18,800.00	15,900.00	
		वास्तविक	22,644.89	24,878.67	27,151.54	18,285.44	14,225.31	(-)22.20
	केन्द्रीय बिक्री कर	संशोधित अनुमान	1,505.00	1,615.00	1,227.40	700.00	600.00	
		वास्तविक	1,525.02	1,466.10	1,406.88	722.80	565.65	(-)21.74
2	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	संशोधित अनुमान	-	-	-	11,700.00	23,500.00	
		वास्तविक	-	-	-	12,137.02	22,938.33	(+)88.99
3	आबकारी शुल्क	संशोधित अनुमान	5,330.00	6,350.00	7,600.00	7,800.00	9,300.00	
		वास्तविक	5,585.77	6,712.94	7,053.68	7,275.83	8,694.10	(+)19.49
4	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क							
	मुद्रांक-न्यायिक	संशोधित अनुमान	156.66	105.00	103.34	92.58	104.07	
		वास्तविक	54.27	97.45	73.94	59.78	60.70	(+)1.54
	मुद्रांक-गैर न्यायिक	संशोधित अनुमान	2,823.35	2,785.00	2,701.00	3,346.15	4,035.94	
		वास्तविक	2,705.10	2,574.88	2,502.86	3,070.79	3,255.34	(+)6.01
	पंजीयन शुल्क	संशोधित अनुमान	520.00	560.00	445.66	611.27	609.99	
		वास्तविक	429.52	561.67	476.45	544.21	569.99	(+)4.74
5	मोटर वाहनों पर कर	संशोधित अनुमान	2,800.00	3,300.00	3,650.00	4,300.00	5,000.00	
		वास्तविक	2,829.86	3,199.44	3,622.83	4,362.97	4,576.45	(+)4.89
6	विद्युत पर कर एवं शुल्क	संशोधित अनुमान	1,697.18	2,000.00	2,172.00	3,500.00	2,339.50	
		वास्तविक	1,534.51	1,921.29	738.24	3,376.67	2,147.95	(-)36.39
7	भू-राजस्व	संशोधित अनुमान	324.69	320.00	359.01	566.71	463.16	
		वास्तविक	288.58	272.47	314.69	363.86	289.94	(-)20.32
8	माल एवं यात्रियों पर कर	संशोधित अनुमान	360.00	800.00	750.00	328.00	37.57	
		वास्तविक	956.52	847.72	803.28	340.78	50.79	(-)85.10
9	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	संशोधित अनुमान	99.99	171.79	200.00	62.00	28.38	
		वास्तविक	113.68	170.96	220.08	63.93	5.14	(-)91.96
10	अन्य कर[5] इत्यादि	संशोधित अनुमान	50.17	50.20	10.00	10.00	10.00	
		वास्तविक	5.15	9.32	7.19	1.33	0.65	(-)51.13
	योग	संशोधित अनुमान	**39,787.04**	**45,691.99**	**46,986.01**	**51,816.71**	**61,928.61**	
		वास्तविक	**38,672.87**	**42,712.92**	**44,371.66**	**50,605.41**	**57,380.34**	**(+)13.39**
	पूर्व वर्ष से वास्तविक वृद्धि का प्रतिशत		**15.52**	**10.45**	**3.88**	**14.05**	**13.39**	

विगत पांच वर्षो से कुल कर राजस्व संग्रहण में लगातार वृद्धि रही किन्तु संशोधित अनुमानों की तुलना में कर संग्रहण (प्रत्येक वर्ष) कम रहा। राजस्व वृद्धि का प्रतिशत वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान कम रहा।

केन्द्रीय बिक्री कर (21.74 प्रतिशत), बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर (22.20 प्रतिशत) में कमी, केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल एवं डीज़ल पर कर की कटौती करने के कारण रही। विद्युत पर कर एवं शुल्क में कमी (36.69 प्रतिशत) इस तथ्य के कारण थी कि नगरपालिका क्षेत्र में स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र में खपत होने वाली ऊर्जा पर देय शहरी उपकर के भुगतान से छूट दी गई थी। राज्य वस्तु एवं सेवा कर में वृद्धि (88.99 प्रतिशत) इस तथ्य के कारण थी कि वर्ष 2017-18 में केवल नौ महीनों का राजस्व लेखों में लिया गया। जबकि वर्ष 2018-19 में पूरे वर्ष

[5] अन्य कर में आय तथा व्यय पर कर के साथ कृषि भूमि के अलावा अचल सम्पत्तियों पर कर भी शामिल है।

का राजस्व लेखों में लिया गया। आबकारी शुल्क में वृद्धि (19.49 प्रतिशत) नई आबकारी नीति के क्रियान्वयन के कारण रही।

1.1.3 वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान एकत्रित कर-इतर राजस्व के संबंध में संशोधित अनुमान व वास्तविक प्राप्तियों का विवरण तालिका 1.1.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1.3

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	संशोधित अनुमान वास्तविक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2018-19 में 2017-18 पर वृद्धि (+)/कमी (-) की प्रतिशतता
अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	संशोधित अनुमान	3,566.00	4,250.00	4,200.00	4,900.00	6,000.00	
	वास्तविक	3,635.46	3,782.13	4,233.74	4,521.52	5,301.48	(+)17.25
ब्याज प्राप्तियां	संशोधित अनुमान	1,959.83	1,860.58	2,002.97	4,924.14	5,810.44	
	वास्तविक	2,065.39	1,982.39	1,933.37	4,858.90	5,790.87	(+)19.18
विविध सामान्य सेवायें	संशोधित अनुमान	920.88	885.72	859.39	888.31	1,171.34	
	वास्तविक	963.85	700.90	660.70	762.36	783.86	(+)2.82
पुलिस	संशोधित अनुमान	220.10	213.00	220.15	333.73	360.95	
	वास्तविक	240.03	162.02	190.78	296.56	345.38	(+)16.46
अन्य प्रशासनिक सेवायें	संशोधित अनुमान	107.19	162.44	222.35	228.41	258.82	
	वास्तविक	133.21	161.98	210.51	207.55	246.49	(+)18.76
वृहद एवं मध्यम सिंचाई	संशोधित अनुमान	90.90	112.50	129.79	90.30	115.26	
	वास्तविक	67.08	68.72	112.77	277.72	179.31	(-)35.43
वानिकी एवं वन्य जीवन	संशोधित अनुमान	80.20	111.65	123.95	173.82	154.01	
	वास्तविक	89.31	133.75	113.00	182.26	147.45	(-)19.10
सार्वजनिक निर्माण	संशोधित अनुमान	74.76	79.51	95.30	107.37	126.50	
	वास्तविक	71.74	97.89	84.31	109.26	125.92	(+)15.25
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	संशोधित अनुमान	105.07	108.99	115.74	152.34	166.01	
	वास्तविक	116.43	119.21	125.39	130.67	163.59	(+)25.19
सहकारिता	संशोधित अनुमान	16.52	14.52	41.25	47.75	29.02	
	वास्तविक	16.88	14.64	44.10	63.11	22.24	(-)64.76
अन्य कर- इतर प्राप्तियां[6]	संशोधित अनुमान	6,327.04	4,072.75	4,458.43	4,813.11	5,774.05	
	वास्तविक	5,830.12	3,704.24	3,906.90	4,323.81	5,496.42	(+)27.12
योग	संशोधित अनुमान	**13,468.49**	**11,871.66**	**12,469.32**	**16,659.28**	**19,966.44**	
	वास्तविक	**13,229.50**	**10,927.87**	**11,615.57**	**15,733.72**	**18,603.01**	**(+)18.23**
पूर्व वर्ष से वास्तविक वृद्धि का प्रतिशत		**(-)2.55**	**(-)17.40**	**6.29**	**35.45**	**18.23**	

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि वर्ष 2018-19 में कर-इतर राजस्व संग्रहण संशोधित अनुमान से कम रहा तथापि विगत वर्ष की तुलना में राजस्व संग्रहण में कुल 18.23 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही। 'ब्याज प्राप्तियां' में बढ़ोतरी (19.18 प्रतिशत) मुख्यतः उदय योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कंपनियों को दिये गये ऋण पर अधिक ब्याज प्राप्ति के कारण रही। 'पुलिस' में वृद्धि (16.46 प्रतिशत) अन्य राज्य सरकारों, भारत सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, बैंकों, निजी कम्पनियों और अन्य एजेन्सियों हेतु तैनात पुलिस से अधिक प्राप्ति के कारण रही। 'सार्वजनिक

6 अन्य कर-इतर प्राप्तियों में पेट्रोलियम, लोक सेवा आयोग, जेल, आवास, ग्राम तथा लघु उद्योग, मछली पालन, लाभांश तथा लाभ, पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों में अंशदान और वसूली इत्यादि, शामिल हैं।

निर्माण' में वृद्धि (15.25 प्रतिशत) भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण हेतु विभाग द्वारा किए गए कार्य के लिए एजेन्सी/प्रतिशत शुल्क की अधिक प्राप्ति के कारण रही। 'सहकारिता' में कमी (64.76 प्रतिशत), पंजीकरण शुल्क एवं अन्य विविध शीर्षों में कम प्राप्तियों के कारण रही। 'वानिकी एवं वन्य जीवन' में कमी (19.10 प्रतिशत) तेंदूपत्ता की बिक्री में गिरावट के कारण रही।

1.2 राजस्व के बकाया का विश्लेषण

कुछ मुख्य शीर्षों में 31 मार्च 2019 को राजस्व बकाया की राशि ₹12,794.49 करोड़ थी, इसमें से ₹ 2,289.58 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसा कि तालिका 1.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.2

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को कुल बकाया राशि	31 मार्च 2019 को कुल बकाया और पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी का प्रतिशत		31 मार्च 2018 को पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि
1	वाणिज्यिक कर	8,717.81	11,325.40	(+)29.91	1,611.26
2	परिवहन[7]	60.27	61.01	(+) 1.23	34.47
3	भू-राजस्व*	543.50	478.80	(-)11.90	274.68
4	पंजीयन एवं मुद्रांक	454.02	494.72	(+)8.96	87.29
5	राज्य आबकारी	193.86	194.52	(+) 0.34	192.84
6	खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	217.38	240.04	(+)10.42	89.04
योग		**10,186.84**	**12,794.49**	**(+)25.60**	**2,289.58**

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

मांग राशि किन स्तरों पर बकाया थी इसकी जानकारी मांगी गई (मई 2019 एवं अगस्त 2019) लेकिन खान एवं भू-विज्ञान विभाग के सिवाय जिन्होंने बताया कि ₹ 95.36 करोड़ वसूल नहीं किये जा सके क्योंकि ये राशियां अपीलीय प्राधिकारियों एवं न्यायालयों के विभिन्न स्थगन आदेशों से आच्छादित थी, जानकारी प्राप्त नहीं हुई।

1.3 बकाया कर निर्धारण

वाणिज्यिक कर विभाग, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 के लिये उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार वर्ष के प्रारम्भ में बकाया प्रकरण, वर्ष के दौरान निर्धारण हेतु देय प्रकरण, वर्ष के दौरान निस्तारित प्रकरण और वर्ष के अंत में

[7] *31 मार्च 2018 के अंत मे दिखाई गयी कुल बकाया से दिनांक 1 अप्रैल 2018 को दिखाई गयी बकाया मे अंतर था (परिवहन ₹ 1.02 करोड़ और भू राजस्व ₹ 27.81 करोड़)। अन्तर के कारण प्राप्त नहीं हुए।

निस्तारण से शेष रहे प्रकरणों का विवरण आगे तालिका 1.3 में दिया गया हैः

तालिका 1.3

विभाग का नाम	प्रारम्भिक शेष	वर्ष 2018-19 के दौरान निर्धारण हेतु बकाया नये प्रकरण	कुल बकाया निर्धारण	वर्ष 2018-19 के दौरान निर्धारित प्रकरण	वर्ष के अन्त में शेष	निस्तारण का प्रतिशत (कॉलम 5 का 4 से)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वाणिज्यिक कर	10	5,37,964	5,37,974	5,37,935	39	99.99
पंजीयन एवं मुद्रांक[8]	3,988	5,819	9,807	4,827	4,980	49.22
खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	6,102	11,645	17,747	12,166	5,581	68.55

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

यह देखा जा सकता है कि वाणिज्यिक कर विभाग ने सभी प्रकरणों, जिनमें कर निर्धारण योजना के अन्तर्गत निस्तारित किये गये प्रकरण भी सम्मिलित है, का निस्तारण करके बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। वाणिज्यिक कर विभाग की तुलना में पंजीयन एवं मुद्रांक व खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग में प्रकरणों का निस्तारण काफी कम रहा। इन विभागों को प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु कार्यवाही करनी चाहिए।

1.4 विभाग द्वारा खोजा गया कर अपवंचन

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार कर अपवंचन के 1,838 प्रकरण ध्यान में आये, जिसमें से 1,791 प्रकरणों का निर्धारण/जांच की जाकर शास्ति, इत्यादि सहित राशि ₹ 3,057.47 करोड़ की मांग कायम की गई। विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 में कुल राशि ₹ 1,343.57 करोड़ की वसूली कर 88.80 प्रतिशत प्रकरणों का निस्तारण किया गया। सूचना मांगे जाने पर (मई एवं जून 2019), भू-राजस्व, राज्य आबकारी, परिवहन, पंजीकरण एवं मुद्रांक ने ऐसे किसी भी प्रकरण के खोजे न जाने की जानकारी दी एवं खान और भू-विज्ञान विभाग ने कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई। यह दर्शाता है कि उक्त विभागों में राजस्व छीजत की जानकारी जुटाने का कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया है बावजूद इसके कि प्रिंट मीडिया द्वारा बिना परमिट के वाहनों के चलने, अवैध खनन, आवासीय या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए कृषि भूमि के रूपान्तरण न करने, शराब एवं अन्य ड्रग्स के अवैध परिवहन, से संबंधित प्रकरण लगातार प्रकाशित किये जाते रहे हैं, जिनमें कर अपवंचन की महत्वपूर्ण राशि निहित होती है।

1.5 प्रतिदाय के बकाया प्रकरण

विभागों द्वारा बताये अनुसार वर्ष 2018-19 के प्रारम्भ में प्रतिदाय के बकाया प्रकरणों की संख्या, वर्षों के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान प्रतिदाय की अनुमति दिये गये प्रकरण एवं वर्ष 2018-19

[8] न्यायिक प्रकरण।

के अन्त में बकाया प्रकरणों की संख्या को तालिका 1.5 में दर्शाया गया है ।

तालिका 1.5

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	वाणिज्यिक कर		पंजीयन एवं मुद्रांक	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया दावे	920	211.35	1,181	8.59
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	3,020	251.37	998	6.47
3	(i) वर्ष के दौरान निपटाये प्रतिदाय प्रकरण	3,759	359.30	1,205	9.79
	(ii) निरस्त प्रकरणों की संख्या	-	-	-	-
4	वर्ष के अन्त में बकाया प्रकरण	181	103.42	974	5.27

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना ।

विभागों को प्रतिदाय के बकाया प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु जरूरी कार्यवाही करनी चाहिए । यह न केवल दावाकर्ता के लिये लाभकारी होगा बल्कि इससे देरी से भुगतान किये गये प्रतिदाय के प्रकरणों पर दिये जाने वाले ब्याज के भुगतान से भी सरकार की बचत हो सकेगी ।

1.6 लेखापरीक्षा पर सरकार/विभागों का उत्तर

नियमों एवं प्रक्रियाओं के प्रावधानों के अनुरूप महत्वपूर्ण लेखों एवं अन्य अभिलेखों के संधारण का सत्यापन एवं कार्य निष्पादन की नमूना जांच के लिये महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर सरकार/विभागों का सामयिक निरीक्षण करते हैं । निरीक्षण के पश्चात् निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं, जिन्हें मौके पर ही निस्तारित नहीं किया गया हो, को सम्मिलित करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं । निरीक्षण प्रतिवेदन, निरीक्षण किये गये कार्यालय के अध्यक्ष को एवं प्रतिलिपि उससे अगले उच्च प्राधिकारी को शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु जारी किये जाते हैं । कार्यालय अध्यक्षों/सरकार को निरीक्षण प्रतिवदनों में शामिल आक्षेपों की शीघ्रता से अनुपालना, कमियों एवं त्रुटियों में सुधार करना होता है । उन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने के एक माह के अन्दर प्रथम अनुपालना महालेखाकार को प्रस्तुत करनी होती है । गंभीर वित्तीय अनियमिततायें, विभागाध्यक्षों एवं सरकार को प्रतिवेदित की जाती हैं ।

दिसम्बर 2018 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण से पता चला कि 7,424 निरीक्षण प्रतिवेदनों में ₹ 3,407.25 करोड़ राशि के 2,281 अनुच्छेद जून 2019 के अन्त में बकाया थे । जून 2019 के आंकड़ों को विगत दो वर्षों के आंकड़ों के साथ तालिका 1.6 में दर्शाया गया है ।

तालिका 1.6

विवरण	जून 2017	जून 2018	जून 2019
निस्तारण हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,961	3,062	2,281
बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या	8,691	9,075	7,424
सन्निहित राजस्व राशि (₹ करोड़ में)	2,877.01	3,319.89	3,407.25

यह देखा जा सकता है कि पिछले वर्ष की तुलना में बकाया अनुच्छेदों और उनमें सन्निहित राजस्व राशि में बढ़ोतरी हुई है । अभी भी लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के समय पर निस्तारण हेतु त्वरित अनुपालना की आवश्यकता है ।

1.6.1 जून 2019 के अंत में बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा अनुच्छेदों तथा उनमें सन्निहित राशि का विभागवार विवरण तालिका 1.6.1 में दर्शाया गया है ।

तालिका 1.6.1

क्र.सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रवृत्ति	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या	सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)
1	वाणिज्यिक कर	बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर	448	1,768	442.22
2	परिवहन	मोटर वाहनों पर कर	262	1,148	90.74
3	भू-राजस्व	भू-राजस्व	89	358	329.78
4	पंजीयन एवं मुद्रांक	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	1,067	2,684	358.34
5	राज्य आबकारी	राज्य आबकारी शुल्क	116	287	73.95
6	खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	अलौह खनन, धातुकर्म उद्योग एवं पेट्रोलियम	299	1,179	2,112.22
योग			**2,281**	**7,424**	**3,407.25**

निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकाया इस तथ्य की ओर इंगित करते हैं कि कार्यालय प्रमुखों और विभागों को लेखापरीक्षा द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से बतायी गयी त्रुटियों और अनियमितताओं के सुधार हेतु प्रभावी कार्यवाही करने की आवश्यकता है ।

1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों के निस्तारण की शीघ्र प्रगति एवं निगरानी के लिये सरकार ने लेखापरीक्षा समितियों[9] का गठन किया । वर्ष 2018-19 के दौरान हुई लेखापरीक्षा समिति/लेखापरीक्षा उप-समितियों की बैठकों तथा निस्तारित किये गये अनुच्छेदों का विवरण तालिका 1.6.2 में उल्लेखित हैः

तालिका 1.6.2

क्र. सं.	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या	लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों की संख्या	निस्तारित अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	वाणिज्यिक कर	03	06	187	22.05
2	परिवहन	02	02	07	0.17
3	भू-राजस्व	03	06	22	4.66
4	पंजीयन एवं मुद्रांक	03	18	581	20.79
5	राज्य आबकारी	03	-	-	-
6	खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	03	03	203	108.58
योग		**17**	**35**	**1,000**	**156.25**

[9] राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक 1/2005 दिनांक 18 जनवरी 2005 के अनुसार संबंधित विभागों के सचिव एवं महालेखाकार/उनके प्रतिनिधि को शामिल करते हुये लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया गया और यह निश्चित किया गया कि लेखापरीक्षा समिति की एक बैठक का आयोजन प्रत्येक तिमाही में किया जाये । इसके अतिरिक्त, संबंधित विभाग के अधिकारियों व महालेखाकार के प्रतिनिधियों को मिलाकर लेखापरीक्षा उप-समितियों का गठन भी किया गया है ।

यह देखा जा सकता है कि वाणिज्यिक कर, परिवहन, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक, खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभागों में आयोजित लेखापरीक्षा उप-समितियों की बैठकों में राशि ₹ 156.25 करोड़ के 1000 अनुच्छेदों का निस्तारण किया गया। आबकारी विभाग में लेखापरीक्षा उप-समिति की किसी भी बैठक का आयोजन नहीं किया गया। परिवहन और राज्य आबकारी विभागों को बकाया अनुच्छेदों के निपटान के लिए ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है।

1.6.3 प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों की प्रतिक्रिया

तथ्यात्मक विवरण जारी किये जाने के बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित प्रारूप अनुच्छेद महालेखाकार द्वारा संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित कर यह अनुरोध करते हुये भेजे जाते हैं कि वे उनके उत्तर छः सप्ताह में भिजवा दें। सरकार/विभाग से उत्तर प्राप्त नहीं होने के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक अनुच्छेद के अंत में निरपवाद रूप से दर्शाया जाता है।

एक निष्पादन लेखापरीक्षा को शामिल करते हुए 47 प्रारूप अनुच्छेदों को (13 अनुच्छेदों में संकलित), संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को अप्रैल और फरवरी 2020 के मध्य प्रेषित किया गया। परिवहन विभाग द्वारा एक प्रारूप अनुच्छेद का उत्तर नहीं दिया गया (मई 2020)।

1.6.4 लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर अनुवर्ती कार्यवाही–संक्षिप्त स्थिति

राजस्थान राज्य विधानसभा की जनलेखा समिति के लिये वर्ष 1997 में बनाये गये नियमों एवं कार्य विधियों के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुत करने के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर कार्यवाही प्रारम्भ करेगें। प्रतिवेदन को विधान पटल पर रखने के तीन महीने में सरकार द्वारा क्रियान्विति विषयक टिप्पणियां जनलेखा समिति के विचारार्थ प्रेषित करनी चाहिए। इन प्रावधानों के होते हुए भी, प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर टिप्पणियां विलम्ब से प्रस्तुत की जा रही थीं। राजस्थान सरकार के राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2014, 2015, 2016, 2017 और 2018 को समाप्त वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, जिनमें कुल 159 अनुच्छेद (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) शामिल थे, को राज्य विधानसभा के समक्ष 25 मार्च 2015 तथा 17 जुलाई 2019 के मध्य प्रस्तुत किया गया। संबंधित विभागों से इन अनुच्छेदों पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणियां प्रत्येक प्रतिवेदन पर औसतन 42 दिवस के विलम्ब से प्राप्त हुई। जनलेखा समिति द्वारा वर्ष 2013-14 से 2016-17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित कुल 119 चयनित अनुच्छेदों पर चर्चा की गयी और 50 अनुच्छेदों पर इनकी सिफारिशों को दस[10] प्रतिवेदनों (2018-19) में सम्मिलित किया गया।

[10] दस प्रतिवेदनः वाणिज्यक कर (1), भू - राजस्व (3), खान एवं भू - विज्ञान (1), मोटर वाहन कर (2), पंजीयन एवं मुद्रांक (2), आबकारी (1) से सम्बंधित है।

1.7 खान एवं भू-विज्ञान विभाग में लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर कार्यवाही करने हेतु अपनायी गयी प्रणाली की समीक्षा

विभागों/सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में विशिष्टता के साथ दर्शाये गये मुद्दों पर अपनायी गयी प्रणाली की समीक्षा करने के लिये, खान एवं भू-विज्ञान विभाग के संबंध में विगत पांच वर्षों के निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाहित अनुच्छेदों पर की गयी कार्यवाही का मूल्यांकन किया गया।

स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये प्रकरणों तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये प्रकरणों पर खान एवं भू-विज्ञान विभाग के कार्य निष्पादन पर चर्चा आगामी अनुच्छेदों 1.7.1 से 1.7.2 में की गयी है।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

खान एवं भू-विज्ञान विभाग के अवधि 2014-15 से 2018-19 के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में शामिल अनुच्छेदों तथा उनकी स्थिति का संक्षिप्त विवरण तालिका 1.7.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7.1

(₹ करोड़ में)

वर्ष तक स्थिति	प्रारम्भिक शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निस्तारण			वर्ष के अन्त में शेष		
	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि
2014-15	308	1,232	2,164.49	41	286	152.30	27	258	621.52	322	1260	1,695.27
2015-16	322	1,260	1,695.27	31	240	287.33	18	188	94.80	335	1312	1,887.80
2016-17	335	1,312	1,887.80	50	282	177.32	16	256	393.81	369	1338	1,671.31
2017-18	369	1,338	1,671.31	34	267	682.09	7	107	36.68	396	1498	2,316.72
2018-19 जून 2019 तक	396	1,498	2,316.72	11	76	32.88	108	395	237.38	299	1179	2,112.22

सरकार को पुराने अनुच्छेदों के निस्तारण हेतु लेखापरीक्षा कार्यालय व विभाग के मध्य लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों का आयोजन एक निश्चित अन्तराल के बाद करना चाहिए। वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा उप-समिति की तीन बैठकें आयोजित की गयीं और 203 अनुच्छेद निर्णित किये गये।

1.7.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल अनुच्छेदों और स्वीकार किये गये प्रकरणों की वसूली की स्थिति

विगत पांच वर्षों में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित खान एवं भू-विज्ञान विभाग से संबंधित अनुच्छेद, जो विभाग द्वारा स्वीकार किये और उनमें वसूली की गयी राशि का विवरण

तालिका 1.7.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7.2

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेदों की संख्या	अनुच्छेदों का मौद्रिक मूल्य	स्वीकार किये गये अनुच्छेदों की संख्या	स्वीकार किये गये अनुच्छेदों का मौद्रिक मूल्य	वर्ष 2018-19 के दौरान वसूल की गयी राशि	स्वीकार किये गये प्रकरणों में 30 जून 2019 तक वसूली की समेकित स्थिति
2013-14	3	92.00	2	65.03	0.07	9.81
2014-15	9	39.49	8	16.73	0.55	2.72
2015-16	9	23.98	8	12.95	0.05	1.25
2016-17	4	52.08	4	40.86	0.33	0.88
2017-18	5	196.46	4	55.33	-	1.69
योग	**30**	**404.01**	**26**	**190.90**	**1.00**	**16.35**

विभाग द्वारा स्वीकार किये गये ₹ 190.90 करोड़ में से पांच वर्षों की अवधि के दौरान केवल ₹ 16.35 करोड़ वसूल किये गये। अनुच्छेदों की स्वीकार की गयी राशि में से केवल 8.56 प्रतिशत की वसूली की गयी।

यह अनुशंषा की जाती है कि खान एवं भू-विज्ञान विभाग स्वीकार की गई राशि की वसूली प्राथमिकता पर करने के लिये कदम उठाये।

1.8 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अधीन कार्यरत इकाई कार्यालय को उनकी राजस्व की स्थिति, पूर्व के लेखापरीक्षा आक्षेपों की प्रवृत्ति तथा अन्य मापदण्डों के अनुसार उच्च, मध्यम एवं कम जोखिम में श्रेणीबद्ध किया गया था। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना, जोखिम विश्लेषण, जिसमें सरकार के राजस्व तथा कर प्रशासन में सन्निहित महत्वपूर्ण बिन्दु यथा विभागों के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदनों के दक्षता सूचकांकों, बजट प्रावधानों, राजस्व की प्रवृत्ति, इकाई का विगत तीन वर्षों का औसत राजस्व, आन्तरिक लेखापरीक्षा में पाये गये मामलों, मीडिया रिपोर्ट, राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त, विगत लेखापरीक्षा अवधि, विगत लेखापरीक्षा में पाये गए प्रकरण, विधान में किये गए संशोधन आदि शामिल है, के आधार पर तैयार की गयी थी। वर्ष 2018-19 में कुल 2,073 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां थीं, जिनमें से 455 इकाइयों की योजना बनायी गयी और सभी इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी। अनुपालना लेखापरीक्षा के अतिरिक्त 'परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा भी की गयी।

1.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान की गयी स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2018-19 के दौरान वाणिज्यिक कर, परिवहन, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक, राज्य आबकारी, खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभागों एवं अन्य कार्यालयों की 455 इकाइयों[11] के अभिलेखों की नमूना जांच में 19,010 प्रकरणों में ₹ 427.64 करोड़ राशि के अवनिर्धारण, कम

[11] कुल 628 निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये गए जिनमे 173 क्रियान्वयन इकाइयां भी शामिल है।

आरोपण/राजस्व हानि आदि का पता चला। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के 17,419 प्रकरण स्वीकार किये जिनमें राजकीय राजस्व राशि ₹ 176.89 करोड़ निहित थी, जिसमें से ₹ 62.46 करोड़ राशि के 5,457 प्रकरण वर्ष 2018-19 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे। 31 मार्च 2019 तक संबंधित विभागों ने 8,240 प्रकरणों में ₹ 24.78 करोड़ वसूल किये।

1.10 प्रतिवेदन में समाहित लेखापरीक्षा परिणाम

इस प्रतिवेदन में 'परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 13 अनुच्छेद शामिल हैं। अनुच्छेदों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 255.51 करोड़ है, जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा का वित्तीय प्रभाव ₹ 56.53 करोड़ है। इनकी चर्चा अध्याय-II से VII में की गई है।

विभागों/सरकार ने ₹ 186.42 करोड़ राशि की लेखापरीक्षा टिप्पणियां स्वीकार की (मार्च 2020)। स्वीकार की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों में से विभागों द्वारा मार्च 2020 तक ₹ 29.19 करोड़ राशि की वसूली की गई जो कि वर्ष 2018-19 के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से की गई वसूली (₹ 24.78 करोड़) के अतिरिक्त थी। इसके अलावा, विभाग ने वर्ष 2018-19 के दौरान पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बंधित आक्षेपों के संबंध में ₹ 33.04 करोड़ की वसूली की इस प्रकार, लेखापरीक्षा के आधार पर वर्ष के दौरान की गई कुल वसूली ₹ 87.01 करोड़ थी।

अध्याय–II

बिक्री, व्यापार, आपूर्तियों, इत्यादि पर कर

अध्याय-II : बिक्री, व्यापार, आपूर्तियों, इत्यादि पर कर

2.1 कर प्रशासन

राज्य के करदाताओं द्वारा संबंधित कानूनों के अन्तर्गत देय माल और सेवा कर/मूल्य वर्धित कर/केंद्रीय बिक्री कर/प्रवेश कर से प्राप्तियां सरकार के स्तर पर प्रमुख शासन सचिव (वित्त) द्वारा प्रशासित की जाती हैं। आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग (विभाग) का प्रमुख होता है और 23 अतिरिक्त आयुक्त, 46 उपायुक्त, 91 सहायक आयुक्त, 136 वाणिज्यिक कर अधिकारी, 405 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी और एक वित्तीय सलाहकार उसे कार्य में सहायता प्रदान करते हैं। कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी और अन्य सहायक कर्मचारियों द्वारा संबंधित कर कानूनों और नियमों के प्रशासन के लिए उन्हें सहायता प्रदान की जाती है।

2.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

वित्तीय सलाहकार आंतरिक लेखापरीक्षा समूह का प्रमुख होता है। इसमें 17 आंतरिक लेखापरीक्षा दल हैं। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान आयोजित आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थिति निम्नानुसार हैः

वर्ष	लेखापरीक्षा के लिये बकाया इकाइयों का प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के लिये बकाया इकाइयां	लेखापरीक्षा के लिये कुल बकाया इकाइयां	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयां	लेखापरीक्षा से शेष रही इकाइयां	कमी (प्रतिशत में)
2014-15	310	413	723	471	252	35
2015-16	252	413	665	181	484	73
2016-17	484	468	952	426	526	55
2017-18	526	468	994	526	468	47
2018-19	468	467	935	847	88	9

स्रोतः वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी सूचना।

यह देखा गया कि 31 मार्च 2019 को आंतरिक लेखापरीक्षा में 18,598 अनुच्छेद बकाया थे। वर्षवार विवरण निम्नानुसार हैः

वर्ष	2013-14 तक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	योग
अनुच्छेद	10,758	426	614	685	2,134	3,981	**18,598**

स्रोतः वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी सूचना।

18,598 अनुच्छेदों में से 10,758 अनुच्छेद अनुपालना/सुधारात्मक कार्रवाई के अभाव में पांच साल से अधिक समय से बकाया थे।

2.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

वाणिज्यिक कर विभाग में 486 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां हैं, इनमें से लेखापरीक्षा द्वारा 162 इकाइयों, जिनमें 2.47 लाख कर-निर्धारण किये गये, का चयन नमूना जांच के लिए किया गया। इनमें से लेखापरीक्षा द्वारा 26,051 (लगभग 10.53 प्रतिशत) कर निर्धारणों की वर्ष 2018-19 में नमूना जांच की गई तथा 918 प्रकरण (लेखापरीक्षा नमूनों का लगभग 3.51 प्रतिशत) कर/ब्याज का कम आरोपण/अनारोपण आगम कर की अनियमित स्वीकृति, घोषणा पत्रों के दुरूपयोग पर शास्ति का अनारोपण, विनियोग सब्सिडी की अनियमित स्वीकृति, कर की गलत दर लगाना एवं नियमों/अधिनियमों के प्रावधानों की अनुपालना न करने आदि के देखे गये जिनमें राशि ₹ 138.12 करोड़ शामिल थी। उपरोक्त प्रकरण अभिलेखों की नमूना जांच पर आधारित हैं इसलिये यह उदाहरण मात्र हैं। लेखापरीक्षा में समान प्रकृति की कुछ त्रुटियां पूर्व वर्षो में भी दर्शायी गई हैं, तथापि न केवल ये अनियमितताएं बनी रही बल्कि आगामी लेखापरीक्षा तक ध्यान में नहीं आ सकी। सरकार को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार के साथ आंतरिक लेखापरीक्षा को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। देखी गयी अनियमितताएं मुख्यतः निम्न श्रेणियों में आती हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	'माल और सेवा कर' के अंतर्गत पंजीयन	1	0.00
2	ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित दावा	1	2.25
3	'माल और सेवा कर' के अन्तर्गत प्रतिदाय	1	0.51
4	कर का अवनिर्धारण	328	83.41
5	त्रुटिपूर्ण वैधानिक प्रपत्र स्वीकार करना	21	15.47
6	क्रय/विक्रय को छुपाने के कारण कर की अपवंचना	185	16.15
7	आगत कर को अनियमित/गलत/अधिक अनुमोदन करना	96	10.06
8	अन्य अनियमिततायें:		
	(i) राजस्व से संबंधित	231	10.26
	(ii) व्यय से संबंधित	54	0.01
	योग	**918**	**138.12**

वर्ष 2018-19 के दौरान विभाग द्वारा 390 प्रकरणों में ₹ 8.65 करोड़ के कर के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया गया, जिनमें से 47 प्रकरण जिनमें ₹ 4.09 करोड़ की राशि शामिल थी, वर्ष 2018-19 की लेखापरीक्षा के दौरान जबकि शेष प्रकरण पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 में 107 प्रकरणों में ₹ 1.70 करोड़ वसूल/समायोजित किये गये। इनमें से 6 प्रकरण जिनमें राशि ₹ 24.65 लाख शामिल थी, वर्ष 2018-19 से, तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे।

चार प्रकरणों में ₹ 3.46 करोड़ के कर का कम आरोपण/अनारोपण लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया (अप्रेल व मई 2019)। तत्पश्चात् विभाग द्वारा इन प्रकरणों में पूरी राशि वसूल/समायोजित (दिसंबर 2018 और सितंबर 2019 के बीच) कर ली गई; अतः इन प्रकरणों की चर्चा इस प्रतिवेदन में नहीं की गई है, यद्यपि, इन प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्नतः हैः

- एक व्यवहारी को इस शर्त पर छूट प्रमाण पत्र दिया गया था कि यदि व्यवहारी राज्य के पंजीकृत व्यवहारी के अलावा किसी अन्य व्यवहारी से माल की खरीद करता है, तो वह मुक्ति शुल्क के अतिरिक्त उस कर की राशि के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा, जो राज्य में पंजीकृत व्यवहारी से माल खरीद करने पर देय होता। कर निर्धारण प्राधिकारी, व्यवहारी द्वारा कार्य के निष्पादन में उपयोग हेतु माल की अन्तर्राज्यीय खरीद पर कर के दायित्व निर्धारण करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 19.57 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।
- राजस्थान वैट अधिनियम के अन्तर्गत जारी अधिसूचना के अनुसार संकर्म संविदाओं, जिसके लिए छूट प्रमाण पत्र (ईसी) प्रदान किए गए थे, में उपयोग किए गए माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुमत्य नहीं था। राज्य के भीतर माल की खरीद जिसका उपयोग ईसी कार्यों के निष्पादन में किया गया था के लिए एक व्यवहारी पर ₹ 50.41 लाख का रिवर्स कर लगाने में कर निर्धारण प्राधिकारी विफल रहे ।
- एक व्यवहारी द्वारा अपना कर योग्य पण्यावर्त (Turnover) ₹ 109.63 करोड़ घोषित किया गया, जबकि, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा केवल ₹ 40.40 करोड़ के कर योग्य पण्यावर्त पर कर देयता का आकलन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.65 करोड़ के कर और ब्याज का कम आरोपण किया गया।
- एक व्यवहारी (संकर्म संविदाकार) द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए तिमाही वैट विवरणी और व्यापार खाता प्रस्तुत किये गये, किन्तु उक्त अवधि के लिए वार्षिक वैट विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई। कर निर्धारण प्राधिकारी, संकर्म संविदाकार के ₹ 1.18 करोड़ के कर योग्य पण्यावर्त पर कर देयता का आकलन करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 11.07 लाख का कम आरोपण हुआ।

2.4 **माल एवं सेवा कर की लेखापरीक्षा**

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के संग्रह के स्वचालन के साथ ही लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक है कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संवैधानिक प्राधिकार की पूर्ति हेतु नमूना जांच के स्थान पर समस्त संव्यवहारों की सम्यक जांच की जाये। राज्य सरकार द्वारा जीएसटी से संबंधित आकड़ों पर पहुंच उपलब्ध नहीं करायी गई। यह संवैधानिक प्रावधानों (अनुच्छेद 149) एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तों के अधिनियम, 1971 की धारा 18 के विरूद्ध है। प्रतिदाय एवं ट्रांजिशनल क्रेडिट की गत वर्षो की लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध करवाये गये कुछ हार्ड कॉपी दस्तावेजों के आधार पर लेखापरीक्षा टिप्पणी निम्न प्रकार है।

जीएसटी संव्यवहारों से संबंधित आकड़ों की अनुपलब्धता जीएसटी प्राप्तियों की सम्यक लेखापरीक्षा के मार्ग में बाधक रही।

माल एवं सेवा कर के अंतर्गत पंजीयन, प्रतिदाय एवं ट्रांजिशनल क्रेडिट

2.4.1 प्रस्तावना

जीएसटी अधिनियम, 2017 को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य कर व्यापकता को कम करना, माल एवं सेवाओं के लिए एक साझा बाजार में प्रवेश करना और सरलीकृत, स्वविनियमित एवं हस्तक्षेप रहित कर अनुपालना को व्यवस्था में लाना था। यदि एक

वित्तीय वर्ष में कर योग्य आपूर्तियों का कुल आवर्त ₹ 20 लाख से अधिक है तो राजस्थान माल एवं सेवाकर (आरजीएसटी) अधिनियम, 2017 में जीएसटी के अन्तर्गत पंजीयन हेतु प्रावधान किये गये है।

2.4.2 माल एवं सेवाकर के अन्तर्गत पंजीयन

आरजीएसटी अधिनियम की धारा 22 (2) के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जो नियत दिवस से ठीक पूर्ववर्ती दिवस को विद्यमान विधि के अधीन पंजीकृत है या अनुज्ञप्ति धारण करता है, नियत दिवस से अधिनियम के अधीन पंजीकृत होने के लिए दायी होगा।

आगे, आरजीएसटी नियम, 2017 के नियम 24 (2)(क) (विद्यमान विधि के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों का स्थानांतरण) के साथ पठित आरजीएसटी अधिनियम की धारा 139 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसको उपनियम (1) के अन्तर्गत अस्थायी पंजीयन प्रदान किया गया है, वह निर्धारित प्रपत्र यथा 'जीएसटी आरईजी 26', में इलेक्ट्रोनिक सत्यापन कोड के माध्यम से विधिवत हस्ताक्षरित या सत्यापित, साथ ही आवेदन में निर्दिष्ट सूचनाओं एवं दस्तावेजों के साथ आम पोर्टल पर इलेक्ट्रोनिक रुप से आवेदन प्रस्तुत करेगा।

आरजीएसटी अधिनियम की धारा 25 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 22 या धारा 24 के अधीन पंजीयन के लिए उत्तरदायी है, वह उस दिनांक, जिसको वह पंजीयन के लिए दायी होता है, से तीस दिवस के भीतर ऐसी रीति और ऐसी शर्तो के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, पंजीयन के लिए आवेदन करेगा। आगे, आरजीएसटी नियम, 2017 का नियम 9 (आवेदन का सत्यापन एवं अनुमोदन) पंजीयन प्रक्रिया के लिए विवरण प्रदत्त करता है। आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 18(1)(क) के अनुसार कोई ऐसा व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन पंजीयन के लिए आवेदन किया हैं, उस दिनांक से तीस दिवस के भीतर, जिसको वह पंजीयन के लिए दायी हो गया है और उसे ऐसा पंजीयन प्रदान कर दिया गया है, स्टॉक में धारित आगत और उस दिनांक से, जिससे वह इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन कर भुगतान करने के लिए दायी हुआ है, ठीक पूर्ववर्ती दिवस को स्टॉक में धारित अर्ध निर्मित या पूर्ण निर्मित माल में अंतर्विष्ट आगत के संबंध में आगत कर जमा को लेने का हकदार होगा।

विभाग द्वारा नये करदाताओं के पंजीयन से संबंधित 31 मार्च 2018 तक के प्रदत्त कराये गये आकड़ों की संवीक्षा की गयी। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित दृष्टिगत हुआः

क्र.सं.	अनियमित्तताओं का विवरण	सरकार का जवाब/अभ्युक्तियां
1.	**करदाताओं का जीएसटी व्यवस्था के अन्तर्गत अन्तिम रुप से स्थानांतरित नहीं होना** वैट के अन्तर्गत मौजूदा 83,173 पंजीकृत करदाता जिन्हें अस्थायी पंजीयन प्रदान किया गया, अन्तिम रुप से जीएसटी के अन्तर्गत स्थानांतरित नहीं हुए। जिसमें से वैट के तहत 2016-17 की अवधि के दौरान ₹ 25 करोड़ से अधिक सकल पण्यावर्त वाले 132 करदाता थे। उनमें से 38 करदाता नयी जीएसटी संस्था के साथ पंजीकृत हुए, 24 करदाताओं ने वैट के अन्तर्गत पंजीयन निरस्त करवाया एवं 70 करदाताओं ने अन्तिम रुप से पंजीयन नहीं करवाया। इन 70 करदाताओं में से 24 करदाता जयपुर जोन- I, II एवं III से संबंधित थे। इन 24 करदाताओं के अभिलेखों की जांच स्थानांतरण	लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने पर (सितम्बर 2019), सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि दो करदाता अन्य फर्म में समामेलन/विलयन होने के कारण, चार करदाता आवश्यक दस्तावेजों के अपलोड नहीं होने के कारण एवं अन्य चार व्यापार बंद होने के कारण पंजीकृत नहीं हुए। शेष 10 करदाताओं के संबंध में कोई कारण सूचित नहीं किया गया। आगे व्यापार बंद करने के प्रकरणों में लेखापरीक्षा को कोई समर्थित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं

	नहीं होने के कारणों के साथ लेखापरीक्षा में की गयी। यह दृष्टिगत हुआ कि चार करदाता अन्य राज्यों में पंजीकृत थे एवं अन्तिम रुप से राजस्थान में स्थानांतरित नहीं हुए।	किये गये। यह विभाग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता की कमी को इंगित करता है।
2.	**निर्धारित समयावधि के पश्चात् नये पंजीकरण होना** यह देखा गया कि वर्ष 2017-18 के दौरान 1,91,172 नये पंजीकृत करदाताओं में से 4,076 करदाता उनके पंजीयन हेतु उत्तरदायी होने की दिनांक से 31 से 270 दिनों की अवधि में पंजीकृत हुए। लेखापरीक्षा ने पंजीयन के लिए आवेदन करने में विलम्ब का निर्धारण करने हेतु आगे की सूचनाओं यथा करदाताओं द्वारा पंजीयन का आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक एवं दिनों की संख्या जिसके अन्तर्गत विभाग ने पंजीयन प्रदान किया, के लिए निवेदन किया। विभाग ने अप्रैल एवं जून 2019 में स्मरण पत्र जारी करने के बावजूद सूचनाऐं प्रदान नहीं की। विभाग ने लेखापरीक्षा को जीएसटी से संबंधित आँकड़ों की पहुँच हेतु सुविधा प्रदान नहीं की। चूक को विभाग को सूचित किया गया (जून 2019) एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर 2019)।	सरकार ने बताया (जनवरी 2020) कि राजस्थान जीएसटी प्रणाली में एक Model II राज्य है एवं संबंधित सॉफ्टवेयर एवं आँकड़े माल एवं सेवाकर नेटवर्क (जीएसटीएन) द्वारा संधारित किये जाते हैं, इसलिए वांछित सूचनाऐं उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा, सुरक्षित फाईल हस्तान्तरण प्रोटोकोल (एसएफटीपी) सर्वर के माध्यम से जीएसटीएन द्वारा प्रदत्त सूचनाऐं ही विभाग के पास उपलब्ध हैं। राज्य कर विभाग के पास जीएसटी आँकड़ों की उपलब्धता एवं पहुंच बहुत सीमित है एवं एसएफटीपी सर्वर के माध्यम से जीएसटीएन द्वारा प्रदान की गयी सूचनाओं के अलावा अतिरिक्त सूचनाऐं/आँकड़े उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

उत्तर से इंगित होता है कि जीएसटी के अन्तर्गत पंजीयन प्रक्रिया संबंधित आँकड़ों के संधारण एवं उनकी उपलब्धता की सुनिश्चितता के लिए विभाग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली प्रभावी नहीं थी।

वांछित सूचनाओं की अनुपलब्धता से लेखापरीक्षा में जीएसटी के अन्तर्गत नये पंजीयनो के आवेदन/प्रदान करने में विलम्ब का निर्धारण नहीं किया जा सका। इसके अलावा, उन प्रकरणों में जहां करदाताओं ने उनके पंजीयन हेतु उत्तरदायी होने की दिनांक से 30 दिनों के पश्चात् पंजीयन हेतु आवेदन किया है, पंजीयन से पूर्व के स्टॉक पर आगत कर जमा के दावों, यदि कोई हो, की सत्यता लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

निष्कर्ष एवं सिफारिशें

विभाग ने विद्यमान करदाताओं के जीएसटी में स्थानान्तरण नहीं होने के कारणों को सुनिश्चित नहीं किया। यह दृष्टिगत हुआ कि जीएसटी के अन्तर्गत 4,076 करदाता 31 से 270 दिनों के विलम्ब से पंजीकृत हुए। नये आवेदकों द्वारा आवेदन की दिनांक की सूचना के अभाव के कारण नये पंजीयन के आवेदन/प्रदान करने में विलम्ब का लेखापरीक्षा में निर्धारण नहीं किया जा सका। आगे, पंजीयन से पूर्व के स्टॉक पर आगत कर जमा के अनियमित दावों, जहां करदाता ने 30 दिनों के पश्चात् पंजीयन हेतु आवेदन किया है, की संभावना से इन्कार नही किया जा सकता। अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण मुख्यतः सीएजी के संवैधानिक अधिकार को सीमित करता है एवं राज्य सरकार के पदाधिकारियों की जवाबदेही की कमी के रूप में परिणित होता है।

लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि

- विभाग को विद्यमान करदाताओं के स्थानांतरित नहीं होने के कारणों का विश्लेषण करना चाहिये एवं सुनिश्चित करना चाहिये कि व्यवसायिक गतिविधियां जीएसटी में पंजीयन के बिना संचालित नहीं की जा रही हों।
- जीएसटीएन से आवश्यक आंकड़े/सूचनायें प्राप्त करने हेतु एक प्रभावोत्पादक सूचना डाटाबेस संधारित करना चाहिये ताकि अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत नये पंजीयन के आवेदन/प्रदान करने से संबंधित प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जा सके।

2.4.3 माल एवं सेवाकर के अन्तर्गत प्रतिदाय

2.4.3.1 प्रस्तावना

सटीक और समयबद्ध प्रतिदाय तंत्र एक कुशल कर प्रशासन का महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि यह कार्यशील पूंजी, मौजूदा व्यापार के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए अवरूद्ध निधियों के निर्मोचन के माध्यम से व्यापार को सुविधा प्रदान करता है।

2.4.3.2 विधिक प्रावधान

जीएसटी के अन्तर्गत प्रतिदाय की प्रक्रिया सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 से 58, आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 से 58, आरजीएसटी नियम, 2017 के नियम 89 से 97, एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम (आईजीएसटी), 2017 की धारा 16 एवं

समय-समय पर इनके अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचनाओं/परिपत्रों द्वारा शासित होती है। सीजीएसटी, आईजीएसटी एवं सेस के अन्तर्गत प्रतिदाय राशि केन्द्रीय कर प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की जाती है, जबकि आरजीएसटी के अन्तर्गत प्रतिदाय राशि राज्य कर प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की जाती है। यदि करदाता का विधिक क्षेत्र केन्द्र से राज्य प्राधिकारी को या राज्य से केन्द्र प्राधिकारी को परिवर्तित होता है तो मूल प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रतिदाय आदेश, संबंधित समकक्ष प्राधिकारी को, स्वीकृत राशि के भुगतान हेतु सात कार्यदिवसों के अन्दर संप्रेषित किया जावेगा।

2.4.3.3 कर का प्रतिदाय

आरजीएसटी अधिनियम की धारा 54(1) के अनुसार कोई व्यक्ति, जो किसी कर और ऐसे कर पर संदत्त ब्याज, यदि कोई हो, या उसके द्वारा संदत्त किसी अन्य रकम के प्रतिदाय का दावा करता है, वह प्रासंगिक तारीख से दो वर्ष के अवसान से पूर्व ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति से जो विहित की जाए, आवेदन कर सकेगा। आगे, धारा 54 (3) के अनुसार कोई पंजीकृत व्यक्ति किसी कर अवधि के अंत में ऐसे आगत कर जमा का, जिसका उपयोग नही किया है, प्रतिदाय का दावा कर सकेगा।

परन्तु निम्नलिखित से भिन्न मामलों में उपयोग न किये गये आगत कर जमा के प्रतिदाय का कोई दावा अनुमत नही किया जावेगाः

(i) कर का भुगतान किये बिना की गयी शून्य दर आापूर्ति;

(ii) जहां निर्गत आपूर्ति (शून्य दर या पूर्णतः छूट आपूर्ति के अलावा) की तुलना में आगत कर पर कर की अधिक दर के कारण जमा संचित हुआ है। सिवाय उन माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के जैसा कि परिषद की अनुशंषा पर सरकार अधिसूचित करे।

परन्तु यह और कि आगत कर जमा, जिसका उपयोग नही किया गया है, के प्रतिदाय को उन मामलों में अनुमत नही किया जायेगा जहां भारत से बाहर निर्यात किया गया माल निर्यात शुल्क के अध्याधीन है।

परन्तु यह भी कि आगत कर जमा के किसी प्रतिदाय को अनुमत नहीं किया जावेगा, यदि माल या सेवाओं या दोनों का आपूर्तिकर्ता ऐसी आपूर्ति पर देय एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करता है।

2.4.3.4 लेखापरीक्षा की कार्यपद्धति एवं क्षेत्र

प्रतिदाय के मामलों की लेखा परीक्षा, आरजीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिदाय को स्वीकृत करने में राज्य कर प्राधिकारियों एवं इनकी क्षेत्र रचना की निष्पादन दक्षता का आकलन करने के लिये की गयी थी। लेखापरीक्षा ने इस सम्बन्ध में प्रशासनिक प्रक्रियाओं की पर्याप्तता एवं संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इस के प्रभावी क्रियान्वयन की जांच की।

राजस्थान में, राज्य के 13 क्षेत्रीय कर कार्यालयों के अन्तर्गत, जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 के दौरान 776 मामलों में ₹ 107.58 करोड़ के प्रतिदाय स्वीकृत किये गये। लेखापरीक्षा ने क्षेत्रीय कार्यालयों का चयन ₹ पांच लाख से ज्यादा राशि के स्वीकृत अधिकतम प्रतिदाय (एक क्षेत्र में ऐसे कम से कम 10 मामले हो) के आधार पर किया। इस प्रकार सात क्षेत्रीय

कार्यालयों[1] का चयन किया गया जिनमें 717 प्रतिदाय के मामले स्वीकृत थे, इनमें से ₹ पांच लाख से अधिक के 348 प्रतिदाय के मामलों की अप्रैल से जून 2019 के दौरान जांच की गयी। यद्यपि, विभाग ने जीएसटी से संबंधित आँकड़ो तक पहुँच प्रदान नहीं की, लेखापरीक्षा ने केवल उपलब्ध कराये गये भौतिक दस्तावेजों/अभिलेखों का विश्लेषण किया।

2.4.3.5 लेखापरीक्षा टिप्पणी

क्र.सं.	अनियमितताओं का विवरण	सरकार का जवाब/अभ्युक्तियां
1.	**प्रतिदाय की स्वीकृति में विलम्ब** आरजीएसटी नियमों के नियम 91(2) एवं 92 के अन्तर्गत आरजीएसटी अधिनियम की धारा 54(6) के उपबंधों के अनुसरण में शून्य दर आधारित आपूर्ति के संबंध में दावा की गयी प्रतिदाय की राशि की 90 प्रतिशत राशि आरजीएसटी के नियम 90 के उप नियम (1) और (2) के अधीन पावती की दिनांक से सात दिवस के भीतर अनंतिम आधार पर स्वीकृत की जावेगी। आगे, प्रतिदाय की पूर्ण राशि धारा 54(7) के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति से 60 दिवस के भीतर स्वीकृत की जावेगी। यदि प्रतिदाय 60 दिवस के भीतर स्वीकृत नहीं किया जाता है तो आरजीएसटी अधिनियम की धारा 56 के अन्तर्गत अधिसूचित की गयी ब्याज की दर से भुगतान किया जावेगा।	
	पांच आरजीएसटी क्षेत्रों (नौ वृत) में चयनित किये गये स्वीकृत जीएसटी प्रतिदाय प्रकरणों की संवीक्षा के दौरान देखा गया कि 70 मामलों में प्रतिदाय की शेष 10 प्रतिशत राशि ₹ 3.45 करोड निर्धारित अवधि 60 दिनों के व्यतीत होने के बाद नौ से 418 दिनों के विलम्ब से स्वीकृत की गयी। आगे दो आरजीएसटी क्षेत्रों के 15 मामलों में 10 प्रतिशत शेष राशि ₹ 57.23 लाख इनकी पावती के एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी (मार्च 2019) स्वीकृत नही की गयी थी। शेष राशि की स्वीकृति मे विलम्ब विधान की भावना के विपरीत है और परिणामस्वरूप विभाग ब्याज की देयता के भुगतान का दायी होगा, इसके अलावा इस दौरान डीलरों को कठिनाई उत्पन्न होगी।	चूक को सरकार को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2019)। सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (नवम्बर 2019) प्रतिदाय की स्वीकृति में विलम्ब के कारणों में आईसगेट पोर्टल से निर्यात के साक्ष्यों के सत्यापन में अधिक समय लगना एवं जीएसटी पोर्टल पर आईटीसी के सत्यापन की ऑनलाइन उपलब्धता नही होने को उपारोपित किया। यह भी बताया कि वर्तमान में शेष 10 प्रतिशत राशि के प्रतिदाय की स्वीकृति निर्धारित अवधि में की जा रही है।
2.	**प्रतिदाय का अधिक भुगतान** आरजीएसटी के नियम 89(4) के अनुसार माल या सेवा या दोनों के शून्य दर पर या आईजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (3) के उपबंधो के अनुसरण में बंधन या वचनपत्र के अधीन कर के भुगतान के बिना आपूर्ति की दशा में आगत कर जमा का प्रतिदाय निम्नलिखित सूत्र के अनुसार प्रदान किया जावेगा। प्रतिदाय राशि =(शून्य दर आपूर्ति के माल का व्यापार आवर्त + शून्य दर आपूर्ति की सेवा का व्यापार आवर्त) *शुद्ध आगत कर जमा /समायोजित कुल व्यापार आवर्त	
	पांच आरजीएसटी क्षेत्रों (छः वृत्त) में स्वीकृत किये गये प्रतिदाय के चयनित मामलों की संवीक्षा में पाया कि बिना कर भुगतान के किये गये शून्य दर आपूर्ति के छः मामलों में प्रतिदाय की स्वीकृति निर्धारित सूत्र के आधार पर नहीं की गयी थी। प्राधिकारियों द्वारा ₹ 1.70 करोड़ के स्थान पर ₹ 2.21 करोड़ के प्रतिदाय स्वीकृत किये गये। इसके परिणामस्वरुप ₹ 0.51 करोड़ की राशि के प्रतिदाय का अधिक भुगतान हुआ।	चूक को सरकार को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2019)। सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (नवम्बर 2019) कि चार करदाताओं से अधिक भुगतान किये गये प्रतिदाय के संबंध में राशि ₹ 33.43 लाख ब्याज ₹ 7.78 लाख सहित वसूल कर ली गयी है। इसके अलावा एक मामले में ₹ 2.42 लाख की वसूली भी सूचित की गयी, जो कि जीएसटी/सीजीएसटी के प्रावधानों के अनुसार नही है, इसलिए स्वीकार्य नही है, एवं शेष एक मामले में नोटिस जारी कर दिया गया है।
3.	**निर्यात सामान्य घोषणापत्र (ई.जी.एम.) प्राप्त किये बिना प्रतिदाय स्वीकृत किये जाना।** आरजीएसटी नियमों (नियमों) के नियम 89(2)(ब) के अनुसार जहां प्रतिदाय, बिना कर भुगतान के माल के निर्यात के संबंध में है, प्रतिदाय के आवेदन के साथ विवरणपत्र, जिसमें शिपिंग बिल या निर्यात बिल संख्या एवं दिनांक एवं संबंधित निर्यात बीजक की संख्या व दिनांक अंकित हो, संलग्न किया जावेगा।	

[1] क्षेत्रीय कार्यालयः अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर-I, II, III, जोधपुर एवं उदयपुर।

<table>
<tr><td rowspan="3"></td><td colspan="2">नियम 89(2)(ब) एवं 89(2)(स) के अन्तर्गत विवरणपत्र 3 इसी उद्देश्य हेतु बनाया गया है, जिसके अनुसार बिना कर भुगतान के माल के निर्यात के संबंध में ईजीएम संख्या व दिनांक का उल्लेख आवश्यक है। आगे नियम 90(3) के अनुसार यदि कोई कमी संज्ञान में आती है, वहां उचित अधिकारी आवेदक को प्रारुप जीएसटी आरएफडी-03 के माध्यम से कमियों को सूचित करेगा, जिससे उसे ऐसी कमियों को सुधारने के बाद नए प्रतिदाय आवेदन को फाईल करने की आवश्यकता होगी।</td></tr>
<tr><td>पांच आरजीएसटी क्षेत्रों[2] के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि इन क्षेत्रों में कुल 667 शिपिंग बिलों में से ₹ 20.56 करोड की राशि के 325 शिपिंग बिलों मे ईजीएम संख्या एवं दिनांक का उल्लेख नहीं किया गया था। तथापि, विभाग ने सभी 667 शिपिंग बिलों से संबंधित ₹ 6.01 करोड़ की राशि के प्रतिदाय की स्वीकृति 325 शिपिंग बिलों की ईजीएम संख्या एवं दिनांक की प्राप्ति के बिना कर दी। विभाग ने करदाताओं को, कमी का ज्ञापन जारी नहीं किया एवं इस प्रकार प्रतिदाय के दावों को त्रुटिपूर्ण स्वीकृत किया।</td><td>चूक को सरकार को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2019)। सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (नवम्बर 2019) एवं 325 शिपिंग बिलों में से 315 शिपिंग बिलों के ईजीएम विवरण को प्रेषित किया। निर्यात मूल्य ₹ 93.33 लाख के शेष शिपिंग बिलों का विवरण विभाग द्वारा प्रेषित नहीं किया गया।</td></tr>
<tr><td colspan="2">जवाब से इंगित होता है कि प्रतिदाय के दावों के प्रसंस्करण के समय 325 शिपिंग बिलों का ईजीएम विवरण उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार विभाग के उचित अनुश्रवण के अभाव के परिणामस्वरुप करदाताओं के प्रतिदायों का प्रसंस्करण बिना ईजीएम विवरण प्राप्ति के किया गया जो कि उक्त नियमों के अन्तर्गत अनिवार्य था। आगे, 10 शिपिंग बिलों के ईजीएम विवरण के अभाव में माल का निर्यात किया जाना निश्चित नहीं किया जा सका।</td></tr>
<tr><td colspan="3">निष्कर्ष
विभाग ने 70 प्रकरणों में प्रतिदाय में विलम्ब किया एवं 15 प्रकरणों में प्रतिदाय अभी तक स्वीकृत नहीं किया था (मार्च 2019)। इससे ब्याज की देयता का सृजन होगा। बिना कर भुगतान के किये गये शून्य दर आपूर्ति के प्रतिदाय की राशि का अधिक भुगतान हुआ। प्रतिदाय की स्वीकृति, शिपिंग बिलों में बिना ईजीएम विवरण के की गयी।</td></tr>
</table>

2.4.4 ट्रांज़िशनल क्रेडिट का अनियमित दावा

2.4.4.1 परिचय

आगत कर लाभ प्राप्त करने हेतु ट्रांजिशनल व्यवस्थाएं आरजीएसटी अधिनियम 2017 एवं सीजीएसटी अधिनियम 2017 के अनुच्छेद 140 में वर्णित हैं। पंजीकृत व्यक्ति विद्यमान कानून के अंतर्गत प्रस्तुत विवरणी में अग्रेषित वैट/सेनवेट, पूंजीगत सामान के संबंध में विवरणियों में अग्रेषित न की गयी सेनवेट/न लिया गया आगत कर लाभ तथा निर्धारित तिथि को स्टॉक में रखे कच्चे माल/अर्ध निर्मित/निर्मित माल के संबंध में वेट/सेनवेट राशि का लाभ अपनी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में लेने के अधिकारी थे। पंजीकृत व्यवहारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र TRAN-1 में एक विवरणी प्रस्तुत की जानी थी।

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 74) की धारा 3, धारा 5 की उपधारा (3), धारा 6, धारा 6(ए) अथवा धारा 8 की उपधारा 8 से संबंधित क्रेडिट का कोई दावा, जो केन्द्रीय बिक्री कर (पजीकरण एवं टर्नओवर) नियम 1957 के नियम 12 में वर्णित विधि एवं निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया गया हो, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा योग्य नहीं है।

2.4.4.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं क्रियाविधि

विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी (जून 2018) सूचना (dump data) के अनुसार, 61,517 करदाताओं द्वारा TRAN-1 प्रस्तुत करके ₹ 4,758.66 करोड़ के ट्रांज़िशनल क्रेडिट का दावा किया गया, इनमें से 46,138 करदाता, जिनके द्वारा ₹ 2,200.73 करोड़ के ट्रांज़िशनल क्रेडिट का दावा किया गया था, राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में थे।

[2] आरजीएसटी क्षेत्र- जयपुर- II, III, अलवर, जोधपुर एवं उदयपुर।

ज़ोन-द्वितीय, जयपुर के क्षेत्राधिकार में 2704 करदाताओं द्वारा ट्रांज़िशनल क्रेडिट का दावा किया गया था। लेखापरीक्षा जाँच हेतु राज्य के क्षेत्राधिकार में ज़ोन-द्वितीय, जयपुर में पंजीकृत 123 करदाताओं (दावा किया गया ट्रांज़िशनल क्रेडिट ₹ 163.52 करोड़), जहाँ प्रत्येक प्रकरण में सीजीएसटी एवं एसजीएसटी के रूप में ₹ 20 लाख से अधिक का दावा किया गया था, का नमूने के रूप में चयन किया गया। करदाताओं द्वारा निम्न श्रेणियों में ट्रांज़िशनल क्रेडिट का दावा किया गयाः

(₹ करोड़ में)

दावा किया गया क्रेडिट	अग्रेषित किया गया क्रेडिट	प्राप्त न किया गया क्रेडिट	इनपुट में रखा गया स्टॉक	प्रिंसिपल की ओर से स्टॉक में रखा माल	योग
सीजीएसटी	66.74	6.05	72.09	1.14	146.02
एसजीएसटी	15.46	-	2.04	-	17.50

चयनित करदाताओं द्वारा 30 जून 2017 को समाप्त माह/तिमाही के लिये प्रस्तुत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर विवरणियों एवं 30 जून 2017 के लिये वेट विवरणियों हेतु विभागीय वेब पोर्टल 'राजविस्टा' की समीक्षा की गयी।

TRAN-1 के अनुसार दावा किये गये ट्रांज़िशनल क्रेडिट (सीजीएसटी एवं एसजीएसटी) के 30 जून 2017 को समाप्त माह/तिमाही के लिये प्रस्तुत वेट विवरणियों एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर विवरणियों के प्रति-सत्यापन के परिणामों एवं अन्य सम्बंधित अभिलेखों से ज्ञात हुआ किः

2.4.4.3 लेखापरीक्षा टिप्पणी

क्र.सं.	अनियमितताओं का विवरण	सरकार का उत्तर/टिप्पणियाँ
1.	**अग्रेषित की गयी ट्रांज़िशनल क्रेडिट का अधिक दावा**	
	अ) 51 करदाताओं द्वारा TRAN-**1** में अग्रेषित जमा के रूप में ₹ 15.46 करोड़ के ट्रांज़िशनल क्रेडिट (एसजीएसटी) का दावा किया गया। हमने पाया कि 14 करदाताओं द्वारा TRAN-**1** के अंतर्गत वेट विवरणियों में दर्शाये गए आगत कर से ₹ 94.77 लाख के अधिक ट्रांज़िशनल क्रेडिट (एसजीएसटी) का दावा किया गया।	प्रकरण विभाग को सूचित किया गया (नवम्बर 2019) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (मार्च 2020) कि दो प्रकरणों में ₹ 9.47 लाख का आगत कर रिवर्स कर दिया गया है जबकि चार प्रकरणों में ₹ 1.04 लाख (कर ₹ 1.03 लाख एवं ब्याज ₹ 0.01 लाख) वसूल कर लिये गये हैं। इसके अतिरिक्त एक प्रकरण में व्यवहारी द्वारा अधिक आगत कर को भूलवश वैट-10 के कॉलम संख्या 1.32 के स्थान पर कॉलम संख्या 1.31 में दर्शा दिया गया है यद्यपि व्यवहारी द्वारा आगत कर के अधिक प्रतिदाय का दावा नहीं किया गया है। शेष प्रकरणों में नोटिस जारी कर दिये गये हैं। आगामी प्रगति अपेक्षित रही (मई 2020)।
	ब) 40 करदाताओं द्वारा TRAN-**1** में ₹ 66.74 करोड़ के ट्रांज़िशनल क्रेडिट (सीजीएसटी) का दावा किया गया, जिनमें से 31 करदाताओं की विवरणियां ही लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गयी। इन विवरणियों की जाँच के उपरान्त लेखापरीक्षा में पाया गया कि नौ करदाताओं द्वारा ई आर-1/एस टी-3 विवरणियों में दर्शाये गए सेनवेट क्रेडिट से ₹ 128.47 लाख के ट्रांज़िशनल क्रेडिट (सीजीएसटी) का अधिक दावा किया गया। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा नौ	प्रकरण विभाग को सूचित किया गया (नवम्बर 2019) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (मार्च 2020) कि दो प्रकरणों में ₹ 0.55 करोड़ का क्रेडिट रिवर्स/वसूल कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि एक प्रकरण में आक्षेपित राशि ई आर-1 प्रस्तुत करने के पश्चात् तथा TRAN-**1** प्रस्तुत करने से पूर्व की अवधि में लिए गए क्रेडिट से संबंधित है। उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि व्यवहारी द्वारा इस क्रेडिट का दावा TRAN-**1** में

	करदाताओं की केंद्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर विवरणियां उपलब्ध नहीं करायी गयी, अतः उक्त प्रकरणों की जाँच नहीं की जा सकी।	इस हेतु निर्धारित तालिका 7(बी) में नहीं किया गया है। शेष प्रकरणों में नोटिस जारी कर दिये गये हैं। आगामी प्रगति अपेक्षित रही (मई 2020)।
2.	**अंतिम स्टॉक पर ट्रांज़िशनल क्रेडिट का अनियमित दावा** केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा ट्रांज़िशनल क्रेडिट पर एक मार्गदर्शक नोट जारी किया गया (मार्च 2018), जिसमें क्रेडिट के सत्यापन की प्रक्रिया परिभाषित की गयी थी। मार्गदर्शक नोट के अनुसार विभाग द्वारा ऐसी विशिष्ट सूचनाओं का संग्रहण किया जाना चाहिए था जो क्रेडिट के सत्यापन में सहायता करें। इसके अतिरिक्त वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान द्वारा भी ट्रांज़िशनल क्रेडिट के सत्यापन हेतु मार्गदर्शिका जारी की गयी थी (अप्रैल 2018)। 92 करदाताओं द्वारा अंतिम स्टॉक के रूप में रखे इनपुट पर ₹ 72.09 करोड़ के ट्रांज़िशनल क्रेडिट का दावा किया गया। हालांकि मात्र एक प्रकरण में ही अंतिम स्टॉक का विवरण एवं उसके समर्थन में बीजक उपलब्ध करवाये गये। उपरोक्त प्रकरण की जाँच में पाया गया कि करदाता द्वारा 'बीड़ी मजदूर कल्याण सैस एवं NCCD' के ट्रांज़िशनल क्रेडिट का अनियमित रूप से दावा किया गया, जो सीजीएसटी अधिनियम के अनुच्छेद 140 के नीचे स्पष्टीकरण-3 के अनुसार अनुमत्य नहीं था। इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 1.75 लाख के ट्रांज़िशनल क्रेडिट (सीजीएसटी) का अनियमित दावा किया गया। विभाग द्वारा शेष प्रकरणों में अग्रेषित क्रेडिट के अतिरिक्त अन्य श्रेणियों (न प्राप्त की गयी क्रेडिट, इनपुट के रूप में रखे माल एवं प्रिंसिपल की ओर से रखे गये माल) में दावा की गयी क्रेडिट के सत्यापन हेतु आवश्यक सूचना (न प्राप्त की गयी क्रेडिट, अंतिम स्टॉक एवं सम्बंधित बीजक) संग्रहित नहीं की गयी। इसलिये इन श्रेणियों में दावा की गयी ट्रांज़िशनल क्रेडिट की शुद्धता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इस प्रकार करदाताओं द्वारा ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा करने में जीएसटी अधिनियम/नियमों के प्रावधानों एवं जीएसटी पूर्व कानूनों के सम्बंधित प्रावधानों की अनुपालना न किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।	प्रकरण विभाग को सूचित किया गया (नवम्बर 2019) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (मार्च 2020) कि दो प्रकरणों में व्यवहारियों द्वारा उत्पाद शुल्क/आयात शुल्क/30 जून 2017 को अंतिम स्टॉक के रूप में रखे माल पर आगत कर के लिये ट्रांज़िशनल क्रेडिट का दावा किया गया था। हालांकि उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं करवाये गये। यह भी बताया गया कि शेष प्रकरणों में नोटिस जारी कर दिये गये थे। आगामी प्रगति अपेक्षित रही (मई 2020)।
3.	**लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति की सीमायें** (i) वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जीएसटी पोर्टल पर पहुँच (access) उपलब्ध नहीं करायी गयी। (ii) विभाग द्वारा अंतिम स्टॉक के साथ क्रय के बीजकों के विवरण एवं पूंजीगत माल के साथ क्रय के बीजकों के विवरण जिनकी पूर्व के कानूनों में क्रेडिट का दावा नहीं किया गया था, उपलब्ध नहीं करवाये गये। इन विवरणों के अभाव में लेखापरीक्षा द्वारा अन्य श्रेणियों यथा न प्राप्त किया गया क्रेडिट, स्टॉक के रूप में रखे गए इनपुट एवं प्रिंसिपल की ओर से रखे गये माल, में दावा किये गये ट्रांज़िशनल क्रेडिट को प्रमाणित नहीं किया जा सका।	

2.5 अनुपालना लेखापरीक्षा टिप्पणियां

लेखापरीक्षा द्वारा सीएसटी/वैट/प्रवेश कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान कर/ब्याज के कम आरोपण/अनारोपण, आगत कर की अनियमित अनुमत्यता एवं अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की अनुपालना न करने के कुछ प्रकरण देखे गये। लेखापरीक्षा द्वारा समान प्रवृत्ति की कुछ त्रुटियां पूर्ववर्ती वर्षों में भी ध्यान में लायी गयी थीं, किन्तु न केवल ये अनियमिततायें बनी रही अपितु लेखापरीक्षा किये जाने तक उजागर नहीं हो पायी। सरकार को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार के साथ आन्तरिक लेखापरीक्षा को सुदृढ करने की आवश्यकता है। कुछ प्रकरण, जिनमें राशि ₹ 59.29 करोड़ सम्मिलित है, की चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गई है। चूँकि ये प्रकरण अभिलेखों की नमूना जाँच पर आधारित हैं, अतः ये उदाहरण मात्र हैं।

क्र.सं.	कर निर्धारण अधिकारियों की संख्या (निर्धारण की दिनांक)	अनियमितताओं का विवरण	सरकार का उत्तर/टिप्पणियाँ
1.	17 कर निर्धारण प्राधिकारी[3] (अक्टूबर 2015 एवं मार्च 2018 के मध्य)	**प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण** लेखापरीक्षा द्वारा 17 वृत्तों की लेखापरीक्षा के दौरान वित्तीय वर्षो 2013-14 से 2015-16 के लिये अधिसूचित कुछ करापवंचन संभावित सामानों के संबंध में घोषणा प्रपत्रों का उपयोग कर सामान प्राप्त करने/क्रय करने के संबंध में राजविस्टा से सूचनायें एकत्र की गयी तथा इन्हें 44 व्यवहारियों के कर निर्धारण अभिलेखों से पुनर्मिलान किया गया। यह देखा गया कि कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा राजविस्टा पर उपलब्ध अंतर्राज्यीय क्रय से सम्बंधित सूचनाओं का उपयोग नहीं किया गया तथा इन सामानों पर करारोपण में चूक की गयी। *इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 52.52 करोड़ के प्रवेश कर एवं ब्याज का अनारोपण हुआ।*	सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2018) कि 41 प्रकरणों में ₹ 21.22 करोड़ की माँग जारी कर दी गयी है जिसमें से ₹ 10.51 करोड़ वसूल कर लिये गये हैं।
2		**रिवर्स कर का अनारोपण/कम आरोपण**	
2(i)	कर निर्धारण प्राधिकारी विशेष वृत्त-III, जयपुर (फ़रवरी 2018)	दो व्यवहारियों द्वारा सामान[4] का क्रय किया गया तथा राज्य के अन्दर की खरीदों पर वर्ष 2015-16 के दौरान आगत कर लाभ[5] का दावा किया। तत्पश्चात, इन व्यवहारियों द्वारा विक्रेता व्यवहारियों से बट्टे/छूटें[6] प्राप्त की गयी। विवरणियों की जाँच में पाया गया कि ये सामान क्रय मूल्य से कम मूल्य अर्थात सब्सिडाइज्ड मूल्य पर बेचे गये क्योंकि क्रेताओं द्वारा विक्रेता व्यवहारियों से बट्टे/छूटें प्राप्त की गयी थी। इसलिये, इन सामानों पर आगत कर लाभ चुकाये गये निर्गम कर की सीमा तक ही अनुमत्य किया जाना चाहिये था। तथापि, कर निर्धारण प्राधिकारी कर निर्धारण करते समय आगत कर लाभ के अधिक दावे का पता नहीं लगा सके तथा रिवर्स कर का आरोपण नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 28.49 लाख के रिवर्स कर के अतिरिक्त	सरकार ने सूचित किया (जुलाई 2019) कि ₹ 44.80 लाख (कर ₹ 29.93 लाख एवं ब्याज ₹ 14.87 लाख) की माँग जारी की गयी जिस पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्थगन प्रदान किया गया (मई 2019)। आगामी प्रगति प्रतीक्षित रही (मई 2020)।

[3] वृत्त : ए भरतपुर; विशेष-I,जयपुर; विशेष-III, जयपुर; विशेष-XI, जयपुर; विशेष-II, कोटा; वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लीजिंग टैक्स-III, जयपुर; विशेष-II, उदयपुर; गंगापुर सिटी; शाहजहांपुर; विशेष-II, भिवाड़ी; वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लीजिंग टैक्स, भिवाड़ी; एम-जयपुर ; वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लीजिंग टैक्स, अलवर; सी-उदयपुर; वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा; सी-जयपुर एवं ए-भिवाड़ी।

[4] क्रय किये गये माल का मूल्य ; ₹ 33,421.19 लाख (₹ 12,844 लाख + ₹ 20,576.91 लाख)।

[5] दावा किया गया आगत कर लाभ ; ₹ 1,266.45 लाख (₹ 593.47 लाख)।

[6] प्राप्त किये गये बट्टे/छूटें ; ₹ 1,512.84 लाख (₹ 614.15 लाख + ₹ 898.34 लाख)।

		₹ 13.94 लाख के देय ब्याज (मार्च 2019 तक) का अनारोपण हुआ ।	
2(ii)	कर निर्धारण प्राधिकारी, वृत्त प्रतिकरापवंचन, भिवाड़ी (दिसम्बर 2016 एवं अप्रैल 2017)	एक व्यवहारी (निर्माता) द्वारा वर्ष 2014-15 के लिये अपनी वार्षिक वैट विवरणी में ₹ 106 करोड़ क्रय (₹ 55.45 करोड़ अन्तः राज्यीय + ₹ 50.55 करोड़ अंतर्राज्यीय) एवं ₹ 128.47 करोड़ बिक्री (₹ 54.68 करोड़ अंतर्राज्यीय/अन्तःराज्यीय + ₹ 73.79 करोड़ अंतर्राज्यीय शाखा स्थानांतरण) के संव्यवहार दर्शाये गये । व्यवहारी द्वारा ₹ 55.45 करोड़ के अन्तर्राज्यीय क्रय पर ₹ 2.79 करोड़ के आगत कर का दावा किया गया । जबकि व्यवहारी द्वारा उपरोक्त अधिसूचना की अनुपालना में अंतर्राज्यीय संव्यवहारों के क्रम में ₹ 73.79 करोड़ के माल के शाखा स्थानांतरण के संबंध में कोई रिवर्स कर नहीं दर्शाया गया था । कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा व्यवहारी का कर निर्धारण करते समय ₹ 18.01 लाख के रिवर्स कर का आरोपण किया गया । तत्पश्चात् व्यवहारी धारा 27 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा हेतु चयनित किया गया । कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा लेखापरीक्षा के उपरांत व्यवहारी का कर निर्धारण किया गया किन्तु अतिरिक्त रिवर्स कर का आरोपण नहीं किया गया । विवरणियों की जाँच में पाया गया कि व्यवहारी द्वारा शाखा स्थानान्तरण के रूप में राज्य के बाहर माल भेजा गया जो वर्ष 2014-15 के कुल पण्यावर्त का 57.44 प्रतिशत था । व्यवहारी का अंतर्राज्यीय क्रय कुल क्रय का मात्र 47.69 प्रतिशत था । इस प्रकार व्यवहारी द्वारा राज्य के अन्दर क्रय किये गये माल में से 9.75 प्रतिशत[7] (57.44 – 47.69) का उपयोग राज्य के बाहर स्टॉक हस्तांतरण में किया गया । इस प्रकार ₹ 10.34 करोड़[8] पर चार प्रतिशत की दर से राशि ₹ 41.34 लाख रिवर्स कर आरोपणीय था । *इसके परिणामस्वरूप रिवर्स कर राशि ₹ 23.33 लाख (₹ 41.34 लाख – ₹ 18.01 लाख) के अतिरिक्त ब्याज ₹ 15.24 लाख (मार्च 2019 तक गणना) का कम आरोपण हुआ ।*	सरकार द्वारा सूचित किया गया (जुलाई 2019) कि ₹ 36.39 लाख की माँग जारी कर दी गयी थी । कम माँग जारी करने के कारण चाहे गये (जुलाई 2019) । सरकार द्वारा सूचित किया गया (नवम्बर 2019) कि अपीलीय प्राधिकारी अलवर द्वारा पुनर्निर्धारण हेतु प्रकरण परिप्रेषित किया गया था (सितम्बर 2019) आगामी प्रगति प्रतीक्षित रही (मई 2020) ।
2(iii)	कर निर्धारण प्राधिकारी वृत्त-ए, भिवाड़ी (अप्रेल 2016 एवं अगस्त 2017)	दो व्यवहारियों द्वारा अपनी वार्षिक विवरणियों में वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिये शाखा/स्टॉक स्थान्तरण ₹ 758.07 करोड़ सहित सकल पण्यावर्त ₹ 1173.24 करोड़ दर्शाया गया । व्यवहारियों द्वारा अंतर्राज्यीय क्रय ₹ 591.43 करोड़ एवं अन्तःराज्यीय क्रय ₹ 415.42 करोड़ दर्शाये गये तथा अंतर्राज्यीय खरीदों पर राशि ₹ 20.87 करोड़ के आगत कर का दावा किया गया । व्यवहारियों द्वारा अधिसूचना की अनुपालना में अंतर्राज्यीय संव्यवहारों के दौरान स्टॉक/शाखा/डिपो स्थानांतरण के संबंध में रिवर्स कर नहीं दर्शाया गया । विवरणियों की जाँच में पाया गया कि राज्य के अन्दर ख़रीदे गये राशि ₹ 59.94 करोड़ के माल का उपयोग स्टॉक/शाखा/डिपो स्थानांतरण में किया गया । इसलिये चार प्रतिशत की दर से राशि ₹ 2.40 करोड़ रिवर्स कर आरोपणीय था । कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कर निर्धारण करते समय (अप्रैल 2016 एवं अगस्त 2017) एक प्रकरण में वर्ष 2013-14 के लिये राशि रु 0.20 करोड़ के रिवर्स कर का आरोपण किया गया । यद्यपि अन्य प्रकरणों में रिवर्स कर के आरोपण के संबध में कार्यवाही नहीं की गयी । *इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 2.20 करोड़ के रिवर्स कर का अनारोपण हुआ ।*	सरकार द्वारा सूचित किया गया (जुलाई 2019) कि राशि ₹ 1.48 करोड़ की माँग जारी की गयी थी तथा ₹ 0.10 करोड़ वसूल कर लिये गये थे । यह भी बताया गया कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा बकाया माँग की वसूली पर स्थगन प्रदान किया गया था । आगामी प्रगति प्रतीक्षित रही (मई 2020)। यद्यपि माँग के कम आरोपण के कारणों से अवगत नहीं करवाया गया ।

[7] खरीदे गये माल के अन्तर्राज्यीय शाखा स्थान्तरण में उपयोग का विवरण कर निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था अतः सम्पूर्ण अंतर्राज्यीय क्रय (47.69 प्रतिशत) को शाखा स्थान्तरण माना गया । इस प्रकार राज्य के अन्दर क्रय किये गये 9.75 प्रतिशत का उपयोग शाखा स्थान्तरण के लिये किया गया ।

[8] ₹ 10.34 करोड़ अर्थात कुल क्रय ₹ 106.00 करोड़ का 9.75 प्रतिशत ।

3.	**अनियमित आगत कर अनुमत्य करना**		
3(i)	3 कर निर्धारण प्राधिकारी[9] (जून 2016 एवं मार्च 2018 के मध्य)	तीन व्यवहारियों, जो चूना पत्थर के खनन एवं सीमेंट उत्पादन के व्यवसाय में थे, द्वारा वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान राज्य के अन्दर से विस्फोटकों का क्रय किया गया तथा आगत कर लाभ लिया गया। अधिनियम की धारा 2(22) के अनुसार खनन कार्य निर्माण नहीं है, क्योंकि खनन में माल की ऐसी कोई संक्रिया शामिल नहीं है, जिससे वाणिज्यिक रूप से कोई भिन्न वस्तु अस्तित्व में आती हो। साथ ही विस्फोटक का सीमेंट के निर्माण में कच्चे माल के रूप में भी उपयोग नहीं किया जा सकता है अतः, व्यवहारियों को आगत कर अनुमत्य नहीं किया जाना चाहिये था। इसके विपरीत, कर निर्धारण प्राधिकारी कर निर्धारण करते समय अनियमित रूप से लिये गये आगत कर का पता नहीं लगा सके तथा आगत कर को अनुमत्य कर दिया। *इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 1.51 करोड़ के अनियमित आगत कर अनुमत्यता के साथ ₹ 0.80 करोड़ के ब्याज का अनारोपण हुआ।*	सरकार द्वारा सूचित किया (अक्टूबर 2019) कि राशि ₹ 2.63 करोड़[10] की माँग जारी की गयी थी। जारी की गयी कुल माँग में से एक प्रकरण में ₹ 80.53 लाख वसूल कर लिये गये थे, जबकि राजस्थान कर बोर्ड द्वारा शेष माँग की वसूली पर स्थगन प्रदान कर दिया गया था। एक अन्य व्यवहारी द्वारा भी माँग की वसूली पर अतिरिक्त आयुक्त (अपील्स) उदयपुर से स्थगन प्राप्त किया गया। शेष प्रकरण में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया कि विभाग द्वारा व्यवहारी के विरुद्ध कोई सख्त कार्यवाही न की जाये। आगामी प्रगति प्रतीक्षित रही (मई 2020)
3 (ii)	2 कर निर्धारण प्राधिकारी[11] (मार्च 2017 एवं फ़रवरी 2018)	तीन व्यवहारियों द्वारा वर्ष 2014-15 व 2015-16 के लिए अपनी त्रैमासिक वैट विवरणियों में राशि ₹ 7.22 करोड़ का आगत कर दर्शाया गया। व्यवहारियों द्वारा अपनी वार्षिक विवरणियों में क्रय वापसियों के सम्बन्ध में आगत कर ₹ 49.14 लाख की कटौती की गयी तथा आगत कर राशि ₹ 6.73 करोड़ का दावा किया गया। कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा त्रैमासिक विवरणियों में दर्शायी गयी आगत कर राशि का विभागीय वेब एप्लीकेशन राजविस्टा पर उपलब्ध विवरण से मिलान किया गया तथा राशि ₹ 7.09 करोड़ का आगत कर अनुमत्य किया गया। कर निर्धारण अभिलेखों की जाँच से ज्ञात हुआ कि प्राधिकारियों द्वारा व्यवहारियों के कर निर्धारण करते समय क्रय वापसियों पर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिये कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा क्रय वापसियों के सम्बन्ध में आगत कर की अधिक राशि ₹ 49.14 लाख का लाभ अनियमित रूप से अनुमत्य किया गया। *इसके परिणामस्वरूप आगत कर राशि ₹ 49.14 लाख का अधिक लाभ दिया गया।*	सरकार द्वारा सूचित किया गया (दिसम्बर 2019) कि उपरोक्त प्रकरणों में राशि ₹ 60.51 लाख[12] की माँग जारी की गयी, जिनमें से एक प्रकरण में ₹ 8.20 लाख वसूल कर लिये गये थे तथा शेष दो प्रकरणों में ₹ 29.40 लाख उपलब्ध आगत कर में से समायोजित कर लिये गये थे। बकाया माँग राशि की वसूली की प्रगति प्रतीक्षित रही (मई 2020)
4	कर निर्धारण प्राधिकारी वर्क्स एवं लीजिंग टैक्स कोटा (मार्च 2017 एवं मार्च 2018)	**अंतर्राज्यीय खरीद पर कर का अनारोपण** एक व्यवहारी द्वारा ईसी जारी किये जाने हेतु विकल्प 'अ' का चयन किया गया था। व्यवहारी द्वारा वर्ष 2014-15 के लिये अपनी वैट विवरणियों में संकर्म संविदाओं के अंतर्गत अपना पण्यावर्त राशि ₹ 7.31 करोड़ दर्शाया गया। कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा तदनुसार मुक्ति शुल्क का निर्धारण किया गया। विभागीय वेब एप्लीकेशन 'राजविस्टा' पर उपलब्ध सूचना की जाँच में ज्ञात हुआ कि व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से राशि ₹ 6.80 करोड़ के माल यथा इलेक्ट्रॉनिक सामान, ताम्बे के पाइप, कण्ट्रोल पैनल, केबल, फ्लो-मीटर इत्यादि का	चूक को सरकार के ध्यान में लाया गया (जून 2019)। सरकार द्वारा सूचित किया गया (जनवरी 2020) कि राशि ₹ 69.80 लाख (कर ₹ 44.42 लाख व ब्याज ₹ 25.38 लाख) की माँग जारी की गयी थी। जिसमें से

[9] वृत्त ; बाँसवाड़ा; चित्तौड़गढ़ एवं विशेष-राजस्थान, जयपुर ।

[10] ₹ 2.63 करोड़ : कर ₹ 1.29 करोड़ + ब्याज ₹ 0.62 करोड़ + शास्ति ₹ 0.72 करोड़

[11] वृत्तः एम-जयपुर व एफ-जोधपुर ।

[12] (कर ₹ 49.65 लाख + ब्याज ₹ 10.86 लाख) ।

		क्रय किया। इस सामान का उपयोग उन संकर्मो के निष्पादन में किया गया, जिनके लिये विकल्प 'अ' के अंतर्गत ईसी जारी किया गया था। इसलिये इन सामानों पर मुक्ति शुल्क के अतिरिक्त 5/5.5/14/14.5 प्रतिशत की दर से वैट राशि ₹ 44.07 लाख[13] आरोपणीय था। तथापि, कर निर्धारण प्राधिकारी व्यवहारी का कर निर्धारण करते समय इन सामानों पर कर का आरोपण करने में विफल रहे। *इसके परिणामस्वरूप कर राशि ₹ 44.07 लाख के अतिरिक्त ब्याज ₹ 25.75 लाख (दिसम्बर 2018 तक) का कम आरोपण हुआ।*	₹ 2.24 लाख वसूल कर लिये गये थे, जबकि अपीलीय प्राधिकारी अजमेर द्वारा माँग राशि ₹ 63.35 लाख की वसूली पर स्थगन प्रदान किया गया था। शेष माँग राशि ₹ 4.21 लाख की वसूली हेतु नोटिस जारी किये गये थे। आगामी प्रगति प्रतीक्षित रही (मई 2020)।
5	कर निर्धारण प्राधिकारी वृत्त, सी जयपुर (मई 2016 एवं फरवरी 2018 के मध्य)	**अंतर्राज्यीय खरीदों पर कर के आरोपण में विफल रहना** दो व्यवहारियों द्वारा वर्ष 2013-14 से 2014-15 के लिये शून्य पण्यावर्त के साथ अपनी वैट विवरणियाँ प्रस्तुत की गयी। बाद में एक व्यवहारी द्वारा वर्ष 2015-16 के लिये अपनी विवरणी प्रस्तुत की। व्यवहारियों द्वारा इसके उपरांत कोई विवरणी प्रस्तुत नहीं की गयी। इसलिये विभाग द्वारा 30 जून 2017 से उनका पंजीयन निरस्त कर दिया गया। कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा इन व्यवहारियों का वर्ष 2013-14 से 2016-17 के लिये शून्य पण्यावर्त पर कर निर्धारण किया गया। विभागीय वेब एप्लीकेशन 'राजविस्टा' पर उपलब्ध सूचना की जाँच में ज्ञात हुआ कि इन व्यवहारियों द्वारा 2013-14 के दौरान ₹ 3.98 करोड़ मूल्य का माल (खाद्य तेल, लौह एवं इस्पात) 'सी' एवं 'एफ' घोषणा प्रपत्रों के विरुद्ध क्रय किया। व्यवहारियों द्वारा इन सामानों के विक्रय अथवा हस्तांतरण का खुलासा उनके पंजीयन निरस्त होने तक भी नहीं किया गया था। इसलिये इन सामानों के अंतिम स्टॉक पर नियम 43 के अनुसार कर देय था। जबकि, कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अवधि 2013-14 से 2016-17 के लिये शून्य कर का निर्धारण किया गया। *इसके परिणामस्वरूप पाँच प्रतिशत की दर से कर राशि ₹ 19.92 लाख के अतिरिक्त ब्याज ₹ 6.57 लाख का अनारोपण हुआ।*	सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2019) कि विभाग द्वारा जाँच की गयी और पाया कि इन व्यवहारियों के व्यवसाय स्थलों पर व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित नहीं की जा रही थी। इसलिए घोषणा प्रपत्र निरस्त कर दिये गये थे तथा अन्य राज्यों के विक्रेता व्यवहारियों जिन्होंने इन घोषणा प्रपत्रों के विरुद्ध कर की कम दर/बिना कर के माल का विक्रय/हस्तांतरण किया था, के कर निर्धारण प्राधिकारियों को पत्र प्रेषित कर दिये गये थे। सरकार द्वारा पुनः सूचित किया गया (नवम्बर 2019) की इन प्रकरणों में अभियोजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
	सरकार को आंतरिक नियंत्रण में सुधार के साथ आंतरिक लेखापरीक्षा के सुदृढीकरण की आवश्यकता है ताकि ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।		

उपरोक्त प्रकरणों में आगामी प्रगति प्रतीक्षित रही (मई 2020)।

जीएसटी के आंकड़ों तक आवश्यक पहुंच अभी भी उपलब्ध करवायी जानी है। समस्त जीएसटी संव्यवहारों से संबंधित आंकड़ों तक पहुंच ना होना जीएसटी प्राप्तियों की सम्यक लेखापरीक्षा के मार्ग में बाधक रहा। इसलिये वर्ष 2018-19 के लेखे, उपलब्ध करवाये गये अभिलेखों, जो मैन्युअली संधारित थे, की नमूना लेखापरीक्षा के आधार पर प्रथम बार अपवाद के रूप में सत्यापित किये गये है।

[13] आरोपणीय वैट ₹ 44.07 लाख : ₹ 1.06 करोड़ पर 14/14.5 प्रतिशत की दर से ₹ 14.97 लाख तथा ₹ 5.74 करोड़ पर 5/5.5 प्रतिशत की दर से ₹ 29.10 लाख ।

अध्याय–III

वाहनों पर कर

अध्याय- III : वाहनों पर कर

3.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग (विभाग) की प्राप्तियां, केंद्रीय एवं राज्य मोटरयान अधिनियमों के प्रावधानों व इनके अंतर्गत बनाये नियमों से विनियमित होती हैं एवं विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। पथकर और विशेष पथकर से प्राप्तियां, राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम,1951 के प्रावधानों, उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों एवं समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं से विनियमित होती हैं।

3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों/जिला परिवहन अधिकारियों के अधीन 54 परिवहन जिले हैं एवं इनमें 1,62,80,006 वाहन पंजीकृत हैं। परिवहन विभाग में 26 कार्यान्वयन इकाइयों सहित कुल 122 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां थीं। इनमें से 31 इकाइयां, 9 कार्यान्वयन इकाइयों सहित, नमूना जांच हेतु चुनी गईं, जिनमे 76,87,802 वाहन पंजीकृत थे। इनमें से 97,109 वाहन नमूना जांच हेतु चुने गए। लेखापरीक्षा में जांच के दौरान 11,390 प्रकरणों में कर, अधिभार एवं शास्ति आदि से संबंधित राशि ₹ 87.17 करोड़ की कम/अवसूली देखी गयी। ये प्रकरण उदाहरण मात्र हैं तथा नमूना जांच पर आधारित हैं। समान प्रकृति की कुछ त्रुटियां पूर्व के वर्षों में भी ध्यान में लायी गयी थीं लेकिन लेखापरीक्षा करने तक ये अनियमितताएं न केवल विद्यमान थीं, अपितु पहचानी भी नहीं गयी थीं। इस प्रकार, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के साथ ही आतंरिक लेखापरीक्षा को सशक्त करने की एवं कर, शुल्क, इत्यादि का संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए आवधिक विवरणियों के माध्यम से एक निगरानी तंत्र की स्थापना किये जाने की आवश्यकता थी। ये अनियमिततायें मुख्यतः निम्न श्रेणियों में आती हैः

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	**'परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली'** विषय पर निष्पादन लेखापरीक्षा	1	56.53
2	कर, अधिभार,शास्ति आदि का भुगतान नहीं करना/कम भुगतान करना	11,252	31.38
3	कर, आदि के अनिर्धारण/कम निर्धारण की संगणना से सम्बंधित अनियमिततायें	11	0.03
4	अन्य अनियमिततायें		
	(i) राजस्व से संबंधित	116	0.04
	(ii) व्यय से संबंधित	10	0.26
	योग	**11,390**	**88.24**

वर्ष के दौरान, विभाग ने 8,849 प्रकरणों में ₹ 33.21 करोड़ के कम निर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 7.19 करोड़ के 2,601 प्रकरण वर्ष 2018-19 के लेखापरीक्षा के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गए थे। वर्ष 2018-19 के दौरान, 2,568 प्रकरणों में ₹ 3.00 करोड़ की राशि वसूल की गयी, जिसमें से ₹ 0.90 करोड़ के 178 प्रकरण वर्ष 2018-19 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गए थे।

'परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली' विषय पर निष्पादन लेखापरीक्षा जिसमें प्रणालीगत मुद्दे और राशि ₹ 56.53 करोड़ अन्तर्निहित है, पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गयी है।

3.3 परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा

3.3.1 परिचय

परिवहन विभाग के कार्यों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213 में निर्धारित किया गया है। विभाग के प्राथमिक कर्तव्य, राज्य में मोटर वाहन कानूनों के प्रावधानों को लागू करना है। यह वाहनों के पंजीयन, चालकों, परिचालकों और व्यापारियों को लाइसेंस जारी करने, वाहनों की फिटनेस, परमिट जारी करने, नियमों के प्रवर्तन, कराधान और वसूली, मार्गों के संचालन, सड़क सुरक्षा नीति के क्रियान्वयन और वाहन जनित प्रदूषण पर नियंत्रण आदि गतिविधियों से संबंधित है। यह परिवहन सुविधाओं के विकास के लिए अन्य संगठनों की सहायता करता है और सड़क मार्ग से यात्रियों और माल के आवागमन के लिए एक दक्ष, समुचित और मितव्ययी परिवहन सेवा प्रदान करने का प्रयास करता है।

भारत सरकार ने त्वरित, उन्नत और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए दो मानकीकृत सॉफ्टवेयर "*सारथी*" और "*वाहन*" विकसित किए हैं। इन्हें राज्य में चरणबद्ध रूप से क्रमशः सितंबर 2009 और अक्टूबर 2009 से प्रारंभ किया गया। "*वाहन*" का उपयोग वाहनों से संबंधित संव्यवहारों जैसे पंजीयन, परमिट, कर, फिटनेस के लिए और "*सारथी*" का उपयोग ड्राइविंग लाइसेंस और उससे संबंधित गतिविधियों को चालू करने के लिए किया जाता है।

3.3.2 संगठनात्मक संरचना

विभाग के प्रमुख, परिवहन आयुक्त सह सचिव, राजस्थान सरकार हैं। वह प्रशासकीय प्रमुख होने के साथ-साथ विभागीय प्रमुख भी हैं। परिवहन सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए राज्य को 12 परिवहन क्षेत्रों[1] और 54 परिवहन जिलों[2] में विभाजित किया गया है, जिनके प्रमुख क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी होते हैं।

क्षेत्र की परिवहन गतिविधियों का सम्पूर्ण प्रशासन क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी में निहित होता है। वह राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी भी है। परिवहन जिले के लिए लाइसेंसिंग और पंजीयन प्राधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी है। वह राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम/नियम, 1951 के उद्देश्यों के लिए कराधान अधिकारी भी है।

महत्वपूर्ण गतिविधियों पर विभाग का प्रदर्शन निम्नानुसार था:

गतिविधि	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
वाहनों का पंजीयन	11,94,589	12,53,157	12,68,386	13,79,444	14,29,943
लाइसेंस जारी करना	7,52,861	9,06,791	8,78,792	6,25,893	6,04,922
वाहन का मेकेनिकल फिटनेस	3,20,065	3,76,971	4,10,232	4,37,813	4,28,004
ओवरलोड वाहनों का चालान	2,21,538	1,11,440	1,11,441	1,01,141	1,03,635

स्रोतः परिवहन विभाग का सांख्यिकी सार 2018-19

[1] क्षेत्रः अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली, सीकर और उदयपुर।

[2] जिलेंः आबू रोड़, बालोतरा, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, भीनमाल, भिवानी, बूंदी, चौमूं, चूरू, डीडवाना, धौलपुर, दूदू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, केकड़ी, खेतड़ी, किशनगढ़, कोटपूतली, नागौर, नोहर, नोखा, फलौदी, प्रतापगढ़, राजसमंद, रामगंजमंडी, रतनपुरा (टीसीसी), सवाईमाधोपुर, शाहजहाँपुर (टीसीसी), शाहपुरा (भीलवाड़ा), शाहपुरा (जयपुर), सिरोही, श्रीगंगानगर, सुजानगढ़, टोंक तथा क्षेत्रीय स्तर अन्य 12 जिलें।

उपरोक्त से यह सुस्पष्ट होता है कि 2018-19 के दौरान विभाग के कार्य में 2017-18 की तुलना में काफी वृद्धि हुई।

3.3.3 राजस्व की प्रवृति

परिवहन विभाग,राज्य सरकार का तीसरा सबसे बड़ा कर संग्रह करने वाला विभाग है। राज्य और परिवहन विभाग की पिछले पाँच वर्षों की कर प्राप्तियां निम्नानुसार हैः-

वर्ष	राज्य का कर राजस्व	मोटर वाहन पर कर	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	कर राजस्व का प्रतिशत
2014-15	38,672.87	2,829.86	13.23	7.32
2015-16	42,712.92	3,199.44	13.06	7.49
2016-17	44,371.66	3,622.83	13.23	8.16
2017-18	50,605.41	4,362.97	20.43	8.62
2018-19	57,380.34	4,576.45	4.89	7.98

स्रोतः परिवहन विभाग का सांख्यिकी सार 2018-19

वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य के कुल कर राजस्व में विभाग का योगदान 7.98 प्रतिशत था। यद्यपि मौद्रिक रूप में विभाग का कुल राजस्व बढ़ रहा है परंतु वर्ष 2018-19 में 2017-18 की अपेक्षा प्रदेश के कुल राजस्व में विभाग का प्रतिशत कम हुआ है।

3.3.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) यह पता लगाने की दृष्टि से की गई थी किः

- अधिनियम और नियमों के अन्तर्गत विद्यमान प्रावधान राजस्व की सुरक्षा के लिए पर्याप्त थे;
- अधिनियम और नियमों को लागू करने तथा शासकीय राजस्व के आरोपण, निर्धारण, संग्रहण और प्रेषण के लिए उचित प्रक्रिया निर्धारित है;
- राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति (मार्च 2010) को प्रभावी ढंग से लागू किया गया;
- राज्य के अंदर चलने वाले वाहनों के संचालन की निगरानी, फिटनेस, परिवहन क्षमता और प्रदूषण निर्गम, आदि प्रावधानों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए विभाग की प्रवर्तन शाखा प्रभावी थी; और
- विभाग की कुशल और प्रभावी कार्य प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त एवं प्रभावी निगरानी तथा सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों सहित आंतरिक नियंत्रण तंत्र विद्यमान है।

3.3.5 लेखापरीक्षा के मानदंड

निष्पादन लेखापरीक्षा निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित थीः

- मोटर वाहन अधिनियम, 1988;
- केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989;
- राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951;
- राजस्थान मोटर वाहन कराधान नियम, 1951;
- राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990;
- राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा योजना, 2010;
- राजस्थान राज्य सड़क सुरक्षा नीति, 2017;

- राजस्थान प्रदूषण जांच केंद्र योजना (ऑनलाइन), 2017;
- वायु (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981;
- राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति, 2010;
- भारत सरकार और परिवहन विभाग, राजस्थान द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचनाएं, परिपत्र, आदेश, दिशानिर्देश और
- अन्य राज्यों (हरियाणा और कर्नाटक) के मोटर वाहन अधिनियमों/नियमो मे उल्लिखित श्रेष्ठ प्रथायें।

3.3.6 कार्यक्षेत्र एवं कार्यपद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा में 2014-15 से 2018-19 की अवधि आवृत्त है। अभिलेखों की संवीक्षा हेतु 10 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों[3] और छः जिला परिवहन कार्यालयों[4] के एक नमूने का चयन प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनेट टू साइज (सिस्टमैटिक) विधि से किया गया। इसके अतिरिक्त परिवहन आयुक्त कार्यालय को भी सम्मिलित किया गया। फील्ड स्टडी नवंबर 2018 से जुलाई 2019 के मध्य में की गई।

निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु अपनाई गई कार्यपद्धति में पत्रावलियों की संवीक्षा, चयनित इकाइयों में संधारित अभिलेख, विभाग द्वारा प्रदत्त सूचनाएं, पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और जनलेखा समिति की सिफारिशें, आदि सम्मिलित थी। इसके अतिरिक्त अवधि 2015-16 से 2018-19 के लिये *वाहन* के इलेक्ट्रॉनिक डेटा का भी विश्लेषण किया गया।

परिवहन आयुक्त और विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ एक परिचयात्मक परिचर्चा 12 मार्च 2019 को आयोजित की गई जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र और कार्यपद्धति के बारे में विस्तार से बताया गया। 28 नवंबर 2019 को "समापन परिचर्चा" आयोजित की गई जिसमें विभाग के साथ लेखापरीक्षा परिणामों पर विस्तार से चर्चा की गई। समापन परिचर्चा और अन्य अवसरों पर विभाग से प्राप्त प्रत्युत्तरों को संबंधित अनुच्छेदों में समुचित रूप से सम्मिलित किया गया है।

3.3.7 आभार

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग, लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक सूचनाऐं तथा अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए परिवहन विभाग के सहयोग के लिए आभार प्रकट करता है।

लेखापरीक्षा के परिणाम

परिवहन आयुक्त कार्यालय और चयनित 16 परिवहन कार्यालयों की सूचनाओं और अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाई गई कमियों/अनियमितताओं पर आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है। यह लेखापरीक्षा परिणाम केवल हमारे नमूना प्रकरणों के विश्लेषण पर आधारित है तथा समान प्रकार के कई प्रकरणों के विभाग में होने की संभावना है। इसलिए सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे सभी अन्य प्रकरणों जिनमें समान कमियों/अनियमितता के होने की

[3] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीः अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली, सीकर और उदयपुर।

[4] जिला परिवहन अधिकारीः भीलवाड़ा, चौमूं, डीडवाना, धौलपुर, नोहर और श्रीगंगानगर।

संभावना है की संवीक्षा करें और जिन मामलों में समान कमियां/अनियमितताएं पाई जाती है उनमें आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करें ।

3.3.8 पंजीयन

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 39 के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना पंजीयन के मोटर वाहन नहीं चलाएगा । वाहनों के पंजीयन के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर नीचे चर्चा की गई है ।

3.3.8.1 "ओमनी बसों" का पंजीयन

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 2(29) "ओमनी बस" को परिभाषित करती है जिसके अनुसार ऐसा मोटर वाहन जो ड्राइवर के अलावा छः से अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिए निर्मित या अनुरूपित किया गया हैं ।

भारत सरकार की अधिसूचना सं एस.ओ. 1248 (ई) दिनांक 05 नवम्बर 2004 में ओमनी बस को परिवहन वाहन की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है ।

केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 62 में प्रावधान है कि नवीन पंजीकृत परिवहन वाहन के संबंध में जारी फिटनेस प्रमाण पत्र दो वर्ष के लिए वैध है और उसके बाद प्रत्येक वर्ष इसका नवीनीकरण किया जाना आवश्यक है ।

चयनित 16 क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारियों के पंजीयन अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान देखा गया कि 20,330 ओमनी बसों का पंजीयन गैर परिवहन वाहनों की श्रेणी में किया गया । 'ओमनी बसों' का पंजीयन परिवहन वाहनों की श्रेणी में नहीं करना केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रावधानों के उल्लंघन में था ।

यह भी देखा गया कि ओमनी बसों का पंजीयन गैर परिवहन वाहनों की श्रेणी में करने के कारण इन वाहनों की फिटनेस इनके पंजीयन की समाप्ति की तिथि तक वैध बनी रहती है । इस प्रकार अनियमित पंजीयन अंततः नियमों में प्रावधानित फिटनेस मानकों की पालना नहीं होने में परिणित होता है । यद्यपि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में ऐसे वाहनों के आगमन पर फिटनेस जांच की जा रही थी । यदि ओमनी बसों का पंजीयन परिवहन वाहनों के रूप में किया जाता तो विभाग को फिटनेस जांच और फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ₹ 1.53 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति होती । इसके अतिरिक्त बिना फिटनेस ओमनी बसों के परिचालन से सड़क उपयोगकर्ताओं के जीवन को खतरा होने के साथ ही पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019)। समापन परिचर्चा (नवंबर 2019) के दौरान विभाग द्वारा कहा गया कि 'ओमनी बसों' के मोटर कार के रूप में पंजीयन के लिए एक विस्तृत स्पष्ट आदेश जारी किया जाएगा । तत्पश्चात सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि अनुच्छेद में सम्मिलित वाहन 'ओमनी बसें' ना होकर केवल मोटर कार थे । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनुच्छेद में सम्मिलित वाहन 'ओमनी बसें' है, जो कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 2(29) में परिभाषित ड्राइवर को छोड़कर छः से अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिए निर्मित या अनुरूपित हैं । सरकार को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी करने चाहिए ।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार ओमनी बस वाहनों के वर्गीकरण और पंजीकरण के लिए, एक समान तंत्र विकसित करने पर विचार कर सकती है।

3.3.8.2 नियमों में कमी

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 41 (7) निर्धारित करती है कि पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से केवल 15 वर्ष तक की अवधि के लिए वैध होगा और नवीनीकरण योग्य होगा। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 47(1) में प्रावधान है कि वाहन की सुपुर्दगी लेने की दिनांक से सात दिनों के अंदर पंजीयन के लिए आवेदन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त नियम 48 प्रावधान करता है कि आवेदन प्राप्त होने पर और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पंजीयन प्राधिकारी, पंजीयन का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

अवधि 2014-15 से 2018-19 के दौरान राज्य में ई-सीरीज[5] में कुल 22,769 वाहनों को पंजीकृत किया गया था, इनमें से 12,357 वाहन चयनित क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों में पंजीकृत थे। इनमें से 4,943 परिवहन वाहनों का संवीक्षा हेतु चयन किया गया।

चयनित कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान देखा गया कि पांच कार्यालयों[6] में 11 निर्माण उपकरण वाहनों (ई-सीरीज) के पंजीयन हेतु आवेदन इन वाहनों के क्रय किये जाने के एक से सात वर्ष के विलंब से प्रस्तुत किए गए थे लेकिन पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक से 15 वर्षों की वैधता के साथ जारी किए गए। वह अवधि जिसके दौरान वाहन बिना पंजीयन प्रमाण पत्र चला उसे वैधता अवधि में नहीं जोड़ा गया। नियमों में इस विषय पर स्पष्टता के साथ उल्लेख नहीं है। इस प्रकार नियमों में कमी के कारण ये वाहन सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा से समझौता करते हुए बिना फिटनेस जांच और प्रदूषण मानकों के 15 वर्ष से अधिक चलते रहेंगे।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में कमी का संशोधन केवल केंद्र सरकार द्वारा किया जा सकता है इसलिए इस कमी को इंगित करते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को इसके सुधार के लिए पत्र प्रेषित किया जा रहा है।

3.3.9 कर और शुल्क

राज्य में दिसंबर 2018 तक कुल 9,29,573 परिवहन वाहन पंजीकृत थे, इनमें से चयनित क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों में 6,00,617 वाहन पंजीकृत थे। इनमें से 67,615 परिवहन वाहनों को संवीक्षा के लिए चुना गया था। लेखापरीक्षा में कर और शुल्क की अवसूली/ कम वसूली पाई गई जैसा कि आगामी अनुच्छेदों में बताया गया है।

---

[5] ई-सीरीजः रिंग, जनरेटर, क्रेन, फोर्क लिफ्ट, आदि उपकरणों से सुसज्जित वाहन या कोई अन्य गैर परिवहन वाहन जो किसी अन्य श्रेणी में ना हो।

[6] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीः भरतपुर, चित्तौड़गढ़ और सीकर; जिला परिवहन अधिकारीः डीडवाना और शाहपुरा।

3.3.9.1 परिवहन वाहनों से मोटर वाहन कर और विशेष पथकर की अवसूली/कम वसूली

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 और 4-बी तथा इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार सभी परिवहन वाहनों जिनका राज्य में उपयोग किया गया है अथवा उपयोग हेतु रखे गए हों पर मोटर वाहन कर (एमवीटी) और विशेष पथकर (एसआरटी) का आरोपण एवं संग्रहण राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से किया जाता है केवल उन वाहनों को छोड़कर जिन्होंने धारा 4-सी के अंतर्गत एक मुश्त कर का भुगतान किया हो । इसके अतिरिक्त, देयकर पर अधिभार भी आरोपणीय है । अनुमत्य अवधि के पश्चात् कर का भुगतान नहीं करने पर देयकर की राशि के दुगने के अध्यधीन रहते हुए प्रतिमाह या उसके भाग के लिए 1.5 प्रतिशत की दर से शास्ति भी आरोपणीय है । इसके आगे राजस्थान मोटरयान कराधान नियम, 1951 के नियम 8 एवं 33 के अन्तर्गत कराधान अधिकारी कर की वसूली हेतु नोटिस देने और राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 13 ए के अंतर्गत भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की चल संपत्ति की कुर्की और उसके विक्रय द्वारा बकाया कर और शास्ति की वसूली हेतु सक्षम है ।

16 चयनित कार्यालयों में अवधि अप्रैल 2014 से मार्च 2019 के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि 2,232 वाहन स्वामियों द्वारा कर का भुगतान या तो नहीं किया गया या कम किया गया । अभिलेखों में यह प्रदर्शित करने के साक्ष्य नहीं थे कि वाहन संचालित नहीं थे या अन्य जिलों या राज्यों में स्थानांतरित हो गए या उनके पंजीयन प्रमाण पत्र समर्पित कर दिए गए थे । यद्यपि कर जमा कराने में चूक करने वालों की सूचना *वाहन* सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध थी तथापि अभिलेखों में कराधान अधिकारियों द्वारा बकाया कर की वसूली हेतु कार्यवाही प्रारंभ किया जाना नहीं देखी गई । इसके परिणामस्वरूप कर (अधिभार सहित) तथा शास्ति ₹ 17.78 करोड की वसूली नहीं हुई ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019) । सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि आठ क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों[7] के अन्तर्गत 252 प्रकरणों में ₹ 1.68 करोड़ की वसूली की जा चुकी थी और शेष राशि की वसूली हेतु संबंधित कार्यालयों को निर्देशित किया जा चुका था ।

3.3.9.2 स्कीम मार्गो (लोक परिवहन सेवा) पर चलने वाले वाहनों से मोटर वाहन कर और विशेष पथकर की अवसूली/कम वसूली

राज्य में आमजन को सुगम, सस्ती और सुरक्षित परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए 13 दिसंबर 2015 से राजस्थान लोक परिवहन सेवा की शुरूआत की गयी । निजी बस संचालकों को वाहन चलाने की अनुमति प्रदान करने हेतु 476 राष्ट्रीयकृत मार्गों का विराष्ट्रीयकरण[8] किया गया । मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 102 के अंतर्गत निजी स्टेज कैरिज बसों को, राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्र और राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा आरोपित शर्तों के अनुसार, परमिट जारी करने हेतु योजना को संशोधित किया गया ।

[7] क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयः भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, सीकर और उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालयः डीडवाना, धौलपुर और नोहर ।

[8] प्रशासनिक प्रतिवेदन 2018-19 ।

राजस्थान लोक परिवहन सेवा के एकल और संयुक्त मार्गों के लिए कुल 1,563 परमिट जारी किए गए, दिसंबर 2018 तक वाहन स्वामियों को 1,435 परमिट दिए जा चुके थे।

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 तथा 4-बी के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर, अधिभार के अतिरिक्त, आरोपणीय है। अनुमत्य अवधि की समाप्ति पर शास्ति भी आरोपणीय है। इसके अतिरिक्त, कराधान अधिकारी कर की वसूली हेतु नोटिस देने और बकाया कर और शास्ति के भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की चल संपत्ति की कुर्की और उसके विक्रय द्वारा वसूली हेतु सक्षम है।

राजस्थान लोक परिवहन सेवा के पंजीयन अभिलेखों, परमिट तथा सामान्य सूची पंजिकाओं की नमूना जांच में पाया गया कि 11 क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों[9] के 81 वाहनों के संबंध में या तो कर का भुगतान ही नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया। देखे गये अभिलेखों में यह साक्ष्य नहीं थे कि वाहन संचालित नहीं थे या अन्य जिलों में स्थानांतरित हो गए थे या उनके पंजीयन प्रमाण पत्र समर्पित कर दिए गए थे। फिर भी कराधान अधिकारियों द्वारा बकाया कर की वसूली हेतु कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.85 करोड़ की अवसूली/कम वसूली रही।

ये प्रकरण विभाग के ध्यान में लाए गए तथा सरकार को प्रतिवेदित (दिसंबर 2019) किए गए। सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि दो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालयों[10] के छः प्रकरणों में ₹ 5.56 लाख की वसूली की जा चुकी थी और शेष राशि की वसूली के लिए संबंधित कार्यालयों को निर्देश दिए जा चुके हैं।

3.3.9.3 एक मुश्त कर की बकाया किश्तों की अवसूली

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 सी तथा इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार परिवहन वाहनों पर एक मुश्त कर, राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं[11] द्वारा निर्धारित दरों पर वसूलनीय है। 14 जुलाई 2014 से एक मुश्त कर का भुगतान वाहन स्वामी के विकल्प पर संपूर्ण अथवा छः समान किश्तों में एक वर्ष में किया जा सकता है। कर पर अधिभार भी देय है। अनुमत्य अवधि की समाप्ति पर शास्ति भी आरोपणीय है। इसके अतिरिक्त, कराधान अधिकारी बकाया कर की वसूली हेतु नोटिस जारी करने और बकाया कर और शास्ति के भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की चल संपत्ति की कुर्की और उसके विक्रय द्वारा वसूली हेतु सक्षम है।

टैक्सी/मैक्सी कैब वाहनों, 12,000 किलोग्राम सकल भार वाहन और 16,500 किलोग्राम सकल वाहन भार वाले माल वाहनों पर क्रमशः 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2016 और 1 अप्रैल 2017 से एक मुश्त कर अनिवार्य कर दिया गया।

चयनित कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 83,282 वाहनों में से 761 परिवहन वाहनों (267 भार वाहन और 494 टैक्सी/मैक्सी) के स्वामियों द्वारा सभी

[9] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीः अलवर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली, सीकर और उदयपुर; जिला परिवहन अधिकारीः नोहर और श्रीगंगानगर।

[10] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीः बीकानेर और उदयपुर।

[11] अधिसूचना संख्याः 22, दिनांक 16 फरवरी 2006, 22-ए, दिनांक 09 मार्च 2007, 22-सी, दिनांक 14 जुलाई 2014 और 22-डी, दिनांक 8 मार्च 2016।

किश्तों का भुगतान नहीं किया गया। कर खातों में या पंजीयन अभिलेखों में या वाहन में यह अभिलेखित नहीं था कि वाहन अन्य जिलों या राज्यों में स्थानांतरित हो गए या उनके पंजीयन प्रमाण पत्र समर्पित कर दिए गए थे। तथापि बकाया कर की वसूली हेतु कार्यवाही नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप एक मुश्त कर (अधिभार सहित) तथा शास्ति राशि ₹ 6.95 करोड़ की अवसूली/कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि ऐसे प्रकरणों में जहां किश्तों का कम भुगतान किया गया, ऐसे वाहनों को *"वाहन"* सॉफ्टवेयर में चूककर्ताओं की सूची में प्रदर्शित नहीं किया गया था।

ये प्रकरण विभाग के ध्यान में लाए गए और सरकार को प्रतिवेदित किए गए (दिसंबर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि सात क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों[12] के 85 प्रकरणों में ₹ 58.09 लाख की वसूली की जा चुकी थी और शेष राशि की वसूली के लिए संबंधित कार्यालयों को निर्देशित किया जा चुका था।

3.3.9.4 पंजीयन, हाइपोथिकेशन और फिटनेस हेतु शुल्क की कम वसूली

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 51 में यह प्रावधान है कि पंजीयन अधिकारी हाइपोथिकेशन अनुबंध के होने के संबंध में पंजीयन प्रमाण पत्र में प्रविष्टि करेगा। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 का नियम 81, पंजीयन प्रमाण पत्र जारी या नवीनीकरण करने, हाइपोथिकेशन अनुबंध के पृष्ठांकन और फिटनेस प्रमाण पत्र जारी या नवीनीकरण करने पर प्रभारित किये जाने वाले शुल्क को निर्धारित करता है। भारत सरकार की अधिसूचना[13] द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र जारी या नवीनीकरण करने, हाइपोथिकेशन अनुबंध के पृष्ठांकन और फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने या नवीनीकरण करने के संबंध में शुल्क को संशोधित किया गया।

चयनित कार्यालयों के पंजीयन और फिटनेस अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान देखा गया कि विभाग द्वारा संशोधित दरों पर शुल्क की वसूली हेतु सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन करने की कार्यवाही विभाग द्वारा समय पर प्रारंभ नहीं की गई।

इस कारण से निम्न विवरणानुसार, संशोधित दरों के अनुसार शुल्क की वसूली नहीं की गईः

क्रम संख्या	उद्देश्य	प्रकरणों की संख्या (30 दिसंबर 2016 से 13 जनवरी 2017)	कम भुगतान किया शुल्क (₹ लाख में)
1	पंजीयन प्रमाण पत्र स्वीकृत करना या नवीनीकरण करना	2,811	9.56
2	हाइपोथिकेशन अनुबंध का पृष्ठांकन	2,019	25.37
3	फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करना और नवीनीकरण करना	934	1.87
योग		**5,764**	**36.80**

[12] क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयः भरतपुर, बीकानेर, सीकर और उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालयः डीडवाना, धौलपुर और नोहर।

[13] सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना संख्याः आर.टी. 11017/12/2013/एम.वी.एल. दिनांक 29.12.2016

इसके परिणामस्वरूप 13 क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों[14] में राशि ₹ 36.80 लाख के शुल्क की कम वसूली हुई।

ये प्रकरण विभाग के ध्यान में लाए गए और सरकार को प्रतिवेदित (दिसंबर 2019) किए गए। सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि दो क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों[15] के चार प्रकरणों में ₹ 0.25 लाख की वसूली की जा चुकी थी और संबंधित कार्यालयों को शेष राशि की वसूली हेतु निर्देश दिए जा चुके थे।

3.3.9.5 एमनेस्टी योजनाओं के अन्तर्गत छूट की अनियमित स्वीकृति

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राजस्थान सरकार द्वारा नष्ट हो चुके और इनके अलावा अन्य वाहनों के लिए अधिसूचनाओं दिनांक 9 मार्च 2013, 6 दिसंबर 2016 और 12 फरवरी 2018 द्वारा तीन एमनेस्टी योजनाएं लाई गई। विभाग ने कार्यालय आदेश संख्या 4/2015, 43/2016 और 6/2018 द्वारा एवं ब्याज में छूट के लिए नियम, शर्त और पात्रता के मानदंड निर्धारित किए गए जैसा कि नीचे सारणी में बताया गया है:

योजना	दिनांक जिस पर कर एवं अधिभार भुगतान हेतु देय और बकाया थे	अद्यतन बकाया कर जमा कराने की अंतिम तिथि	छूट की अनुमत्य अवधि यदि कॉलम 3 में उल्लिखित दिनांक तक का कर जमा करा दिया जाता
एमनेस्टी योजना 9 मार्च 2013	31 मार्च 2012	30 जून 2015	31 मार्च 2012
एमनेस्टी योजना 6 दिसंबर 2016	31 मार्च 2015	31 दिसंबर 2016	31 मार्च 2015
एमनेस्टी योजना 12 फरवरी 2018	31 मार्च 2016	30 सितंबर 2018	31 मार्च 2016

(i) अवधि 2014-15 से 2018-19 के दौरान कुल 1,773 वाहन स्वामियों को इन योजनाओं के अंतर्गत छूट प्रदान की गई, इनमें से 422 वाहनों को नमूना जांच हेतु चयन किया गया। नौ क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों[16] में योजनाओं से संबंधित पत्रावलियों, आदेशों और अन्य अभिलेखों की जांच में पाया गया कि सारणी के कॉलम 4 में छूट हेतु निर्धारित अवधि से अधिक की छूट दी गई। इसके परिणामस्वरूप 49 प्रकरणों में राशि ₹ 12.86 लाख की अनियमित छूट प्रदान की गई।

(ii) एमनेस्टी योजना 2018 में निर्धारित किया गया कि:

(अ) छूट का लाभ देने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वाहन के विरुद्ध कोई भी चालान या लेखापरीक्षा अनुच्छेद बकाया ना हो।

[14] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी: अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, पाली, सीकर और उदयपुर; जिला परिवहन अधिकारी: चौमूं, डीडवाना, धौलपुर, नोहर और श्रीगंगानगर।

[15] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी: सीकर एवं जिला परिवहन अधिकारी: धौलपुर।

[16] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी: अलवर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, सीकर और उदयपुर; जिला परिवहन अधिकारी: डीडवाना, धौलपुर और श्रीगंगानगर।

(ब) ब्याज और शास्ति की छूट तभी दी जानी चाहिए यदि 31 मार्च 2016 तक का कर और अधिभार देय और बकाया हो।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, उदयपुर के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि दो गैर परिवहन वाहनों का पंजीयन नहीं कराने के कारण मैसर्स राजस्थान स्टेट माइन्स एंड मिनरल्स लिमिटेड (आरएसएमएमएल) के विरुद्ध एक बारीय कर ₹ 13.87 लाख एवं शास्ति ₹ 23.15 लाख की मांग (फरवरी 2017) कायम की गई। कर की राशि मार्च 2017 में जमा करा दी गई। मैसर्स आरएसएमएमएल ने एमनेस्टी योजना के अंतर्गत शास्ति की छूट के लिए आवेदन किया (मई 2018)। उस दिन तक देय शास्ति ₹ 27.75 लाख के विरुद्ध ₹ 25.46 लाख की छूट (सितंबर 2018) प्रदान की गई। संवीक्षा में ज्ञात हुआ कि मार्च 2016 तक की अवधि के लिए मैसर्स आरएसएमएमएल के विरुद्ध कोई कर बकाया नहीं था, इसलिए वह छूट के लिए पात्र नहीं था तथापि योजना के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ₹ 25.46 लाख की छूट प्रदान कर दी गई।

ये प्रकरण विभाग के ध्यान में लाए गए और सरकार को प्रतिवेदित किए गए (दिसंबर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि दो क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों[17] के चार प्रकरणों मे ₹ 38.32 लाख में से ₹ 0.70 लाख की वसूली की जा चुकी थी और शेष राशि की वसूली के लिए संबंधित कार्यालयों को निर्देशित किया जा चुका था।

3.3.10 लाइसेंस

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 3 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध चालन अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) न हो, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन नहीं चलाएगा। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 11 में शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति के लिए प्रारंभिक जांच का प्रावधान है। नियम 15(2) वाहन चालन क्षमता की जांच को निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त नियम 32 लाइसेंस जारी करने के शुल्क को निर्धारित करता है। राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 का नियम 2.10 प्रावधान करता है कि जिला परिवहन अधिकारी लाइसेंसिंग प्राधिकारी होगा। इसके अतिरिक्त राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 का नियम 2.2 प्रावधान करता है कि परिवहन वाहन चलाने के लिए प्राधिकार प्राप्त करने हेतु लाइसेंस धारक अनुमोदित मोटर ड्राइविंग स्कूल द्वारा जारी वाहन चालन प्रमाण पत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं।

3.3.10.1 स्वचालित ड्राइविंग ट्रैकों का संचालन न होना

विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से पूर्व, चालन प्रशिक्षण क्षमता की जांच को अधिक प्रभावशाली और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्वचालित ड्राइविंग ट्रैक विकसित करने का निर्णय लिया।

समर्पित सड़क सुरक्षा निधि की संचालन समिति ने 37 क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों में स्वचालित ड्राइविंग ट्रैक बनाने के लिए ₹ 39.00 करोड़ की राशि अनुमोदित की

[17] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीः सीकर और जिला परिवहन अधिकारीः धौलपुर।

(15 सितंबर 2017)। 13 क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों[18] में स्वचालित ट्रैक के निर्माण के लिए ₹ 23.66 करोड़ स्वीकृत किए गए (9 नवंबर 2017)। विभाग ने ड्राइविंग ट्रैक सेंटर के निर्माण और स्वचालन के विकास, परिचालन और संधारण के लिए दो ठेके दिए।

विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं तथा अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 12 कार्यालयों में स्वचालित ट्रैक दो से 13 माह के विलंब से पूरे किए गए। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ में ट्रैक पूरा नहीं हुआ। मार्च 2019 तक इन ट्रैकों के निर्माण पर ₹ 13.23 करोड़ खर्च हुए थे। तथापि, सभी 13 स्थानों पर ट्रैक चालू नहीं किए गए थे। इस प्रकार दो वर्ष से अधिक समय और ₹ 13.23 करोड़ खर्च करने के बाद भी स्वचालित ट्रैक के निर्माण के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि ड्राइविंग टेस्ट के लिए मानक निर्धारण की प्रक्रिया प्रगति पर थी और प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि स्वचालित ट्रैक के निर्माण के लिए ठेका देने से पूर्व ही ड्राइविंग जांच मानक निर्धारित किए गए होंगे।

3.3.10.2 लाइसेंस जारी करने में विसंगतियां

विभाग ने कार्यालय आदेश 36/2015 दिनांक 20 नवंबर 2015 द्वारा परिकल्पित किया कि सामान्यतः एक दुपहिया वाहन के प्रशिक्षण में पाँच मिनट लगते हैं जबकि चौपहिया के प्रशिक्षण को पूरा होने में 8 से 10 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार आदेश द्वारा एक एमवीआई/एमवीएसआई द्वारा प्रतिदिन लिए जाने वाले ड्राइविंग टेस्ट की सीमा निर्धारित की गई जो कि दुपहिया और चौपहिया वाहनों के लिए क्रमशः 100 और 50 ड्राइविंग टेस्ट थी।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जयपुर को छोड़कर 15 परिवहन कार्यालयों[19] द्वारा प्रस्तुत माह दिसंबर 2018 की सूचनाओं और अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ किः

- जिला परिवहन अधिकारी, धौलपुर ने आवंटित 30 स्लॉट प्रतिदिन के विरुद्ध 31 से 52 लाइसेंस जारी किए। 19 कार्य दिवसों में से 12 दिवसों में अधिक लाइसेंस जारी करना पाया गया। स्लॉट बुकिंग के बिना आवेदन पत्रों को स्वीकार करने के कारण अभिलेखों में नहीं पाये गये। आवंटित स्लॉट से अधिक टेस्ट करने और लाइसेंस जारी करने से ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग प्रणाली का उद्देश्य विफल कर दिया।

  यदि जिला परिवहन अधिकारी अधिक आवेदकों को सेवा प्रदान करने की सुविधा रखते है जैसा कि साक्ष्य उपलब्ध हैं, तो प्रतिदिन स्लॉटों की संख्या को बढाया जाना चाहिए। इससे आवेदकों को भी सुविधा होगी कि उन्हें स्लॉट बुक करने के लिये कम प्रतीक्षा करनी होगी।

[18] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीः अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली, सीकर और उदयपुर; जिला परिवहन अधिकारीः डीडवाना और झालावाड़।

[19] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीः अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, कोटा, पाली, सीकर और उदयपुर; जिला परिवहन अधिकारीः भीलवाड़ा, चोमू, डीडवाना, धौलपुर, नोहर और श्रीगंगानगर।

- आठ क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों[20] ने प्रति एमवीआई/एमवीएसआई प्रतिदिन की निर्धारित सीमा 100 से अधिक ड्राइविंग परीक्षण किये। अधिक परीक्षणों की संख्या की सीमा से 102 से 524 तक भिन्न थी। 20 कार्य दिवसों में से पांच से 14 दिनों में अधिक परीक्षण किए गए। छः क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों[21] में निर्धारित सीमा में परीक्षण किए गए। निर्धारित मानदंडों से अधिक परीक्षण करने से ड्राइविंग कौशल के उचित मूल्यांकन के प्रभावित होने की संभावना थी, जिसके परिणामस्वरूप अपूर्ण ड्राइविंग कौशल वाले व्यक्तियों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी हो सकता था।

  इस मुद्दे को इस दृष्टिकोण से भी विश्लेषित किये जाने की आवश्यकता है कि जनसंख्या और लाइसेंस की मांग में वृद्धि के बाद भी विभाग 100 जांच प्रतिदिन की सीमा को ही बनाये हुये है। इसके बावजूद भी तथ्य यह है कि विभाग में एमवीआई/एमवीएसआई के महत्वपूर्ण कैडर में 38 प्रतिशत रिक्तियां हैं। यह भी देखा गया कि एमवीआई/एमवीएसआई के पदों की संख्या 2012-13 के बाद संशोधित नहीं की गई। समय और तकनीक के आगमन से लाइसेंस की मांग में वृद्धि निश्चित ही होगी। विभाग द्वारा एमवीआई/एमवीएसआई, जो कि आम जनता को संतोषप्रद सेवायें प्रदान करने के लिए फील्ड में महत्वपूर्ण कार्यकारी पद है, के पदों की संख्या को युक्तिसंगत करने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

अधिक संख्या में लाइसेंस जारी किया जाना, बिना वाहन चालन जांच के लाईसेंस देने में कदाचार और कार्यालयों में भ्रष्टाचार की संभावनाओं की ओर इंगित करता है।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाए गए और सरकार को प्रतिवेदित किए गए (दिसंबर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि 20 नवंबर 2015 को जारी किए गए निर्देशों को उनकी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए दोहराया जाएगा। तथ्य यह है कि अभी तक निर्देश जारी नहीं किये गये है (मई 2020)।

3.3.10.3 लाइसेंस शुल्क की कम वसूली

भारत सरकार की अधिसूचना[22] द्वारा लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण आदि के संबंध में शुल्क को 29 दिसंबर 2016 से संशोधित किया गया।

नौ कार्यालयों[23] के लाइसेंस अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि विभाग ने सॉफ्टवेयर में शुल्क को समय पर संशोधित नहीं किया, इसके फलस्वरूप 30 दिसंबर 2016 से 13 जनवरी 2017 की अवधि के दौरान पुरानी दरों से शुल्क प्रभारित किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 8,596 प्रकरणों में लाइसेंस शुल्क की राशि ₹ 34.07 लाख की कम वसूली हुई।

[20] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीः भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, सीकर और उदयपुर; जिला परिवहन अधिकारीः भीलवाड़ा, धौलपुर और श्रीगंगानगर।

[21] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीः अलवर, कोटा और पाली; जिला परिवहन अधिकारीः चौमूं, डीडवाना और नोहर

[22] सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना संख्याः आर.टी. 11017/12/2013/एम.वी.एल. दिनांक 29.12.2016

[23] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीः भरतपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, सीकर और उदयपुर; जिला परिवहन अधिकारीः डीडवाना, धौलपुर, नोहर और श्रीगंगानगर।

ये प्रकरण विभाग के ध्यान में लाए गए और सरकार को प्रतिवेदित किए गए (दिसंबर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि अंतर राशि की वसूली के लिए एनआईसी के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों को मोबाइल मैसेज भेजने की प्रक्रिया को प्रारंभ करना प्रगति पर है।

3.3.11 वाहन फिटनेस

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 56 सपठित केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 62 के अनुसार कोई परिवहन वाहन विधिक रुप से पंजीकृत नहीं माना जाएगा जब तक कि वह निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं लेता। केंद्रीय मोटर वाहन नियमों का नियम 62 प्रावधान करता है कि नए पंजीकृत परिवहन वाहन के संबंध में दिए गए फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता दो वर्ष है और उसके बाद प्रत्येक वर्ष उनके नवीनीकरण की आवश्यकता होगी। केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के नियम 81 में फिटनेस परीक्षण करने और फिटनेस प्रमाण पत्र देने/नवीनीकरण के लिए शुल्क निर्धारित है। भारत सरकार ने अधिसूचना दिनांक 29 दिसंबर 2016 द्वारा इन शुल्कों को संशोधित किया।

फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण की निगरानी का अभाव

विभाग द्वारा परिवहन वाहनों की फिटनेस से संबंधित अप्रैल 2012 से दिसंबर 2018 की अवधि के वाहन सॉफ्टवेयर के डंप डाटा के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि 31 दिसंबर 2018 तक 1.85 लाख परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्रों की वैधता समाप्त हो गई थी। अभिलेखों में यह प्रदर्शित नहीं था कि यह वाहन राज्य में नहीं चल रहे थे या अन्य राज्यों में स्थानांतरित हो गए थे। अवधि पार हो चुके फिटनेस प्रमाण पत्रों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार था:

वर्ष	परिवहन वाहनों की संख्या जिनकी फिटनेस वर्ष के दौरान समाप्त हो गई	परिवहन वाहनों की संख्या जिनकी फिटनेस के नवीनीकरण की वर्ष के दौरान आवश्यकता थी
2014-15	11,530	11,530
2015-16	30,153	41,683
2016-17	40,163	81,846
2017-18	71,092	1,52,938
2018-19	32,051	1,84,989

*2012-13 से पूर्व पंजीकृत परिवहन वाहन शामिल नहीं हैं।

यद्यपि विभाग के पास फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो चुके वाहनों से संबंधित आँकड़े उपलब्ध थे, फिर भी वह दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करने में असफल रहा। इन वाहनों के अभी भी चलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फिटनेस प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण नहीं करने के परिणामस्वरूप फिटनेस प्रमाण पत्र शुल्क के ₹ 9.46 करोड़ की भी अवसूली रही। इसके अतिरिक्त, फिटनेस परीक्षण कराने के शुल्क राशि ₹ 16.22 करोड़[24] भी वसूल नहीं किए जा सके। इस प्रकार, परिवहन वाहनों की फिटनेस के नवीनीकरण की

[24] 29 दिसंबर 2016 ₹ 200 और उसके बाद ₹ 400 नियमों में लागू न्यूनतम शुल्क के आधार पर गणना की गई।

निगरानी करने में विभाग असफल रहा । अनफिट वाहनों के चलने से सड़क सुरक्षा और पर्यावरण को भी गंभीर खतरा हो सकता है ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019) । सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि वाहनों की फिटनेस की निगरानी प्रवर्तन स्टाफ द्वारा की जा रही थी । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रवर्तन स्टाफ 1.85 लाख दोषी वाहन स्वामियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में असफल रहा । इसके अतिरिक्त, विभाग ने दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करने या नोटिस जारी करने में डाटा का उपयोग नहीं किया ।

3.3.12 अनुज्ञा पत्र (परमिट)

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 66 किसी भी सार्वजनिक स्थान पर परिवहन वाहन के उपयोग के लिए परमिट की आवश्यकता बताती है । इसके अतिरिक्त धारा 81 में प्रावधान है कि परमिट जारी होने या नवीनीकरण की दिनांक से पाँच वर्ष तक प्रभावी होगा और समाप्ति की दिनांक से कम से कम 15 दिन पूर्व आवेदन करने पर इसका नवीनीकरण किया जा सकेगा । केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 का नियम 87(1) राष्ट्रीय अनुज्ञा पत्र (परमिट) के अधिकार पत्र के लिए शुल्क का निर्धारण करता है । नियम 87(3) प्रावधान करता है कि प्राधिकार पत्र की वैधता अवधि एक समय में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

3.3.12.1 ऑटो रिक्शा के अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण का अभाव

राज्य में 31 मार्च 2019 तक 1,67,779 ऑटो रिक्शा पंजीकृत थे, इनमें से 1,09,274 चयनित 16 परिवहन जिलों में पंजीकृत थे ।

नौ क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों[25] में प्रत्येक के 100 ऑटो रिक्शाओं (कुल 900) के परमिट अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि 240 ऑटो रिक्शा (26.66 प्रतिशत) के परमिटों का नवीनीकरण नहीं हुआ । अभिलेखों में यह प्रदर्शित नहीं था कि ये वाहन नहीं चल रहे थे । नोटिस जारी करने की कार्यवाही अभिलेखों में नहीं पाई गई । प्राधिकारी ऑटो रिक्शा के परमिटों के नवीनीकरण की स्थिति की निगरानी में असफल थे । इसके अतिरिक्त, इन वाहनों के परमिट संबंधी जानकारी *वाहन* सॉफ्टवेयर में दर्ज नहीं की गई थी ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019) । सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि ऑटो रिक्शा के संचालन की निगरानी प्रवर्तन स्टाफ द्वारा नियमित रूप से की जा रही थी । विभाग ने यह भी बताया कि परमिट जारी करने और नवीनीकरण प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा चुका है । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आपत्ति किए गए परमिट पुराने थे और विभाग द्वारा नियमित प्रवर्तन कार्यों के साथ जांच के अतिरिक्त दोषियों को नोटिस जारी किये जाने चाहिये थे ।

---

[25] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीः अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर और उदयपुर; जिला परिवहन अधिकारीः डीडवाना और श्रीगंगानगर ।

3.3.12.2 राष्ट्रीय अनुज्ञा पत्रों (नेशनल परमिट) के नवीनीकरण के संबंध में जनलेखा समिति की सिफारिशों की अनुपालना का अभाव

जनलेखा समिति ने अपने 303वें प्रतिवेदन में सिफारिश की (16 अगस्त 2018), कि विभाग नवीन राष्ट्रीय अनुज्ञा पत्र प्रणाली के अंतर्गत प्राधिकार पत्र के नवीनीकरण की प्रक्रिया को शीघ्र नए सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रारंभ करें और सॉफ्टवेयर के माध्यम से नोटिस जारी करें। सिफारिश की अनुपालना में विभाग ने सूचित किया (28 फरवरी 2019) कि दो अलग वेब आधारित सॉफ्टवेयर जो कि एक दूसरे से तारतम्य में थे, राष्ट्रीय अनुज्ञा पत्र और प्राधिकार पत्र को जारी करने के लिए उपयोग किए जा रहे थे। क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी उन वाहनों की सूची जिनके अनुज्ञा पत्र और प्राधिकार पत्र की वैधता समाप्त हो गई थी, इनसे प्राप्त कर सकते थे। सूची के अनुसार नोटिस जारी किया जाना, उनके स्तर पर अपेक्षित था।

चयनित 16 क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों से सॉफ्टवेयर के माध्यम से जारी किए गए नोटिसों की सूचना चाही गई लेकिन 12 कार्यालयों[26] ने सूचना प्रस्तुत नहीं की। चार क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों[27] द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं (मई से सितंबर 2019) की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि इन कार्यालयों द्वारा सॉफ्टवेयर के माध्यम से नोटिस नहीं जारी किए जा रहे थे। इस प्रकार, विभाग द्वारा जनलेखा समिति की सिफारिशों का अक्षरशः पालन नहीं किया गया।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया (दिसंबर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि संबंधित शाखा के प्रभारी को अनुपालना हेतु निर्देशित किया गया।

3.3.13 व्यापारिक प्रमाण पत्र का नवीनीकरण

केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 35 के अनुसार व्यापारिक प्रमाण पत्र प्रदान करने या नवीनीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, पंजीयन अधिकारी, यदि संतुष्ट हो, प्रमाण पत्र जारी करेगा। राजस्थान मोटरयान कराधान नियम, 1951 का नियम 6(1) प्रावधान करता है कि प्रत्येक डीलर कर भुगतान के लिए अनुमत्य समय की समाप्ति के बाद सातवें दिन से पूर्व फॉर्म एमटीएच में घोषणा प्रस्तुत करेगा। इसके आगे नियम 8 प्रावधान करता है कि कराधान अधिकारी स्वयं को संतुष्ट करेगा कि प्रस्तुत की गई घोषणा पूर्ण है और कर की सही राशि का भुगतान किया गया है।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जयपुर में अवधि 2017-18 के व्यापारिक प्रमाण पत्र नवीनीकरण की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि व्यापारिक प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण डीलर द्वारा प्रस्तुत घोषणाओं के आधार पर किया गया था। लेखापरीक्षा में 25 डीलरों की घोषणाओं का वाहन में उपलब्ध डाटा के साथ मिलान (क्रॉसलिंक) किया गया। सात डीलरों के प्रकरणों में यह पाया गया कि गत वर्ष में उनके द्वारा वास्तव में विक्रीत वाहनों की संख्या घोषित संख्या की तुलना में दो से 271 की सीमा में अधिक थी। कराधान अधिकारी ने डीलरों द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्रों की जांच किये बिना ही व्यापारिक प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण कर दिया। इसके परिणामस्वरूप,

[26] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीः बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, कोटा, पाली और उदयपुर; जिला परिवहन अधिकारीः भीलवाड़ा, चोमू, डीडवाना, धौलपुर, नोहर और श्रीगंगानगर।

[27] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीः अलवर, भरतपुर, जोधपुर और सीकर।

व्यापारिक प्रमाण पत्रों का गलत नवीनीकरण और व्यापारिक प्रमाण पत्र शुल्क का कम संग्रहण हुआ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि सभी क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारियों को व्यापारिक प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण से पूर्व डीलरों की घोषणा को अनिवार्य रूप से वाहन डेटाबेस से सत्यापित करने हेतु परिपत्र जारी किया जा रहा है।

3.3.14 मोटरयानों के अनुपयोग होने पर करों के भुगतान से छूट

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 (2) सपठित राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 के नियम 25 तथा 25 एए यह प्रावधान करते हैं कि वाहनों (एक बारीय कर और एक मुश्त कर से आवृत्त वाहनों को छोड़कर) पर कर उस अवधि के अतिरिक्त जिसके दौरान वाहन निर्धारित कारणों से अनुपयोगी रहा एवं स्वामी द्वारा निर्धारित तरीके से पंजीयन प्रमाण-पत्र में कराधान अधिकारी को समर्पित कर दिया था, या कराधान अधिकारी को संतुष्ट करता है कि वाहन का उपयोग नहीं किया गया था, स्वामी द्वारा संदेय होगा।

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए चयनित 16 कार्यालयों में से सबसे बड़ी तीन इकाइयों यथा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर का पंजीयन प्रमाण पत्र के समर्पण के प्रकरणों की जांच के लिए चयन किया गया। अध्ययन में 2016-17 से 2018-19 की अवधि को समाविष्ट किया गया।

चयनित तीन परिवहन कार्यालयों में कुल 2.67 लाख यात्री एवं भार वाहन पंजीकृत थे, इनमें से 2,255 वाहनों (0.85 प्रतिशत) ने छूट हेतु आवेदन किया। इन वाहनों में से 68 सरकार (आरएसआरटीसी एवं जेसीटीएसएल) से संबंधित थे।इसके अतिरिक्त 665 वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र वापस किये जाने थे।

चयनित कार्यालयों में पिछले 3 वर्षों के दौरान पंजीयन प्रमाण पत्र समर्पण के मामलों का विवरण निम्नानुसार हैः

क्र. स.	श्रेणी	कुल प्रकरण	चयनित प्रकरण	जाँचे गये प्रकरण	अप्रस्तुत प्रकरण
1	आर सी समर्पित हुई लेकिन वापस नहीं की गई	665	161	154	7
2	आर सी समर्पण के पश्चात वापस कर दी गई	1,590	383	271	112
	योग	2,255	544	425	119

लेखापरीक्षा में छूट प्रदान करने हेतु प्राप्त ऐसे वाहनों के प्रकरणों में जिनकी आर सी वापस कर दी गई थी, आवेदनों की स्थिति का अभिनिश्चय नहीं किया जा सका क्योंकि अपेक्षित दस्तावेजों की प्रतियां अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थीं। प्रपत्र एमटीजी के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की प्रतियां भविष्य में संदर्भ के लिए अभिलेखों में रखा जाना सुनिश्चित करने के लिए विभाग विचार कर सकता है।

चयनित कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा में पंजीयन प्रमाण पत्र समर्पण के ज्ञात हुए कारण निम्नतः थेः

कारण	नियमों में निर्धारित			नियमों में अनिर्धारित	वर्णित नहीं	योग
	मैकेनिकल ब्रेक डाउन, मरम्मत एवं संधारण	चोरी	दुर्घटना	मरम्मत के अयोग्य		
संख्या	352	6	4	36	26	425
प्रतिशत	83.06	1.41	0.94	8.47	6.12	100

यह स्पष्ट है कि 14.59 प्रतिशत वाहनों द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र ऐसे कारणों से समर्पित किये गये जो नियमों में निर्धारित नहीं थे या आवेदनों में पूर्णतः वर्णित नहीं थे।

3.3.14.1 अपूर्ण आवेदनों का अनुमोदन

राजस्थान मोटरयान कराधान नियम, 1951 के नियम 25(3) के अनुसार वाहन स्वामी आवेदन के साथ पंजीयन प्रमाण पत्र, कर प्रमाण पत्र, कर टोकन, फिटनेस प्रमाण पत्र, प्राधिकार पत्र के साथ परमिट का भाग ए और बी, बीमा प्रमाण पत्र, आदि प्रस्तुत करेंगे। नियम 25(4) प्रावधान करता है कि आवेदक उस जगह को जहां की समर्पण अवधि के दौरान मोटरयान रखा जाएगा प्रपत्र एमटीजी में निर्दिष्ट करेगा। इसके अतिरिक्त नियम 25 (6) यह प्रावधान करता है कि कोई भी आवेदन जो कि अपूर्ण है या उप नियम (1) से (4) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, उसे वापस कर दिया जाएगा और ऐसा समझा जाएगा कि कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।

154 प्रकरण जिनमें पंजीयन प्रमाण पत्रों को समर्पित किया गया लेकिन वापस नहीं किया गया, की संवीक्षा से पता चला किः

(अ) 127 प्रकरणों में प्रपत्र एमटीजी में आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं थे।

(ब) 136 प्रकरणों में आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों यथा फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, पीयूसीसी और कर प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो चुकी थी।

(सी) 78 प्रकरणों में समर्पण की अवधि का उल्लेख नहीं था।

कराधान अधिकारी ने फिर भी बिना उचित संवीक्षा के अपूर्ण आवेदनों को स्वीकार किया। अपूर्ण आवेदन, आवेदकों को वापस किये जाने चाहिये थे लेकिन उन्हें वापस नहीं किया गया।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2020)। विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि कराधान अधिकारी द्वारा स्वयं को संतुष्ट किए जाने के बाद कि कोई कर बकाया नहीं था, दस्तावेजों के नहीं होने से नियमों के प्रतिकूल कोई परिणाम नहीं आया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आवेदन जो उप नियम (1) से (4) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते उन्हें नियम 25(6) के प्रावधानों के अनुसार वापस किया जाना चाहिए था।

3.3.14.2 नियमों में अनिर्धारित कारणों के लिए आवेदनों का अनुमोदन

नियम 25 एए में गैर उपयोग के कारण वर्णित है और प्रावधान है कि कराधान अधिकारी स्वयं को संतुष्ट करेगा और प्रमाणित करेगा कि वाहन का उपयोग, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिबंधित

होने, दुर्घटना में सम्मिलित होने, वसूली के लिए वाहन की कुर्की, पंजीयन प्रमाण पत्र के निलंबन या निरस्तीकरण, मैकेनिकल ब्रेकडाउन या मरम्मत और रखरखाव, किसी भी कानून के अंदर निषेधात्मक आदेश और अन्य परिस्थितियों और वाहन की चोरी के कारण, नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन कार्यालयों में पंजीयन प्रमाण पत्र समर्पण के 36 आवेदनों को वाहनों का मरम्मत के अयोग्य या स्क्रैप होने जैसे नियमों में अनिर्धारित कारण के बावजूद भी स्वीकार किया गया। इस प्रकार, इन प्रकरणों में दी गई कर की छूट अनियमित थी। नियमानुसार इन प्रकरणों में पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त करने की कार्यवाही प्रारंभ की जानी थी, लेकिन नहीं की गई।

लेखापरीक्षा ने 30 प्रकरणों में ₹ 1.15 करोड़ कर छूट की राशि का आकलन किया। शेष छः प्रकरणों में लेखापरीक्षा द्वारा कर छूट की राशि का निर्धारण नहीं किया जा सका क्योंकि अभिलेखों में परमिट का विवरण उपलब्ध नहीं था।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2020)। विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि मैकेनिकल ब्रेकडाउन या मरम्मत और रखरखाव का कारण यह स्पष्ट करता है कि वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र ब्रेकडाउन या मरम्मत के कारणों से समर्पित किये जा सकते हैं, चाहे बाद में, यांत्रिक जांच में वह मरम्मत के अयोग्य पायी जायें। आवेदनों में छोटी-छोटी कमियों के कारण कर देयता नहीं बनती थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एक वाहन जो पूर्व से ही मरम्मत योग्य न हो उसे मरम्मत और रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती। इस कारण से, विभाग द्वारा वर्तमान में उनका मरम्मत और रखरखाव में वर्गीकरण सही नहीं था। विभाग को इन प्रकरणों में पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त करने की कार्यवाही प्रारंभ करनी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त मरम्मत अयोग्य और स्क्रैप वाहनों के समर्पण को स्वीकार करने से, इन वाहनों की नियमित निगरानी और अभिलेखों को रखने का अवांछित बोझ बढ़ेगा जिनको हटाये जाने की आवश्यकता है।

3.3.14.3 आरसी समर्पण पंजिका का अनुचित संधारण

नियम 25(7) के अनुसार प्राप्त आवेदनों को क्रमबद्ध रूप से प्रपत्र एम.टी.एस. में रखी पंजिका मे प्रविष्ट किया जायेगा और उसमें की गई प्रत्येक प्रविष्टि को कराधान अधिकारी की ओर से लिखित रूप में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आद्याक्षरित किया जाएगा। कराधान अधिकारी प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को पंजिका की जांच करेगा और अंतिम प्रविष्टि के नीचे हस्ताक्षर करेगा।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जयपुर में पंजीयन प्रमाण पत्र समर्पण पंजिका का संधारण प्रपत्र एमटीएस में नहीं किया जा रहा था। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जोधपुर को छोड़कर, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जयपुर एवं उदयपुर में पंजिका में पूर्ण प्रविष्ठियां नहीं की गई थीं। इस तरह, वास्तव में कराधान अधिकारियों ने पंजिका में अपूर्ण विवरणों को सत्यापित किया। पंजिका का उचित संधारण वाहनों के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान करता है और निगरानी में सहायता करता है। पंजिका के उचित संधारण के अभाव में विभागीय अधिकारियों को सरलता से वाहनों का विवरण नहीं मिल सका।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2020)। विभाग ने स्वीकार किया और बताया (फरवरी 2020) कि आपत्ति उपयुक्त

है और विभाग वर्तमान प्रणाली में विसंगतियों को दूर करने के लिए *वाहन* सॉफ्टवेयर पर पंजीयन प्रमाण पत्र समर्पण प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का प्रयास कर रहा है।

3.3.14.4 पंजीयन प्रमाण पत्र समर्पित वाहनों की उचित निगरानी का अभाव

राजस्थान मोटरयान कराधान नियम, 1951 के नियम 25(4) के अनुसार वाहन स्वामी संबंधित कराधान अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना वाहन को निर्धारित स्थान से अन्य स्थान पर नहीं ले जायेगा। राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4(2) में प्रावधान है कि यदि मोटरयान पंजीयन प्रमाण पत्र समर्पण के बाद चलता हुआ पाया जाता है तो ऐसे वाहनों पर, समर्पण की अवधि के लिए, कर की राशि के पांच गुणा के बराबर शास्ति के साथ कर, अविलंब देय होगा।

नियम 25(8) प्रावधान करता है कि कराधान अधिकारी प्रत्येक सप्ताह के अंत में गैर उपयोग में रखे गए वाहनों की सूची तैयार करेगा और ऐसे सभी वाहनों का निरीक्षण स्वयं या अधीनस्थ अधिकारी जो एमवीएसआई रैंक से नीचे का ना हो द्वारा किया जाएगा और ऐसे निरीक्षण का प्रतिवेदन नियम 25(7) के अनुसार फार्म एमटीएस में संधारित पंजिका में दर्ज किया जाएगा। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वाहनों के प्रकरणों में निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित कराधान अधिकारी को अग्रेषित की जाएगी।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि कराधान अधिकारी यह कार्य नहीं कर रहे थे। संपूर्ण समर्पण अवधि के दौरान केवल एक या दो बार निरीक्षण किए गए थे। यद्यपि पंजीयन प्रमाण पत्र को 34 महीने तक की अवधि के लिए समर्पित किया गया था। इसके अतिरिक्त राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम वाहनों से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदन अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को नोटिस जारी नहीं किए गए थे।

जानकारी लेने पर, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जोधपुर ने सूचित किया कि दो प्रकरणों में पंजीयन प्रमाण पत्र समर्पण की अवधि के दौरान वाहन चलते हुए देखे गए थे। एक प्रकरण में कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया जबकि दूसरे प्रकरण में विभाग द्वारा वाहन को जब्त कर लिया गया था। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जोधपुर में वाहन निरीक्षण प्रतिवेदन की संवीक्षा में ज्ञात हुआ कि एक प्रकरण में वाहन प्रपत्र एमटीजी में निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पाया गया। ना तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा मोटरयान को अन्य स्थान पर हटाने की अनुमति दी गई थी ना ही बिना अनुमति वाहन हटाने पर कार्यवाही प्रारंभ की गई।

इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि 18 वाहन स्वामियों ने, तीन वर्ष की अवधि के दौरान, मरम्मत के उद्देश्य से दो या तीन बार पंजीयन प्रमाण पत्र समर्पित किये। अभिलेखों में यह प्रदर्शित नहीं था कि बारंबार मरम्मत की आवश्यकता थी।

पंजीयन प्रमाण पत्र समर्पण के लिए वर्णित कारणों की वास्तविकता की जांच के साथ-साथ सरकार के राजस्व हितों की रक्षा करने के लिए इन वाहनों का समय-समय पर निरीक्षण आवश्यक था। उचित निगरानी के अभाव में छूट के प्रावधानों के दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2020) । विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि प्रक्रिया की कठोर अनुपालना हेतु समय-समय पर निर्देश जारी किए गए थे ।

विभाग ऐसे प्रकरणों की निगरानी के लिये एक उचित प्रणाली विकसित करने और जहां पंजीयन प्रमाण पत्र को एक माह या अधिक के लिए समर्पित किया गया हो वहां पंजीयन प्रमाण पत्र समर्पण के आवेदन के साथ और पंजीयन प्रमाण पत्र वापस करने से पूर्व अधिकृत कार्यशाला से प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर विचार कर सकता है ।

3.3.14.5 पंजीयन प्रमाण पत्र समर्पण के प्रावधानों में कमी

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम और नियम 1951 की धारा 4(2) और नियम 25 के अनुसार पंजीयन प्रमाण पत्र समर्पण या अनुपयोग की न्यूनतम अवधि स्टेज कैरिज के लिए सात दिन और स्टेज कैरिज के अलावा वाहनों के लिए एक माह है, लेकिन नियमों में अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है ।

राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1998 के अंतर्गत उद्देश्य और कारणों का विवरण कहता है कि "तीन माह" के प्रावधान को "एक माह" के लिये संशोधित करने का प्रस्ताव, इसे और अधिक व्यवहारिक बनाने के लिये किया गया क्योंकि तकनीकी उन्नति के आधुनिक युग में वाहन की मरम्मत के लिए एक माह का समय पर्याप्त है ।

समीक्षा से पता चला कि 83 प्रतिशत (425 में से 353) पंजीयन प्रमाण पत्रों को वाहनों की मरम्मत और अनुरक्षण के कारण से समर्पित किया गया था । यह देखा गया कि 85 प्रकरणों में आवेदन, समर्पण की अवधि को निर्दिष्ट किए बिना प्रस्तुत किए गए थे, जबकि 257 प्रकरणों में आवेदन 12 माह तक की अवधि के लिए और 10 प्रकरणों में आवेदन 12 माह से अधिक अवधि के लिए प्रस्तुत किए गए । ये आवेदन कराधान अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किए गए थे ।

मरम्मत और अनुरक्षण के कारण अनुपयोग की अधिकतम अवधि के प्रावधान के अभाव में, पंजीयन प्रमाण पत्रों का समर्पण अनावश्यक रूप से लंबी अवधि के लिए किया गया। अधिक समय के लिए पंजीयन प्रमाण पत्रों का समर्पण न केवल संशोधन की मूल भावना से असंगत था बल्कि इसने राज्य के राजस्व संग्रहण को भी प्रभावित किया ।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पंजीयन प्रमाण पत्र वापस करते समय, इस बात के समर्थन में कि वाहन सडक पर संचालन योग्य है, कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जा रहे । इस प्रकार, ऐसे वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्रों का लंबी अवधि के लिये समर्पण उचित नहीं था ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2020) । विभाग ने अधिकतम अवधि के निर्धारण पर विचार करने की सहमति दी है (फरवरी 2020) ।

विभाग नियमों में वाहनों के अनुपयोग की अधिकतम अवधि को निर्धारित कर सकता है ।

3.3.14.6 समर्पण की अवधि की समाप्ति पर कार्यवाही का अभाव

नियम 25(1) प्रावधान करता है कि समर्पण के लिए आवेदन प्रपत्र एमटीजी में किया जाएगा । पंजीयन प्रमाण पत्र समर्पण की अवधि को प्रपत्र एमटीजी में उल्लिखित करना आवश्यक है ।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 289 प्रकरणों में या तो समर्पण की अवधि समाप्त हो गई थी या आवेदन में समर्पण की अवधि वर्णित नहीं थी। इन प्रकरणों में पंजीयन प्रमाण पत्र निर्मोचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किए गए। समर्पण की अवधि में विस्तार के लिये नियमों में प्रावधान नहीं था। तथापि, कराधान अधिकारी ने समर्पण की अवधि की समाप्ति के बाद से कर वसूली की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2020)। विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि समर्पण की निर्धारित अधिकतम अवधि के अभाव में आवेदक एकदम सही अवधि का उल्लेख करने से बचते हैं। आगे यह भी बताया कि *वाहन* की ऑनलाईन प्रणाली को अपनायेंगे और समुचित दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे जिससे ऐसी विसंगतियों को दूर किया जा सकेगा।

यह पूर्णरूप से स्पष्ट है कि आवेदन के अनुमोदन में अनियमितताएं, विभाग द्वारा वाहनों की लचर निगरानी और नियमों में कमी से राजकोष को राजस्व की हानि हुई। यदि छूट अनुमत्य नहीं की गई होती तो सरकार को 30 प्रकरणों में ₹ 1.15 करोड़ के राजस्व का अर्जन हो सकता था। इस विषय के विश्लेषण के लिए लेखापरीक्षा ने अन्य राज्यों के मोटर वाहन नियमों का संदर्भ लिया। यह देखा गया कि हरियाणा राज्य में कर से छूट का प्रावधान नहीं है जबकि कर्नाटक राज्य में बेडा स्वामी (फ्लीट ऑनर) के मोटर वाहन के अनुप्रयोग को प्रमाणित करने के अधिकार को आयुक्त तक सीमित करके कर से छूट की सुविधा को नियंत्रित किया गया है।

3.3.15 वाहन जनित प्रदूषण

केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115 में यह प्रावधान है कि मोटर वाहन का संधारण ऐसी स्थिति में किया जाएगा जो उत्सर्जन के मानकों का पालन करती हो। नियम 115(7) प्रावधान करता है कि प्रथम पंजीयन की तिथि से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद, ऐसे प्रत्येक वाहन के साथ वैध "प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र" (पीयूसीसी) होगा जो कि राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिकृत एजेंसी द्वारा जारी किया गया हो। प्रमाण पत्र की वैधता छः माह होगी। प्रदूषण जांच केंद्र की परिचालन प्रक्रिया को निर्धारित करने, योजना को रोजगारोन्मुखी बनाने और वाहनों के प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से "राजस्थान मोटर वाहन जांच केंद्र योजना (ऑनलाइन) 2017" (आरएमवीटीसी योजना 2017) प्रारंभ की गई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 23 फरवरी 2012 के अनुसार बी. एस.-IV वाहनों के मामलों में पीयूसीसी की वैधता एक वर्ष होगी।

3.3.15.1 प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण–पत्र

विभाग ने राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड द्वारा प्रदत्त नेटवर्किंग के माध्यम से पीयूसीसी के डेटाबेस को रखने की एक अच्छी कार्यप्रणाली प्रारंभ की और जब भी उत्सर्जन जांच नियत हो, वाहन स्वामियों को स्मरण कराने हेतु मोबाइल संदेश भेजे गये।

2014-15 से 2018-19 के दौरान जारी किए गए और जारी किए जाने वाले पीयूसीसी का

विवरण निम्न प्रकार हैः

(लाखों में)

वर्ष	पंजीकृत वाहन[28] (पूर्व वर्ष के अंत तक)	मानदंडों[29] के अनुसार जारी किए जाने वाले पीयूसीसी की संख्या	वर्ष के दौरान जारी पीयूसीसी	जारी किए गए पीयूसीसी की संख्या (प्रतिशत में) (4)/(3)
2014-15	87.4	152.82	3.77	2.47
2015-16	96.68	181.41	9.66	5.32
2016-17	106.89	201.25	8.57	4.26
2017-18	117.03	221.38	12.06	5.45
2018-19	127.93	242.07	28.28	11.68

स्रोतः परिवहन विभाग का सांख्यिकीय सार (वर्ष 2018-19)

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाती है कि वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान केवल 2.47 से 11.68 प्रतिशत पीयूसीसी जारी किए गए थे। यद्यपि 2018-19 के दौरान जारी किए गए पीयूसीसी की संख्या में वृद्धि हुई है लेकिन मानदंडों के अनुसार अभी भी 88.32 प्रतिशत पीयूसीसी जारी नहीं किये जा सके। यह देखा गया कि विभाग ने *वाहन* डेटा का उपयोग उन स्वामियों को संदेश भेजने के लिए नहीं किया जो उत्सर्जन जांच के लिए उपस्थित नहीं हुए।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि बिना पीयूसीसी के चलते पाये गये वाहनों पर कार्यवाही की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को नियमित प्रवर्तन कार्य के अतिरिक्त चूककर्ताओं को नोटिस जारी करने के लिए डेटा का उपयोग करना चाहिए था।

3.3.15.2 प्रदूषण जांच मे असफल वाहनों कि उचित निगरानी का अभाव

चयनित 16 कार्यालयों मे से नौ कार्यालयों[30] ने प्रदूषण जांच मे असफल रहे वाहनों से संबंधित सूचना प्रस्तुत नहीं की। सात कार्यालयों[31] द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं से ज्ञात हुआ कि पाँच कार्यालयों[32] मे 5,823 वाहन जांच मे असफल हुए जबकि दो कार्यालयों[33] मे कोई भी वाहन जांच मे असफल नहीं हुआ।

- दो कार्यालयों (क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, उदयपुर एवं जिला परिवहन अधिकारी, चौमूं) में 624 असफल वाहनों मे से केवल 150 वाहनों को ही पुनः जांच हेतु भेजा गया। पाली में

[28] 15 वर्ष से पहले पंजीकृत वाहन को शामिल नहीं किया गया है।

[29] सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 23 फरवरी 2012 के अनुसार बी. एस.-IV वाहनों के मामलों में पीयूसीसी की वैधता अवधि एक वर्ष होगी। 2012 के बाद से पंजीकृत वाहनों को जारी करने हेतु अपेक्षित पीयूसीसी की संख्या की गणना के उद्देश्य से बी. एस.-IV वाहन माना गया है।

[30] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीः अलवर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़ और जयपुर; जिला परिवहन अधिकारीः भीलवाड़ा, चौमूं, डीडवाना, धौलपुर और नोहर।

[31] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीः भरतपुर, जोधपुर, पाली और उदयपुर; जिला परिवहन अधिकारीः भीलवाड़ा, चौमूं और श्रीगंगानगर।

[32] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीः भरतपुर, जोधपुर, पाली और उदयपुर; जिला परिवहन अधिकारीः चौमूं।

[33] जिला परिवहन अधिकारीः भीलवाड़ा और श्रीगंगानगर।

सभी 260 असफल वाहनों की पुनः जांच की गई । विभाग द्वारा प्रदूषण जांच में असफल वाहनों के संचालन को रोकने के लिए कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं कि गई। यह स्पष्ट है कि विभाग जांच के परिणामों की प्रभावी निगरानी नहीं कर रहा था ।

- दो कार्यालयों (क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, भरतपुर और जोधपुर) में 4,939 वाहन प्रदूषण जांच मे असफल रहे लेकिन उन्हे पुनः जांच के लिए नहीं भेजा गया ।

प्रदूषण जांच में असफल रहे वाहनों, जो कि पुनः जांच के लिए नहीं आए, के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई । यह दर्शाता है कि विभागीय अधिकारी प्रदूषण के मुद्दे पर संवेदनशील नहीं थे ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि पीयूसीसी जारी करने पर निरंतर निगरानी रखी जा रही थी और अप्रैल 2019 से दिसंबर 2019 के दौरान जाँचे गए कुल 25.33 लाख वाहनों में से 0.30 लाख वाहन उत्सर्जन जांच में असफल हुए । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने केवल उत्सर्जन जांच के परिणाम के डाटा की निगरानी की, लेकिन चूककर्ताओं को पुनः जांच हेतु स्मरण-पत्र जारी नहीं किए ।

3.3.15.3 कार्यशाला वाले अधिकृत डीलरों को प्रदूषण जांच केंद्र हेतु प्राधिकार पत्र जारी नहीं करना

आरएमवीटीसी (ऑनलाइन) योजना, 2017 में प्रावधान है कि (I) प्राधिकार पत्र जिला परिवहन अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा (II) डीजल और पेट्रोल वाहनों के प्रत्येक केंद्र के लिए प्राधिकार शुल्क ₹ 5000 पृथक- पृथक लिया जाएगा। (III) प्राधिकार पत्र की वैधता अवधि 2 वर्ष होगी और वह नवीनीकरण शुल्क ₹ 5000 के भुगतान पर नवीनीकरण योग्य है। (IV) अधिकृत डीलर जिनके पास कार्यशाला है, के लिए प्रदूषण जांच केंद्र होना अनिवार्य है । (V) विद्यमान और नवीन डीलर्स को व्यापारिक प्रमाण पत्र लेने और नवीनीकरण के आवेदन के समय प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

चयनित 16 क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों में प्रदूषण जांच केंद्रों के अभिलेखों के साथ मोटर वाहन डीलर जिनके पास कार्यशाला है के विश्लेषण के दौरान यह देखा गया कि 15 कार्यालयों में किसी भी डीलर ने योजना के अंतर्गत प्राधिकार पत्र प्राप्त नहीं किया था जबकि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जयपुर में 231 डीलरों में से 224 डीलरों ने योजना के अंतर्गत प्राधिकार प्राप्त नहीं किए । इस प्रकार 996 डीलरों द्वारा प्राधिकार पत्र प्राप्त नहीं किया गया था । अभिलेखों में डीलरों द्वारा प्राधिकार पत्र प्राप्त किए जाने हेतु किये गये प्रयासों के संबंध में कुछ भी प्रदर्शित नहीं था । प्राधिकार पत्र के अभाव में डीलरों के व्यापार प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण करना योजना में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन था । यह इंगित करता है कि विभागीय अधिकारी योजना को ठीक तरह से लागू करने में असफल रहे। इसके परिणामस्वरूप 996 प्रकरणों में प्राधिकार शुल्क राशि ₹ 49.80 लाख की वसूली का अभाव रहा ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019) । सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि 14 प्रकरणों में ₹ 0.70 लाख की वसूली की जा चुकी है । इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि राजस्व की हानि नहीं हुई थी क्योंकि केंद्रीय मोटर वाहन नियम के अनुसार डीलरों के लिए जांच केंद्र की स्थापना अनिवार्य नहीं थी। प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना में स्पष्टतः वर्णित है कि मोटर वाहन

डीलर जिन के पास कार्यशाला है, को प्रदूषण जांच केंद्र के लिए प्राधिकार प्राप्त करना अनिवार्य था।

3.3.16 आंतरिक नियंत्रण

3.3.16.1 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण तंत्र का एक आवश्यक अंग है। अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के साथ-साथ, समय-समय पर जारी किए गए विभागीय निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए परिवहन कार्यालयों में संधारित अभिलेखों की लेखापरीक्षा के लिए विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा समूह है।

स्वीकृत सात दलों के विरुद्ध चार से पांच निरीक्षण दलों को लेखापरीक्षा के लिए लगाया गया था।

- **आंतरिक लेखापरीक्षा की बकाया**

आंतरिक लेखापरीक्षा की विगत पांच वर्षों की स्थिति निम्नानुसार थीः-

वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में बकाया इकाइयां	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के लिए चयनित इकाइयां	लेखापरीक्षा के लिए बकाया कुल इकाइयां	वर्ष के दौरान लेखा परीक्षित इकाइयां	लेखापरीक्षा नहीं की गई इकाइयां	कमी प्रतिशत में
2014-15	4	51	55	45	10	18.18
2015-16	10	57	67	66	1	1.49
2016-17	1	57	58	50	8	13.79
2017-18	8	57	65	44	21	32.31
2018-19	21	57	78	71	7	8.97

स्रोतः परिवहन आयुक्त द्वारा प्रदत्त सूचनाएं।

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि आंतरिक लेखापरीक्षा की बकाया की सीमा एक इकाई से 21 इकाइयों तक थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2014-15 और 2017-18 में यह बकाया उल्लेखनीय थी। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि वर्ष 2018-19 मे चार लेखापरीक्षा दलों द्वारा चयनित 57 इकाइयों के विरुद्ध कुल 71 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई। इस प्रकार, किए गए कार्य की गुणवत्ता का आश्वासन नहीं दिया जा सकता क्योंकि कम दल संख्या के साथ योजनागत इकाइयों से अधिक इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई थी।

- **आंतरिक लेखापरीक्षा के बकाया अनुच्छेद**

आंतरिक लेखापरीक्षा के बकाया अनुच्छेदों का वर्ष वार विवरण निम्नानुसार थाः

वर्ष	2014-15 तक	2015-16	2015-16 (अनुपूरक)	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
अनुच्छेद	3,262	833	866	801	1,057	220	7,039

स्रोतः परिवहन आयुक्त द्वारा प्रदत्त सूचनाएं।

वर्ष 2018-19 के अंत तक कुल 7,039 आंतरिक लेखापरीक्षा अनुच्छेद बकाया थे इनमें से 3,262 अनुच्छेद (46.34 प्रतिशत) पाँच वर्ष से अधिक समय से बकाया थे। बकाया अनुच्छेदों की अधिक संख्या यह इंगित करती है कि विभाग ने आंतरिक लेखापरीक्षा समूह द्वारा बताई गई टिप्पणियों की प्रभावी अनुपालना नहीं की। इस प्रकार आंतरिक लेखापरीक्षा का वास्तविक उद्देश्य इस सीमा तक प्राप्त नहीं हुआ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2000) कि बकाया अनुच्छेदों के निपटान के लिए अनुच्छेद निपटान शिविरों का आयोजन किया जा रहा था।

3.3.16.2 विभागीय नियमावली का अद्यतन ना होना

विभागीय नियमों, संरचना, विभागीय अधिकारियों/कार्मिकों के कार्यों एवं कर्तव्यों को संकलित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा वर्ष 2001 में विभागीय नियमावली तैयार की गई।

परिवहन आयुक्तालय के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि विभाग द्वारा उपयोग में ली जा रही नियमावली का प्रकाशन 2001 में किया गया था। अभिलेखों में नियमावली को अद्यतन करने के कारण नहीं पाये गये।

परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग, नियम और विनियम में संशोधन, विभागीय संरचना में परिवर्तन, आदि के साथ बड़े पैमाने पर बदलाव हुए हैं। सड़क सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण जैसे नए पहलुओं पर ध्यान देने से विभाग का कार्य क्षेत्र भी बढ़ा है। इस कारण से विभिन्न समूहों की उचित कार्य प्रणाली सुनिश्चित करने और नवीन पहलुओं से कार्मिकों को अवगत कराने हेतु संबंधित मार्गदर्शन एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए नियमावली को अद्यतन करने की आवश्यकता है।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि नियमावली को अद्यतन करने का कार्य प्रगति पर था।

3.3.16.3 निजी फिटनेस जांच केंद्रों का निरीक्षण

वाहन फिटनेस जांच केंद्र विनियमन योजना, फिजा 2018 के बिंदु 7 के अनुसार, निजी फिटनेस जांच केंद्रों का निरीक्षण जिला परिवहन अधिकारी द्वारा प्रत्येक तीन महीने में एक बार और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी /एआरटीओ द्वारा छः माह मे एक बार किया जाना है।

निजी केंद्रों के निरीक्षण से संबंधित सूचना केवल सात कार्यालयों[34] द्वारा प्रदान की गई यद्यपि चयनित 16 क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों से मांगी गई थी। इन कार्यालयों के क्षेत्राधिकार में 12 निजी केंद्र कार्यरत थे सिवाय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सीकर और जिला परिवहन अधिकारी नोहर के, जहां निजी फिटनेस केंद्र स्थापित नहीं थे। सूचनाओं की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि 2018-19 के दौरान 12 निरीक्षण किए गए थे। मानदंडों के अनुसार जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा इन केंद्रों के 48 निरीक्षण किए जाने थे लेकिन केवल 10 निरीक्षण किए गए। शेष दो प्रकरणों में निरीक्षण अधिकारी का उल्लेख नहीं था। क्षेत्रीय परिवहन

[34] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीः जोधपुर, कोटा, सीकर और उदयपुर; जिला परिवहन अधिकारीः धौलपुर, नोहर और श्रीगंगानगर।

अधिकारियों द्वारा निर्धारित 24 निरीक्षण के विरुद्ध कोई निरीक्षण नहीं किया गया। निरीक्षण नहीं करने के कारण भी अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार उपरोक्त से स्पष्ट था कि इन फिटनेस केंद्रों के कार्यों की विभाग द्वारा उचित निगरानी नहीं की गई।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019)। सरकार ने स्वीकार किया (जनवरी 2020) कि इस योजना के अनुसार निजी फिटनेस केंद्रों का निरीक्षण जिला परिवहन अधिकारी और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/ एआरटीओ द्वारा क्रमशः तिमाही और छमाही में एक बार किया जाना चाहिए।

3.3.16.4 प्रदूषण जांच केंद्रों (पीसीसी) का निरीक्षण

आरएमवीटीसी योजना, 2017 के बिंदु आठ के अनुसार प्रत्येक पीसीसी का निरीक्षण परिवहन अधिकारी, जो उप निरीक्षक से निम्न पद का नहीं हो, के द्वारा वर्ष में दो बार किया जाना अपेक्षित है और निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

परिवहन आयुक्त द्वारा प्रदत सूचनाओं (जुलाई 2019) की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि राज्य में 1,359 पीसीसी कार्य कर रहे थे (क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, दौसा के अतिरिक्त)। विभाग में 2 अप्रैल 2019 को 507 परिवहन अधिकारी जो कि उप निरीक्षक से निम्न पद के नहीं थे, कार्य कर रहे थे। निर्धारित मानदंडों के अनुसार 2017-19 की अवधि के दौरान 5,436 निरीक्षण किए जाने थे, तथापि उक्त अवधि के दौरान केवल 1,249 निरीक्षण किए गए जो लक्ष्य से बहुत दूर थे। यदि एक अधिकारी द्वारा एक वर्ष में छः निरीक्षण किए गए होते तो लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया होता। लेकिन विभाग योजना के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कर सका। इस प्रकार पीसीसी के कार्यों पर विभाग का नियंत्रण उस सीमा तक अप्रभावी था।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि पीसीसी का निरीक्षण नियमित रूप से प्रत्येक छः माह में किया जा रहा था और हाल ही में 1,409 केंद्रों के 869 निरीक्षण किए गए हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मानदंडों के अनुसार निरीक्षण नहीं किए गए।

3.3.16.5 मांग और संग्रहण पंजिका का रखरखाव नहीं करना

राजस्थान मोटरयान कराधान नियम, 1951 के नियम 36-ए (7) के अनुसार, कराधान अधिकारी कर, शास्ति और ब्याज का विवरण मांग और संग्रहण पंजिका में दर्ज करेगा।

अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि जिला परिवहन अधिकारी, चौमूं द्वारा मांग और संग्रहण पंजिका संधारित नहीं की गयी थी। पूछे जाने पर जिला परिवहन अधिकारी, चौमूं ने बताया की मांग और संग्रहण पंजिका का संधारण क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जयपुर द्वारा किया जाना था क्योंकि परमिट उनके द्वारा जारी किए गए थे। तथापि, विद्यमान नियमों के अनुसार मांग और संग्रहण पंजिका का संधारण कराधान अधिकारी होने के कारण जिला परिवहन अधिकारी द्वारा किया जाना था।

मांग और संग्रहण पंजिका के अभाव में, चूककर्ताओं की पहचान, मांग के पत्र जारी करने और राजस्व के संग्रहण में कार्यालयों की प्रभावशीलता, सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि मांग और संग्रहण पंजिका डिजिटल रूप में बनेगी क्योंकि बकाया कर/ मांग की निगरानी ऑनलाइन की जाएगी और कर की गणना स्वतः की जाएगी। उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि विभाग ने अभी तक इसका संधारण नहीं किया है।

3.3.17 सॉफ्टवेयर

''वाहन'' और *''सारथी''* सॉफ्टवेयर को राज्य में चरणबद्ध तरीके से क्रमशः अक्टूबर 2009 और सितंबर 2009 से प्रारंभ किया गया। वर्तमान में *वाहन* 4.0 सॉफ्टवेयर का उपयोग 61 कार्यालयों में और *सारथी* सॉफ्टवेयर का 75 कार्यालयों (18 उप कार्यालयों सहित) में किया जा रहा है। विभाग ने *सारथी* सॉफ्टवेयर की अधिगम (एक्सेस) प्रदान नहीं की, इस कारण से सॉफ्टवेयर की कार्यप्रणाली का विश्लेषण नहीं किया जा सका। *वाहन* सॉफ्टवेयर के अध्ययन में निम्न कमियों का पता चलाः

3.3.17.1 "*वाहन*" का आंशिक उपयोग

वाहन सॉफ्टवेयर, वाहनों से संबंधित सूचनाओं के डेटा प्रबंधन को स्वचालित (ऑटोमेट) करने के लिए परिकल्पित किया गया था। सॉफ्टवेयर में पाँच मॉड्यूल[35] दिए गए हैं। तथापि, प्रवर्तन मॉड्यूल को अभी तक भी संचालित नहीं किया गया था। मॉड्यूल का संचालन नहीं होने के कारण विभाग अपराधों, वाहन चालकों/स्वामियों द्वारा मोटर वाहन नियमों के उल्लंघन और प्रशमन के लिए बकाया चालानों का विश्लेषण नहीं कर सका। इस प्रकार विभाग सॉफ्टवेयर का पूरा लाभ लेने में असफल रहा।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि ई-चालान एप्लीकेशन को चरणबद्ध रूप से लागू किया जा रहा था।

3.3.17.2 "ई-ग्रास" का "*वाहन*" के साथ आंशिक एकीकरण

राजस्थान सरकार के वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग ने परिपत्र दिनांक 25 जुलाई 2018 के द्वारा राजस्व विभागों को ई-ग्रास के साथ विभागीय एप्लीकेशन को एकीकृत करने और उसके पश्चात् चालानों को स्वतः विरूपित (Deface) करने की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए।

विभागीय एप्लीकेशन के ई-ग्रास के साथ एकीकरण के संबंध में पूछताछ किए जाने पर (फरवरी 2019) विभाग ने सूचित किया कि लाइसेंस से संबंधित सेवाओं के विभागीय एप्लीकेशन और गैर परिवहन वाहनों के पंजीयन (केवल डीलर के स्तर तक) को ई-ग्रास के साथ एकीकृत किया जा चुका था। इसके अतिरिक्त विभाग ने बताया कि "निक" (एनआईसी) ने स्वतः विरूपण सुविधा प्रदान करने के लिए *''वाहन''* को जोड़ दिया था। विभागीय एप्लीकेशन के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित ई-ग्रास "चालान" के लिए स्वतः विरूपण सुविधा उपलब्ध थी। सेवा प्रदान करने के बाद संबंधित कार्यालयों द्वारा शेष चालानों को विरूपित किया जा रहा था।

[35] वाहन पंजीयन, परमिट, कर, फिटनेस और प्रवर्तन मॉड्यूल।

यह देखा गया कि डीलर के स्तर पर गैर परिवहन वाहनों के पंजीयन के अतिरिक्त अन्य सेवाओं के लिए वाहन को ई-ग्रास के साथ एकीकृत नहीं किया गया था। इस कारण से अन्य सेवाओं से संबंधित ई-ग्रास चालान को वाहन स्वामियों द्वारा परिवहन कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करना पड़ता था और रसीद के सत्यापन के पश्चात उसकी प्रविष्टि की जाती थी। इस प्रकार इन दो प्रणालियों (सिस्टम) को एकीकृत नहीं करने के कारण बडे पैमाने पर जनता को सुविधा नहीं दी जा सकी।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि ई-ग्रास के साथ *वाहन* 4.0 के पूर्ण एकीकरण के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा जा चुका है।

3.3.17.3 सॉफ्टवेयर में छूट प्रदान करने के लिए प्रावधान का अभाव

राजस्थान सरकार ने अधिसूचना 1 वी दिनांक 8 मार्च 2017 से प्रावधान किया कि नए वाहनों/चेसिस के प्रकरणों में, कर की गणना के लिए वाहन की कीमत, किसी भी निर्माता या व्यवहारी द्वारा किसी प्रोत्साहन योजना के अधीन या अन्यथा कीमत में दी गई किसी डिस्काउंट, रिबेट या रियायत को अपवर्जित करते हुए समस्त करों या उद्ग्रहणों को सम्मिलित करते हुए क्रय बिल में यथादर्शित एक्स शोरूम कीमत होगी। विभाग ने कार्यालय आदेश दिनांक 20 सितंबर 2018 के द्वारा क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारियों और पंजीयन प्राधिकारियों को निर्देश दिए कि 1 अक्टूबर 2018 से एक बारीय कर की गणना, निर्माता द्वारा *वाहन* 4.0 पर प्रदान की गई कीमत जिसे होमोलोगेशन[36] से लिया जाये, के आधार पर करना सुनिश्चित करें।

पंजीयन अभिलेखों और वाहन सॉफ्टवेयर की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि एक बारीय कर की गणना डीलर द्वारा दी गई छूट को अपवर्जित किए बिना होमोलोगेशन से कीमत लेकर की जा रही थी। इस प्रकार विभाग के उपरोक्त आदेश ने अधिसूचना द्वारा प्रदत्त लाभ से जनता को वंचित कर दिया।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि संबंधित शाखा प्रभारी को तथ्यों के सत्यापन/अनुपालना के निर्देश दिए जा चुके हैं।

3.3.18 सड़क सुरक्षा

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति, 2010 की तर्ज पर राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य सड़क सुरक्षा नीति को अनुमोदित किया (21 मार्च 2017)। विभाग ने राज्य नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना (अक्टूबर 2017) तैयार की और लक्ष्यों को निर्धारित किया।

विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं और अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चलाः

3.3.18.1 सड़क सुरक्षा निधि का कम उपयोग

सड़क दुर्घटनाओं में कमी में सहायता करने, सड़क सुरक्षा नीति और गतिविधियों को लागू करने, संस्थागत बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और परिवहन प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए समर्पित सड़क सुरक्षा निधि 2016 बनाई गई (अप्रैल 2017)। परिवहन विभाग निधि के

[36] होमोलोगेशन, वाहन सॉफ्टवेयर में एक पोर्टल है जहां से चैसिस नंबर के माध्यम से वाहन का विवरण खींच लिया जाता है।

प्रबंधन और संचालन के लिए नोडल विभाग है। निधि से राशि स्वीकृत करने की शक्तियां सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ को थी।

निधि के आवंटन और उपयोग की स्थिति 2017-19 के दौरान निम्न प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आवंटन	बजट उपयोग	अनुपयोग बजट	अनुपयोग का प्रतिशत
2017-18	89.42	37.14	52.28	58.47
2018-19	80.52	9.12	71.40	88.67

यह स्पष्ट है कि निधि को प्रभावी तरीके से उपयोग नहीं किया गया।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि 2017-18 निधि की स्थापना का प्रथम वर्ष था इस कारण इसका उपयोग वर्ष के दौरान नहीं किया जा सका जबकि वर्ष 2018-19 में उपयुक्त बजट शीर्ष खोलने में लगे समय और आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इसका उपयोग नहीं किया जा सका। उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि बजट आवंटन विस्तृत बजट शीर्ष के अनुसार था।

3.3.18.2 सड़क दुर्घटनाओं से मृत्यु में कमी का लक्ष्य

राज्य में सड़क दुर्घटनाओं से मृत्यु में वर्ष 2015 के आंकड़ों आधार पर वर्ष 2020 तक 50 प्रतिशत कमी के लिये राज्य की नीति प्रतिबद्ध थी। नीति में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वर्ष 2018, 2019 एवं 2020 में क्रमशः 15, 15 और 20 प्रतिशत वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति निम्नानुसार थी:

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या	मौतों की संख्या	आधार वर्ष यानी 2015 से प्रतिशत कमी
2015	24,072	10,510	-
2016	23,066	10,465	0.43
2017	22,112	10,444	0.62
2018	21,743	10,320	1.80

स्रोतः प्रशासनिक प्रतिवेदन 2018-19

यह स्पष्ट है कि तीन वर्ष के बाद भी दुर्घटनाओं से मृत्यु की संख्या में केवल 1.80 प्रतिशत की कमी हुई। इस प्रकार, प्रथम तीन वर्षों की धीमी गति ने, समय सीमा में लक्ष्य प्राप्त करने की संभाव्यता को कम कर दिया।

तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों ने 2017-18 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की संख्या में क्रमशः 32.26 और 6.67 प्रतिशत कमी की उपलब्धि प्राप्त की जबकि राजस्थान में इस संख्या में केवल 1.80 प्रतिशत की कमी थी।

सड़क दुर्घटनाओं से जनहानि में उच्च मानवीय पीड़ा, जख्म, समय पूर्व मृत्यु से सामाजिक आर्थिक लागत और व्यक्तिगत एवं उनके परिवार की उत्पादकता में कमी समाहित होती है। इस कारण से, मृत्यु संख्या में कमी को गंभीरतापूर्वक ध्यान में रखा जाना चाहिए।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019)। सरकार ने इस तथ्य को स्वीकार किया (जनवरी 2020) कि वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई और आगे बताया कि हितधारक विभागों द्वारा ईमानदारी से प्रयास किए गए थे।

3.3.18.3 ड्राइविंग प्रशिक्षण सुविधा

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 12 और नियम 24 से 31 ए लाइसेंस प्रदान करने और मोटर ड्राइविंग स्कूलों (एमडीएस) के विनियमन के प्रावधानों से संबंधित है। राजस्थान सरकार ने अधिसूचना दिनांक 30 जून 2004 और 1 जुलाई 2004 से मोटर वाहन स्कूलों को प्रशिक्षु लाइसेंस जारी करने के लिए शक्ति प्रदान की। इसके अतिरिक्त परिवहन विभाग ने मोटर ड्राइविंग स्कूल नियंत्रण और विनियमन योजना (एमडीएसआर)-2018 आरंभ की (अप्रैल 2018)।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि एमडीएसआर-2018 के अनुसार, गैर परिवहन वाहनों के लिए 21 दिन और परिवहन वाहनों के लिए 30 दिन का इन्डोर प्रशिक्षण तथा गैर परिवहन वाहनों के लिए 10 घंटे और परिवहन वाहनों के लिए 15 घंटे का बाह्य (आउटडोर) प्रशिक्षण अनिवार्य है। व्यावहारिक और सैद्धांतिक प्रशिक्षण के लिए अनुदेश भी निर्धारित किए गए थे। तथापि विभाग ने कोई ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र स्थापित नहीं किया था। इसके अतिरिक्त गैर परिवहन वाहनों के लिये लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण लेना अनिवार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त धारा 2 (21) के अनुसार हल्के मोटर वाहन का चालक, 7,500 किलोग्राम सकल वाहन भार तक के परिवहन वाहन चला सकता है।

11 पुलिस अधीक्षकों/उप अधीक्षकों[37] से संग्रहित सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि 2017-18 के दौरान हुई 8,964 दुर्घटनाओं में से 5,968 दुर्घटनाओं (67 प्रतिशत) में गैर परिवहन वाहन सम्मिलित थे। ऐसे वाहनों को चलाने के लिए लाइसेंस, बिना पूर्व प्रशिक्षण की बाध्यता के एक जांच के आधार पर जिसमें 5-10 मिनट का समय लगता है, दिए गए थे। इसके अतिरिक्त 208 प्रकरणों में चालकों के पास वैध लाइसेंस नहीं थे। इसके अतिरिक्त 93 प्रतिशत दुर्घटनाएं वाहन चालकों द्वारा तेज गति से वाहन चलाने और लापरवाही के कारण हुई।

इससे गैर परिवहन वाहन चालकों में ड्राइविंग कौशल की कमी और खराब ड्राइविंग आदतें इंगित होती है। यह सड़क सुरक्षा के उद्देश्य से प्रशिक्षण और नियमित अंतराल पर रिफ्रेशर (पुनश्चर्या) कोर्स की आवश्यकता की ओर भी इंगित करता है।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि विभाग द्वारा 343 मोटर ड्राइविंग स्कूल स्वीकृत किए गए थे।

3.3.18.4 पुराने वाहनों को चरणबद्ध रूप से न हटाना

वाहनों की संख्या में वृद्धि और सड़कों का विस्तार बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के अंतर्निहित घटक हैं। लेकिन दूसरी ओर, वाहनों की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि के कुछ प्रतिकूल दुष्प्रभाव भी हैं।

[37] भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, कोटा, नोहर, पाली, सीकर, श्रीगंगानगर और उदयपुर।

भारी यातायात की समस्या को दूर करने के लिए विभाग को पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए चरणबद्ध रूप से वाहन हटाने की नीति की रूपरेखा बनानी और लागू करनी चाहिए।

विभाग ने पुराने वाहनों को चरणबद्ध रूप से हटाने के लिए दो चरणों में कार्यवाही प्रारंभ की (सितंबर 2016)।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जयपुर के अतिरिक्त चयनित 15 परिवहन कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों और सूचनाओं की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि मार्च 2018 के अंत तक 9.65 लाख वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्रों की वैधता समाप्त हो गई थी। इनमें से 1.89 लाख वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण किया गया और 2.42 लाख को निरस्त किया गया। तथापि शेष 5.34 लाख पुराने वाहनों को हटाने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, ऐसे वाहनों जिनके पंजीयन प्रमाण पत्रों को निरस्त किया गया था, के निस्तारण की क्रियाविधि विद्यमान नहीं थी।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि शेष 5.34 लाख पुराने वाहनों को 30 सितंबर 2016 के परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार हटा दिया जाएगा।

3.3.18.5 श्रेष्ठ प्रथायें

विभाग ने सड़क सुरक्षा की कार्य योजना में सूचीबद्ध कुछ लक्ष्यों के अन्तर्गत महत्वपूर्ण प्रगति की है जैसे कि सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा, काले धब्बों (ब्लैक स्पॉट) में सुधार, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग के लिए जागरूकता अभियान, राजमार्गों पर स्थित स्कूलों के लिए विशेष अभियान, वाणिज्यिक ड्राइवरों के लिए प्रशिक्षण आदि।

सड़क सुरक्षा नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, विभाग मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपनाई गई निम्नलिखित प्रथाओं को अपनाने पर भी विचार कर सकता है:

- लाइसेंस जारी करने से पूर्व प्राथमिक चिकित्सा का अनिवार्य प्रशिक्षण;
- भारी वाहनों के लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम;
- अशिक्षित वाहन चालकों, भारी वाहन चालकों और स्कूल बस चालकों के लिए जागरूकता पाठ्यक्रम;
- प्रशिक्षण के लिए सिम्युलेटर और ड्राइविंग ट्रेक के उपयोग को बढ़ावा;
- सार्वजनिक निजी सहभागिता प्रणाली से चालक प्रशिक्षण सुविधाओं जैसे मोटर ड्राइविंग स्कूल, इत्यादि की स्थापना करना आदि।

3.3.19 जागरुकता और समन्वय

3.3.19.1 वाहन स्वामियों को जाली रसीदों के माध्यम से कर के कपटपूर्ण भुगतान की घटनाओं से बचाने के लिए अपर्याप्त प्रयास

विभाग ने आदेश 3/2015 दिनांक 26 फरवरी 2015 के द्वारा अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहनों को चेक पोस्ट पोर्टल के माध्यम से कर के भुगतान की ऑनलाइन सुविधा प्रदान की।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, भरतपुर में संधारित अभिलेखों की नमूना जांच में देखा गया कि 4 प्रकरणों (2016 और 2018 में घटित) में वाहन स्वामियों ने निजी ऑपरेटर के माध्यम से

भुगतान किया लेकिन विभाग के प्रवर्तन दलों ने निजी ऑपरेटर द्वारा जारी रसीदों को जाली पाया।

यह देखा गया कि विभाग ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जैसे कि वाहन स्वामियों में जागरूकता फैलाना, चेक पोस्ट पोर्टल के माध्यम से कर भुगतान की ऑनलाइन सुविधा का प्रकाशन करना और सीमावर्ती क्षेत्रों के समीप कर संग्रह केंद्रों में नकद जमा कराना आदि।

ध्यान में लाए जाने पर जिला परिवहन अधिकारी भरतपुर ने बताया कि ऐसी घटनाओं से बचाव हेतु वाहन स्वामियों मे जागरूकता फैलाने के लिए होर्डिंग्स, बैनर और प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से प्रयास किए गए थे। तथापि, अभिलेखों में कार्यालय द्वारा ऐसे प्रयास किये जाने के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि सीमावर्ती जिलों और चेक पोस्टों के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को ऑनलाइन भुगतान सुविधा के बारे में प्रकाशन के लिए निर्देशित किया गया था।

3.3.19.2 मोटर वाहन कानूनों के क्रियान्वयन के लिए अन्य विभागों का संवेदीकरण

राज्य में मोटर वाहन कानूनों का क्रियान्वयन परिवहन विभाग की जिम्मेदारी है। इसके अतिरिक्त, मोटर वाहन कानून के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए, विभाग को अन्य विभागों/एजेंसियों को जहां वाहनों का उपयोग होता है को संवेदनशील (sensitise) करने की आवश्यकता है।

राज्य सरकार ने कृषि ट्रैक्टर/ कंबाइन हार्वेस्टर पर वाहन की लागत का 0.30 प्रतिशत एक बारीय कर की दर निर्धारित की। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 4-सी के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा गैर-कृषि ट्रैक्टर-ट्रेलर्स जिसे भार वाहन के रूप में उपयोग में लिया जाता है पर एक मुश्त कर की दर ट्रैक्टरों की लागत जिससे ट्रेलर जुड़ा हुआ है के 9 प्रतिशत के रूप में निर्धारित की गई (14 जुलाई 2014) और 8 मार्च 2016 से उसे संशोधित कर 1 प्रतिशत कर दिया।

विभिन्न गतिविधियों, जैसे स्वच्छता, जलापूर्ति, खनिजों और मदिरा के परिवहन जिनमें वाहन लगे होते हैं, के बारे में सूचनाएं संबंधित विभागों से संग्रहित की गई। इन विभागों से प्राप्त सूचनाओं की संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

- यह पाया गया कि 13 क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों[38] के क्षेत्राधिकार में सात स्थानीय निकायों[39] और 12 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग[40] के कार्यालयों द्वारा 998 ट्रेक्टरों को गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए किराए पर लिया गया था। इन वाहनों द्वारा गैर-कृषि उपयोग के लिए निर्धारित दरों के स्थान पर कृषि ट्रैक्टरों के लिए निर्धारित करों का भुगतान किया जा रहा था।

[38] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीः अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली, सीकर और उदयपुर; जिला परिवहन अधिकारीः डीडवाना, नोहर और श्रीगंगानगर।

[39] नगर निगम/परिषदः अलवर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, डीडवाना, पाली, सीकर और श्रीगंगानगर।

[40] जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागः अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, डीडवाना, जयपुर, जोधपुर, कोटा, नोहर, सीकर, श्रीगंगानगर और उदयपुर।

- राज्य आबकारी विभाग में माह जनवरी 2019 में 622 गैर-परिवहन वाहन, मदिरा के परिवहन में संलग्न थे, जो कि 15 परिवहन कार्यालयों[41] के क्षेत्राधिकार में थे। इन वाहनों द्वारा एक मुश्त कर के स्थान पर गैर परिवहन वाहनों के लिए निर्धारित एक बारीय कर का भुगतान किया गया।

इस प्रकार परिवहन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता कार्यालयों का संवेदीकरण नहीं करने के परिणामस्वरूप मोटर वाहन कानून का उल्लंघन हुआ।

प्रकरणों को विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि अन्य विभागों को परिवहन के उद्देश्य के लिए गैर परिवहन वाहनों के उपयोग को रोकने के लिए पत्र भेजे जा रहे थे और कोष एवं लेखा विभाग को ऐसे वाहनों के बिलों को स्वीकार नहीं करने के लिए परिपत्र/ कार्यालय आदेश जारी किए जा रहे थे।

अन्य मामले

3.3.20 संविदा कर्मियों को रखने के कारण परिहार्य व्यय

विभाग ने अनुबंध के आधार पर केंद्रीय उड़न दस्तों (सीएफएस) के लिए अवधि मार्च 2017 से फरवरी 2019 तक 10 सुरक्षा गार्डों और दो वाहन चालकों को कार्य पर लेने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की (मार्च 2017 और 2018)। आदेश की शर्त संख्या तीन के अनुसार एक सीएफएस के लिए दो सुरक्षा गार्डों की आवश्यकता थी। यदि सीएफएस कार्यरत नहीं हो तो तदनुसार कार्मिकों के आवंटन में कमी की जानी थी।

परिवहन आयुक्त कार्यालय में संधारित अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि सुरक्षा गार्डो और वाहन चालकों को उपलब्ध करवाने का अनुबंध मैसर्स राजस्थान एक्स सर्विसमैन कॉर्पोरेशन को दिया गया था। ठेकेदार ने अवधि मार्च 2017 से फरवरी 2019 के दौरान सीएफएस के लिए आठ से 10 सुरक्षा गार्ड और दो वाहन चालक उपलब्ध करवाए। लेखापरीक्षा ने देखा कि उस अवधि में किसी भी सीएफएस का गठन नहीं हुआ था। इसलिए, ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाए गए गार्डों और वाहन चालकों की सेवाओं की आवश्यकता नहीं थी और इन कार्मिकों को काम पर रखने से बचा जा सकता था। इसके परिणामस्वरूप इन गार्डों और वाहन चालकों को काम पर रखने से ₹ 34.88 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि इन सुरक्षा गार्डों की सेवाओं का उपयोग अन्य विभागीय गतिविधियों में किया गया था, इसलिए यह व्यय शासकीय कार्यों के सुचारू संचालन के लिए उपयोगी रहा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सुरक्षा गार्ड प्रवर्तन उद्देश्य के लिए काम पर रखे गए थे ना कि कार्यालयीन कार्यों के लिए।

[41] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीः अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, कोटा, जयपुर, जोधपुर, पाली, सीकर और उदयपुर; जिला परिवहन अधिकारीः भीलवाड़ा, चौमूं, डीडवाना, धौलपुर और श्रीगंगानगर।

3.3.21 मानव शक्ति प्रबंधन

विभाग के चयनित संवर्गों के स्वीकृत पदों और कार्यरत व्यक्तियों की स्थिति (2 अप्रैल 2019) दर्शाती है कि परिचालन स्टाफ जैसे अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी, मोटर वाहन निरीक्षक (एमवीआई), मोटर वाहन उपनिरीक्षक (एमवीएसआई) के साथ-साथ सहायक स्टाफ में भी महत्वपूर्ण रिक्तियां विद्यमान थी। स्वीकृत 1,608 पदों के विरुद्ध 1,038 अधिकारी/कर्मचारी कार्य कर रहे थे, लगभग 35 प्रतिशत पद रिक्त थे। इसके अतिरिक्त, वाहन चालकों के संवर्ग में लगभग 90 प्रतिशत पद खाली थे। तथापि, विभाग ने परिचालन सेवाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गार्ड और वाहन चालकों को संविदा पर रखा।

एमवीआई/एमवीएसआई के रिक्त पदों की कमी के होते हुए भी यह देखा गया कि जिला परिवहन अधिकारी, भीलवाड़ा में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए 120 स्लॉटस के लिये एक एमवीआई /एमवीएसआई लगाया गया था, जबकि जिला परिवहन अधिकारी, डीडवाना में 60 स्लॉटस के लिये तीन/दो एमवीआई /एमवीएसआई लगाए गए थे।

इस प्रकार विभाग के समुचित रूप से कार्य संचालन के लिए मानव शक्ति का उचित मूल्यांकन और आवंटन आवश्यक है।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि एमवीएसआई के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही थी और अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के रिक्त पदों को भरने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की समीक्षा बैठक आयोजित करने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग को पत्र लिखे जा चुके थे।

3.3.22 बकाया की अवसूली

विभागीय नियमावली के अनुच्छेद 5.6.7 (एफ) के अनुसार जिला परिवहन अधिकारी, वर्तमान मांग के 95 प्रतिशत तथा बकाया मांग के 80 प्रतिशत की वसूली के लिए उत्तरदायी है।

जिला परिवहन अधिकारी, चौमूं को छोड़कर चयनित परिवहन कार्यालयों में यात्री वाहनों की मांग और संग्रहण पंजिका की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि लेखापरीक्षा की तारीख तक 3,231 प्रकरणों में ₹ 25.35 करोड़ की राशि बकाया थी। इसके आगे यह भी देखा गया कि 1,814 प्रकरणों में ₹ 16.48 करोड़ की राशि पाँच साल से अधिक समय से बकाया थी। तथापि, अभिलेखों में ऐसी बकाया की अवसूली के कारण उपलब्ध नहीं थे।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि कराधान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि पुरानी मांगों को समाप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाऐं और प्रति माह कुछ सीमा तक पुरानी बकाया की वसूली की जाए।

3.3.23 निष्कर्ष और सिफारिशें

विभाग ने वाहन स्वामियों को आसन्न प्रदूषण जांच के बारे में सचेत करने के लिए मोबाईल पर संदेश जारी करना, सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा करवाना, आदि जैसे कुछ सक्रिय कदम उठाये है। तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां विभाग अपनी

कार्यप्रणाली में सुधार कर सकता है । नियमों में निर्धारित कर और शुल्क की कम वसूली/अवसूली रही । विभाग परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण की निगरानी में असफल रहा । राज्य में 12 स्थानों पर यद्यपि स्वचालित ड्राइविंग ट्रैक निर्मित किए गए थे लेकिन चालू नहीं किए गए । लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में कमी पाई गई । निजी फिटनेस केंद्रों और प्रदूषण जांच केंद्रों का निरीक्षण निर्धारित मानदंडों के अनुसार नहीं किया जा रहा था ।

'वाहन' को ई-ग्रास के साथ आंशिक रूप से एकीकृत किया गया था । वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान केवल 2.47 से 11.68 प्रतिशत पीयूसीसी जारी किए गए थे । पुराने वाहनों को हटाने के लिये कार्यवाही नहीं की गई । वर्ष 2017-19 के दौरान सड़क सुरक्षा निधि का उपयोग केवल 11.33 से 41.53 प्रतिशत की सीमा में था ।

इसलिए, सिफारिश की जाती है कि सरकार यह विचार कर सकती है किः

- *परीक्षण को अधिक प्रभावशाली और पारदर्शी बनाने के लिए समस्त परिवहन कार्यालयों मे स्वचालित ड्राइविंग ट्रैक का संचालन प्रारंभ करना;*
- *समय पर पंजीकृत नहीं किए गए वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाना;*
- *जो वाहन स्वामी उत्सर्जन परीक्षण में अयोग्य घोषित होने के बाद निर्धारित समय में पुनः प्रशिक्षण के लिए नहीं आते, उन पर शास्ति लगाने के लिए नियमों में प्रावधान करना;*
- *वाहन स्वामियों को फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट और देय कर की आसन्न समाप्ति के बारे में याद दिलाने के लिए मोबाईल पर संदेश भेजना;*
- *प्रक्रिया पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने और प्रावधान का दुरुपयोग रोकने के लिए कड़े नियमों और विनियमों को बनाकर जैसा कि हरियाणा और कर्नाटक राज्य में उपलब्ध है आरएमवीटी अधिनियम और नियम, 1951 की धारा 4(2) एवं नियम 25 के प्रासंगिक प्रावधानों को निरस्त या संशोधित करना;*
- *सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र का बेहतर उपयोग जैसे समुचित निगरानी के लिए समस्त परमिटों की वाहन में प्रविष्टियां करना, विभागीय सॉफ्टवेयर में कर/शुल्क में संशोधन को वास्तविक समय पर अद्यतन करना, वाहन सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर भुगतान की स्थिति बताना;*
- *अप्रचलित वाहनों के निपटान के लिए स्थानीय निकायों और अन्य विभागों के साथ समन्वय कर एक क्रियाविधि विकसित करना ।*

3.4 एकमुश्त कर की बकाया किश्तों की कम/अवसूली

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4-सी तथा इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गए नियमों के अनुसार परिवहन वाहनों पर एकमुश्त कर का आरोपण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं[42] द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाता है । वाहन स्वामी की इच्छा पर एकमुश्त कर का भुगतान संपूर्ण अथवा छः समान किश्तों में (14 जुलाई 2014 से) एक वर्ष में किया जा सकता है । दिनांक 10 अक्टूबर 2017 तक, एकमुश्त कर पर दस प्रतिशत की दर सें अधिभार भी देय था । इसके उपरान्त अधिसूचना दिनांक 11 अक्टूबर 2017 से अधिभार 12.5 प्रतिशत की दर से देय है । इसके अतिरिक्त, अधिसूचना दिनांक 1 मई 2003 के अनुसार अनुमत्य अवधि की समाप्ति के पश्चात देय कर की रकम के दुगने के अध्यधीन रहते हुए प्रतिमाह या उसके भाग के लिए 1.5 प्रतिशत की दर से

[42] अधिसूचनाएं संख्या 22 दिनांक 16 फरवरी 2006, 22-A दिनांक 9 मार्च 2007, 22-C दिनांक 14 जुलाई 2014 और 22-D दिनांक 8 मार्च 2016

शास्ति भी आरोपित होगी । राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 के नियम 8 एवं 33 कराधान अधिकारी को कर की वसूली हेतु नोटिस देने का अधिकार प्रदान करते है ।

आठ परिवहन कार्यालयों[43] के वर्ष 2014-15 से 2017-18 के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान हमने पाया (जून 2018 और जनवरी 2019 के मध्य) कि 372 परिवहन वाहनों[44] के संबंध में, वाहन स्वामियों द्वारा एकमुश्त कर का भुगतान किश्तों मे करने का विकल्प लिया । तथापि, 75 वाहन स्वामियों ने प्रथम अथवा द्वितीय किश्त का भुगतान करने के पश्चात् शेष किश्तों का भुगतान नहीं किया और 297 वाहन स्वामियों ने किसी भी किश्त का भुगतान नहीं किया । कर खातों या पंजीयन अभिलेखों या *वाहन* सॉफ्टवेयर[45] मे कही भी यह नहीं पाया गया जिससे प्रकट हो कि वाहन अन्य राज्यों को स्थानांतरित हो गए या उन वाहनों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र समर्पित हो गए थे । तथापि, कराधान अधिकारियो ने देय कर की वसूली हेतु कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की । इसके परिणामस्वरूप एकमुश्त कर (अधिभार सहित) तथा शास्ति राशि ₹ 4.09 करोड़ की अवसूली/कम वसूली हुई ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2018 और फरवरी 2019 के मध्य) । सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2019) कि सात क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों[46] द्वारा 85 वाहनों के सम्बन्ध में राशि ₹ 0.73 करोड़ वसूल किये जा चुके है । आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मई 2020) ।

3.5 मोटर वाहनों पर कर की अवसूली

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, की धारा 4 और 4-बी तथा इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गए नियमों के अनुसार सभी मोटर वाहनों, जिनका राज्यों में उपयोग किया गया है अथवा उपयोग हेतु रखे गए हों, पर मोटर वाहन कर एवं विशेष पथकर का आरोपण एवं संग्रहण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से किया जाता है सिवाय उन वाहनों के जिन्होंने धारा 4-सी के अंतर्गत एकमुश्त कर का भुगतान किया है । अधिसूचना दिनांक 9 मार्च 2011 के अनुसार देय कर पर 10 अक्टूबर 2017 तक पांच प्रतिशत की दर से, इसके बाद अधिसूचना दिनांक 11 अक्टूबर 2017 के अनुसार 6.25 प्रतिशत की दर से अधिभार देय होगा । इसके अतिरिक्त, अधिसूचना दिनांक 1 मई 2003 के अनुसार अनुमत्य अवधि की समाप्ति के पश्चात देय कर की रकम के दुगने के अध्यधीन रहते हुए प्रतिमाह या उसके भाग के लिए 1.5 प्रतिशत की दर से शास्ति भी आरोपित होगी । राजस्थान मोटरयान कराधान नियम, 1951 के नियम 8 एवं 33 कराधान अधिकारी को कर की वसूली हेतु नोटिस देने का अधिकार प्रदान करते है ।

सात परिवहन कार्यालयों[47] के वर्ष 2014-15 से 2017-18 के पंजीयन अभिलेखों,कर खातों एवं सामान्य सूची पंजिकाओं एवं वाहन सॉफ्टवेयर की नमूना जांच के दौरान पाया गया

---

[43] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालयः अजमेर और जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयः बूंदी, हनुमानगढ़, जालोर, किशनगढ़, रामगंज मंडी, शाहपुरा (जयपुर) और सवाई माधोपुर

[44] 255 (गुड्स व्हीकल) + 114 (टैक्सी/मैक्सी) + 3 (बस) ।

[45] वाहनों से सम्बंधित लेन-देन के कार्य के लिए VAHAN सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है ।

[46] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी : अजमेर और जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयः किशनगढ़, जालैर, शाहपुरा (जयपुर), बूंदी, सवाई माधोपुर और हनुमानगढ़ ।

[47] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालयः अजमेर और जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयः बूंदी, जालोर, हनुमानगढ़, रामगंज मंडी, शाहपुरा (जयपुर) और सवाई माधोपुर ।

(जून 2018 और फरवरी 2019 के मध्य) कि 504 वाहनों के स्वामियों द्वारा अप्रैल 2014 से मार्च 2018 की अवधि के कर का भुगतान नहीं किया गया था। अभिलेखों में इस तथ्य का कोई साक्ष्य नहीं पाया गया, जो सिद्ध करते हो कि उक्त वाहन सड़क पर नहीं चल रहे थे या अन्य जिले/राज्यों को स्थानांतरित हो गए थे या उनके पंजीकरण प्रमाण-पत्र समर्पित कर दिए गए थे। तथापि, कराधान अधिकारियो द्वारा बकाया कर की वसूली हेतु कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी। इसके परिणामस्वरूप कर (अधिभार सहित) तथा शास्ति ₹ 2.46 करोड़ की अवसूली रही जैसा की नीचे उल्लेख किया गया है:

क्र.सं.	वाहनों की श्रेणी	वाहनों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	कार्यालय का नाम जहाँ अनियमितता पायी गयी
1	माल वाहन	174	0.74	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, अजमेर जिला परिवहन कार्यालय, बूंदी, जालोर, सवाई माधोपुर और रामगंज मंडी
2	परिवर्तित माल वाहन	249	1.03	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, अजमेर जिला परिवहन कार्यालय, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर और शाहपुरा(जयपुर)
3	डम्पर/टिप्पर	81	0.69	जिला परिवहन कार्यालय, बूंदी, जालोर, सवाई माधोपुर और रामगंज मंडी
कुल योग		**504**	**2.46**	

प्रकरणों को विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2018 और मार्च 2019 के मध्य)। सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2019) कि सात क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा 159 वाहनों के संबंध में ₹ 50 लाख की वसूली की जा चुकी है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मई 2020)।

अध्याय–IV

भू–राजस्व

अध्याय- IV : भू-राजस्व

4.1 कर प्रशासन

भूमि का आवंटन एवं भू-राजस्व का निर्धारण एवं संग्रहण, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों से शासित होता है। भू-राजस्व में मुख्यतः भूमि का किराया, लीज किराया, प्रीमियम[1], संपरिवर्तन प्रभार तथा सरकारी भूमि के विक्रय की प्राप्तियां शामिल होती है।

राजस्व विभाग (विभाग), सरकार के प्रशासनिक विभाग की तरह कार्य करता है। राजस्व से संबंधित सभी न्यायिक मामलों, राजस्व अधिकारियों के पर्यवेक्षण एवं निगरानी का समग्र नियंत्रण एवं भू-अभिलेखों का प्रबन्धन राजस्व मण्डल, अजमेर में निहित है। जिला स्तर पर राजस्व मण्डल की सहायता हेतु 33 जिला कलक्टर हैं। इसके अतिरिक्त, जिला कलक्टर की सहायता हेतु उपखण्ड स्तर पर 289 उपखण्ड अधिकारी एवं तहसील स्तर पर 331 तहसीलदार हैं।

4.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा

राजस्व मण्डल के वित्तीय सलाहकार आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह के प्रमुख होते हैं। आन्तरिक लेखापरीक्षा के 18 दल हैं। अवधि 2014-15 से 2018-19 के दौरान निष्पादित की गयी आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति निम्न प्रकार हैः

वर्ष	लेखापरीक्षा के लिये बकाया इकाइयों का प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के लिये बकाया इकाइयां	लेखापरीक्षा के लिये कुल बकाया इकाइयां	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयां	लेखापरीक्षा से शेष इकाइयां	कमी (प्रतिशत में)
2014-15	158	672	830	551	279	34
2015-16	279	809	1,088	883	205	19
2016-17	205	815	1,020	772	248	24
2017-18	248	815	1,063	739	324	30
2018-19	324	816	1,140	942	198	17

स्रोतः राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रदत्त सूचना।

यह देखा गया कि 31 मार्च 2019 तक आन्तरिक लेखापरीक्षा निरीक्षणों के 23,071 अनुच्छेद बकाया थे। बकाया अनुच्छेदों का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार हैः

वर्ष	2013-14 तक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	योग
अनुच्छेद	7,383	767	1,581	2,434	3,666	7,240	**23,071**

स्रोतः राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रदत्त सूचना।

बकाया 23,071 अनुच्छेदों में से 7,383 अनुच्छेद अनुपालना/सुधारात्मक कार्यवाही के अभाव में गत पांच वर्षों से अधिक अवधि से बकाया थे।

[1] यहां प्रीमियम का आशय भूमि की कीमत से है।

विभाग ने बताया कि लेखापरीक्षा से बकाया इकाइयों एवं अनुच्छेदों के निपटान की धीमी गति का कारण मानव संसाधन की कमी तथा वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान लोकसभा तथा विधानसभा चुनावों में स्टाफ की नियुक्ति किया जाना था।

सरकार आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह के सुदृढीकरण तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह द्वारा गठित बकाया आपत्तियों की त्वरित अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु कदम उठा सकती है।

4.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

भू-राजस्व विभाग में लेखापरीक्षा योग्य 692 इकाइयां हैं, इनमें से 105 इकाइयों का नमूना जांच के लिए चयन किया गया (लगभग 15.17 प्रतिशत)। इन चयनित इकाइयों में भूमि के आवंटन, संपरिवर्तन/नियमितीकरण तथा भूमि की लीज इत्यादि के 9,122 प्रकरण निष्पादित हुये, इनमें से 5,154 प्रकरणों का चयन लेखापरीक्षा के लिये किया गया (लगभग 56.50 प्रतिशत)। जांच के दौरान लेखापरीक्षा को 460 मामलों (चयनित मामलों का लगभग 8.93 प्रतिशत) में संपरिवर्तन/नियमितिकरण, आवंटन, लीज, इत्यादि से संबंधित राशि ₹ 37.29 करोड़ की अनियमितताओं का पता चला। लेखापरीक्षा को 283 मामलों में राशि ₹ 0.62 करोड़ के व्यय से संबंधित अनियमितताओं का भी पता चला।

ये मामले उदाहरण मात्र हैं क्योंकि ये अभिलेखों की नमूना जांच पर आधारित हैं। समान प्रकृति की कुछ त्रुटियां लेखापरीक्षा द्वारा पिछले वर्षों में भी ध्यान में लायी गयी थीं, ना केवल ये अनियमिततायें बनी रही अपितु अगली लेखापरीक्षा होने तक उजागर नहीं हो पायीं। इस प्रकार ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार को आन्तरिक लेखापरीक्षा के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। पायी गयी अनियमितताएं मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1	आवंटित भूमि के प्रीमियम एवं लीज किराये की अवसूली/कम वसूली	29	32.54
2	खातेदारों से संपरिवर्तन/नियमितीकरण प्रभारों की अवसूली/कम वसूली	387	4.53
3	सरकार को भूमि के प्रत्यावर्तन का अभाव	22	0.17
4	अन्य अनियमितताओं से संबंधित		
	(i) राजस्व	22	0.05
	(ii) व्यय	283	0.62
योग		**743**	**37.91**

वर्ष 2018-19 के दौरान विभाग ने 737 प्रकरणों में निहित राशि ₹ 23.60 करोड़ के लेखापरीक्षा आक्षेपों को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 1.39 करोड़ के 81 प्रकरण वर्ष 2018-19 में बताये गये तथा बाकी पूर्व के वर्षों में बताये गये थे। विभाग ने वर्ष 2018-19 के दौरान 605 प्रकरणों में ₹ 1.01 करोड़ वसूल किए, जिनमें से ₹ 0.11 करोड़ के 23 प्रकरण वर्ष 2018-19 से संबंधित थे तथा बाकी पूर्व के वर्षों में बताये गये थे।

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये जाने (मई 2019) के उपरान्त "**जिला स्तरीय समिति की पुरानी दरें लागू किये जाने के परिणामस्वरूप भूमि की कीमत का कम आरोपण**" के एक

प्रकरण (जिला कलक्टर सीकर से संबंधित) में सम्पूर्ण राशि ₹ 22.56 लाख राज्य सरकार द्वारा स्वीकार एवं वसूल की गयी। इस अनुच्छेद की चर्चा प्रतिवेदन में नहीं की गई है।

उदाहरणस्वरूप कुछ प्रकरण जिनमें राशि ₹ 3.98 करोड़ निहित है, की चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गई है।

4.4 अधिनियम/नियमों के प्रावधानों की अनुपालना का अभाव

भूमि का आवंटन एवं संपरिवर्तन राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के साथ-साथ सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के प्रावधानानुसार होता है।

तीन जिला कलक्टरों[2] के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने गलत दरें लागू किये जाने तथा कृषि भूमि का अनाधिकृत रूप से अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग के परिणामस्वरूप भूमि की कीमत एवं नियमितिकरण प्रभारों का कम आरोपण पाया। ये प्रकरण उदाहरण मात्र हैं क्योंकि ये अभिलेखों की नमूना जांच पर आधारित हैं। ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार को विभाग में विद्यमान आन्तरिक नियंत्रण में सुधार करने की आवश्यकता है। वर्ष 2018-19 में देखे गये कुछ प्रकरण, जिनमें राशि ₹ 3.98 करोड़ निहित है, नीचे बताये गये हैः

क.सं.	विवरण	सरकार का उत्तर
1	**नियमितीकरण प्रभारों का कम आरोपण** एक कम्पनी ने तहसील निवाई (टोंक) के गांव गुन्सी में स्थित 6.14 बीघा (16,946.17 वर्गमीटर) कृषि भूमि के आवासीय कॉलोनी प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हेतु आवेदन किया (जून 2013)। इस संबंध में उपखण्ड कार्यालय निवाई ने प्रतिवेदित किया (फरवरी 2014) कि भूमि पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है तथा भूखण्डों हेतु सीमांकन भी किया गया है, इसलिए भूमि का संपरिवर्तन नियम 13 के अन्तर्गत किया जाना चाहिए। तदनुसार सक्षम प्राधिकारी ने संपरिवर्तन प्रभार ₹ 7.74 लाख[3] आरोपित एवं वसूल किये तथा संपरिवर्तन आदेश जारी किया (दिसम्बर 2015)। सक्षम प्राधिकारी ने संपरिवर्तन प्रभारों की गणना के लिये जिला स्तरीय समिति की गलत दरें प्रयुक्त की (₹ 3.85 लाख प्रति बीघा)। संपरिवर्तन प्रभारों का आरोपण एवं वसूली भूमि के लिए लागू तत्समय जिला स्तरीय समिति की दरें[4] जो कि ₹ 11 लाख प्रति बीघा थी, पर किया जाना चाहिए था। इसलिए, संपरिवर्तन प्रभार ₹ 22.11 लाख[5] आरोपित एवं वसूल किये जाने चाहिए थे। इस प्रकार, जिला स्तरीय समिति की गलत दरें लागू करने के परिणामस्वरूप संपरिवर्तन प्रभार ₹ 14.37 लाख[6] का कम आरोपण एवं वसूली की गयी।	सरकार ने उत्तर में बताया (अगस्त 2019) कि संबंधित को वसूली के लिए नोटिस जारी किया गया तथा संबंधित अधिकारी को अनुपालना/ वसूली के लिए निर्देशित किया गया है, इस प्रकार वसूली प्रक्रियाधीन है। वसूली की प्रगति अपेक्षित रही (मई 2020)।
2	**गलत दरें लागू करने के परिणामस्वरूप भूमि की कीमत का कम आरोपण** भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को तहसील बाप (जोधपुर) के गांव खीरवा में स्थित 10 बीघा (1,74,240 वर्गफीट) राजकीय भूमि टोल प्लाजा के निर्माण हेतु आवंटित की गयी (मार्च 2018)। आवंटन प्राधिकारी ने राज्य सरकार से भूमि के आवंटन की कीमत के संबंध में स्पष्टीकरण का आग्रह किया (नवम्बर 2017)। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया (जनवरी 2018) कि भूमि का आवंटन केवल तब जब वह वाणिज्यिक गतिविधि हेतु उपयोग में नहीं ली जाये, निःशुल्क	विभाग ने उत्तर में बताया (जनवरी 2020) कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को टोल प्लाजा के निर्माण हेतु राजकीय भूमि का आवंटन जिला स्तरीय समिति की दरों (कृषि भूमि हेतु लागू) पर

2 जयपुर, जोधपुर तथा टोंक।

3 ₹ 7.74 लाखः 16,946.17 वर्गमीटर X ₹ 11.4169 प्रति वर्गमीटर (जिला स्तरीय समिति की कृषि भूमि के लिए लागू दरों (₹ 3.85 लाख प्रतिबीघा) का 7.50 प्रतिशत X 4 गुणा।

4 टोंक जिला स्तरीय समिति ने तहसील निवाई में स्थित कृषि भूमि की दरें 29 दिसम्बर 2014 को संशोधित की।

5 ₹ 3.14 करोड़ः 16,946.17 वर्गमीटर X ₹ 32.6179 प्रति वर्गमीटर (जिला स्तरीय समिति की कृषि भूमि के लिए लागू दरों (₹ 11 लाख प्रतिबीघा) का 7.50 प्रतिशत X 4 गुणा।

6 ₹ 14.37 लाखः ₹ 22.11 लाख (-) ₹ 7.74 लाख।

	किया जाये । तथापि हमने पाया कि आवंटन प्राधिकारी ने भूमि की कीमत जिला स्तरीय समिति की कृषि भूमि की दरों से मात्र ₹ 13.20 लाख[7] वसूल किये । यद्यपि, भूमि का आवंटन वाणिज्यिक गतिविधि यथा टोल प्लाजा के संचालन हेतु किया गया, इसलिए, जिला स्तरीय समिति की प्रचलित वाणिज्यिक दरों से भूमि की कीमत, ₹ 3.14 करोड़[8] वसूल की जानी चाहिए थी । प्रकरण में राज्य सरकार के स्पष्टीकरण के बावजूद आवंटन प्राधिकारी द्वारा कृषि भूमि हेतु जिला स्तरीय समिति की दरें लागू करने की कार्यवाही के परिणामस्वरूप ₹ 3.01 करोड़[9] का कम आरोपण एवं कम वसूली हुई ।	किया जाना उचित है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण जनहित में किया जाता है तथा इससे लाभ अर्जित करने का उद्देश्य नहीं होता है । राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल शुल्क का संग्रहण प्रदान की गई सेवाओं के बदले किया जाता है जो कि वाणिज्यिक गतिविधि होना प्रतीत नहीं होता है । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण एक कम्पनी है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 के खण्ड 10 के अनुसार प्राधिकरण वाणिज्यिक सिद्धान्तों पर कार्य करेगा तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की वेबसाईट के अनुसार भी टोल शुल्क का संग्रहण एक वाणिज्यिक गतिविधि है । इसलिए, टोल प्लाजा के निर्माण हेतु आवंटित भूमि की कीमत वाणिज्यिक दरों से वसूल की जानी चाहिए । आगामी प्रगति तथा सरकार का उत्तर प्रतीक्षित रहा (मई 2020) ।
3	**कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ अनाधिकृत उपयोग** जिला कलक्टर कार्यालय जयपुर के चार प्रकरणों में कृषि भूमि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना अकृषि प्रयोजनार्थ यथा आवासीय उपयोग में ली जा रही थी । जांच में पता चला कि चार विकासकर्ताओं ने 2,68,221 वर्गमीटर कृषि भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हेतु आवेदन किया तथा संपरिवर्तन प्रभार ₹ 13.35 लाख जमा करवाये । अभिलेखों की जांच मे पता चला कि सक्षम प्राधिकारी ने, विकासकर्ता द्वारा आवेदन वापस लिये जाने पर (एक प्रकरण), भूमि का स्वामित्व स्पष्ट न होने पर (एक प्रकरण) तथा आवेदकों द्वारा आवश्यक सूचना की अनुपालना के अभाव में (दो प्रकरण) आवेदन निरस्त कर दिये थे (अप्रैल 2017 से फरवरी 2018 के मध्य) । संबंधित तहसीलदारों द्वारा प्रदत्त प्रतिवेदनों (जनवरी 2019 से फरवरी 2019 के मध्य) के अनुसार सभी चारों प्रकरणों में कृषि भूमियों पर आवासीय कॉलोनियां विकसित कर ली गई थी । इनमें से एक प्रकरण में बिना संपरिवर्तन के आवासीय भू-खण्ड बेचे जा रहे थे । यद्यपि, अनुमति प्रदान नहीं की गई थी फिर भी विकासकर्ता भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले रहे थे । तथापि, सक्षम प्राधिकारी ने ना तो संपरिवर्तन प्रभारों की वसूली और ना ही उन्हें भूमि से बेदखल करने हेतु कोई कार्यवाही शुरू की । इसके परिणामस्वरूप संपरिवर्तन प्रभार ₹ 83.22 लाख का कम आरोपण रहा ।	 सरकार ने उत्तर में बताया (दिसम्बर 2019) कि तीन प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों को खातेदारों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं । शेष एक प्रकरण में कहा कि मौका निरीक्षण के अनुसार भूमि पर कोई निर्माण नहीं है/अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं हुआ है । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आवासीय भूखण्ड बेचे जा रहे थे, इसलिए, इसे आवासीय माना जाना चाहिए अर्थात् भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा था । आगामी प्रगति प्रतीक्षित रही (मई 2020) ।

[7] ₹ 13.20 लाखः 10 बीघा X ₹ 1.32 लाख प्रति बीघा ।

[8] ₹ 3.14 करोड़ः 1,74,240 वर्गफीट X ₹ 180 प्रति वर्गफीट ।

[9] ₹ 3.01 करोड़ः ₹ 3.14 करोड़ (-) ₹ 13.20 लाख ।

अध्याय–V

मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

अध्याय- V : मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

5.1 कर प्रशासन

राज्य में मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क से प्राप्तियां पंजीयन अधिनियम 1908, राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा विनियमित होती हैं। राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 3 के अनुसार अधिनियम की अनुसूची में वर्णित दर के अनुसार प्रत्येक दस्तावेज पर मुद्रांक कर प्रभार्य है। दस्तावेजों के निष्पादन पर मुद्रांक कर उदग्रहणीय है तथा दस्तावेजों के पंजीयन पर पंजीयन शुल्क देय है। 9 मार्च 2011 से मुद्रांक कर पर सरचार्ज भी प्रभार्य है।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग (विभाग), वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। विभाग के प्रमुख महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक है। प्रशासनिक मामलों में दो अतिरिक्त महानिरीक्षक एवं वित्तीय मामलों में एक वित्तीय सलाहकार इनकी सहायता करते है। इसके अलावा एक अतिरिक्त महानिरीक्षक, जयपुर को मुख्य सतर्कता अधिकारी का कार्य सौंपा गया है। सम्पूर्ण राज्य को 18 वृत्तों में विभाजित किया गया है जिनके प्रमुख उप महानिरीक्षक सह पदेन कलक्टर (मुद्रांक) होते हैं। कुल 114 उप पंजीयक तथा 415[1] पदेन[2] उप पंजीयक हैं।

5.2 विभाग द्वारा की गई आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग में वित्तीय सलाहकार के प्रभार में एक आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह है। यहां छः आंतरिक लेखापरीक्षा दल हैं। इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु योजना उनके महत्व एवं राजस्व प्राप्तियों के आधार पर बनायी जाती है। वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान की गई आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थिति निम्न प्रकार थीः

वर्ष	लेखापरीक्षा के लिए कुल बकाया इकाइयां	कुल लेखापरीक्षित इकाइयां	लेखापरीक्षा से शेष रही इकाइयां	कमी (प्रतिशत में)
2014-15	523	267	256	49
2015-16	523	180	343	66
2016-17	527	109	418	79
2017-18	340	81	259	76
2018-19	573	137	436	76

स्रोतः महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, अजमेर द्वारा प्रदत्त सूचना।

वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु कुल बकाया इकाइयों की व्याप्ति में 49 प्रतिशत से 79 प्रतिशत की कमी रही। विभाग ने बताया कि पदों की कमी तथा स्टाफ को वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान विधानसभा तथा लोकसभा चुनावों में पदस्थापित किये जाने के कारण इकाइयां लेखापरीक्षा से शेष रही।

यह पाया गया कि वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 8,789 अनुच्छेद बकाया थे। आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार हैः

वर्ष	2013-14 तक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	योग
अनुच्छेद	6,276	81	452	416	529	1,035	**8,789**

स्रोतः महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, अजमेर द्वारा प्रदत्त सूचना।

1 महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक के प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 के अनुसार।

2 तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को पदेन उप पंजीयक घोषित किया गया है।

अनुपालना/सुधारात्मक कार्यवाही के अभाव में 8,789 अनुच्छेदों में से 6,276 अनुच्छेद पांच वर्ष से भी अधिक समय से बकाया थे। विभाग ने बताया कि एक अनुच्छेद में आक्षेपित सभी दस्तावेजों में पूर्ण वसूली नहीं होने पर, चाहे एक ही आक्षेपित दस्तावेज में वसूली बकाया हो, अनुच्छेद बकाया रहता है जो कि निपटान में धीमी गति का कारण है।

सरकार आंतरिक लेखापरीक्षा समूह द्वारा गठित बकाया आपत्तियों की त्वरित अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु कदम उठा सकती है।

5.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में 547 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां[3] है, इनमें से वर्ष 2018-19 में नमूना जांच हेतु 100 इकाइयों (लगभग 18 प्रतिशत) का चयन किया गया, जहां पर 6,29,165 दस्तावेज पंजीबद्ध हुये, इनमें से 3,32,151 दस्तावेजों (कुल दस्तावेजों का लगभग 53 प्रतिशत) का नमूना जांच[4] हेतु चयन किया गया। जांच के दौरान, लेखापरीक्षा को 1,413 दस्तावेजों में ₹ 42.46 करोड़ के मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की अप्राप्ति/कम प्राप्ति का पता चला। लेखापरीक्षा को छः प्रकरणों में राशि ₹ 5.90 करोड़ की व्यय से संबंधित अनियमितताओं का भी पता चला।

ये प्रकरण उदाहरण मात्र हैं क्योंकि ये अभिलेखों की नमूना जांच पर आधारित हैं। समान प्रकृति की कुछ त्रुटियां लेखापरीक्षा द्वारा पिछले वर्षों में भी ध्यान में लायी गयी थीं, ना केवल ये अनियमिततायें बनी रहीं, तथापि, आगामी लेखापरीक्षा होने तक उजागर नहीं हो पायीं। इस प्रकार, ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार को आंतरिक लेखापरीक्षा के सुदृढीकरण के साथ-साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। पायी गयी अनियमिततायें मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	सम्पत्तियों के बाजार मूल्य का गलत निर्धारण	821	9.76
2	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण	457	24.76
3	अन्य अनियमितताएं:		
	(i) राजस्व से संबंधित	135	7.94
	(ii) व्यय से संबंधित	06	5.90
	योग	**1419**	**48.36**

वर्ष 2018-19 के दौरान विभाग द्वारा 2,806 प्रकरणों में राशि ₹ 61.65 करोड़ के अवमूल्यांकन एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया गया, इसमें से राशि ₹ 14.14 करोड़ के 455 प्रकरण वर्ष 2018-19 के दौरान बताये गये तथा शेष पूर्व के वर्षों में बताये गये थे। विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान 2,175 प्रकरणों में राशि ₹ 6.87 करोड़ की वसूली की गयी, इसमें से राशि ₹ 0.07 करोड़ के 41 प्रकरण वर्ष 2018-19 से संबंधित थे तथा शेष पूर्व वर्षों से संबंधित थे।

[3] लेखापरीक्षा योग्य 547 इकाइयां: लेखापरीक्षा योजना के अनुसार 527 उप पंजीयक (पंजीयक अधिकारी) एवं 20 प्रशासनिक कार्यालय।

[4] अवधि 2014-18 के अभिलेखों की जांच की गई।

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये जाने (फरवरी 2019) के उपरान्त "**कम्पनियों के समामेलन पर सरचार्ज का अनारोपण**" के एक प्रकरण (उप पंजीयक कोटपूतली से संबंधित) में सम्पूर्ण राशि ₹ 2.50 करोड़ राज्य सरकार द्वारा स्वीकार एवं वसूल की गयी । इस अनुच्छेद की चर्चा प्रतिवेदन में नहीं की गयी है ।

उदाहरणस्वरूप कुछ प्रकरण, जिनमें राशि ₹ 17.82 करोड़ निहित है, की चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गयी है ।

5.4 मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की कम वसूली

किसी भी दस्तावेज के पंजीयन के समय निष्पादकों द्वारा सम्पत्ति के बारे में जानकारी यथा, हस्तान्तरण की विषय वस्तु, स्थान, क्षेत्र, उपयोग की प्रकृति, कर को प्रभावित करने वाले अन्य कोई भी तथ्य, इत्यादि, निर्धारित चैक लिस्ट में प्रस्तुत करनी होती है । उप पंजीयक द्वारा मुद्रांक कर के सही निर्धारण के लिए दस्तावेज के विवरण में निहित तथ्यों के साथ प्रस्तुत चैक लिस्ट की भी समीक्षा की जानी चाहिए ।

23 उप पंजीयक कार्यालयों[5] के अभिलेखों की नमूना जांच (सितम्बर 2017 से मई 2019 के मध्य) के दौरान यह देखा गया कि कृषि/आवासीय/विवाह स्थल/व्यावसायिक/सांस्थानिक भूमि से संबंधित 104 दस्तावेज विक्रय विलेख/लीज दस्तावेज/दान दस्तावेज/खनन पट्टा/बंधक पत्र/हकत्याग दस्तावेज/विक्रय पत्र के रूप में पंजीबद्ध थे । इन दस्तावेजों में या तो पूरी जानकारी चैकलिस्टों में नहीं दी गई थी या दस्तावेजों के विवरण में तथ्यों का उल्लेख तो किया गया था लेकिन 'ई-पंजीयन' में गलत सूचनायें इन्द्राज की गयी थी । इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 17.82 करोड़ के मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क का कम आरोपण/अनारोपण हुआ जिसकी चर्चा निम्न तालिका में की गई है:

क्र.सं.	विवरण	सरकार का उत्तर
1	**अचल संपत्तियों का अवमूल्यांकन** कृषि/आवासीय/औद्योगिक/वाणिज्यिक भूमियों/विवाह स्थल से संबंधित 34 दस्तावेज 13 उप पंजीयकों[6] के यहां विक्रय विलेखों/लीज दस्तावेजों/उपहार विलखों/खनन पट्टों के रूप में पंजीबद्ध हुये (जून 2016 से मार्च 2018 के मध्य) । इन दस्तावेजों की जांच में पता चला कि संबंधित पंजीयन प्राधिकारियों ने संपत्तियों के बाजार मूल्य का निर्धारण ₹ 71.11 करोड़ के स्थान पर ₹ 30.70 करोड़ किया । यह त्रुटि, राशि ₹ 1.11 करोड़ के 13 दस्तावेजों में संपत्ति के गलत वर्गीकरण, एक दस्तावेज राशि ₹ 0.15 करोड़ में निर्माण की लागत को शामिल नहीं करने तथा राशि ₹ 1.16 करोड़ के 20 दस्तावेजों में जिला स्तरीय समिति की गलत दरें लागू करने के कारण रही । इस कारण से पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा ₹ 4.14 करोड़[7] के स्थान पर ₹ 1.72 करोड़[8] मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क का आरोपण किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.42 करोड़ के मुद्रांक कर,	सरकार ने उत्तर में बताया (मई 2019 तथा सितम्बर 2019) कि एक दस्तावेज (उप पंजीयक पाली-I) में संपूर्ण आक्षेपित राशि ₹ 11.48 लाख वसूल कर ली गयी है, दो दस्तावेजों में आक्षेपित राशि ₹ 5.19 लाख के विरूद्ध ₹ 2.15 लाख वसूल कर ली गयी है तथा शेष राशि की वसूली हेतु प्रयास जारी हैं । 17 दस्तावेजों में निष्पादकों को वसूली हेतु नोटिस जारी किये गये हैं जबकि शेष 14 दस्तावेजों में कलक्टर (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज कर लिये गये

[5] अजमेर-I, अटरू (बारां), बारां, बहरोड़, भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़, चौमूं, जयपुर-II, III, IV एवं IX, कोटा-II, नसीराबाद, नीमराणा, पाली-I, पुष्कर, सांचौर, सांगानेर-I एवं II, सायला, तिजारा, उदयपुर-I एवं II ।

[6] उप पंजीयकः अजमेर-I (तीन प्रकरण), अटरू (बारां) (एक प्रकरण), बहरोड़ (अलवर) (दो प्रकरण), पाली-I (एक प्रकरण), जयपुर-II (दो प्रकरण), जयपुर-IX (सात प्रकरण), नसीराबाद (एक प्रकरण), नीमराणा (अलवर) (एक प्रकरण), सांगानेर-I (एक प्रकरण), सांगानेर-II (दो प्रकरण), सायला (जालौर) (एक प्रकरण), उदयपुर-I (आठ प्रकरण) तथा उदयपुर-II (चार प्रकरण) ।

[7] ₹ 1.72 करोड़: मुद्रांक कर ₹ 1.20 करोड़, सरचार्ज ₹ 23.84 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 28.23 लाख ।

[8] ₹ 4.14 करोड़: मुद्रांक कर ₹ 2.94 करोड़, सरचार्ज ₹ 58.94 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 60.80 लाख ।

	सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क का कम आरोपण हुआ।	हैं। आगामी प्रगति प्रतीक्षित रही (मई 2020)।
2	**अचल संपत्तियों का हस्तान्तरण** कृषि उपज मंडियों में स्थित दुकानों से संबंधित अचल संपत्तियों के 10 दस्तावेज दो उप पंजीयकों[9] के यहां लीज दस्तावेजों के रूप में पंजीबद्ध (अप्रैल 2016 से अक्टूबर 2017 के मध्य) थे। लीज दस्तावेजों की जांच में पता चला कि शुरूआत में दुकानें कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा 10 आवंटियों (प्रथम आवंटियों) को आवंटित की गयी थी। प्रथम आवंटियों द्वारा बाद में आपसी सहमति के आधार पर ये दुकाने दूसरों (अगले आवंटियों) को हस्तान्तरित कर दी गयी। तथापि, अभिलेखों में यह नहीं पाया गया कि संपत्तियों के हस्तान्तरण से संबंधित ये दस्तावेज पंजीबद्ध थे तथा इन पर उचित मुद्रांक कर अदा कर दिया गया था। आपसी सहमति के आधार पर अचल संपत्तियों के हस्तान्तरण को कन्वैन्स के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। जिसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 55.44 लाख[10] का अनारोपण रहा।	सरकार ने उत्तर में बताया (मई 2019) कि निष्पादकों को वसूली हेतु नोटिस जारी कर दिये गये हैं। वसूली की आगामी प्रगति प्रतीक्षित रही (मई 2020)।
3	**मुख्तयारनामा** उप पंजीयक तिजारा (अलवर) के यहां निष्पादित (मई 2017) एक विक्रय विलेख के साथ एक मुख्तयारनामा संलग्न था। विक्रय विलेख, पंजीबद्ध मुख्तयारनामा के आधार पर पंजीबद्ध था। पंजीबद्ध मुख्तयारनामा तथा विक्रय विलेख की जांच में पता चला कि मुख्तयारनामा का निष्पादन एक व्यक्ति द्वारा एक कम्पनी के पक्ष में किया गया था (मई 2016) जिस पर संपत्ति के बाजार मूल्य पर दो प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 8.32 लाख[11] वसूलनीय था। तथापि, पंजीयन प्राधिकारी ने मात्र पंजीयन शुल्क ₹ 10 हजार आरोपित एवं वसूल किये। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर तथा सरचार्ज ₹ 8.22 लाख[12] का अनारोपण रहा।	सरकार ने उत्तर में बताया (मई 2019) कि प्रकरण में निष्पादक को वसूली हेतु नोटिस जारी कर दिया गया है। वसूली की आगामी प्रगति प्रतीक्षित रही (मई 2020)।
4	**बंधक पत्र** उप पंजीयक, पुष्कर (अजमेर) के यहां तीन दस्तावेज एक राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिये बंधक पत्रों के रूप में पंजीबद्ध (जून 2017) थे। बंधक पत्रों की जांच में पता चला कि इनका निष्पादन चालू ऋण में बढ़ोत्तरी के लिये किया गया था जिस पर अग्रेतर सुरक्षित की गई राशि (अग्रेतर ऋण राशि ₹ 72 करोड़) पर 0.15 प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर ₹ 13.71 लाख[13] वसूलनीय था। तथापि, पंजीयन प्राधिकारी ने बंधक संपत्ति के बाजार मूल्य (₹ 9.17 करोड़) पर 0.15 प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर ₹ 2.40 लाख[14] आरोपित एवं वसूल किये। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर तथा सरचार्ज ₹ 11.31 लाख[15] का कम आरोपण रहा।	सरकार ने उत्तर में बताया (मई 2018) कि निष्पादकों को वसूली हेतु नोटिस जारी कर दिये गये हैं। वसूली की आगामी प्रगति प्रतीक्षित रही (मई 2020)।
5	**हकत्याग दस्तावेज** उप पंजीयक, सांगानेर-II (जयपुर) के यहां दो दस्तावेज संबंधियों को पैतृक संपत्ति के हकत्याग करने हेतु हकत्याग दस्तावेजों के रूप में पंजीबद्ध (जून 2017 तथा जुलाई 2017) थे। अग्रेतर जांच में पता चला कि पैतृक संपत्तियों का हकत्याग उन संबंधियों को किया गया जिनका उल्लेख राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 48(अ) में नहीं किया गया था। चूंकि हकत्याग दस्तावेजों का निष्पादन उन संबंधियों के पक्ष में किया गया जिनका उल्लेख अधिनियम में नहीं था अतः रियायती दरें लागू नहीं की जानी चाहिए थी	सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई 2019) कि कलक्टर (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज कर लिये गये हैं। आगामी प्रगति प्रतीक्षित रही (मई 2020)।

[9] उप पंजीयकः बारां तथा कोटा-II

[10] ₹ 55.44 लाखः मुद्रांक कर ₹ 39.82 लाख, सरचार्ज ₹ 7.65 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 7.97 लाख।

[11] ₹ 8.32 लाखः मुद्रांक कर ₹ 6.85 लाख, सरचार्ज ₹ 1.37 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 0.10 लाख।

[12] ₹ 8.22 लाखः मुद्रांक कर ₹ 6.85 लाख तथा सरचार्ज ₹ 1.37 लाख।

[13] ₹ 13.71 लाखः मुद्रांक कर ₹ 10.80 लाख, सरचार्ज ₹ 2.16 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 0.75 लाख।

[14] ₹ 2.40 लाखः मुद्रांक कर ₹ 1.38 लाख, सरचार्ज ₹ 0.27 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 0.75 लाख।

[15] ₹ 11.31 लाखः मुद्रांक कर ₹ 9.42 लाख तथा सरचार्ज ₹ 1.89 लाख।

	तथा राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 48 (ब) के अनुसार हकत्याग किये गये हिस्से के बाजार मूल्य के बराबर राशि पर कन्वैन्स की दर से मुद्रांक कर राशि ₹ 15.16 लाख[16] वसूल किये जाने चाहिए थे। तथापि, पंजीयन प्राधिकारी ने अनियमित रूप से रियायती दरों का लाभ पहुंचाया तथा मुद्राक कर के मात्र ₹ 0.13 लाख[17] वसूल किये। जिसके परिणामस्वरूप, मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 15.03 लाख[18] का कम आरोपण रहा।	
6	**अपंजीबद्ध अनुबंधों के माध्यम से अचल संपत्तियों का हस्तान्तरण** दो तहसीलों[19] (उप पंजीयक, चौमूं (जयपुर) तथा जयपुर-III) में स्थित 2,45,821 वर्गमीटर कृषि भूमि एक गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा अपंजीबद्ध अनुबंधों के माध्यम से क्रय की गयी (नवम्बर 2012 से मार्च 2016 के मध्य) थी। ये अनुबंध पंजीयन अधिनियम की धारा 17 एवं राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 21 के अनुसार पंजीबद्ध किये जाने चाहिए थे। तथापि, क्षेत्रीय लेखापरीक्षक, सहकारी समितियां, लोक कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी के रूप में इस अनियमितता को उजागर करने में असफल रहे तथा इस मामले को कलक्टर (मुद्रांक) को भी संदर्भित नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप इन संपत्तियों के बाजार मूल्य ₹ 28.35 करोड़[20] पर पांच प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 1.96 करोड़ का अनारोपण रहा।	सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई 2019) कि कलक्टर (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज कर लिये गये हैं। आगामी प्रगति प्रतीक्षित रही (मई 2020)।
7	**अचल संपत्तियों के विभाजन विलेख** उप पंजीयक उदयपुर-II के यहां अचल संपत्तियों के विक्रय विलेख से संबंधित चार दस्तावेज पंजीबद्ध (जून 2017 से मार्च 2018 के मध्य) थे। इन विक्रय विलेखों के विवरणों की जांच में पता चला कि ये संपत्तियां सह भागीदारों द्वारा संयुक्त रूप से क्रय की गयी थी। इसके पश्चात् विभाजन विलेखों का निष्पादन किया जाकर (दिसम्बर 2011 से सितम्बर 2016 के मध्य) संयुक्त संपत्तियों में से हिस्सों को अलग किया गया। इसके पश्चात् संपत्तियों के स्वामियों ने विक्रय विलेखों के माध्यम से व्यक्तिगत क्षमता में इन्हें बेच दिया। विभाजन विलेख पंजीबद्ध थे इसे दर्शाने के लिए अभिलेखों में कुछ नहीं था, यद्यपि प्रत्येक पर मुद्रांक कर ₹ 100 अदा किये गये। तथापि, विक्रय विलेखों के पंजीयन के समय पंजीयन प्राधिकारी इस अनियमितता को पकड़ने में असमर्थ रहे तथा इन विभाजन विलेखों पर मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क का आरोपण नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर ₹ 73.96 लाख[21] का अनारोपण रहा।	सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई 2019) कि निष्पादकों को वसूली हेतु नोटिस जारी कर दिये गये हैं। आगामी प्रगति प्रतीक्षित रही (मई 2020)।
8	**विक्रय प्रमाण पत्र** उप पंजीयक, भिवाड़ी के यहां चार दस्तावेज विक्रय पत्र के रूप में पंजीबद्ध (दिसम्बर 2017 से मार्च 2018 के मध्य) थे। अभिलेखों की जांच में पता चला कि ये विक्रय पत्र बाकीदारों द्वारा ऋण अदा नहीं किये जाने पर उनकी संपत्तियों को नीलाम किये जाने पर क्रेताओं के पक्ष में बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी किये गये थे। पंजीयन प्राधिकारी ने रूग्ण एन्टरप्राइजेज के प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण को सुनिश्चित किये बिना ही क्रेताओं को मुद्रांक कर में पूर्ण छूट प्रदान की। प्रमाण पत्रों के अभाव में मुद्रांक कर में दी गई छूट अनियमित थी। पंजीयन प्राधिकारी ने दस्तावेजों के पंजीयन के समय इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया तथा मात्र पंजीयन शुल्क ₹ 5.44 लाख का आरोपण	सरकार ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2019) कि दो दस्तावेजों में संपूर्ण आक्षेपित राशि ₹ 8.48 लाख वसूल कर ली गई है जबकि बाकी दो दस्तावेजों में कलक्टर (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज कर लिये गये हैं। आगामी प्रगति प्रतीक्षित रही (मई 2020)।

[16] ₹ 15.16 लाखः मुद्रांक कर ₹ 10.45 लाख, सरचार्ज ₹ 2.09 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 2.62 लाख।

[17] ₹ 0.13 लाखः मुद्रांक कर ₹ 0.10 लाख, सरचार्ज ₹ 0.02 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 0.01 लाख।

[18] ₹ 15.03 लाखः मुद्रांक कर ₹ 10.35 लाख, सरचार्ज ₹ 2.07 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 2.61 लाख।

[19] तहसीलः चौमूं तथा जयपुर।

[20] संबंधित जिला स्तरीय समितियों द्वारा इन क्षेत्रों के लिये निर्धारित दरें, 15 मई 2017, 22 मई 2017 तथा 17 फरवरी 2018 से प्रभावी।

[21] ₹ 73.96 लाखः मुद्रांक कर ₹ 61.30 लाख, सरचार्ज ₹ 12.26 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 0.40 लाख।

	किया । मुद्रांक कर में अनियमित छूट के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर तथा सरचार्ज ₹ 33.50 लाख[22] का अनारोपण रहा ।	
9	**विकासकर्ता अनुबंध** दो उप पंजीयकों[23] के यहां अचल संपत्तियों से संबंधित दो दस्तावेज विक्रय विलेख/लीज दस्तावेज के रूप में पंजीबद्ध (मई 2017 तथा जून 2017) थे । इन विलेखों के वृतांत की जांच में पता चला कि संपत्तियों पर आवासीय तथा वाणिज्यिक भवन/कॉम्पलैक्स के निर्माण हेतु संपत्तियों के स्वामियों तथा विकासकर्ताओं के मध्य अनुबंधों का निष्पादन (अप्रैल 2006 तथा सितम्बर 2017) हुआ था । इन अनुबंधों के पंजीयन से संबंधित तथ्य ना तो विक्रय/लीज दस्तावेजों में उल्लेखित थे ना ही सुलभ संदर्भ हेतु इन पंजीबद्ध दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न थी । इस प्रकार, अभिलेखों में कहीं भी उल्लेख नहीं था कि ये विकासकर्ता अनुबंध पंजीकृत और मुद्रांकित थे । इसलिए, इन विकासकर्ता अनुबंधों के अपंजीयन के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर ₹ 1.29 करोड़ का अनारोपण रहा ।	सरकार ने उत्तर में बताया (अगस्त 2019) कि दोनों दस्तावेजों में कलक्टर (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज कर लिये गये हैं । आगामी प्रगति प्रतीक्षित रही (मई 2020) ।
10	**लीज दस्तावेज** तीन उप पंजीयकों[24] के यहां अचल संपत्तियों से संबंधित छः दस्तावेज लीज दस्तावेजों के रूप में पंजीबद्ध (जून 2017 से दिसम्बर 2017 के मध्य) थे । लीज दस्तावेजों के विवरणों तथा मूल्यांकन प्रतिवेदनों की जांच में पता चला कि संबंधित पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा लीजों अथवा दस्तावेजों में उल्लेखित तथ्यों को नजरअंदाज किया गया तथा इस प्रकार लीजों की अवधि की गणना गलत ढ़ंग से की गयी । तीन प्रकरणों में नई लीजों की अवधि में तत्काल पूर्व की बिना अंतराल की अवधि को शामिल नहीं किया गया जहां लेसर एवं लेसी समान थे तथा शेष प्रकरणों में लीजों की अवधि पांच वर्षों से अधिक[25] थी तथापि, पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा इसे पांच वर्ष से कम माना गया । इस प्रकार पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा मुद्रांक कर ₹ 71.44 लाख[26] के स्थान पर ₹ 13.46 लाख[27] आरोपित किया गया । इसके परिणामस्वरूप, मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 57.98 लाख[28] का कम आरोपण रहा ।	सरकार ने उत्तर में बताया (अगस्त 2019) कि एक दस्तावेज में निष्पादक को वसूली हेतु नोटिस जारी किया गया जबकि शेष पांच दस्तावेजों में कलक्टर (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज कर लिये गये हैं । आगामी प्रगति प्रतीक्षित रही (मई 2020) ।
11	**साझेदारी फर्मो को अचल संपत्तियों का हस्तान्तरण** (i) **व्यक्तियों द्वारा साझेदारी फर्मो को अचल संपत्तियों का हस्तान्तरण** चार उप पंजीयकों[29] के यहां पांच दस्तावेज विक्रय विलेखों के रूप में पंजीबद्ध थे (अप्रैल 2016 से सितम्बर 2017 के मध्य) । इन विक्रय विलेखों तथा रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस, सिरोही द्वारा प्रदत्त सूचनाओं की जांच में पता चला कि व्यक्तियों द्वारा अपने स्वामित्व की अचल संपत्तियां साझेदारी फर्मों को हस्तान्तरित की गयी थी । इस प्रकार व्यक्तियों (असाइनर्स) ने अपनी स्वयं की अचल संपत्तियां साझेदारी फर्मों (असाइनीज) को हस्तान्तरित (असाइन्ड) की और इसलिए असाइनीज उक्त संपत्तियों के एक मात्र स्वामी बन गये । ₹ 49.37 करोड़ मूल्य की अचल संपत्तियां, फर्मों को हस्तान्तरित की गयी जिन पर मुद्रांक कर ₹ 2.96 करोड़[30] वसूलनीय था । तथापि, दो प्रकरणों में रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस, सिरोही लोक कार्यालय का प्रभारी अधिकारी होने के नाते साझेदारी विलेखों के पंजीयन के समय (जुलाई 2016 से दिसम्बर 2016 के मध्य) इस अनियमितता का पता लगाने में विफल रहा तथा कलक्टर	सरकार ने उत्तर में बताया (अगस्त 2019) कि तीन दस्तावेजों में कलक्टर (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज करवा दिये गये हैं जबकि दो दस्तावेजों में निष्पादको को वसूली हेतु नोटिस जारी कर दिये गये हैं । आगामी प्रगति प्रतीक्षित रही (मई 2020) ।

[22] ₹ 33.50 लाखः मुद्रांक कर ₹ 27.92 लाख तथा सरचार्ज ₹ 5.58 लाख ।

[23] उप पंजीयकः जयपुर-II तथा कोटा-II ।

[24] उप पंजीयकः चितौडगढ़, जयपुर-IV तथा उदयपुर-I ।

[25] पांच वर्षों से अधिक तथा 10 वर्ष से कम ।

[26] ₹ 71.44 लाखः मुद्रांक कर ₹ 52.54 लाख, सरचार्ज ₹ 10.51 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 8.39 लाख ।

[27] ₹ 13.46 लाखः मुद्रांक कर ₹ 9.62 लाख, सरचार्ज ₹ 1.92 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 1.92 लाख ।

[28] ₹ 57.98 लाखः ₹ 71.44 लाख (-) ₹ 13.46 लाख ।

[29] उप पंजीयकः अजमेर-I, सांचौर (जालौर), सिरोही तथा उदयपुर-I ।

[30] ₹ 2.96 करोड़ः मुद्रांक कर ₹ 2.47 करोड़ तथा सरचार्ज ₹ 0.49 करोड़ ।

	(मुद्रांक) को प्रकरण संदर्भित नहीं किया गया। ये दस्तावेज नोटेरी पब्लिक के कार्यालय में मात्र ₹ 2000 के मुद्रांकों पर सत्यापित थे। लोक अधिकारी होने के नाते नोटेरी पब्लिक भी अपना दायित्व निभाने में असफल रहे। शेष तीन प्रकरणों में मुद्रांक कर अदा नहीं किया गया था। विक्रय विलेखों के पंजीयन के समय पंजीयन प्राधिकारी इस अनियमितता का पता नहीं लगा पाये तथा उन्होंने अचल संपत्तियों के हस्तान्तरण पर मुद्रांक कर आरोपित नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर ₹ 2.96 करोड़ का अनारोपण रहा।	
	(ii) **साझेदारी फर्मो के वर्तमान/नये साझेदारों को अचल संपत्तियों का हस्तान्तरण**	
	दो उप पंजीयकों[31] के यहां दो दस्तावेज विक्रय विलेखों के रूप में पंजीबद्ध (दिसम्बर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य) थे। इन विक्रय विलेखों तथा रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस, उदयपुर द्वारा प्रदत्त अभिलेखों की जांच में पता चला कि वर्तमान/सेवानिवृत होने वाले साझेदारों द्वारा अचल संपत्तियों में अपने हिस्से को साझेदारी फर्मों के वर्तमान/नये साझेदारों को हस्तान्तरित कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान/सेवानिवृत्त होने वाले साझेदार (असाइनर्स) ने अपनी अचल संपत्तियां साझेदारी फर्मो के वर्तमान/नये साझेदारों (असाइनीज) को हस्तान्तरित कर दी और इसलिए असाइनीज उक्त संपत्तियों के एकमात्र स्वामी बन गये। ₹ 111.40 करोड़ मूल्य की अचल संपत्तियां साझेदारी फर्मों के वर्तमान/नये साझेदारों को हस्तान्तरित कर दी गयीं जिस पर मुद्रांक कर ₹ 6.64 करोड़[32] आरोपित किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर तथा सरचार्ज ₹ 6.64 करोड़ का अनारोपण रहा।	सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2019) कि दोनों दस्तावेजों में कलक्टर (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज कर लिए गये हैं। आगामी प्रगति प्रतीक्षित रही (मई 2020)।

31 उप पंजीयकः नाथद्वारा तथा उदयपुर-I

32 ₹ 6.64 करोड़: मुद्रांक कर ₹ 5.72 करोड़ तथा सरचार्ज ₹ 0.92 करोड़

अध्याय–VI

राज्य आबकारी

अध्याय-VI: राज्य आबकारी

6.1 कर प्रशासन

शासन स्तर पर सचिव, वित्त (राजस्व), राज्य आबकारी विभाग (विभाग) के प्रशासनिक प्रमुख है। आबकारी आयुक्त, विभाग के प्रमुख हैं। विभाग सात संभागों में विभक्त है जिनके प्रमुख अतिरिक्त आबकारी आयुक्त हैं। जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी निरीक्षक, आबकारी शुल्क एवं अन्य शुल्कों के आरोपण/संग्रहण की देखरेख तथा नियंत्रण का कार्य सम्बंधित संभागो के अतिरिक्त आबकारी आयुक्तों के नियंत्रणाधीन करते हैं।

6.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग में वित्तीय सलाहकार के प्रभाराधीन एक आंतरिक लेखापरीक्षा समूह है। इस समूह को अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के साथ समय-समय पर जारी विभागीय निर्देशों की पालना को सुनिश्चित करने के लिए, निर्धारित मानदंडों के अनुरूप तथा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार कर निर्धारण के प्रकरणों की नमूना जांच करनी होती है।

गत पांच वर्षों की आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थिति निम्नानुसार हैः

वर्ष	बकाया इकाइयां	वर्ष के दौरान जोड़ी गई इकाइयां	कुल इकाइयां	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयां	लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाइयां	लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाइयों का प्रतिशत
2014-15	6	41	47	47	-	-
2015-16	0	41	41	37	4	10
2016-17	4	41	45	40	5	12
2017-18	5	44	49	12	37[1]	76
2018-19	21	44	65	19	46	71

स्रोतः संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये।

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि वर्ष 2018-19 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु चयनित इकाइयों में से 46 इकाइयों की लेखापरीक्षा बकाया थी।

आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की वर्ष-वार स्थिति निम्नानुसार हैः

वर्ष	1995-96 से 2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18[1]	2018-19	योग
अनुच्छेद	160	85	116	126	296	-	**783**

स्रोतः संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये।

यह देखा गया कि वर्ष 2018-19 के अंत में 783 अनुच्छेद बकाया थे जिनमें से 160 अनुच्छेद पांच वर्षों से भी अधिक समय से बकाया थे। बड़ी संख्या में अनुच्छेदों का बकाया रहना आंतरिक लेखापरीक्षा के उद्देश्य को विफल करता है।

[1] विभाग द्वारा 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए प्रदान की गई सूचना लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए दी गई सूचना के विरोधाभासी है। इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है, तथापि, उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2020)।

सरकार को आंतरिक लेखापरीक्षा समूह की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने तथा अधिनियम/नियमों के प्रावधानों की अनुपालना को सुनिश्चित करने एवं राजस्व की छीजत को रोकने के लिए बकाया अनुच्छेदो पर समुचित कार्यवाही करने पर विचार करना चाहिए।

6.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

आबकारी विभाग में कुल 110 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 34 इकाइयां वर्ष 2018-19 में लेखापरीक्षा हेतु चुनी गयीं । इन इकाइयों के अभिलेखों, जिनमें खुदरा अनुज्ञाधारी (8,082 अनुज्ञाधारी) भी सम्मिलित है, की संवीक्षा में 2,033 प्रकरण आबकारी शुल्क व अनुज्ञापत्र शुल्क, स्पेशल वेन्डफीस, विलम्ब से भुगतान पर ब्याज की अवसूली/कम वसूली और प्रासव/मदिरा/ बीयर की अधिक क्षति पर आबकारी शुल्क की हानि और अन्य अनियमितताओं से सम्बंधित राशि ₹ 23.39 करोड़ (5,663 अनुज्ञाधारी, लेखापरीक्षा किये गये अनुज्ञापत्रों का लगभग 70 प्रतिशत) के ध्यान में आये । इन चयनित इकाइयों के अभिलेखों की जांच पर आधारित ये प्रकरण उदाहरण मात्र हैं । कुछ समान प्रकार की कमियां लेखापरीक्षा द्वारा पूर्व के वर्षों में भी ध्यान में लायी गयी थी लेकिन लेखापरीक्षा होने तक ये अनियमितताऐं न केवल विद्यमान थीं अपितु पहचानी भी नहीं गयी थी । लेखापरीक्षा में पायी गयी त्रुटियों, कमियों व अन्य प्रकरणों से सम्बंधित सारभूत अंशो (नमूना प्रकरणों के लगभग 36 प्रतिशत) से विदित होता है कि सरकार को आतंरिक नियंत्रण प्रणाली के साथ ही आतंरिक लेखापरीक्षा को सशक्त करने की आवश्यकता है जिससे कि कमियों के होने/पुनरावृत्तियों को रोका जा सकें । ये अनियमितताए मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैः

(₹ करोड़ में)

क्रं सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	'राज्य आबकारी एवं मद्यसंयम नीति का क्रियान्वयन' पर अनुच्छेद	1	10.33
2	आबकारी शुल्क एवं अनुज्ञापत्र शुल्क की अवसूली/कम वसूली	427	8.45
3	भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर पर स्पेशल वेंड फीस की अवसूली/कम वसूली	392	4.39
4	प्रासव/मदिरा/बीयर की अधिक क्षति के कारण आबकारी शुल्क की हानि	740	0.09
5	विलम्ब से भुगतान पर ब्याज की अवसूली	30	0.06
6	अन्य अनियमितताएं		
	(i) राजस्व	436	0.05
	(ii) व्यय	7	0.02
योग		**2,033**	**23.39**

विभाग ने 3,054 प्रकरणों में ₹ 10.97 करोड़ की अनियमितताओं को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 6.15 करोड़ के 1,613 प्रकरण वर्ष 2018-19 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे। विभाग द्वारा 1,913 प्रकरणों में ₹ 4.57 करोड़ की राशि वसूल की गई, जिनमें से ₹ 0.61 करोड़ के 472 प्रकरण वर्ष 2018-19 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे।

6.4 राज्य आबकारी एवं मद्यसंयम नीति का क्रियान्वयन

6.4.1 परिचय

राज्य आबकारी विभाग, राज्य सरकार का दूसरा सबसे बड़ा राजस्व अर्जित करने वाला विभाग है। मदिरा की दुकानों के संचालन के लिए अनुज्ञापत्र देने तथा संबंधित मामलों के सिद्धांतों को निर्धारित करने और आबकारी शुल्क की दरों को निर्धारित करने के लिए, राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष राज्य की आबकारी एवं मद्यसंयम नीति की घोषणा करती है। आबकारी राजस्व का उचित निर्धारण और संग्रहण आबकारी नीति के कुशल क्रियान्वयन पर निर्भर है। विरोधाभासी रूप से, शराब का उपभोग असामयिक मौतों, अपराधों और घातक दुर्घटनाओं का एक महत्वपूर्ण कारण है। इसलिए, शराब के प्रभाव को कम करने के लिए राज्य सरकार भी कुछ कदम उठाती है, जिसे मद्यसंयम नीति के रूप में जाना जाता है।

राज्य सरकार द्वारा 01 अप्रैल 2005 से, नई "आबकारी एवं मद्यसंयम नीति" समय-समय पर यथा संशोधित, नामक एक आबकारी नीति जो कि शराब के उत्पादन, संग्रहण, परिवहन, अल्कोहल की बिक्री एवं खरीद पर फीस तथा आबकारी शुल्क के आरोपण और नए मदिरा पेशेवरों के प्रवेश की सुविधा का प्रावधान करती है, लागू की गई। नीति ग्राहकों को उचित मूल्य पर बेहतर गुणवत्ता वाली मदिरा की उपलब्धता सुनिश्चित करती है और इसके उपभोग पर एक प्रगतिशील प्रतिबंध की परिकल्पना करती है।

6.4.2 राजस्व की प्रवृत्ति

राज्य में मदिरा की खपत के साथ-साथ आबकारी राजस्व लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक राज्य में देशी मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर की बिक्री और कुल आबकारी राजस्व निम्नानुसार था:

(मात्रा लाख बल्क लीटर में)

वर्ष	देशी मदिरा	भारत निर्मित विदेशी मदिरा	बीयर	आबकारी राजस्व (₹ करोड़ में)
2015-16	2,184.43	912.42	1,938.66	6,712.94
2016-17	2,344.93	865.42	1,953.40	7,053.68
2017-18	2,571.17	924.87	2,230.22	7,275.83

6.4.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

- आबकारी राजस्व को सुरक्षित रखने और मद्यसंयम को बढ़ावा देने के लिए आबकारी एवं मद्यसंयम नीति, अधिनियम एवं नियमों के तहत निर्धारित मौजूदा प्रावधान/प्रणाली की पर्याप्तता;
- आबकारी नीति और उसके आधार पर जारी अधिसूचनाओं/परिपत्रों में निर्धारित प्रावधानों और उपायों की संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अनुपालना के स्तर; तथा
- विभाग में आंतरिक नियंत्रण और प्रवर्तन तंत्र की पर्याप्तता और प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा की गई।

6.4.4 लेखापरीक्षा के मानदण्ड

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2015-16 से 2017-18 की अवधि में राज्य आबकारी एवं मद्यसंयम नीति के क्रियान्वयन से संबंधित अभिलेखों को शामिल किया। लेखापरीक्षा ने आईडिया सॉफ्टवेयर का उपयोग करके साधारण रैंडम सैंपलिंग विधि के माध्यम से 36 जिला आबकारी अधिकारियों में से नौ जिला आबकारी अधिकारियों[2] (25 प्रतिशत) का चयन किया। मद्यसंयम उपायों के क्रियान्वयन के दृष्टिगत चयनित जिला आबकारी अधिकारियों के अंतर्गत आबकारी निरोधक दल (ई.पी.एफ.) के अभिलेखों की भी मापक जांच की गई। इसके अलावा, आबकारी आयुक्त के कार्यालय को भी लेखा परीक्षा में शामिल किया गया था।

आबकारी आयुक्त के साथ 25 मार्च 2019 को आयोजित एक परिचयात्मक परिचर्चा में लेखापरीक्षा की कार्यपद्धति, कार्यक्षेत्र और उद्देश्यों पर चर्चा की गई। आबकारी आयुक्त और अन्य अधिकारियों के साथ एक समापन परिचर्चा 9 अगस्त 2019 को आयोजित की गई, जिसमें लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर चर्चा की गई। समापन सभा के दौरान एवं अन्य समय पर प्राप्त जवाबों को संबंधित अनुच्छेदों में समुचित रूप से शामिल किया गया है।

6.4.5 लेखापरीक्षा के मानदण्ड

लेखा परीक्षा के लिये मानदण्ड निम्नलिखित आबकारी एवं मद्यसंयम नीतियों, अधिनियमों, नियमों और उसके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं/परिपत्रों के प्रावधानों से लिए गए थेः

- वर्ष 2015-16 से 2017-18 के लिए जारी आबकारी एवं मद्यसंयम नीति;
- राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950;
- राजस्थान आबकारी नियम, 1956;
- राजस्थान ब्रेवरी नियम, 1972; तथा
- राजस्थान डिस्टिलरीज नियम, 1976

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां केवल नमूना प्रकरणों के हमारे विश्लेषण पर आधारित हैं और विभाग में इस तरह के अधिक मामले होने की संभावना है। इसलिए, राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह समान कमियों/अनियमितताओं की संभावना वाले अन्य सभी मामलों की समीक्षा करे और ऐसे मामलों में, जहाँ समान कमियां/अनियमितताएं पाई जाती हैं, सुधारात्मक कार्यवाही करने की आवश्यकता हैं।

6.4.6 अनुज्ञापत्रों के प्रदान किए बिना अनुज्ञा शुल्क की वसूली

राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 72 में प्रावधान है कि इन नियमों में अन्यथा प्रावधित किए गए को छोड़कर, राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के तहत सभी अनुज्ञापत्र आबकारी आयुक्त द्वारा प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 68 (12-ए) के अंतर्गत निर्माण स्थल पर अवस्थित बंधित भंडागारों से देशी मदिरा के थोक विक्रय के लिए अनुज्ञा शुल्क निर्धारित किया गया था।

---

[2] जिला आबकारी अधिकारीः अलवर, बाड़मेर, बहरोड़ (डिस्टिलरी), हनुमानगढ़, जयपुर शहर, झालावाड़, नागौर, राजसमन्द और सवाईमाधोपुर।

यह देखा गया कि एक सरकारी कम्पनी देशी मदिरा की एक थोक विक्रेता है और यह राज्य में स्थित अपने 20 भराई केन्द्रों पर स्थापित बंधित भंडागारों से खुदरा अनुज्ञाधारियों को देशी मदिरा की आपूर्ति करती है। यद्यपि, विभाग नियम 68 (12-ए) के अंतर्गत इन 20 भराई केन्द्रों से अनुज्ञा शुल्क की वसूली कर रहा था, तथापि, विभाग द्वारा इन केंद्रों को इस संबंध में अनुज्ञापत्र प्रदान नहीं किए गए थे। विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी पात्र इकाइयों को अनुज्ञापत्र जारी कर दिए गए थे और बिना उचित अनुज्ञापत्र के इकाइयां संचालित नहीं थीं, कोई क्रियाविधि अंगीकार नहीं की।

लेखापरीक्षा टिप्पणी को विभाग के ध्यान में लाया गया तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2019 एवं सितंबर 2019); सरकार ने अवगत कराया (अक्टूबर 2019) कि लेखापरीक्षा के सुझावानुसार भविष्य में अनुज्ञापत्र जारी कर दिए जाएंगे।

6.4.7 अनाज से अल्कोहल और बीयर के उत्पादन के मानक

अनाज से अल्कोहल के उत्पादन की प्रक्रिया में अनाज में मौजूद स्टार्च का ग्लूकोज में (एक ग्राम स्टार्च 1.11 ग्राम ग्लूकोज का उत्पादन करता है) और ग्लूकोज का इथेनॉल में रूपांतरण होता है। ग्लूकोज का एक अणु, इथेनॉल के दो अणु और कार्बन-डाइ-ऑक्साइड के दो अणु का उत्पादन करता है। इस रासायनिक प्रतिक्रिया को गे-लुसाक समीकरण *(Gay Lussac's equation)* के रूप में जाना जाता है। समीकरण के अनुसार, 100 किलोग्राम ग्लूकोज से 51.14 किलोग्राम इथेनॉल और 48.86 किलोग्राम कार्बन-डाइ-ऑक्साइड का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त, अल्कोहल की प्राप्ति डिस्टिलरीज में प्रयुक्त तकनीक की किण्वन दक्षता और आसवन दक्षता पर निर्भर करती है। इस संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां ध्यान में आयीः

6.4.7.1 अनाज से अल्कोहल के उत्पादन के मानक

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 01 जून 2015 से राजस्थान डिस्टिलरीज नियमों के नियम 12 को प्रतिस्थापित किया गया जो उपबंध करता है कि प्रत्येक आसवक न्यूनतम किण्वन, आसवन दक्षता और अल्कोहल के उत्पादन हेतु उपयोग में लिए जाने वाले अनाज से अल्कोहल की न्यूनतम प्राप्ति को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा। अनाज के आधार पर न्यूनतम किण्वन, आसवन दक्षता और अल्कोहल की प्राप्ति निम्नानुसार होगीः

किण्वन दक्षता	उपस्थित किण्वन योग्य चीनी का 84 प्रतिशत
आसवन दक्षता	उपस्थित अल्कोहल का 97 प्रतिशत
अल्कोहल की न्यूनतम प्राप्ति	62 से 64 प्रतिशत स्टार्च वाले प्रति क्विंटल अनाज से 40 बल्क लीटर परिशोधित प्रासव/शोधित प्रासव (98 प्रतिशत वी/वी[3])

आबकारी आयुक्त कार्यालय में मानकों के निर्धारण से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार, अल्कोहल की न्यूनतम प्राप्ति 40 बल्क लीटर प्रति क्विंटल होनी चाहिए। यद्यपि, विभाग द्वारा निर्धारित किण्वन दक्षता (84 प्रतिशत), आसवन दक्षता (97 प्रतिशत) और स्टार्च सामग्री (64 प्रतिशत)

[3] वी/वी = वोल्यूम बाई वोल्यूम

के आधार पर गणना के परिणामस्वरूप प्रति क्विंटल अनाज से 37.50 बल्क लीटर[4] के मानक की प्राप्ति होगी। इस प्रकार, विभाग ने निर्धारित प्रतिशत के अनुसार प्राप्ति की गणना के बिना ही मानक निर्धारित किए।

यह भी देखा गया कि सभी आसवक बैच किण्वन प्रक्रिया और वायुमंडलीय आसवन/बहु दबाव आसवन तकनीक का उपयोग कर रहे थे। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, कानपुर के अनुसार, आसवकों द्वारा नियोजित किण्वन और आसवन तकनीक के लिए दक्षता सीमा निम्नानुसार हैः

(आंकड़े प्रतिशत में)

विवरण	किण्वन दक्षता		आसवन दक्षता	
	बैच किण्वन	फीड बैच किण्वन	वायुमंडलीय आसवन	बहु दबाव आसवन
अनाज	90 – 92	90 – 95	97 – 98	98.5 – 99

यदि विभाग 40 बल्क लीटर प्रति क्विंटल की न्यूनतम प्राप्ति चाहता था, तो उसे न्यूनतम किण्वन दक्षता 90 प्रतिशत और आसवन दक्षता 97 प्रतिशत तय करनी चाहिए थी। यद्यपि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि आसवकों ने अपने स्तर पर 40 बल्क लीटर के निर्धारित मानक को बनाए रखा था और उन्होंने विभाग को 2017-18 के दौरान उनकी किण्वन दक्षता 90 प्रतिशत से अधिक एवं आसवन दक्षता 97 प्रतिशत से अधिक होने के बारे में प्रतिवेदित किया (जून 2018), जैसा कि नीचे दिया गया हैः

डिस्टिलरीज का नाम	किण्वन दक्षता	आसवन दक्षता	संधारित औसत प्राप्ति
ग्लोबस स्प्रिट्स लिमिटेड, बहरोड़	93 प्रतिशत	98 प्रतिशत	45 बल्क लीटर
विंटेज डिस्टलर्स लिमिटेड, अलवर	94 प्रतिशत	98 प्रतिशत	42.75 बल्क लीटर

यदि गणना किण्वन दक्षता (93 प्रतिशत) और आसवन दक्षता (98 प्रतिशत) के आधार पर की जाती है, तो 64 प्रतिशत स्टार्च वाले प्रति क्विंटल अनाज से 42 बल्क लीटर अल्कोहल की प्राप्ति होनी चाहिए।

इस प्रकार, विभाग द्वारा निर्धारित मानक वैज्ञानिक नहीं हैं और इसे आसवकों द्वारा अपनाई गई किण्वन दक्षता एवं आसवन दक्षता मापदंडों के अनुसार सुधारा जाना चाहिए। आसवकों द्वारा अपनाई गई बेहतर उत्पादन तकनीकों के साथ विभाग द्वारा अपने मानक को अद्यतन करने में विफलता, कम उत्पादन में कमी की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करेगी। इसके अतिरिक्त, यह राजस्व के हित में होगा यदि सरकार नियमित अंतराल पर उत्पादन के मानकों को संशोधित करने पर विचार करे क्योंकि आबकारी शुल्क की राशि उत्पादित और बेची गई अल्कोहल की मात्रा पर निर्भर करती है।

लेखापरीक्षा टिप्पणी को विभाग के ध्यान में लाया गया तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2019 एवं सितंबर 2019); सरकार ने अवगत कराया (अक्टूबर 2019) कि अल्कोहल के उत्पादन के मानकों की समीक्षा इस उद्देश्य के लिए गठित समिति द्वारा की जाएगी और समिति की सिफारिश के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

---

[4] 100 किलोग्राम X 64 प्रतिशत = 64 किलोग्राम स्टार्च, ग्लूकोज प्राप्ति = 64 किलोग्राम X 1.11 = 71.04 किलोग्राम, ग्लूकोज से गे-लूसाक समीकरण के आधार पर इथेनाल प्राप्ति = 71.04 किलोग्राम X 51.14 प्रतिशत = 36.33 किलोग्राम, किण्वन के बाद उत्पादित अल्कोहल = 36.33 किलोग्राम X 84 प्रतिशत = 30.52 किलोग्राम, आसवन के बाद उत्पादित अल्कोहल = 30.52 किलोग्राम X 97 प्रतिशत = 29.60 किलोग्राम, अल्कोहल की मात्रा बल्क लीटर में = 29.60/0.78934 (इथेनाल का घनत्व (100 प्रतिशत)) 20° सेंटीग्रेट पर 0.78934 किलोग्राम है) = 37.50 बल्क लीटर।

6.4.7.2 प्रासव का मापन

राज्य में प्रासव की शक्ति के मापन की वैध इकाई 'लंदन प्रूफ लीटर' या प्रूफ है। मात्रा के संदर्भ में, इस तरह के प्रूफ[5] अल्कोहल में 57.06 प्रतिशत मात्रा में अल्कोहल और 46.68 प्रतिशत मात्रा में पानी होता है। जब प्रासव का भौतिक लक्षण 'प्रूफ प्रासव'होता है, तो इसे 100 प्रतिशत प्रूफ माना जाता है।

प्रासव में अल्कोहल की शक्ति को प्रतिशत वोल्यूम बाई वोल्यूम (% वी/वी) द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। जब प्रासव में 100 प्रतिशत अल्कोहल होता है, तो इसका मतलब है कि इसकी शक्ति 100% वी/वी है या इसकी अल्कोहल मात्रा 100% वी/वी है । इस तरह का पूर्ण अल्कोहल 175.25 प्रूफ[6] या 75.25 प्रतिशत ओवर प्रूफ[7] (ओ.पी.) के बराबर है ।

यह देखा गया कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार, अल्कोहल की न्यूनतम प्राप्ति 40 बल्क लीटर 98% वी/वी पर थी । प्रासव का मापन 98% वी/वी पर 171.75[8] प्रूफ या 71.75 ओ.पी. होना चाहिए जबकि भारतीय मानक ब्यूरो 6613:2002 अल्कोहल पेय में प्रयुक्त परिशोधित प्रासव के लिए न्यूनतम शक्ति 96% वी/वी या 168.24° प्रूफ और भारतीय मानक ब्यूरो 323:1959 शोधित प्रासव ग्रेड I (पीने योग्य) के लिए न्यूनतम शक्ति 94.68% वी/वी या 166° प्रूफ निर्धारित करता है । इसी प्रकार, राज्य की डिस्टिलरीज में उत्पादित परिशोधित प्रासव और शोधित प्रासव भी क्रमशः 168.24° प्रूफ और 166° प्रूफ के हैं, जिन्हें सरकारी प्रयोगशालाओं में सत्यापित किया गया है ।

इस प्रकार, प्रासव का मापन निर्धारित मानक 98% वी/वी में उचित नहीं है और विभाग को भारतीय मानक ब्यूरो विशिष्टताओं के अनुसार मापन पद्धति को 96% वी/वी में संशोधित करने अथवा मानक में निर्धारित शक्ति के अनुसार डिस्टिलरीज को 98% वी/वी (171.75 प्रूफ) पर प्रासव का उत्पादन करने हेतु बाध्य करने की आवश्यकता है ।

लेखापरीक्षा टिप्पणी को विभाग के ध्यान में लाया गया तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2019 एवं सितंबर 2019); सरकार ने अवगत कराया (अक्टूबर 2019) कि प्रासव के मापन की पद्धति को 98% वी/वी से 96% वी/वी पर संशोधित करने का प्रस्ताव विभाग से प्राप्त किया गया था । आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मई 2020)।

6.4.7.3 बीयर के उत्पादन के मानक

विभाग ने भारत में विनिर्माण और व्यापार के लिए दो प्रकार की बीयर यथा माइल्ड/लागर बीयर (अल्कोहल की मात्रा 5 प्रतिशत से कम) और स्ट्रांग/सुपर स्ट्रांग बीयर (अल्कोहल की मात्रा 5 से 8 प्रतिशत के मध्य) निर्धारित की हैं । बीयर तैयार करने की प्रक्रिया अल्कोहल के समान ही है सिर्फ यह अंतर है कि अल्कोहल के उत्पादन में किण्वन और आसवन की आवश्यकता होती है जबकि बीयर के उत्पादन में केवल किण्वन की आवश्यकता होती है ।

---

[5] मात्रा के संदर्भ में, प्रूफ अल्कोहल में 57.06 प्रतिशत मात्रा में अल्कोहल और 46.68 प्रतिशत मात्रा में पानी होता है जिसे जब मिलाया जाता है, तो अनुबंधित हो जाता है और मात्रा में100 प्रतिशत प्रूफ का परिणाम देता है।

[6] जैसा कि प्रासव में 57.06% वी/वी अल्कोहल 100 प्रतिशत प्रूफ के बराबर है, इसलिए 100% वी/वी 175.25 प्रूफ (100X100/57.06= 175.25) के बराबर है ।

[7] अल्कोहल की मात्रा में 100 डिग्री प्रूफ से अधिक की शक्ति ओवर प्रूफ या ओ.पी. (175.25–100=75.25) कहलाती है ।

[8] (175.25/100) X 98=171.75 प्रूफ या (100/57.06) X 98=1.7525 X 98 = 171.75 प्रूफ ।

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ने सिफारिश की थी कि विभाग को अनाज से बीयर के उत्पादन के लिए मानक निर्धारण करना चाहिए । सरकार की अधिसूचना दिनांक 11 अक्टूबर 2017 से राजस्थान ब्रेवरी नियम, 1972 में नियम 34 (ए) प्रविष्ट किया गया, जो उपबंध करता है कि प्रत्येक ब्रेवर उपयोग में लिए गए प्रत्येक 100 किलोग्राम माल्ट और अन्य कच्चे माल से 650 लीटर माइल्ड बीयर या 490 लीटर स्ट्रांग बीयर की न्यूनतम प्राप्ति को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा। इसके अतिरिक्त, आबकारी आयुक्त बीयर की प्राप्ति में कमी के मामले में ₹ 10 प्रति लीटर की शास्ति लगा सकता है जब तक कि ब्रेवर द्वारा यह साबित नहीं किया जाता है कि विफलता जानबूझकर नहीं की गई थी और बीयर के लिए प्राप्ति के निर्दिष्ट पैमाने को बनाए रखने के लिए उसके द्वारा आवश्यक सावधानी बरती गई थी । इसके अलावा, यदि ब्रेवर बीयर के लिए प्राप्ति के न्यूनतम पैमाने को बनाए रखने में बार-बार विफल रहता है, तो आबकारी आयुक्त ऐसे ब्रेवर के अनुज्ञापत्र को, सुनवाई का अवसर देने के बाद, रद्द अथवा निलंबित कर सकता है ।

जिला आबकारी अधिकारी, अलवर और जिला आबकारी अधिकारी (उत्पादन इकाइयां), बहरोड़ के क्षेत्राधीन छः ब्रेवरीज के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि इन इकाइयों ने बीयर की न्यूनतम प्राप्ति दक्षता के मानकों को प्राप्त नहीं किया । इन इकाइयों ने अधिसूचना के जारी होने (अक्टूबर 2017) के बाद 2017-18 की अवधि के दौरान उत्पादित कुल 2,432 ब्रू[9] में से कम प्राप्ति वाले 1,913 ब्रू के अंतर्गत उपयोग में लिए गए 116.97 लाख किलोग्राम कच्चे माल से 541.21 लाख बल्क लीटर बीयर का उत्पादन किया । मानकों के अनुसार, उपयोग में लिए गए कच्चे माल से बीयर की न्यूनतम प्राप्ति दक्षता 574.19 लाख बल्क लीटर[10] होनी चाहिए । इस प्रकार, ब्रेवर्स बीयर की न्यूनतम प्राप्ति दक्षता को बनाए रखने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप 32.98 लाख बल्क लीटर बीयर का कम उत्पादन हुआ । यद्यपि, विभाग बीयर के कम उत्पादन पर ₹ 3.30 करोड़ का जुर्माना लगाने में विफल रहा । चार ब्रेवर्स बीयर के लिए प्राप्ति के निर्दिष्ट न्यूनतम पैमाने को बनाए रखने में बार-बार विफल रहे, यद्यपि विभाग ने ब्रेवर्स के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की ।

लेखापरीक्षा टिप्पणी को विभाग के ध्यान में लाया गया तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2019 एवं सितंबर 2019); सरकार ने अवगत कराया (अक्टूबर 2019) कि ₹ 3.25 करोड़ की राशि वसूल कर ली गई थी और शेष राशि की वसूली के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया था (अगस्त 2019) । इसके अतिरिक्त, सभी कार्यालयों को निर्धारित मानदंडों के अनुसार बीयर की न्यूनतम प्राप्ति के लिए प्रावधान की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था ।

---

[9] एक ही प्रक्रिया में माल्ट और होप्स के भिगोने, उबालने और किण्वन द्वारा तैयार बीयर की मात्रा ।

[10] 0.67 लाख किलोग्राम कच्चे माल से 4.32 लाख बल्क लीटर माइल्ड बीयर और 116.30 लाख किलोग्राम कच्चे माल से 569.87 लाख बल्क लीटर स्ट्रोंग बीयर, इस प्रकार, उपयोग में लिए गए कुल 116.97 लाख किलोग्राम कच्चे माल से कुल 574.19 लाख बल्क लीटर बीयर।

6.4.8 मद्यसंयम नीति के विपरीत प्रावधान

6.4.8.1 देशी मदिरा की बिक्री पर विचार किए बिना एकाकी विशेषाधिकार राशि का निर्धारण

आबकारी नीतियों 2015-18 के अनुसार, संबंधित वर्ष के लिए देशी मदिरा के समूह-वार अनुज्ञापत्र एकाकी विशेषाधिकार प्रणाली के तहत आवंटित किए जाएंगे। देशी मदिरा के खुदरा बिक्री अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार, अनुज्ञाधारी को संबंधित समूह/दुकान के लिए संबंधित वर्ष की निर्धारित वार्षिक एकाकी विशेषाधिकार राशि (ई.पी.ए.) का भुगतान 12 समान मासिक किश्तों में करना होगा। देशी मदिरा पर भुगतान किए जाने वाले आबकारी शुल्क की छूट ई.पी.ए. की मासिक किश्तों की राशि में देय होगी।

इसके अतिरिक्त, आबकारी नीतियों के अनुसार, 2015-18 की अवधि के दौरान देशी मदिरा समूहों का ई.पी.ए. पिछले वर्ष के ई.पी.ए. पर एक निश्चित प्रतिशत बढ़ाकर तय किया गया था, जिसका उद्देश्य राज्य में देशी मदिरा की बिक्री और उपभोग को बढ़ावा देना था। यद्यपि, देशी मदिरा की बिक्री में कोई तदनुरूप वृद्धि नहीं हुई, जो यह दर्शाता है कि पिछले वर्ष की देशी मदिरा की वास्तविक बिक्री पर विचार किए बिना ई.पी.ए. का निर्धारण किया गया था, जैसा कि नीचे दिया गया है:

आबकारी नीति का वर्ष	पिछले वर्ष से ई.पी.ए. में प्रतिशत वृद्धि	वर्ष के दौरान देशी मदिरा की बिक्री[11] (लाख बल्क लीटर में)	पिछले वर्ष से देशी मदिरा की बिक्री में प्रतिशत वृद्धि
2015-16	14	2,184.43	13.48
2016-17	18	2,344.93	7.35
2017-18	12	2,571.17	9.65

स्रोतः आबकारी नीतियां और विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन।

उपरोक्त से यह देखा गया है कि 2016-17 और 2017-18 के दौरान ई.पी.ए. में क्रमशः 18 प्रतिशत और 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जबकि पिछले वर्षों के दौरान देशी मदिरा की बिक्री में वृद्धि केवल 7.35 प्रतिशत और 9.65 प्रतिशत थी। इस प्रकार ई.पी.ए. का निर्धारण पिछले वर्ष की बिक्री में वृद्धि के अनुरूप नहीं था। इसके अतिरिक्त, 2016-17 और 2017-18 के दौरान निर्धारित ई.पी.ए. के अनुसार देशी मदिरा की बिक्री में तदनुरूप वृद्धि नहीं हुई थी और विभाग ने इस बात का विश्लेषण नहीं किया कि अनुज्ञाधारी, जो देशी मदिरा की निर्धारित मात्रा को उठाने में विफल रहे थे, अपनी देशी मदिरा की बिक्री से ऊपर ई.पी.ए. का भुगतान कैसे कर रहे थे। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि अनुज्ञाधारियों द्वारा देशी मदिरा न्यूनतम गारंटी मात्रा भी नहीं उठायी जा रही थी तथा इस प्रकार न्यूनतम गारंटी मात्रा कमी पर अंतर आबकारी शुल्क का भुगतान करना पड़ रहा था। इस प्रतिवेदन के अनुच्छेद 6.4.10.2 में विस्तार से इसकी चर्चा की गई है।

लेखापरीक्षा टिप्पणी को विभाग के ध्यान में लाया गया तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2019 एवं सितंबर 2019); सरकार ने अवगत कराया (अक्टूबर 2019) कि पिछले वर्ष के दौरान देशी मदिरा की बिक्री के अनुसार ई.पी.ए. के निर्धारण की समीक्षा करने के लिए

[11] 2015 से 2018 की अवधि के दौरान देशी मदिरा की दरों में परिवर्तन नहीं था।

विभागीय स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा। राज्य के राजस्व हित को ध्यान में रखते हुए समिति की सिफारिश पर निर्णय लिया जाएगा।

6.4.8.2 रिटेल–ऑफ अनुज्ञाधारियों द्वारा भारत निर्मित विदेशी मदिरा और बीयर की कम उठाई गई मात्रा पर अतिरिक्त राशि के प्रावधान के कारण अल्कोहल के उपभोग को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देना

आबकारी नीतियों 2015-18 के अनुसार, नगरीय क्षेत्र में भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की दुकानों के अनुज्ञापत्र आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ निर्दिष्ट वार्षिक अनुज्ञा शुल्क के भुगतान पर आवंटित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, नगरीय क्षेत्र के बाहर देशी मदिरा समूहों द्वारा कम्पोजिट शुल्क के भुगतान पर भारत निर्मित विदेशी मदिरा/ बीयर की बिक्री का प्रावधान भी नीतियों में निर्धारित किया गया था।

आबकारी नीतियों में प्रावधित था कि रिटेल-ऑफ[12] अनुज्ञाधारियों, जो कि चालू वर्ष की प्रत्येक तिमाही के दौरान भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर के उठाव में पिछले वर्ष की उसी तिमाही में उठाई गई मात्रा की तुलना में न्यूनतम 10 प्रतिशत तक की वृद्धि नहीं करते हैं, से एक अतिरिक्त राशि त्रैमासिक वसूल की जानी थी। वर्ष 2016-17 के दौरान भारत निर्मित विदेशी मदिरा और बीयर की कम उठाई गई मात्रा पर ₹ 10 प्रति बल्क लीटर और 2017-18 के दौरान भारत निर्मित विदेशी मदिरा की कम उठाई गई मात्रा पर ₹ 20 प्रति बल्क लीटर तथा बीयर की कम उठाई गई मात्रा पर ₹ 10 प्रति बल्क लीटर की दर से राशि देय थी। इस प्रकार, कम उठाई गई मात्रा की गणना प्रत्येक तिमाही के पश्चात दुकान-वार की जानी थी। यह प्रावधान इस धारणा पर आधारित है कि प्रत्येक तिमाही में मदिरा का उपभोग आवश्यक रूप से 10 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा।

आबकारी आयुक्त कार्यालय से एकत्रित वर्ष 2015-18 के दौरान भारत निर्मित विदेशी मदिरा और बीयर के उठाव से संबंधित आंकड़ों की जांच से पता चला कि 2016-17 और 2017-18 के दौरान भारत निर्मित विदेशी मदिरा और बीयर के उठाव में वृद्धि प्रावधान के अनुसार प्राप्त नहीं की जा सकी, जैसा कि नीचे दिया गया हैः

वर्ष	जिला आबकारी कार्यालयों की संख्या	लक्षित मात्रा की तुलना से उठाव में कमी		प्रावधान के अनुसार आरोपणीय अतिरिक्त राशि		
		भारत निर्मित विदेशी मदिरा	बीयर	भारत निर्मित विदेशी मदिरा	बीयर	योग
2016-17	34	1.31	1.79	13.14	17.97	31.11
2017-18	34	1.19	0.57	23.77	5.72	29.49
योग		**2.50**	**2.36**	**36.91**	**23.69**	**60.60**

उपरोक्त से यह देखा गया है कि विभाग उन अनुज्ञाधारियों पर ₹ 60.60 करोड़ की अतिरिक्त राशि लगाने की स्थिति में था जो मदिरा की बढ़ी मात्रा का उठाव करने में विफल रहे। यद्यपि, सरकार ने इस बात का विश्लेषण नहीं किया कि अनुज्ञाधारी मदिरा की बिक्री, जिसे उपभोक्ताओं को निश्चित बिक्री मूल्य पर बेचा जाना था, पर अपने तय निश्चित मुनाफा के ऊपर अतिरिक्त राशि का भुगतान कैसे कर रहे थे।

---

12 रिटेल-ऑफ का अर्थ है सील पैक कंटेनर में मदिरा की खुदरा बिक्री और खुदरा विक्रेता के परिसर में उपभोग नहीं की जाती है।

इसके अतिरिक्त, पांच जिला आबकारी अधिकारियों[13] के यहां दर्ज प्रकरणों की जांच से पता चला कि 2017-18 के दौरान अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक दर पर मदिरा बेचने के 231 प्रकरण दर्ज किए गए थे। अवैध रूप से मदिरा की खरीद और बिक्री में अनुज्ञाधारियों के शामिल होने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा टिप्पणी को विभाग के ध्यान में लाया गया तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2019 एवं सितंबर 2019); सरकार ने अवगत कराया (अक्टूबर 2019) कि तिमाही में भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर के उठाव में पिछले वर्ष की उसी तिमाही की तुलना में दस प्रतिशत वृद्धि की शर्त को राज्य के लिए राजस्व सुनिश्चित करने और अनाधिकृत मदिरा की बिक्री को रोकने के लिए जोड़ा गया था। आगे यह कहा गया कि भारत निर्मित विदेशी मदिरा और बीयर की कम उठाई गई मात्रा पर अतिरिक्त राशि के निर्धारण की समीक्षा करने के लिए विभागीय स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा। समिति की सिफारिश पर लिए गए निर्णय पर अगले वर्ष की नीति तैयार करने के दौरान विचार किया जाएगा।

6.4.9 मद्यसंयम नीति का क्रियान्वयन

मद्यसंयम का अर्थ ऐसी नीति और उपायों को लागू करना है जो मदिरा के उपयोग को हतोत्साहित करते हैं और उसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए लोगों द्वारा मदिरा का उपभोग करने को सीमित करते हैं। यद्यपि, विभाग नीति का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं कर सका, जैसा कि नीचे दिया गया हैः

6.4.9.1 जन जागरूकता अभियान

नीति 2015-16 के पैरा 12(1) और नीति 2017-19 के पैरा 9(vii) के अनुसार, मदिरा और अन्य मादक पदार्थों के बुरे प्रभाव के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए जन जागरूकता अभियान के तहत टेलीविजन, अखबार, रेडियो और अन्य परिसंचरण माध्यमों के द्वारा प्रसारण पर आबकारी राजस्व की कुल प्राप्तियों का 0.1 प्रतिशत अथवा न्यूनतम ₹ 10 करोड़ सालाना खर्च किया जाना था।

आबकारी आयुक्त कार्यालय के अभिलेखों की जांच के दौरान यह देखा गया कि वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान प्रत्येक वर्ष ₹ 10.30 करोड़ के आवंटन के विरुद्ध जन जागरूकता अभियानों पर क्रमशः केवल ₹ 3.82 करोड़, ₹ 6.05 करोड़ और ₹ 6.75 करोड़ खर्च किए गए थे। इस प्रकार, जन जागरूकता अभियान प्रभावी ढंग से आयोजित नहीं किए गए थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान, मदिरा का उपभोग धीरे-धीरे बढ़कर 2014-15 में 4,830.45 लाख बल्क लीटर से 2017-18 में 5,726.26 लाख बल्क लीटर हो गया। यह इंगित करता है कि विभाग मद्यसंयम नीति के माध्यम से प्रभावी जागरूकता पैदा नहीं कर सका।

लेखापरीक्षा टिप्पणी को विभाग के ध्यान में लाया गया तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2019 एवं सितंबर 2019); सरकार ने अवगत कराया (अक्टूबर 2019) कि जन जागरूकता अभियान के तहत प्रसारण पर खर्च मीडिया योजना के अनुसार किया गया था।

[13] जिला आबकारी अधिकारीः हनुमानगढ़, जयपुर शहर, झालावाड, नागौर और सवाई माधोपुर।

बजट आवंटन की अनुपयोगी राशि को विभाग के अन्य बजट शीर्ष के लिए पुनर्विनियोजित किया गया था। तथ्य यही रहा कि जन जागरूकता अभियान और अच्छे परिणामों के लिये विभाग निधि का उपयोग कर सकता था।

6.4.9.2 राजस्थान में मदिरा का अवैध परिवहन

2016-17 की नीति के पैरा 8 (ix) और 2017-19 की नीति के पैरा 9 (ix) में इस बात की परिकल्पना की गई है कि पड़ोसी राज्यों से मदिरा के अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए निम्नानुसार एक प्रणाली विकसित की जाएगीः

- पुलिस के समन्वय के साथ संयुक्त जांच का आयोजन;
- 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करने के लिए जांच दलों के लिये वाहनों और अन्य संसाधनों का प्रावधान;
- सीमावर्ती जिलों में प्रभावी कार्यवाही के लिए जोन स्तर पर पुलिस रेंज के महानिरीक्षक की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति का गठन; तथा
- मदिरा की तस्करी पर नियंत्रण के लिए संबंधित राज्यों की सरकार के साथ सामंजस्य स्थापित करके राज्य सरकार के स्तर पर प्रयास किए जाने हैं।

आबकारी आयुक्त कार्यालय द्वारा उपरोक्त मुद्दों पर लेखापरीक्षा टिप्पणी का उत्तर नहीं दिया गया था। चयनित इकाइयों के ई.पी.एफ. स्टेशनों के अन्तर्गत दर्ज प्रकरणों की जांच से पता चला कि 2015-18 के दौरान तीन जिला आबकारी कार्यालयों[14] के तहत अन्य राज्यों की अवैध मदिरा के 74 प्रकरण दर्ज किए गए थे जो यह दर्शाते हैं कि चैक पोस्टों, ई.पी.एफ. स्टेशनों, आबकारी वृत्त कार्यालयों, पुलिस स्टेशनों आदि से बचते हुए अन्य राज्यों से मदिरा की तस्करी की जा रही थी। लेखापरीक्षा को पड़ोसी राज्यों से मदिरा के अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए उपरोक्त बिंदुओं के अनुरूप विभाग द्वारा विकसित की जा रही किसी प्रणाली का कोई साक्ष्य नहीं मिला।

लेखापरीक्षा टिप्पणी को विभाग के ध्यान में लाया गया तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2019 एवं सितंबर 2019); सरकार ने अवगत कराया (अक्टूबर 2019) कि पुलिस विभाग के समन्वय में समय-समय पर संयुक्त छापे मारे गए और 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करने के लिए जांच दलों को वाहन उपलब्ध कराएं जाएंगे।

6.4.9.3 आबकारी निरोधक दल (ई.पी.एफ.) के लिए सरकारी वाहन

2015-16 की नीति का पैरा 13 निरोधक गतिविधियों और राजस्व वसूली हेतु दल की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए नए वाहनों की खरीद को परिकल्पित करता है। इसके अतिरिक्त, 2016-17 की नीति के पैरा 10 (ii) में यह प्रावधान था कि अगले दो वित्तीय वर्षों के दौरान अनुबंधित वाहनों के स्थान पर प्रत्येक वर्ष 25 सरकारी वाहन खरीदे जाएंगे।

आबकारी आयुक्त कार्यालय के अभिलेखों की जांच से पता चला कि 2015-16 के दौरान नए वाहनों की खरीद के लिए ₹ 11.25 करोड़[15] प्रदान किए जाने थे जबकि सरकार द्वारा विभाग को 2015-16 के दौरान केवल ₹ 89 लाख और 2017-18 के दौरान ₹ 105 लाख प्रदान किए गए थे। विभाग ने आवंटित बजट के विरुद्ध 2015-16 के दौरान 12 वाहन और

---

14 जिला आबकारी अधिकारीः अलवर, बाड़मेर और हनुमानगढ़।

15 वर्ष 2014-15 में नीलामी से प्राप्त ₹ 22.50 करोड़ की 50 प्रतिशत राशि।

2017-18 के दौरान 17 वाहन खरीदे। 2016-17 के दौरान नए वाहनों की खरीद के लिए बजट प्रदान नहीं किया गया था। ई.पी.एफ. के पास सरकारी वाहनों की अनुपलब्धता अवैध मदिरा की तस्करी पर अंकुश लगाने में विभाग के कमजोर प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके अतिरिक्त, अनुबंधित वाहनों का उपयोग करके विशेष छापों के नियोजित कार्यक्रम को आसानी से लीक किया जा सकता है क्योंकि चालक निजी व्यक्ति होते हैं।

लेखापरीक्षा टिप्पणी को विभाग के ध्यान में लाया गया तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2019 एवं सितंबर 2019); सरकार ने अवगत कराया (अक्टूबर 2019) कि बजट आवंटन की उपलब्धता के अनुसार ई.पी.एफ. को सरकारी वाहन प्रदान किए जाएंगे।

6.4.9.4 अन्तर्राज्यीय चैक पोस्ट

2017-19 की नीति के पैरा 11 के अनुसार, अवैध मदिरा के परिवहन और तस्करी की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण और निगरानी के लिए अन्तर्राज्यीय सीमा पर स्थापित चैक पोस्टों पर ऑनलाइन सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जाने थे। इसके अतिरिक्त, महत्वपूर्ण अंतरराज्यीय चेक पोस्टों पर स्थायी भवनों का निर्माण किया जाना था और 24 घंटे की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए अति संवेदनशील अन्तर्राज्यीय चैक पोस्टों पर अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी थी।

विभाग ने सूचित किया कि 2015-17 के दौरान राज्य में छह जिलों के अंतर्गत केवल सात[16] स्थायी चैक पोस्ट संचालन में थे; जिनमें से पांच चैक पोस्ट[17] हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात की अन्तर्राज्यीय सीमा पर स्थापित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, किसी भी चैक पोस्ट पर सी.सी.टी.वी. कैमरे नहीं लगाए गए थे, यद्यपि ये संदिग्ध वाहनों की ट्रैकिंग और पता लगाने के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा, सी.सी.टी.वी. द्वारा कर्मचारियों की अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सकती है।

भवनों के संबंध में केवल डूंगरपुर जिले में रतनपुर चैक पोस्ट एक किराए के भवन में संचालित थी, जबकि शेष चैक पोस्ट टेंट में चलाए जा रहे थे। इन चैक पोस्टों के लिए स्थायी भवनों का निर्माण नहीं किया गया था और अतिरिक्त कर्मचारियों की भी नियुक्ति नहीं की गई थी। इससे अवैध मदिरा के परिवहन और तस्करी की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण और निगरानी को बनाए रखने में विभाग की शिथिलता इंगित होती है।

6.4.10 विभाग में कम्प्यूटरीकरण

राज्य सरकार के स्वामित्व वाली दो कम्पनियों यथा राजस्थान स्टेट ब्रेवरेज कॉपोरेशन लिमिटेड (आर.एस.बी.सी.एल.) तथा राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड (आर.एस.जी.एस.एम.) के माध्यम से राज्य में भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर, देशी मदिरा एवं अन्य आबकारी पदार्थों के किये जा रहे व्यवसाय पर विभागीय अधिकारियों का नियन्त्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आबकारी विभाग द्वारा एक सूचना प्रौद्यौगिकी प्रणाली "एकीकृत आबकारी प्रबंधन प्रणाली (आई.ई.एम.एस.)" लागू की है। समस्त जिला/सहायक आबकारी अधिकारी कार्यालयों में यह प्रणाली संचालित है। अधिकारियों के सहायतार्थ आई.ई.एम.एस. में

[16] अतीतमंड (अजमेर जिला), महुआखुर्द एवं शाहजहाँपुर (अलवर), अटरू (बारा), रतनपुर (डूंगरपुर), स्यलोदडा पाटन (सीकर) और गोनेड़ा (जयपुर)।

[17] महुआखुर्द, शाहजहाँपुर, स्यलोदडा पाटन (हरियाणा सीमा), अटरू (मध्यप्रदेश सीमा), रतनपुर (गुजरात सीमा)।

विभिन्न मॉड्यूल्स का प्रावधान किया गया था । आई.ई.एम.एस. के परिचालन में पाई गई मुख्य कमियों का नीचे उल्लेख किया गया हैः

लाईसेंसी स्टॉक प्रबन्धन एवं मदिरा सूची प्रबन्धन मॉड्यूल

लाईसेंस स्टॉक प्रबन्धन मॉड्यूल का उपयोग रिटेल ऑफ एवं रिटेल ऑन अनुज्ञाधारियों के मदिरा स्टॉक की स्थिति के ऑन लाईन संधारण हेतु किया जाता है । मदिरा क्रय बाबत राशि जमा कराने हेतु विभिन्न ऑन लाईन भुगतान माध्यम जैसे नकद/डी.डी./ चैक के माध्यम से ऑन लाईन चालान बनाना, इन्टरनेट बैंकिग, एन.ई.एफ.टी. और आर.टी.जी.एस. अनुज्ञाधारियों के लिये उपलब्ध है । राशि जमा कराने के पश्चात, अनुज्ञाधारियों द्वारा आर.एस.बी.सी.एल. और आर.एस.जी.एस.एम. से क्रय की गई मदिरा सम्बन्धित अनुज्ञाधारी के इन्वेन्टरी लेजर में स्वतः ही जोड़ दी जाती है । मदिरा इन्वेन्टरी प्रबन्धन मॉड्यूल्स में प्रत्येक अनुज्ञाधारी का एक यूनिक खाता रखा जाता है । अनुज्ञाधारी के लेजर में अनुज्ञाधारी से सम्बन्धित प्रत्येक संव्यवहार यथा राशि की प्राप्ति, जारी किये गये चालान, उपलब्ध शेष इत्यादि का ब्यौरा होता है ।

इन मॉड्यूल्स में भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर के त्रुटिकर्ता रिटेल ऑफ अनुज्ञाधारियों को चिन्हित करने की कमी थी जो गत वर्ष के सम्बन्धित त्रैमासिक उठाव की तुलना में चालू वर्ष के उसी त्रैमास में भारत निर्मित विदेशी मदिरा और बीयर के उठाव में न्यूनतम 10 प्रतिशत की वृद्धि देने में विफल रहे थे । साथ ही, यह मॉडयूल नीति के प्रावधानानुसार उक्त कम उठाई गई भारत निर्मित विदेशी मदिरा और बीयर की मात्रा पर अतिरिक्त राशि की गणना नहीं कर सका था । इसी प्रकार, यह मॉडयूल उन त्रुटिकर्ता देशी मदिरा अनुज्ञाधारियों को चिन्हित करने में भी विफल रहा था जो निर्धारित न्यूनतम मासिक गारण्टी कोटे के अनुसार देशी मदिरा का उठाव करने में विफल रहे थे । साथ ही, यह मॉड्यूल उक्त कम उठाई गई देशी मदिरा के पश्चात् अनुज्ञाधारी से नकद में जमा कराने योग्य शेष रही मासिक गारण्टी राशि की गणना नहीं कर सका । आगे, त्रुटिकर्ता अनुज्ञाधारियों द्वारा नकद में जमा कराई गई मासिक गारण्टी राशि को एकीकृत करने और विलम्ब से जमा राशि पर ब्याज की गणना करने के लिए मॉडयूल में कोई प्रावधान नहीं था ।

उपरोक्त के आलोक में, मदिरा की कम उठाई गई मात्रा पर विभाग ऐसे त्रुटिकर्ता अनुज्ञाधारियों से भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर पर अतिरिक्त राशि तथा देशी मदिरा पर देय आबकारी शुल्क की अंतर राशि की वसूली नहीं कर सका । यदि ऐसी सुविधा मॉड्यूल में उपलब्ध होती, तो राजस्व के बकाया, जैसा कि अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है, को रोका जा सकता था ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को बताया गया (जून 2019 और सितम्बर 2019); सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2019) कि आबकारी मॉड्यूल में वांछित प्रावधानों को लागू करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी शाखा को निर्देश जारी कर दिये गये थे । आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मई 2020) ।

6.4.10.1 रिटेल ऑफ अनुज्ञाधारियों द्वारा कम उठाई गई भारत निर्मित विदेशी मदिरा /बीयर की मात्रा पर देय अतिरिक्त राशि की वसूली का अभाव ।

आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2016-17 के पैरा संख्या 3.10 एवं 4.6 तथा नीति वर्ष 2017-18 के पैरा संख्या 3.20(1) एवं 4.6(1) के अनुसार भारत निर्मित विदेशी मदिरा और

बीयर का गत वर्ष के सम्बन्धित त्रैमास के उठाव की तुलना में चालू वर्ष के उसी त्रैमास में न्यूनतम 10 प्रतिशत से कम वृद्धि देने वाले रिटेल ऑफ अनुज्ञाधारियों पर उनके द्वारा वर्ष 2016-17 में कम उठाई गई भारत निर्मित विदेशी मदिरा और बीयर की मात्रा पर ₹ 10 प्रति बल्क लीटर तथा वर्ष 2017-18 में कम उठाई गई भारत निर्मित विदेशी मदिरा की मात्रा पर ₹ 20 प्रति बल्क लीटर तथा बीयर की मात्रा पर ₹ 10 प्रति बल्क लीटर की दर से अतिरिक्त राशि वसूली योग्य थी। उक्त कम उठाव वाली दुकानों की गणना दुकानवार प्रत्येक त्रैमास के पश्चात की जानी थी।

आगे, आबकारी आयुक्त द्वारा जारी निर्देश (27 जून 2016 एवं 16 जून 2017) अनुसार प्रत्येक त्रैमास में कम उठाई गई मात्रा पर निर्धारित दर से अतिरिक्त राशि की वसूली संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के स्तर से सुनिश्चित किया जाना था। आबकारी आयुक्त के निर्देशों की पालना में प्रत्येक रिटेल ऑफ अनुज्ञाधारी के लिए त्रैमास समाप्ति के सात दिवस में उपरोक्तानुसार जिला आबकारी अधिकारी को अतिरिक्त राशि की गणना कर अनुज्ञाधारी को सूचित करना था तथा सूचना पत्र जारी करने के सात दिवस में अतिरिक्त राशि जमा करानी थी।

चयनित इकाइयों के सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि तीन जिला आबकारी अधिकारियों[18] के क्षेत्राधीन 120 अनुज्ञाधारी वर्ष 2016-18 के दौरान भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर का त्रैमासिक उठाव में गत वर्ष के सम्बन्धित त्रैमासिक उठाव की तुलना में न्यूनतम 10 प्रतिशत वृद्धि करने में असमर्थ रहे। इसलिये निर्धारित दरों से ₹ 16.58 लाख की अतिरिक्त राशि वसूलनीय थी। तथापि, सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त राशि की वसूली नहीं की गयी थी।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को बताया गया (जून 2019 और सितम्बर 2019); सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2019) कि ₹ 14.39 लाख की वसूली कर ली गई थी तथा आबकारी मॉडयूल में आवश्यक प्रावधान लागू कर दिया जावेगा।

6.4.10.2 देशी मदिरा अनुज्ञाधारियों की मासिक गारण्टी में कमी

देशी मदिरा खुदरा बिक्री अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार अनुज्ञाधारी को निर्धारित समूह/दुकान के लिए तय की गई वार्षिक ई.पी.ए. राशि का भुगतान समान 12 मासिक किश्तों में करना था। प्रत्येक माह की मासिक किश्त का भुगतान उस माह की अन्तिम दिनांक तक करना था। यदि अनुज्ञाधारी देशी मदिरा के न्यूनतम मासिक कोटे का उठाव करने में विफल रहता है तो वह आबकारी शुल्क की अन्तर राशि नकद में जमा कराने हेतु बाध्य होगा।

15 जिला आबकारी अधिकारियों[19] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2015-18 के दौरान 3,018 अनुज्ञाधारियों में से 228 अनुज्ञाधारियों द्वारा सम्बन्धित माह हेतु निर्धारित कोटे ₹ 16.12 करोड़ के विरूद्ध ₹ 10.07 करोड़ की ही मदिरा का उठाव किया गया

---

[18] जिला आबकारी अधिकारीः बाड़मेर, हनुमानगढ एवं जयपुर शहर।

[19] चयनित इकाइयों के जिला आबकारी अधिकारीः अलवर, बाड़मेर, हनुमानगढ, जयपुर शहर, राजसमन्द, सवाई माधोपुर, नियमित लेखापरीक्षा के जिला आबकारी अधिकारी अजमेर, भीलवाड़ा, चूरू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जालौर, जोधपुर, कोटा एवं सिरोही।

था। आबकारी शुल्क ₹ 6.05 करोड़ की अन्तर राशि सम्बन्धित अनुज्ञाधारियों से वसूल नहीं की गई थी।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को बताया गया (जून 2019 और सितम्बर 2019); सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2019) कि ₹ 3.05 करोड़ की वसूली कर ली गई थी। आगे बताया गया कि आबकारी मॉडयूल में आवश्यक प्रावधान लागू कर दिया जावेगा।

6.4.11 आबकारी नीति के प्रावधान

6.4.11.1 खुदरा दुकान पर देशी मदिरा एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर के विक्रय हेतु अनुज्ञापत्र

राजस्थान आबकारी नियम,1956 का नियम 67-I निर्धारित करता है कि किसी भी स्थानीय क्षेत्र में देशी मदिरा के खुदरा विक्रय के विशेषाधिकार अनुज्ञापत्र, आबकारी शुल्क के स्थान पर इस तरह के एकमुश्त भुगतान अथवा अतिरिक्त आबकारी शुल्क के भुगतान की शर्त पर जैसा कि आबकारी आयुक्त निर्धारित करें, आवेदन आमंत्रित कर जारी किये जावेंगें। आगे, राजस्थान विदेशी मदिरा (थोक व्यापार और खुदरा बिक्री अनुज्ञापत्र लाईसेंस की स्वीकृति) नियम, 1982 का नियम 4 निर्धारित करता है कि नगर पालिका के किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में या नगर पालिका के सम्पूर्ण क्षेत्र, जैसा भी प्रकरण हो, में भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर के खुदरा विक्रय हेतु राज्य सरकार की पूर्वानुमति के साथ आबकारी आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट वार्षिक अनुज्ञा शुल्क के भुगतान पर आवदेन आमंत्रित कर खुदरा अनुज्ञापत्र जारी किये जा सकेंगे।

आवदेन सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्राप्त किये जावेगें तथा सफल आवेदक को चाहिए कि वह देय धरोहर राशि, अनुज्ञा शुल्क और अन्य वांछित राशियां निर्धारित समय सीमा में राज्य राजकोष में जमा करावे। यदि वांछित धरोहर, अनुज्ञा शुल्क और अन्य वांछित राशि दर्शायी गई निर्धारित समय सीमा में जमा नहीं की जाती है, तो आवदेन की स्वीकृति को सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा रद्द किया जा सकता है, और आवेदक द्वारा आवदेन के साथ जमा कराई गई अमानत राशि और अन्य राशि, इस तरह के निरस्त की स्थिति में, सरकार के पक्ष में जब्त कर दी जायेगी। निम्न विवरणानुसार, देशी मदिरा और भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर अनुज्ञापत्र जारी करने हेतु निर्धारित प्रावधानों की अनुपालना नहीं होना लेखापरीक्षा के ध्यान में आयाः

- **देशी मदिरा समूहों की प्रतिभूति जमा और अग्रिम ई.पी.ए. को जब्त करने का अभाव**

नीति वर्ष 2017-18 के पैरा संख्या 3.5 के अनुसार देशी मदिरा के अनुज्ञाधारियों को निर्धारित वार्षिक ई.पी.ए. की 18 प्रतिशत राशि अग्रिम ई.पी.ए. राशि के रूप में दिनांक 1 अप्रैल 2017 से पूर्व राजकोष में जमा करानी थी। साथ ही, नीति के पैरा संख्या 3.6 के अनुसार 8 प्रतिशत राशि धरोहर राशि के रूप में नगद जमा करानी थी। तदनुसार, आवेदन की शर्त संख्या 9 के अनुसार सफल आवेदक को स्वीकृति जारी होने पर एक प्रतिशत अमानत राशि के समायोजन पश्चात् पांच प्रतिशत राशि लाटरी की दिनांक से तीन दिन में व शेष राशि लाटरी की दिनांक से 10 दिन में या दुकान प्रारम्भ करने से पूर्व, जो भी पहले हो जमा करानी थी। किसी भी स्तर पर चूक के प्रकरण में दुकानों के चयन की स्वीकृति को रद्द कर दिया जावेगा तथा उस स्तर तक

उसके द्वारा जमा प्रतिभूति जमा, अमानत राशि, अग्रिम ई.पी.ए. को राजसात किया जायेगा तथा दुकानों का भविष्य में पुनः आवंटन किया जावेगा।

जिला आबकारी अधिकारी जयपुर (शहर) के देशी मदिरा समूहों की अनुज्ञापत्र पत्रावलियों की नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 के दौरान जिला आबकारी अधिकारी द्वारा 97 देशी मदिरा समूहों को अनुज्ञापत्र जारी किये गये थे। यद्यपि, 13 अनुज्ञाधारियों द्वारा निर्धारित समय यानि 31 मार्च 2017 तक केवल राशि ₹ 3.13 करोड़ ही जमा कराये गये थे। शेष राशि ₹ 1.89 करोड़ निर्धारित समय सीमा के पश्चात् जमा कराये गये थे। इस विफलता पर, इन दुकानों/समूहों का चयन निरस्त किया जाना चाहिये था तथा उनके द्वारा उस स्तर तक जमा कराई गई प्रतिभूति जमा, अमानत राशि, अग्रिम ई.पी.ए. राजसात करनी चाहिए थी। तथापि, सम्बन्धित अधिकारी द्वारा आवेदन की शर्तों के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई थी।

चूंकि प्रावधानों में छूट अनुमत्य नहीं थी, सम्बन्धित अधिकारी की निष्क्रियता ने सरकार को ₹ 3.13 करोड़ की प्रतिभूति जमा और अग्रिम ई.पी.ए., जिसे की जब्त किया जाना चाहिए था, से वंचित कर दिया।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को बताया गया (जून 2019 और सितम्बर 2019); सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2019) कि सभी सम्बन्धित अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जोन एवं जिला आबकारी अधिकारियों को नीति के प्रावधानों का पालन करने हेतु निर्देश जारी कर दिये गये थे। तथापि, राशि जब्त नहीं कराने के प्रकरण में जवाब प्राप्त नहीं हुआ था।

- **भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की खुदरा दुकानों की अनुज्ञा शुल्क को जब्त करने का अभाव**

नीति वर्ष 2017-18 के अनुसार जयपुर और जोधपुर में स्थित भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की खुदरा दुकानों की वार्षिक अनुज्ञा शुल्क ₹ 25.00 लाख प्रति दुकान निर्धारित की गई थी। साथ ही, आबकारी आयुक्त द्वारा वर्ष 2017-18 के आबकारी बन्दोबस्त के सन्दर्भ में भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की रिटेल ऑफ दुकानों के अनुज्ञापत्र स्वीकृति के सम्बन्ध में जारी निर्देशों के अनुसार, अनुज्ञापत्र स्वीकृत होने पर, एक प्रतिशत अमानत राशि के समायोजन पश्चात् वार्षिक अनुज्ञा शुल्क की 40 प्रतिशत राशि लाटरी की दिनांक से तीन दिन में व शेष 59 प्रतिशत राशि 10 दिन में अथवा दुकान संचालन से पूर्व, जो भी पहले हो, जमा करानी थी।

जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर (शहर) की अनुज्ञापत्र पत्रावलियों की नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 के दौरान सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की 206 दुकानों हेतु लाईसेंस जारी किये गये थे। यद्यपि, दो अनुज्ञाधारियों ने नियमानुसार वांछित पूर्ण वार्षिक अनुज्ञा शुल्क जमा नहीं कराया था। इन दुकानों का अनुज्ञा शुल्क ₹ 50.00 लाख दिनांक 31 मार्च 2017 तक जमा कराया जाना था, किन्तु सम्बन्धित अनुज्ञाधारियों द्वारा निर्धारित समय में केवल ₹ 27.25 लाख ही जमा कराये गये थे। शेष ₹ 22.75 लाख जमा नहीं कराये गये थे।

इसलिए, इन दुकानों का चयन निरस्त किया जाना था तथा उस स्तर तक जमा अमानत राशि, अनुज्ञा शुल्क को राजसात किया जाना चाहिये था। तथापि, सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रावधानों

के अनुरूप कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई थी। जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुज्ञाधारियों को दिये अनुचित लाभ ने सरकार को ₹ 27.25 लाख के अनुज्ञा शुल्क से वंचित कर दिया जिसे जब्त किया जाना चाहिए था।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को बताया गया (जून 2019 और सितम्बर 2019);सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2019) कि सभी सम्बन्धित अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जोन एवं जिला आबकारी अधिकारीयों को नीति के प्रावधानों का पालन करने हेतु निर्देश जारी कर दिये गये थे (अगस्त 2019)। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मई 2020)।

सरकार को चाहिए कि ऐसे सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करे, जिससे कि ऐसी त्रुटियों के घटने/पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

6.4.11.2 परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस

वर्ष 2015-18 की आबकारी नीतियों के अनुसार, देशी मदिरा समूहों के आवेदक उस दुकान की श्रेणी के अनुसार ई.पी.ए. और कम्पोजिट फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे, जिसके लिए उन्होने आवेदन किया था। ग्रामीण क्षेत्र की देशी मदिरा की दुकानों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। नगरीय सीमा से पांच किलोमीटर की परिधि में अवस्थित गावों की देशी मदिरा दुकानों को 'परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इन परिधीय क्षेत्र में आने वाले गावों को आगे 'ए' एवं 'बी' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। वे गांव जिनमें वर्ष 2005-06 से दुकान आवंटन के गत वर्ष तक देशी मदिरा की दुकानें कम्पोजिट दुकानों की तरह संचालित की गई हो अथवा दुकानें राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित हों अथवा दुकानों की सीमा संबंधित नगरीय क्षेत्र की सीमा से लगती हो, उन्हे 'ए' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था और शेष को 'बी' श्रेणी में। वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिए 'ए' श्रेणी की दुकानों की कम्पोजिट फीस, आर.एस.बी.सी.एल. की गत वर्ष की वार्षिक बिलिंग राशि का छः प्रतिशत के बराबर अथवा संबंधित नगरीय क्षेत्र में अवस्थित भारत निर्मित विदेशी मदिरा की दुकान हेतु निर्धारित वार्षिक अनुज्ञा शुल्क में से जो भी अधिक हो, निर्धारित की जानी थी। वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिए 'बी' श्रेणी की दुकानों की कम्पोजिट फीस, आर.एस.बी.सी.एल. की गत वर्ष की वार्षिक बिलिंग राशि का छः प्रतिशत के बराबर अथवा संबंधित नगरीय क्षेत्र में अवस्थित भारत निर्मित विदेशी मदिरा की दुकान हेतु निर्धारित वार्षिक अनुज्ञा शुल्क का 50 प्रतिशत अथवा ₹ 50,000 में से जो भी अधिक हो, निर्धारित की जानी थी।

- **कम्पोजिट फीस का कम आरोपण**

चयनित इकाइयों[20] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि दो जिला आबकारी अधिकारियों के क्षेत्राधिकार की छः देशी मदिरा दुकानों/समूहों को विभाग द्वारा 2016-18 के दौरान परिधीय क्षेत्र की दुकानों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। अनुज्ञा शुल्क पत्रावलियों और सम्बन्धित अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि दुकानों के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए नोटिस जारी करते समय संबंधित अधिकारियों द्वारा परिधीय क्षेत्र की दुकानों के लिये देय कम्पोजिट फीस की राशि के बजाय कम्पोजिट फीस की कम राशि दर्शायी गयी। इस प्रकार, इन छः कम्पोजिट दुकानों/समूहों की कम्पोजिट फीस ₹ 56.50 लाख

[20] जिला आबकारी अधिकारीः जयपुर शहर एवं सवाई माधोपुर।

निर्धारित की जानी चाहिए थी, किन्तु सम्बन्धित अधिकारियों ने इन दुकानों/समूहों की फीस ₹ 13.33 लाख निर्धारित की और सम्बन्धित अनुज्ञाधारियों से वसूल की थी । इसके परिणामस्वरूप ₹ 43.17 लाख के राजस्व की कम प्राप्ति हुई ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को बताया गया (जून 2019 और सितम्बर 2019); सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2019) कि सभी सम्बन्धित अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जोन एवं जिला आबकारी अधिकारी को नीति के प्रावधानों का पालन करने हेतु निर्देश जारी कर दिये गये थे । तथापि, वसूली की प्रगति से अवगत नहीं कराया गया था (मई 2020) ।

- **कम्पोजिट फीस का कम निर्धारण**

नीति वर्ष 2017-18 की नीति के पैरा संख्या 3.11.4 के अनुसार परिधीय क्षेत्र के 'ए' श्रेणी के गांवों में अवस्थित कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस का विवेकीकरण आवश्यकता होने पर आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार की पूर्वानुमति से किया जा सकेगा । आबकारी आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 15 फरवरी 2017 द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान देशी मदिरा समूहों के बन्दोबस्त के लिये ई.पी.ए. के विवेकीकरण को ध्यान में रखते हुए जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर के क्षेत्राधीन वर्ष 2016-17 के दौरान देशी मदिरा समूहों के लिये निर्धारित कुल दुकानों की संख्या में दो दुकानों की तथा कुल निर्धारित ई.पी.ए. में ₹ 1.55 करोड़ की कमी कर दी थी । उक्त आदेश में कम्पोजिट फीस के विवेकीकरण के लिए कोई निर्देश नहीं थे ।

जिला आबकारी अधिकारी जयपुर (शहर) के वर्ष 2017-18 के बन्दोबस्त अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि ई.पी.ए. और दुकानों की संख्या के विवेकीकरण के दौरान जिला आबकारी अधिकारी द्वारा परिधीय क्षेत्र के चार समूहों एवं ग्रामीण क्षेत्र के एक समूह को समाप्त कर दिया गया था । इन समूहों के क्षेत्र को परिधीय क्षेत्र के चार अन्य समूहों में एवं ग्रामीण क्षेत्र के एक अन्य समूह में विलय कर दिया गया था, किन्तु इन समाप्त किये गये परिधीय क्षेत्र के तीन समूहों की कम्पोजिट फीस को नवसृजित समूहों की कम्पोजिट फीस में सम्मिलित नहीं किया गया था । जबकि अन्य दो प्रकरणों में, समाप्त किये गये समूहों की कम्पोजिट फीस को नवसृजित समूहों की कम्पोजिट फीस में सम्मिलित किया गया था । यद्यपि, जिले के ई.पी.ए. और दुकानों की संख्या का निर्धारण आबकारी आयुक्त के आदेश के अनुरूप करते हुए ही देशी मदिरा समूहों/दुकानों का पुनर्गठन किया गया था ।

इस प्रकार, अन्य दो समूहों में प्रयुक्त प्रक्रियानुसार परिधीय क्षेत्र की इन तीन कम्पोजिट समूहों की कम्पोजिट फीस का निर्धारण ₹ 137.50 लाख किया जाना था, किन्तु सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर ही ₹ 100.00 लाख निर्धारित कर तदनुसार अनुज्ञाधारियों से कम्पोजिट फीस की वसूली की गई थी । परिधीय क्षेत्र के समूहों की कम्पोजिट फीस का विवेकीकरण करते समय राज्य सरकार की पूर्वानुमति के साथ आबकारी आयुक्त की स्वीकृति नहीं ली गई थी । जिसके परिणामस्वरूप ₹ 37.50 लाख के राजस्व की हानि हुई । ध्यान में लाये जाने पर, विभाग द्वारा अवगत कराया गया (मई 2019) कि मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप ही सम्बन्धित निरीक्षकों द्वारा दिये गये सुझावों पर ही इन दुकानों/समूहों की कम्पोजिट फीस में कमी की गई थी । उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि मुख्यालय द्वारा इस प्रकार के कोई आदेश जारी नहीं किये गये थे ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को बताया गया (जून 2019 और सितम्बर 2019); सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2019) कि संबंधित अधिकारी को कम्पोजिट फीस के कम निर्धारण की पालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी कर दिये गये थे (अगस्त 2019)। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मई 2020)।

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली

6.4.12 आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह द्वारा की गई आन्तरिक लेखापरीक्षा तथा सृजित और निस्तारित आक्षेपों की संख्या और राशि का वर्षवार विवरण निम्नानुसार दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष		वर्ष के दौरान जोड़े गये		वर्ष के दौरान निस्तारण		अन्तिम शेष	
	प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित राशि	प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित राशि	प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित राशि	प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित राशि
2015-16	627	10.22	255	5.40	337	1.97	545	13.65
2016-17	545	13.65	337	12.51	157	5.55	725	20.61
2017-18	725	20.61	256	11.58	273	3.29	708	28.90

स्त्रोतः सूचना विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई।

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि उक्त अवधि के दौरान आक्षेपों और आक्षेपित राशि के प्रकरणों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जो यह दर्शाता है कि विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा दल द्वारा सृजित किये गये आक्षेपों की अनुपालना बहुत कम है।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को बताया गया (जून 2019 और सितम्बर 2019); सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2019) कि बकाया अनुच्छेदों के निस्तारण हेतु विशेष शिविरों का आयोजन (जुलाई और अगस्त 2019) किया गया था। वर्तमान में 560 अनुच्छेद बकाया चल रहे हैं जिनका शीघ्र निस्तारण करा दिया जावेगा। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मई 2020)।

6.4.13 विभाग के निरोधक दल की प्रभावशीलता

राज्य आबकारी विभाग का मुख्य कार्य राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 तथा नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रॉपिक्स सब्सटेंस (एन.डी.पी.एस) अधिनियम, 1985 और इनके अन्तर्गत बने नियमों के विरूद्ध अपराध की रोकथाम कराना है। राज्य में अवैध मादक पदार्थों के उत्पादन एवं व्यापार पर प्रभावी अंकुश एवं नियन्त्रण रखने हेतु विभाग में एक पृथक आबकारी निरोधक दल (ई.पी.एफ.) शाखा का गठन किया गया था। ई.पी.एफ. का मुख्य कार्य गश्त और छापों का आयोजन करना, अवैध आसवन, तस्करी, अवैध मदिरा, अफीम और अन्य मादक पदार्थों की बिक्री और भण्डारण की रोकथाम के लिये संयुक्त छापों के लिये पुलिस और विभाग में कार्यरत आबकारी निरीक्षकों के साथ बल के समूहों को एकत्रित करना है।

6.4.13.1 आबकारी पदार्थों की जब्ती

विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदनों की संवीक्षा में पाया गया कि निम्न आबकारी पदार्थ ई.पी.एफ. स्टेशनों एवं वृत्त कार्यालयों द्वारा आयोजित आबकारी छापों में जब्त किये गये थे:

क्रस.	आबकारी पदार्थ का नाम	इकाई	वर्ष के दौरान जब्त आबकारी पदार्थ			
			2015–16	2016–17	2017–18	योग
1	अवैध मदिरा	बोतल	58,520	75,937	5,15,298	6,49,755
2	भारत निर्मित विदेशी मदिरा	बोतल	5,44,915	4,92,887	3,04,629	13,42,431
3	देशी मदिरा	बोतल	88,055	93,997	89,236	2,71,288
4	बीयर	बोतल	1,31,088	2,19,020	41,421	3,91,529
5	वाश	लीटर	23,08,703	26,20,056	19,94,682	69,23,441
6	प्रासव	लीटर	1,23,705	57,355	29,424	2,10,484
7	डोडा एवं पोस्त (एलपीएच)	किलोग्राम	484	59	0.35	543.35
8	अफीम	किलोग्राम	0	0	0.566	0.566
9	गांजा	किलोग्राम	0	0	0	0
10	चरस	किलोग्राम	0	0	0	0

स्त्रोतः विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन।

विभाग द्वारा इतनी भारी मात्रा में अवैध मदिरा, वाश और प्रासव की जब्ती दर्शाती है कि राज्य में अवैध मदिरा आसवन का परिमाण चिन्ताजनक था।

यह भी देखा गया कि वर्ष 2016 के दौरान एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत राज्य पुलिस विभाग द्वारा 493.558 किलोग्राम अफीम, 2357.721 किलोग्राम गांजा, 107.939 किलोग्राम चरस और 43,740.317 किलोग्राम डोडा-पोस्त जब्त किया गया था, जबकि इस सम्बन्ध में आबकारी विभाग की जब्ती नगण्य थी। इस प्रकार, ऐसे मादक पदार्थों की जब्ती में विभाग का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था तथा विभाग को इस बाबत कार्य क्षमता को बेहतर बनाने की आवश्यकता है।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को बताया गया (जून 2019 और सितम्बर 2019); सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2019) कि निरोधक कार्यवाही मुख्य रूप से अवैध मदिरा के व्यवसाय से राजस्व की हानि को रोकने के लिये की जाती है। तथापि, एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत कार्यवाही के सम्बन्ध में उत्तर मूक है।

6.4.13.2 नियमित गश्त एवं दर्ज अभियोग

आबकारी नियमावली, 1988 के अनुसार प्रत्येक ई.पी.एफ. थाने के प्रहराधिकारी (पी.ओ.) को अपने कर्मचारियों के साथ कम से कम 15 यात्रायें प्रतिमाह दिन में और 15 यात्रायें प्रतिमाह रात्रि में करनी थी। आगे, आबकारी नियमावली के प्रावधानों के अनुसार ई.पी.एफ. के प्रत्येक पी.ओ. को 10 अभियोग प्रतिमाह दर्ज करने थे।

आबकारी आयुक्त राजस्थान द्वारा आबकारी वृतों एवं आबकारी थानों में पंजीकृत होने वाले अभियोगों को साधारण प्रतिवेदन प्रकरण एवं विशेष प्रतिवेदन प्रकरणों में वर्गीकृत (26 नवम्बर 2010) किया गया था। 50 लीटर मात्रा से अधिक जब्त शराब (भारत निर्मित विदेशी मदिरा/देशी मदिरा/अवैध) और 96 बोतल से अधिक बीयर, अवैध शराब निर्माण की चालू भट्टी, मिलावटी शराब, जहरीली शराब, नकली शराब बनाने के कारखाने से सम्बंधित प्रकरण

और एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज अभियोग विशेष प्रतिवेदन प्रकरण के रूप में माने जाते है।

चयनित इकाइयों के ई.पी.एफ. थानों द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं और अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि, ई.पी.एफ. थानों ने नियमित गश्त और छापे नहीं किये, जो अभियोगों के अनुसंधान और दर्ज करने में ई.पी.एफ. थानों के खराब प्रदर्शन को परिलक्षित करता है। 2015-18 के दौरान चयनित सात सहायक आबकारी अधिकारी कार्यालयों के 28 ई.पी.एफ. थानों में दर्ज अभियोगों का विभाजन निम्नानुसार दिया गया हैः

क्र. स.	सहायक आबकारी अधिकारी कार्यालयों का नाम (ई.पी.एफ. थानों की संख्या)	अभियोग दर्ज करने हेतु निर्धारित मानदण्ड	दर्ज अभियोगों की संख्या			दर्ज अभियोगों में कमी		कुल दर्ज अभियोगों का प्रतिशत	
			योग	साधारण प्रतिवेदन प्रकरण	विशेष प्रतिवेदन प्रकरण	संख्या (3 – 4)	प्रतिशत	साधारण प्रतिवेदन प्रकरण	विशेष प्रतिवेदन प्रकरण
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	अलवर (7)	2,520	1,841	1,553	288	679	26.95	84.36	15.64
2	बाड़मेर (3)	1,080	478	451	27	602	55.74	94.35	5.65
3	हनुमानगढ (3)	1,080	806	705	101	274	25.37	87.47	12.53
4	झालावाड़ (4)	1,440	421	397	24	1019	70.76	94.30	5.70
5	नागौर (5)	1,800	971	880	91	829	46.06	90.63	9.37
6	राजसमन्द (3)	1,080	592	522	70	488	45.19	88.18	11.82
7	सवाई माधोपुर(3)	1,080	272	270	2	808	74.81	99.26	0.74

सहायक आबकारी अधिकारी अलवर के क्षेत्राधीन केवल तीन[21] ई.पी.एफ. थानों के पी.ओ. ही अभियोग का अनुसंधान और दर्ज करने के अपने लक्ष्य अर्थात् 2016-17 और 2017-18 के दौरान 120 अभियोग प्रति वर्ष, को प्राप्त कर सके। इसके अलावा, 2015-18 के दौरान सहायक आबकारी अधिकारी, झालावाड़ के क्षेत्राधीन ई.पी.एफ. थाना इकलेरा द्वारा प्रतिमाह एक अभियोग भी खोजा नहीं जा सका।

यह भी देखा गया कि विशेष प्रतिवेदन प्रकरणों के सम्बन्ध में भी ई.पी.एफ. थानों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। 2015-18 की अवधि के दौरान कुल दर्ज अभियोगों की तुलना में विशेष प्रतिवेदन प्रकरणों का प्रतिशत 0.74 और 15.64 प्रतिशत के बीच था।

सहायक आबकारी अधिकारी कार्यालय झालावाड़ एवं सवाई माधोपुर में विशेष प्रतिवेदन प्रकरणों के अनुसंधान और दर्ज करने की स्थिति बहुत खराब थी। सहायक आबकारी अधिकारी कार्यालय सवाई माधोपुर के तीन ई.पी.एफ. थानों के पी.ओ. एवं झालावाड़ के चार ई.पी.एफ. थानों के पी.ओ. द्वारा तीन वर्षो के दौरान क्रमशः केवल दो एवं 13 विशेष प्रतिवेदन प्रकरण ही खोजे जा सके थे। ई.पी.एफ.थानों पर अनुसंधान एवं दर्ज किये गये अधिकांश प्रकरण सामान्य प्रतिवेदन प्रकरण की श्रेणी के थे जिसमें जब्ती की मात्रा बहुत कम थी।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को बताया गया (जून 2019 और सितम्बर 2019); सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2019) कि ई.पी.एफ. थानों में दर्ज अभियोगों की संख्या कम होने के उपरान्त भी, सरकारी राजस्व में लगातार वृद्धि रही थी जो अवैध गतिविधियों पर ई.पी.एफ. के प्रभावी कार्य को दर्शाती है। जवाब मान्य नहीं है, क्योकि

[21] वर्ष 2016-17 के दौरान अलवर पश्चिम और लक्ष्मणगढ तथा वर्ष 2017-18 के दौरान भिवाडी।

ई.पी.एफ. थाने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे और ई.पी.एफ. को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

6.4.13.3 आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग में समन्वय

आबकारी नियमावली एवं आबकारी नीतियों के अनुसार यह आवश्यक है कि पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारी अफीम एवं आबकारी के अपराधों के अनुसंधान एवं अन्वेषण में सहयोग करें।

कार्यालय आबकारी आयुक्त द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं की संवीक्षा में पाया गया कि विभाग के पास इस संबंध में सूचनाओं को साझा एवं आदान-प्रदान करने का यथोचित तंत्र नहीं था। परिणामस्वरूप दोनो इकाइयों ने एक ही उद्देश्य के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य किया। यह पाया गया कि राज्य में पुलिस विभाग द्वारा दर्ज आबकारी अभियोगों की संख्या आबकारी विभाग द्वारा दर्ज अभियोगों से काफी अधिक थी जो ई.पी.एफ. थानों एवं वृत्त कार्यालयों की प्रभावोत्पादकता पर प्रश्नचिन्ह लगाती है। नीचे दी गई तालिका में 2015 से 2017 के दौरान राज्य में राजस्थान आबकारी/एन.डी.पी.एस. अधिनियम एवं नियमों के उल्लंघन पर दर्ज अभियोगों की संख्या को दर्शाया गया है।

विवरण	2015	2016	2017
पुलिस विभाग द्वारा दर्ज अभियोगों की संख्या	15,500	17,316	18,687
आबकारी विभाग द्वारा दर्ज अभियोगों की संख्या	12,967	14,107	13,519

स्त्रोतः पुलिस विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन एवं आबकारी विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि विभाग के ई.पी.एफ. थाने और वृत्त कार्यालय अभियोगों का अनुसंधान एवं दर्ज करने की दिशा में आवश्यक ध्यान नहीं दे रहे थे जबकि पुलिस विभाग अपने व्यापक कार्यक्षेत्र के साथ इस संबंध में भी अधिक सक्रिय था।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को बताया गया (जून 2019 और सितम्बर 2019); सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2019) कि समय-समय पर भेदियों के लिए पुलिस विभाग को प्रोत्साहन राशि दी गई थी, इस प्रकार दोनों विभाग समन्वय के साथ निरोधक कार्य कर रहे थे।

6.4.14 निष्कर्ष

विभाग द्वारा अनाज से मदिरा उत्पादन के लिए एवं प्रासव का % V/V में मापन हेतु निर्धारित मानक वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित नहीं थे। मदिरा के कम उठाई गई मात्रा पर अतिरिक्त राशि के आरोपण के प्रावधान मदिरा बिक्री को परोक्ष रूप से बढावा देते है जोकि मद्यसंयम नीति के उद्देश्यों के प्रतिकूल है। धीरे-धीरे मदिरा की खपत बढने, जन जागरूकता अभियान के अन्तर्गत प्रसारण पर लक्षित व्यय न होने एवं आबकारी पदार्थों की अवैध तस्करी को नियंत्रित करने हेतु प्रभावी तंत्र की कमी ने मद्यसंयम नीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

आबकारी नीति की अनुपालना नहीं होने के कई दृष्टांत थे जैसे कि त्रुटिकर्ता अनुज्ञाधारियों की प्रतिभूति जमा और अग्रिम ई.पी.ए. को जब्त नहीं करना, मासिक गारण्टी में कमी, भारत निर्मित विदेशी मदिरा और बीयर के कम उठाव की मात्रा पर अतिरिक्त राशि की वसूली नहीं करना,

परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस का गलत वर्गीकरण करना, कम्पोजिट फीस की कम वसूली, इत्यादि ।

आगे, आन्तरिक लेखापरीक्षा दल द्वारा सृजित आक्षेपों की अनुपालना बहुत कम थी तथा मादक पदार्थों की जब्ती में विभाग का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था ।

6.4.15 सिफारिशें

- *विभाग डिस्टलर्स द्वारा अपनाई गई किण्वन दक्षता एवं आसवन दक्षता के अनुसार मदिरा के मानको में सुधार कर सकता है और यदि सरकार नियमित अन्तराल पर उत्पादन के मानदंडों में संशोधन करने पर विचार करती है तो यह राजस्व हित में होगा ।*
- *राजस्व का स्त्रोत न बनाकर ई.पी.ए. को देशी मदिरा की बिक्री के आधार पर युक्तिसंगत बनाने हेतु उपयुक्त नियंत्रण तंत्र बनाने पर विचार किया जा सकता है ।*
- *देशी मदिरा खुदरा अनुज्ञाधारियों से मासिक गारण्टी पूर्ति में कमी एवं रिटेल ऑफ अनुज्ञाधारियों से भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर के कम उठाव की मात्रा पर अतिरिक्त राशि की वसूली हेतु आई.ई.एम.एस. में एक पृथक मॉडयूल विकसित किया जा सकता है । यह प्रत्येक माह या तिमाही, जैसा भी प्रकरण हो, देशी मदिरा एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर के कम उठाव की मात्रा के साथ वसूली के विवरण को टैग करने में सुसंगत होगा, अनुज्ञाधारियों द्वारा अगली मदिरा क्रय हेतु जमा राशि और अगले मदिरा निर्गम से पूर्व वसूली स्वतः ही की जा सके ।*
- *आन्तरिक लेखापरीक्षा दल द्वारा सृजित आक्षेपों/प्रकरणों में त्वरित वसूली हेतु संबंधित प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई पर निगरानी रखने हेतु विभाग उपयुक्त कदम उठा सकता है ।*
- *नीति में उल्लेखित अनुसार आबकारी अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित करने हेतु एक प्रभावी तंत्र विकसित किया जावे जिससे अनाधिकृत एवं अवैध आबकारी पदार्थों में संलिप्त अपराधियों से सम्बन्धित सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा सकेगा ।*

6.5 अनुपालना लेखापरीक्षा टिप्पणियां

जिला आबकारी अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा अनुज्ञा शुल्क की अवसूली, भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की कम उठाई गई मात्रा पर अतिरिक्त राशि की अवसूली/कम वसूली और परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों से कम्पोजिट फीस की कम वसूली के प्रकरणों को देखा गया । राशि ₹ 2.07 करोड़ के कुछ प्रकरणों की चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गयी

है। चयनित इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच पर आधारित ये प्रकरण केवल उदाहरण मात्र हैं।

क्र. सं.	जिला आबकारी अधिकारियों की संख्या (कर निर्धारण की दिनांक)	अनियमितताओं का विवरण	सरकार का उत्तर/टिप्पणियां
1	आबकारी आयुक्त, उदयपुर (जुलाई 2018)	**विदेशी मदिरा बोटल्ड-इन-ओरिजन (बी.आई.ओ.) के थोक विक्रेताओं से अनुज्ञा शुल्क की अवसूली** आबकारी आयुक्त ने 2017-18 के दौरान राज्य में थोक विक्रय के लिए 19 डीलरों के लिए 449 बी.आई.ओ. ब्रांडो (प्रत्येक विक्रेता के लिए 1 और 115 ब्रांडो के बीच) को अनुमोदित किया। विभाग ने, यद्यपि, केवल 17 डीलरों से नियम 68(13-सी) के तहत अनुमोदित ब्रांडो की संख्या के अनुसार अनुज्ञा शुल्क वसूल किया। शेष दो डीलरों से अपेक्षित अनुज्ञा शुल्क नहीं वसूला गया। ब्रांड/लेबल अनुमोदन प्रक्रिया की जांच से पता चला कि आवेदन के समय ब्रांड पंजीकरण और लेबल अनुमोदन शुल्क लिया जा रहा था। परन्तु, ब्रांड/ लेबल के पंजीकरण और अनुमोदन के समय अनुज्ञा शुल्क जमा करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 12 लाख के अनुज्ञा शुल्क की अवसूली रही।	सरकार ने उत्तर दिया (मई 2019) कि वसूली हेतु नोटिस जारी किये जा चुके हैं। यद्यपि, एक डीलर ने वसूली की प्रक्रिया पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायलय से स्थगन आदेश प्राप्त किया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मई 2020)।
2	आबकारी आयुक्त, उदयपुर (जुलाई 2018)	**आद्यौगिक प्रयोजनार्थ आबकारी पदार्थो के कब्ज़े एवं उपयोग करने पर अनुज्ञा शुल्क की अवसूली** राज्य में सम्बंधित जिला आबकारी अधिकारियों के क्षेत्राधिकार में देशी मदिरा एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा की भराई के लिए 20 निजी बॉटलिंग प्लांट और एक सरकारी कम्पनी के 20 देशी मदिरा रिडक्सन सेंटर संचालन में थे। यद्यपि, ये 40 बॉटलिंग प्लांट स्वयं प्रासव के उत्पादक नहीं थे , लेकिन अन्य डिस्टिलरीज से आयातित प्रासव से मदिरा निर्मित की गयी थी। इस प्रकार, ये बॉटलिंग प्लांट औद्योगिक प्रयोजनार्थ मदिरा और आयातित प्रासव को कब्जे में रखते हैं। इसलिए, इन इकाइयों द्वारा उक्त नियम के तहत अनुज्ञा शुल्क देय था, जो विभाग द्वारा वसूल नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 12 लाख[22] के अनुज्ञा शुल्क की अवसूली रही।	राज्य सरकार ने उत्तर दिया (जून 2019) कि संबंधित कार्यालयों को वसूली हेतु निर्देश जारी किये जा चुके हैं।
3	छः जिला आबकारी अधिकारी[23] (जून 2018 और सितम्बर 2018 के मध्य)	**रिटेल-ऑफ अनुज्ञाधारियों द्वारा भारत निर्मित विदेशी मदिरा और बीयर की मात्रा के कम उठाव पर अतिरिक्त राशि की अवसूली/कम वसूली** यह देखा गया कि 249 अनुज्ञाधारियों ने पिछले वर्ष की तुलना में 2017-18 के दौरान भारत निर्मित विदेशी मदिरा और बीयर के उठाव में न्यूनतम 10 प्रतिशत तक वृद्धि नहीं की। इसलिए, पूर्व में बताये गये निर्देशों की अनुपालना में, संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों को प्रत्येक रिटेल-ऑफ अनुज्ञाधारी के लिए अतिरिक्त राशि की गणना करनी चाहिए थी और वसूली हेतु सूचित किये गये पत्र की दिनांक से	सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2019) कि ₹ 51.85 लाख वसूल किये जा चुके थे एवं शेष राशि की वसूली होने पर प्रगति से अवगत करा दिया जायेगा। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मई 2020)।

[22] जिला आबकारी अधिकारीः अजमेर (4), अलवर (3), बारां (1), बहरोड़ (5), भरतपुर (1), भीलवाड़ा (1), बीकानेर (1), बूंदी (1), चित्तौडग़ढ़ (1), धौलपुर (1), हनुमानगढ़ (1), जयपुर शहर (2), जयपुर ग्रामीण (3), झुंझुनू (2), जौधपुर (2), कोटा (1), पाली (1), सवाईमाधोपुर (1), सीकर (2), सिरोही (1), श्रीगंगानगर (2) और उदयपुर (3)।

[23] जिला आबकारी अधिकारीः अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर ग्रामीण, जालोर, प्रतापगढ़ और सीकर।

		सात दिन के भीतर अतिरिक्त राशि की वसूली के लिए प्रयास करने चाहिए थे। संबंधित कार्यालय, यद्यपि, इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 94.17 लाख की अवसूली रही, जो की वसूलनीय थी।	
4	पाँच जिला आबकारी अधिकारी[24] (जून 2018 और अक्टूबर 2018 के मध्य)	**परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों से कम्पोजिट फीस की कम वसूली** संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा 2014-18 के दौरान 12 देशी मदिरा दुकानों/समूहों को परिधीय क्षेत्र की दुकानों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। अनुज्ञा शुल्क पत्रावलियों और सम्बंधित अभिलेखों की जांच से प्रकट हुआ कि दुकानों के आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिए नोटिस जारी करते समय संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों ने परिधीय क्षेत्र की दुकानों के लिए देय कम्पोज़िट फीस के बजाय आर.एस.बी.सी.एल. की वार्षिक बिलिंग राशि के अनुसार कम कम्पोज़िट फीस की गलत गणना की। इस प्रकार, परिधीय क्षेत्र की 12 कम्पोजिट दुकानों/समूहों की कम्पोजिट फीस की निर्धारित की जाने वाली राशि ₹ 1.51 करोड़ के बजाय संबंधित कार्यालयों द्वारा इन अनुज्ञाधारियों से केवल राशि ₹ 62.18 लाख निर्धारित और वसूल की गयी। इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 88.82 लाख के राजस्व की हानि हुई।	सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2019) कि ₹ 3.90 लाख वसूल किये जा चुके थे एवं शेष राशि की वसूली होने पर प्रगति से अवगत करा दिया जायेगा। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मई 2020)।

[24] जिला आबकारी अधिकारीः अजमेर, बाड़मेर, चूरू, प्रतापगढ़ और सीकर।

अध्याय–VII

कर–इतर प्राप्तियां

अध्याय-VII : कर-इतर प्राप्तियां

7.1 कर प्रशासन

सरकार के स्तर पर प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम, जयपुर तथा विभाग के स्तर पर निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान, उदयपुर, विभाग में संबंधित अधिनियमों और नियमों के क्रियान्वयन तथा प्रशासन के लिये उत्तरदायी हैं । प्रशासनिक मामलों में सात अतिरिक्त निदेशक, खान तथा छः अतिरिक्त निदेशक, भू-विज्ञान तथा वित्तीय मामलों में एक वित्तीय सलाहकार द्वारा निदेशक खान एवं भू-विज्ञान, उदयपुर को सहायता प्रदान की जाती है । अतिरिक्त निदेशक, खान, अधीक्षण खनि अभियंता के नेतृत्व वाले नौ वृत्तों के माध्यम से नियंत्रण करते हैं ।

खनिजों के अवैध उत्खनन एवं निर्गमन की रोकथाम के अतिरिक्त अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में राजस्व के निर्धारण तथा संग्रहण के लिये 49 खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता उत्तरदायी हैं । खनिजों के अवैध उत्खनन तथा निर्गमन को रोकने के लिये विभाग में एक पृथक सतर्कता शाखा है जिसके प्रमुख अतिरिक्त निदेशक खान (सतर्कता) हैं ।

7.2 लेखापरीक्षा परिणाम

खान, भू-विज्ञान तथा पैट्रोलियम विभागों में 120 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां[1] थीं । इनमें से लेखापरीक्षा ने 29[2] का, जिनमें खनन पट्टों, अधिशुल्क संग्रहण ठेकों/अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेकों, खनिज के अवैध उत्खनन/परिवहन, भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत वसूली, अल्पावधि अनुमति पत्र इत्यादि के 34,276 प्रकरण[3] विद्यमान थे, लेखापरीक्षा हेतु चयन किया । इनमें से लेखापरीक्षा ने 23,374 प्रकरणों[4] (लगभग 68.19 प्रतिशत) का चयन किया, जिनमें लेखापरीक्षा ने सन्निहित ₹ 248.77 करोड़ के अनाधिकृत उत्खनित खनिजों की कीमत, स्थिर भाटक तथा अधिशुल्क, जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट फण्ड/राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट फण्ड की अवसूली/कम वसूली, शास्ति/ब्याज का अनारोपण, प्रतिभूति जमा की जब्ती का अभाव के 2,512 प्रकरण (चयनित प्रकरणों के लगभग 10.75 प्रतिशत) पाये । ये प्रकरण उदाहरण मात्र हैं तथा हमारे द्वारा की गई नमूना जांच पर आधारित हैं । समान प्रकृति की कुछ त्रुटियां लेखापरीक्षा द्वारा पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लायी गयी थीं, ना केवल ये अनियमिततायें बनी रहीं बल्कि आगामी लेखापरीक्षा होने तक उजागर नहीं हो पायीं । लेखापरीक्षा में पायी गयी त्रुटियों, चूकों और अन्य संबंधित मुद्दों के सारभूत अनुपात (लगभग 10.75 प्रतिशत) ने इंगित किया कि

---

[1] 35 इम्प्लीमेंटिंग इकाइयों सहित ।

[2] चार इम्प्लीमेंटिंग इकाइयों सहित ।

[3] 9,286 खनन पट्टे; 13 पट्रोलियम खनन पट्टे; 2 पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति; 148 अधिशुल्क संग्रहण ठेके/अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेके; 2,600 खदान अनुज्ञप्तियां; खनिज के अवैध उत्खनन/निर्गमन के 5,602 प्रकरण; राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत वसूली के 612 प्रकरण; राजस्व निर्धारण के 8,257 प्रकरण; बकाया देयताओं के 2,194 प्रकरण; 5,551 अल्पावधि अनुमति पत्र तथा 11 पट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञा-पत्र ।

[4] 2,838 खनन पट्टे; 13 पट्रोलियम खनन पट्टे; 2 पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति; 144 अधिशुल्क संग्रहण ठेके/अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेके; 262 खदान अनुज्ञप्तियां; खनिज के अवैध उत्खनन/निर्गमन के 4,235 प्रकरण; राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत वसूली के 599 प्रकरण; राजस्व निर्धारण के 8,257 प्रकरण; बकाया देयताओं के 1,462 प्रकरण; 5,551 अल्पावधि अनुमति पत्र तथा 11 पट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञा-पत्र ।

सरकार को आन्तरिक लेखापरीक्षा को मजबूत करने सहित आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता थी जिससे ऐसी खामियों के घटित होने/पुनरावृत्ति से बचा जा सके। पायी गयी अनियमिततायें मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैंः

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी		प्रकरणों की संख्या	राशि
1	'प्रधान खनिजों से प्राप्तियां' पर अनुच्छेद		1	87.53
2	अनाधिकृत उत्खनित खनिजों की कीमत की अवसूली/कम वसूली		133	12.87
3	स्थिर भाटक तथा अधिशुल्क की अवसूली/कम वसूली		213	12.23
4	शास्ति/ब्याज का अनारोपण		353	28.16
5	प्रतिभूति जमा की जब्ती का अभाव		746	20.43
6	जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट/राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट फण्ड की अवसूली/कम वसूली		55	63.39
7	अन्य अनियमिततायें	राजस्व	917	23.37
		व्यय	95	0.79
योग			**2,513**	**248.77**

वर्ष 2018-19 के दौरान विभाग ने 1,583 प्रकरणों में ₹ 38.81 करोड़ के राजस्व की कम वसूली को स्वीकार किया, जिनमें राशि ₹ 29.50 करोड़ के 660 प्रकरण वर्ष 2018-19 में तथा शेष पूर्व वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये। विभाग ने 872 प्रकरणों में ₹ 7.63 करोड़ वसूल किये, जिनमें से राशि ₹ 0.13 करोड़ के 16 प्रकरण चालू वर्ष के तथा शेष पूर्व वर्षों के थे।

'**प्रधान खनिजों से प्राप्तियां**' पर एक अनुच्छेद जिसका राजस्व प्रभाव ₹ 87.53 करोड़ है एवं ₹ 2.46 करोड़ के उदाहरणस्वरूप कुछ प्रकरणों पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की जा रही है।

7.3 प्रधान खनिजों से प्राप्तियां

7.3.1 परिचय

राजस्थान 79 प्रकार के खनिजों से समृद्ध है, जिसमें से 57 का व्यावसायिक रूप से दोहन किया जा रहा है। देश के कुल खनिज उत्पादन में राज्य की हिस्सेदारी नौ प्रतिशत है। खनन न केवल राज्य के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार का एक प्रमुख साधन है, बल्कि राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सरकार के राजस्व का एक प्रमुख स्रोत भी है।

खान एवं भू-विज्ञान विभाग का गठन 1949 में राज्य में इन खनिज संसाधनों की खोज, उत्खनन एवं प्रबंधन के उद्देश्य से किया गया था। विभाग प्रधान खनिजों के लिये केन्द्रीय विधानों {यथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा खनिज (परमाणु एवं हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों के अलावा) रियायत नियम, 2016} को प्रशासित करने के साथ ही अप्रधान खनिजों के लिये राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 का क्रियान्वयन करता है। खनन क्षेत्र के अंतर्गत अधिकांश गतिविधियों (यथा पट्टे का अनुदान, पट्टे को खण्डित करना, अधिशुल्क का संग्रहण, सुरक्षित तथा पर्यावरण हितेषी खनन सुनिश्चित करना इत्यादि) को निदेशालय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

विधिक प्रावधानों के अनुसार, खनिजों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है नामितः

(i) **प्रधान खनिजः** खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची मे विनिर्दिष्ट खनिज जैसे एगेट, एस्बेस्टोस, बैराइट्स, बॉक्साईट, कैडमियम, कोयला, ताम्बा, सीसा, मैंगनीज, निकल, रॉक फॉस्फेट, टंगस्टन, वॉलेस्टोनाईट, जिंक इत्यादि; तथा

(ii) **अप्रधान खनिजः** कोई भी खनिज जिसे केन्द्रीय सरकार राजकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अप्रधान खनिज के रूप में घोषित करती है यथा इमारती पत्थर, ग्रेवल, साधारण क्ले, साधारण रेत इत्यादि।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के अलावा सभी खनिजों के विकास और खानों के विनियमन के लिये कानूनी रूपरेखा निर्धारित करता है। केन्द्र सरकार ने अप्रधान खनिजों को छोडकर सभी खनिजों के लिये टोही (रिकानसन्स) अनुमति पत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति तथा खनन पट्टे के अनुदान को विनियमित करने के लिये खनिज रियायत नियम, 1960 बनाये तथा खनिज (परमाणु एवं हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों के अलावा) रियायत नियम, 2016 भी अधिसूचित किये। केन्द्र सरकार ने खनिजों के संरक्षण और व्यवस्थित विकास के लिये खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988[5] भी निर्मित किये। ये नियम पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, लिग्नाइट, भरण (स्टोव) के लिए रेत और अप्रधान खनिजों को छोड़कर सभी पर लागू हैं।

[5] इन नियमों को 27 फरवरी 2017 से, खनिज संरक्षण और विकास नियम 2017 से अधिक्रमित किया गया।

7.3.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

हमने ये आकलन करने के लिये लेखापरीक्षा की कि क्याः

- अधिनियम और इनके अंतर्गत बनाये गये नियमों में प्रधान खनिजों के दोहन के लिये रियायत के अनुदान, भंडारों के सही अनुमान, खनन प्राप्तियों के आरोपण, निर्धारण एवं संग्रहण के लिये पर्याप्त प्रावधान विद्यमान हैं;
- प्रधान खनिजों से खनन प्राप्तियों को शासित करने वाले अधिनियम, नियमों, अधिसूचनाओं तथा आदेशों एवं परिपत्रों के प्रावधान कुशलता पूर्वक और प्रभावी ढंग से लागू किये जा रहे हैं; तथा
- खनिजों के अनाधिकृत उत्खनन को रोकने एवं राजस्व की सुरक्षा के लिये सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली सहित पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र स्थापित है।

7.3.3 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नलिखित से लिये गयेः

- खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988 तथा 2017;
- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957;
- खान और खनिज (जिला खनिज फाउण्डेशन में योगदान) नियम, 2015;
- खनिज (परमाणु एवं हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों के अलावा) रियायत नियम, 2016;
- खनिज (नीलामी) नियम, 2015;
- खनिज (खनिज सम्पदा का साक्ष्य) नियम, 2015;
- खनिज रियायत नियम, 1960;
- राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008;
- खनिज (नीलामी से अन्यथा माध्यम से कैप्टिव उद्देश्य हेतु अनुदानित खनन पट्टे का हस्तांतरण) नियम, 2016 तथा
- राजस्थान खनिज नीति, 2011 एवं 2015।

7.3.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

अप्रेल 2015 से मार्च 2019 (लेखापरीक्षा माह तक) की अवधि को शामिल करते हुए 'प्रधान खनिजों से प्राप्तियां' पर लेखापरीक्षा अगस्त 2018 से मई 2019 तक की गयी। आकार के सानुपातिक संभावना (व्यवस्थित) नमूना पद्धति का उपयोग कर 49 में से नौ खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों[6] का चयन किया गया। चयनित कार्यालयों के अलावा, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम, जयपुर एवं निदेशालय, उदयपुर भी लेखा परीक्षा में शामिल थे। इसके अलावा 2017-18 की नियमित लेखापरीक्षा के दौरान प्रधान खनिजों की खानों के आवंटन और संचालन में पायी गयी कमियों को भी अनुच्छेद में सम्मिलित किया गया।

[6] खनि अभियंताः बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, राजसमन्द-II, उदयपुर तथा सहायक खनि अभियंताः निम्बाहेड़ा।

निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान एवं विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ परिचयात्मक चर्चा दिनांक 25 मार्च 2019 को हुई थी जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, क्षेत्र एवं मानदण्डों पर चर्चा की गयी। 9 अगस्त 2019 को हुई समापन परिचर्चा के दौरान विभाग द्वारा व्यक्त किये गये मत पर विचार करने के पश्चात् रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया है।

लेखापरीक्षा जांच परिणामों को विभाग को बताया गया तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2019)। सरकार ने नवम्बर 2019 में अपना उत्तर अग्रेषित किया।

7.3.5 प्रधान खनिजों से राजस्व

निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान, उदयपुर द्वारा प्रदान किये गये विवरणों के अनुसार राज्य में प्रधान खनिजों के 189 खनन पट्टे हैं (मार्च 2018)। 2015-16 तथा 2017-18 के दौरान प्रधान खनिजों से राजस्व संग्रहण निम्नानुसार थाः

क्र.सं.	वर्ष	राजस्व (₹ करोड़ में)
1	2015-16	1,938.54
2	2016-17	2,436.63
3	2017-18	2,696.66
4	2018-19	2,999.34

(स्रोतः निदेशक खान एवं भू-विज्ञान द्वारा प्रदान की गयी सूचना)

लेखापरीक्षा जांच परिणाम

हमने चयनित नौ खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों तथा तीन नियमित लेखापरीक्षित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों के प्रधान खनिजों के सभी 111 खनन पटटों[7] के अभिलेखों की जांच की। लेखापरीक्षा के दौरान देखे गये 238 प्रकरणों, सन्निहित ₹ 87.53 करोड़, पर हमारे जांच परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में उल्लिखित हैं।

आगे, यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि ये लेखापरीक्षा जांच परिणाम केवल चयनित कार्यालयों में प्रकरणों के हमारे विश्लेषण पर आधारित हैं तथा शेष कार्यालयों में ऐसे और मामले होने की संभावना है। इसलिये सरकार से समान कमियों/अनियमितताओं की संभावना रखने वाले अन्य सभी मामलों की समीक्षा करने और सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता की अपेक्षा की जाती है।

7.3.6 प्रणालीगत मुद्दे

7.3.6.1 खनिज सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण

राजस्थान राज्य खनिज संसाधनों में विविधता, गुणवत्ता और परिमाण के संदर्भ में समृद्ध है। खान एवं भू-विज्ञान विभाग की नियमावली के अध्याय-पांच के अनुसार, विभाग को संपूर्ण राज्य में विभिन्न खनिजों के लिये खनिज सर्वेक्षण और पूर्वेक्षण कार्य करना है।

[7] चयनित कार्यालयः बाड़मेर (30), भीलवाड़ा (8), चित्तौड़गढ़ (3), जैसलमेर (24), जालोर (5), सिरोही (9), राजसमन्द-II (3), उदयपुर (10) एवं निम्बाहेड़ा (9)। नियमित लेखापरीक्षित कार्यालयः बीकानेर (3), जयपुर (3) तथा गोटन (4)।

निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान की भू-विज्ञान शाखा के पास निम्न कार्यों को करने का दायित्व हैः

- क्षेत्रीय खनिज सर्वेक्षण;
- क्षेत्रीय भूगर्भीय मानचित्रण;
- विस्तृत भूगर्भीय मानचित्रण;
- पिटिंग, ट्रेंचिंग और नमूना लेना;
- छिद्रण (कोरिंग तथा नॉन कोरिंग दोनों) तथा
- चट्टानों/खनिजों तथा अयस्कों का रासायनिक विश्लेषण और लाभकारी अध्ययन।

राज्य सरकार ने खनिज नीति, 2015 में 'खनन के अन्तर्गत भूमि' को राज्य के कुल क्षेत्रफल के वर्तमान में 0.54 प्रतिशत से 1.5 प्रतिशत तक वृद्धि परिकल्पित की थी। राज्य का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 1,846 वर्ग किलोमीटर खनन पट्टों/अनुज्ञा के अंतर्गत है। इस प्रकार, विभाग को अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये 3,287.59 वर्ग किलोमीटर 'खनन के अन्तर्गत भूमि' को जोड़ने की आवश्यकता है।

विभाग की खनिज सर्वेक्षण और पूर्वेक्षण योजना 2017-18 की वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार 2017-18 के दौरान विभिन्न खनिजों के लिये आठ अन्वेषण कार्यक्रमों के तहत कुल 52 परियोजनायें संचालित रहीं थीं। लक्ष्य तथा प्राप्तियां निम्नानुसार थीः

क्र.सं.	कार्य की प्रकृति (इकाई)	लक्ष्य 2017-18	कुल उपलब्धियां	उपलब्धि का प्रतिशत*
1.	क्षेत्रीय खनिज, सर्वेक्षण (वर्ग किलोमीटर)	3,850.00	3,587.00	93.16
2.	क्षेत्रीय भूगर्भीय मानचित्रण (वर्ग किलोमीटर)	335.00	355.00	105.97
3.	विस्तृत भूगर्भीय मानचित्रण (वर्ग किलोमीटर)	65.00	70.65	108.69
4.	छिद्रण (मीटर)	3,000.00	2,714.50	90.48
5.	भूभौतिकी सर्वेक्षण (लाइन किलोमीटर)	120.00	120.40	100.33

* *लक्ष्यों में कमी भू-वैज्ञानिकों की अनुपलब्धता तथा अनुबंध आधारित प्रस्तावित छिद्रण के परिपक्व नहीं होने के कारण थी।*

निदेशक खान एवं भू-विज्ञान ने प्रधान खनिजों के 75.52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर 15 क्षेत्रों (ब्लॉकों) का सर्वेक्षण और पहचान की (अप्रेल 2015 से मार्च 2019 के मध्य)। इनमें से 19.89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के पांच ब्लॉकों की नीलामी कर दी गई तथा 10 ब्लॉकों की नीलामी नहीं की जा सकी। खनिज नीति, 2015 के संदर्भ में विभाग द्वारा किया गया सर्वेक्षण और पूर्वेक्षण कार्य नगण्य है, क्योंकि यह 3,287.59 वर्ग किलोमीटर वृद्धि के लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 19.89 वर्ग किलोमीटर (0.61 प्रतिशत) में किया गया था। इससे पता चलता है कि विभाग ने भूमि की खनिज संभाव्यता का सर्वेक्षण और पहचान प्रभावी तरीके से नहीं की।

यह भी देखा गया कि 12 जनवरी, 2015 के पश्चात प्रधान खनिजों के 4,708 खनन पट्टों के लिये आवेदनों को अस्वीकार/अयोग्य घोषित किया गया था। विभाग को उन क्षेत्रों में खनिज की उपलब्धता की जांच करनी चाहिये थी जिनके लिये आवेदन प्राप्त हुये थे। खनिज अवयव की उपस्थिति सिद्ध करने के बाद विभाग इन क्षेत्रों की नीलामी कर सकता था और 12 जनवरी, 2015 के पश्चात अतिरिक्त राजस्व अर्जित कर सकता था। आगे, यह भी देखा गया कि विभाग

के पास उन खनिज भंडारों का कोई आंकड़ा (डेटाबेस) नहीं था जो पट्टों की समाप्ति के बाद पट्टा क्षेत्र में शेष/बचे रहे।

दो खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों[8] में जहां विभाग ने खनिज की पहचान की थी, लेकिन नीलामी के लिये प्रक्रिया शुरू नहीं की गई थी, लेखापरीक्षा ने निम्न विवरण अनुसार पायाः

- सहायक खनि अभियंता कार्यालय गोटन के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि जिला नागौर की तहसील मेड़ता के ग्राम धनापा के पास 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला चूना पत्थर (अप्रधान खनिज) का खनन पट्टा (45/1993) एक कंपनी के पक्ष में स्थानांतरित (अप्रेल 2012) किया गया। अवैध हस्तांतरण के कारण खनन पट्टे को अंत में 'शून्य और प्रभावहीन' घोषित किया गया (दिसम्बर 2014) और सरकार द्वारा कब्जे में ले लिया गया।

पट्टे की खनन योजना से प्रकट हुआ कि पट्टा क्षेत्र में सीमेंट (प्रधान खनिज) और रासायनिक (अप्रधान खनिज) दोनों श्रेणी का चूना पत्थर था। पट्टाधारी ने खनिज चूना पत्थर का निर्गमन सीमेंट श्रेणी में किया तथा साथ ही एक कंपनी के पक्ष में खनन पट्टे को हस्तांतरण के लिये आवेदन भी किया। इससे भी यह पुष्टि होती है कि पट्टा क्षेत्र में सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर के पर्याप्त भण्डार हैं।

खनन योजना के अनुसार क्षेत्र में 129.52 मिलियन टन चूना पत्थर का भंडार था। इसमें से, पट्टाधारी ने 9.82 मिलियन टन खनिज चूना पत्थर का निर्गमन किया। इस प्रकार, 119.7 मिलियन टन (129.52 - 9.82) खनिज चूना पत्थर (सीमेंट या रासायनिक श्रेणी के) के भंडार क्षेत्र में अभी भी विद्यमान थे, तथापि विभाग द्वारा इस क्षेत्र को पुनः आवंटित नहीं किया गया।

इस संदर्भ में शीर्षक 'अप्रधान खनिज के रूप में चूना पत्थर पट्टों की अनियमित स्वीकृति' के अन्तर्गत 31 मार्च 2011 और 2012 को समाप्त वर्ष के लिये नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में क्रमशः अनुच्छेद संख्या 6.7.1 और 7.7.1 शामिल किये गये। जनलेखा समिति ने 2017-18 की अपनी 260वीं रिपोर्ट में सिफारिश की (5 मार्च 2018) कि चूंकि इस खनिज का सीमेंट निर्माण के लिये उपयोग किया जा रहा था, इसलिये पट्टों को प्रधान खनिज पट्टों के रूप में स्वीकृत किया जाना चाहिये। जनलेखा समिति की सिफारिश के बावजूद विभाग ने तदनुसार कार्यवाही नहीं की।

सरकार ने उत्तर दिया (नवम्बर 2019) कि स्थानांतरिती कंपनी द्वारा दायर एक रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन थी तथा न्यायालय ने प्रकरण पर स्थगन (अगस्त 2019) दिया है। यह भी अवगत कराया गया कि खनिज चूना पत्थर का खनन पट्टा अब केवल नीलामी के माध्यम से ही आवंटित किया जा सकता है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मई 2020)।

- खनि अभियंता कार्यालय बीकानेर के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि लिग्नाईट का एक खनन पट्टा (2/80) तहसील और जिला बीकानेर के ग्राम पलाना के पास राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के पक्ष में 800.19 हैक्टेयर क्षेत्र में 20 वर्ष (मई 1995 से मई 2015) के लिये स्वीकृत किया गया था। मई 2015 में खनन पट्टे का कब्जा विभाग द्वारा वापस ले लिया

[8] खनि अभियंता बीकानेर (1) तथा सहायक खनि अभियंता गोटन (1)।

गया । कब्जा रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि क्षेत्र में खनिज लिग्नाईट के लिये खनन कार्य नहीं किया गया था । विभाग की तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार पट्टा क्षेत्र में खनिज लिग्नाईट के 12 मिलियन टन के भंडार उपलब्ध थे । तथापि, विभाग क्षेत्र को फिर से आवंटित करने में विफल रहा ।

सरकार ने उत्तर दिया (नवम्बर 2019) कि क्षेत्र में घनी आबादी वाली आवासीय कॉलोनियों के बस जाने के कारण पट्टा क्षेत्र को पुनः आवंटित नहीं किया गया था। सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खनन पट्टा राजकीय भूमि में आवंटित किया गया था और पट्टा क्षेत्र में खनन गतिविधियों के अभाव में कॉलोनियां निर्मित हुई थीं। इससे यह भी प्रदर्शित होता है कि विभाग ने जहां खनिज उत्खनन की संभावना थी, उस क्षेत्र को रक्षित नहीं किया। यह दर्शाता है कि खनिज विकास, राजस्व सृजन के साथ-साथ विद्युत उत्पादन के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

उपरोक्त प्रकरण दर्शाते हैं कि सरकार ने खनिज नीति, 2015 में परिकल्पित अनुसार 'खनन के अन्तर्गत भूमि' को बढाने के लिये उपलब्ध खनिज भंडारों के आधार पर क्षेत्रों को पुनः आवंटित करने की उचित कार्यवाही नहीं की ।

7.3.6.2 प्रावधानों के उल्लंघन में खनन पट्टों के हस्तान्तरण

- **हाइड्रो–कार्बन/उर्जा खनिज**

खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 37(1) के अनुसार खनिज लिग्नाइट का खनन पट्टा केवल केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के पश्चात ही हस्तांतरित किया जा सकता है ।

आगे, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 21(5) के प्रावधानानुसार जब कभी कोई व्यक्ति किसी विधिक प्राधिकार के बिना, किसी भी भूमि से कोई भी खनिज उठाता है, तो राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति से इस प्रकार उठाये गये खनिज को वापस ले सकती है, या जहां ऐसे खनिज का पहले ही निपटान किया जा चुका है, उसकी कीमत तथा जिस अवधि के दौरान ऐसे व्यक्ति द्वारा बिना किसी विधिक प्राधिकार के भूमि पर कब्जा किया गया था, ऐसे व्यक्ति से किराया, अधिशुल्क या कर, जैसा भी प्रकरण हो, भी वसूल सकती है, ।

खनि अभियंता, बाड़मेर के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि तहसील और जिला बाड़मेर में खनिज लिग्नाइट के दो खनन पटटे (संख्या 8/2005 कपूरडी ब्लॉक और 24/2005 जालिपा ब्लॉक) 7,205.82 हैक्टेयर क्षेत्र (कपूरडी ब्लॉक 3,223.51 हैक्टेयर और जालिपा ब्लॉक 3,982.31 हैक्टेयर) पर क्रमशः दिसंबर 2010 और जून 2013 से 50 वर्ष की अवधि के लिये एक सरकारी कंपनी के पक्ष में स्वीकृत किये गये थे । ये खनन पट्टे सरकारी कंपनी से उसकी सहायक एक संयुक्त उद्यम कम्पनी (51 प्रतिशत अंश सरकारी कंपनी का तथा 49 प्रतिशत अंश एक लोक स्वामित्व वाली कम्पनी की सहायक का) को हस्तांतरित किये गये । हस्तांतरण पट्टा विलेख निष्पादित (अक्टूबर 2011 और मई 2015) किये गये और हस्तांतरिती को पट्टा क्षेत्र में कार्य करने के लिये अनुमत्य किया गया।

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र दिनांक 18 मई 2016 से हस्तांतरण की कार्योत्तर स्वीकृति से मना किया और टिप्पणी की कि *''कपूरड़ी और जालिपा लिग्नाइट ब्लॉकों के खनन पट्टों का सरकारी कंपनी से उसकी सहायक को हस्तांतरण प्रारंभ से ही शून्य है क्योंकि केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957*

तथा खनिज रियायत नियम 1960 में इसके लिये कोई प्रावधान नहीं है । अतः राजस्थान सरकार के इस अनुरोध को अस्वीकार किया जाता है ।" खनन पट्टे के सरकारी कंपनी से उसकी सहायक को हस्तांतरण के पश्चात् हस्तांतरणकर्ता/हस्तांतरिती द्वारा की गई खनन संक्रियाओं के संबंध में भारत सरकार ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 और अन्य लागू विधानों के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही करने का निर्देश दिया।

इस प्रकार, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार विभाग के लिये इस क्षेत्र में खनन को रोकने तथा अधिशुल्क और अन्य लागू करों इत्यादि के साथ खनिज की कीमत वसूलने के लिए कार्यवाही प्रारंभ करने की आवश्यकता थी, जैसा कि अधिनियम में प्रावधान किया गया है । तथापि, विभाग ने खनन नहीं रोका; परिणामस्वरूप 25 मई 2015 तथा मार्च 2019 के मध्य हस्तांतरिती द्वारा इन खानों से 2,40,53,901.01 मैट्रिक टन खनिज लिग्नाईट का निर्गमन किया गया। भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपेक्ष्य में विभाग को खानों से निर्गमित खनिज की कीमत ₹ 2,937.42 करोड़[9] वसूल करने की आवश्यकता थी। लेकिन विभाग ने कीमत की वसूली नहीं की तथा इस प्रकार हस्तांतरिती को अनुचित लाभ दिया गया, जिसका 49 प्रतिशत (₹ 1,439.34 करोड़) लोक स्वामित्व वाली कम्पनी की सहायक को गया।

सरकार ने उत्तर दिया (नवम्बर 2019) कि अनाधिकृत खनिज उत्खनन के लिये आवश्यक कार्यवाही करने के विभाग के प्रस्ताव सरकार के स्तर पर लंबित थे। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मई 2020)।

- **गैर-धात्विक खनिज**

खनिज (नीलामी से अन्यथा माध्यम से कैप्टिव उद्देश्य हेतु अनुदानित खनन पट्टे का हस्तांतरण) नियम, 2016 के नियम 3 के अनुसार केवल नीलामी से अन्यथा माध्यम से अनुदानित एक खनन पट्टा जो कैप्टिव उद्देश्य के लिये उपयोग किया जा रहा है, को ही हस्तांतरित किया जा सकता है । आगे, उक्त नियमों का नियम 6(1) विनिर्दिष्ट करता है कि हस्तांतरिती अधिशुल्क के अतिरिक्त भुगतान किये गये अधिशुल्क के 80 प्रतिशत[10] के बराबर हस्तांतरण प्रभार का भुगतान करेगा।

सहायक खनि अभियंता निम्बाहेडा के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि जिला चित्तौड़गढ़ की तहसील निम्बाहेड़ा के ग्राम अरनिया जोशी, मोटा शाहबाद के पास खनिज चूना पत्थर (सीमेंट श्रेणी) के लिए एक खनन पट्टा (10/2006) एक प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के पक्ष में 30 वर्ष के लिये स्वीकृत (मई 2010) किया गया । पट्टाधारी ने सूचित किया (मई 2016) कि कंपनी की स्थिति प्राईवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदल गयी है । तत्पश्चात् एक नई कंपनी (नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड) ने सूचित (मई 2017) किया कि कंपनी (लाफार्ज इंडिया लिमिटेड) का नाम अब नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन

---

[9] खनिज की कीमत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा खनिज लिग्नाईट के लिये अनुमोदित अंतरिम/तदर्थ हस्तांतरण मूल्य वर्ष 2015-16: ₹ 1,246.18; 2016-17: ₹ 1,213 तथा 2017-18: ₹ 1,213 प्रति मैट्रिक टन के अनुसार निकाली गई। चूंकि वर्ष 2018-19 के लिये डेटा उपलब्ध नहीं था, अतः पूर्व वर्ष के लिये अनुमोदित हस्तांतरण मूल्य को अपनाया गया।

[10] खनिज (नीलामी से अन्यथा माध्यम से कैप्टिव उद्देश्य हेतु अनुदानित खनन पट्टे का हस्तांतरण) नियम, 2016 की अनुसूची-IV के अनुसार।

लिमिटेड के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है तथा अभिलेखों में नाम परिवर्तन का अनुरोध किया।

विभाग के वित्तीय सलाहकार और विधि सलाहकार ने राय व्यक्त की कि पट्टाधारी ने नाम परिवर्तन चाहा है, जबकि खनन पट्टे का हस्तांतरण किया जाना अपेक्षित था। आवश्यक निर्देश जारी करने के लिये मामला राज्य सरकार को प्रेषित (सितंबर 2018) किया गया। तथापि, विभाग ने कंपनी (प्राईवेट लिमिटेड) को हस्तांतरण आवेदन प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित (नवंबर 2018) किया, लेकिन पट्टाधारी ने हस्तांतरण आवेदन प्रस्तुत नहीं किया।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि जून 2016 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान ₹ 2.65 करोड़[11] के अधिशुल्क दायित्व के 3,31,481.66 मैट्रिक टन खनिज चूना पत्थर (सीमेण्ट श्रेणी) का पट्टाधिकृत क्षेत्र से निर्गमन किया गया। यदि खनन पट्टा हस्तांतरित किया गया होता तो राशि ₹ 1.59 करोड़ हस्तांतरण प्रभार के रूप में प्राप्त की जा सकती थी।

सरकार ने उत्तर दिया (नवम्बर 2019) कि कंपनी द्वारा प्रस्तुत नए तथ्यों के आलोक में प्रकरण उच्च स्तर पर परीक्षण के लिये लंबित था। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मई 2020)।

7.3.6.3 धात्विक घटकों के प्रतिसत्यापन करने के लिए प्रणाली का अभाव

खनिज (परमाणु तथा हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों के अलावा) रियायत नियम, 2016 के नियम 39(4) के अनुसार जहां कहीं भी अधिनियम विनिर्दिष्ट करता है कि किसी भी खनिज के संबंध में अधिशुल्क का भुगतान लंदन धातु विनिमय या लंदन बुलियन बाजार एसोसियेशन मूल्य के आधार पर किया जाना है, तो उस माह के लिए उस खनिज के अधिशुल्क की गणना हटाये गये अयस्क या वास्तविक उत्पादित कुल गौण उत्पाद धातु में धातु की मात्रा, जैसा भी प्रकरण हो, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित माह के लिये धातु के औसत बिक्री मूल्य के विनिर्दिष्ट प्रतिशत पर की जायेगी। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 9 के साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची ने लंदन धातु विनिमय मूल्य के निश्चित प्रतिशत के आधार पर बॉक्साइट, तांबा, सोना, लेटराइट, सीसा, चांदी, टिन तथा जस्ता के प्रकरण में अधिशुल्क दरें निर्धारित की।

चयनित कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि धातु घटकों वाले खनिजों के दोहन के लिए पांच खनि अभियंता कार्यालयों[12] में आठ खनन पट्टे स्वीकृत किये गये थे। पट्टाधारियों द्वारा अयस्क/सांद्र में धातु घटक के प्रतिशत के आधार पर अधिशुल्क का भुगतान किया जा रहा है, इन पट्टों का अधिशुल्क प्रधान खनिजों से विभाग के कुल राजस्व का 63.09 से 76.98 प्रतिशत था जिसका विवरण निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	वर्ष	8 खनन पट्टों के अधिशुल्क से राजस्व (₹ करोड़ में)	प्रधान खनिजों से विभाग का कुल राजस्व (₹ करोड़ में)	कॉलम 4 से कॉलम 3 का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	2015-16	1,223.09	1,938.54	63.09
2	2016-17	1,687.29	2,436.63	69.25
3	2017-18	2,075.84	2,696.66	76.98
4	2018-19	2,033.94	2,999.34	67.81

[11] 3,31,481.66 मैट्रिक टन खनिज X ₹ 80 प्रति मैट्रिक टन (अधिशुल्क दर) = ₹ 2,65,18,533।

[12] खनि अभियंता अजमेरः (16/1992 सीसा, जस्ता हेतु), भीलवाड़ाः (8/1999 कैडमियम, चांदी, सीसा, जस्ता हेतु), झुंझुनूः (9/1991 तांबा हेतु, 8/1993 तांबा हेतु तथा 8/1995 तांबा हेतु), राजसमन्द-IIः (7/1995 तथा 166/2008 कैडमियम, चांदी, सीसा, जस्ता हेतु) तथा उदयपुरः (3/1989 कैडमियम, चांदी, सीसा, जस्ता हेतु)।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 24(1) निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान को अधिनियम या उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के प्रवर्तन के लिए खान/खनिजों/क्षेत्र/दस्तावेज के निरीक्षण करने का अधिकार देती है । तथापि, निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान द्वारा अयस्क की श्रेणी के स्वतंत्र निर्धारण या किये गये निरीक्षण के अभिलेख उपलब्ध नहीं थे । निर्गमित खनिज की मात्रा और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी । विभाग के पास अपनी प्रयोगशाला में भी नमूनों के परीक्षण के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी ।

आगे यह देखा गया कि पूर्वोक्त प्रकरणों में अयस्क/सांद्र में धातु घटक की मात्रा पट्टाधारियों द्वारा स्वयं ही निर्धारित की गई । विभाग ने पट्टा धारकों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विश्वास किया तथा उसी अनुरूप अधिशुल्क का निर्धारण किया ।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुये उत्तर दिया (नवम्बर 2019) कि पट्टा धारकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के मासिक परीक्षण के लिये संबंधित प्राधिकारियों को आवश्यक निर्देश (सितम्बर 2019) जारी किए गए हैं ।

7.3.6.4 अकार्यशील पट्टों को कालातीत घोषित नहीं करना

खनिज रियायत नियम, 1960 का नियम 28 सहपठित खनिज (परमाणु तथा हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों के अलावा) रियायत नियम, 2016 का नियम 20(1) उपबन्ध करता है कि जहां खनन पट्टा निष्पादन की तिथि से दो साल की अवधि के भीतर खनन संक्रियायें प्रारंभ नहीं की जाती या ऐसी संक्रियायें प्रारंभ होने के पश्चात दो साल की निरंतर अवधि के लिए बंद कर दी जाती हैं, खनन पट्टे को कालातीत घोषित कर दिया जावेगा । ऐसे पट्टों के क्षेत्रों को नियमों में निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर पुनः आवंटित किया जा सकता है ।

सात खनि अभियंता कार्यालयों (पांच चयनित और दो नियमित लेखापरीक्षित कार्यालयों) में 13 खनन पट्टों[13] के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि इन खनन पट्टों में संक्रियायें या तो प्रारंभ नहीं हुयी या पट्टाधारियों द्वारा लगातार दो वर्षों तक रोक दी गयी । संबंधित प्राधिकारियों द्वारा तथापि, वांछित कार्यवाही नहीं की गयी । परिणामस्वरूप इन पट्टा क्षेत्रों को पुनः आवंटित नहीं किया जा सका और राज्य सरकार प्राप्त होने वाले राजस्व से वंचित रही ।

सरकार ने उत्तर दिया (नवंबर 2019) कि खनि अभियंता उदयपुर के एक खनन पट्टे को खण्डित कर दिया गया है, खनि अभियंता सिरोही के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दो खनन पट्टों को खण्डित करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं, एक खनन पट्टे (खनि अभियंता उदयपुर) को खण्डित/कालातीत करने के प्रस्ताव चाहे गये थे । सात खनन पट्टों (खनि अभियंता भीलवाड़ा के तीन खनन पट्टे, खनि अभियंता बीकानेर का एक खनन पट्टा, खनि अभियंता राजसमंद-II का एक खनन पट्टा और खनि अभियंता उदयपुर के दो खनन पट्टे) को खण्डित/कालातीत नहीं किया गया है । तथापि, खनि अभियंता बाड़मेर और जयपुर प्रत्येक के एक-एक खनन पट्टे के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया । आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मई 2020) ।

---

[13] चयनित कार्यालयः बाड़मेर (1), भीलवाड़ा (3), राजसमन्द-II (1), सिरोही (2) तथा उदयपुर (4) । नियमित लेखापरिक्षित कार्यालयः बीकानेर (1) तथा जयपुर (1) ।

7.3.6.5 विभाग और भारतीय खान ब्यूरो के मध्य समन्वय का अभाव

भारत सरकार, खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर द्वारा राजस्थान राज्य में धृत प्रधान खनिजों के 181 खनन पट्टों की सूचना निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ प्रदान (मई 2019) की गयीः

- 30 खनन पट्टों में कार्य निलंबित;
- राज्य सरकार से 17 खनन पट्टों की समाप्ति के लिये अनुरोध किया गया; तथा
- राज्य सरकार से 9 खनन पट्टों को कालातीत घोषित करने के लिये अनुरोध किया।

प्रधान खनिजों के प्रकरण में खनन पट्टा धारकों को भारतीय खान ब्यूरो के पास वित्तीय आश्वासन जमा कराना आवश्यक था, जबकि खनन पट्टों/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों पर क्षेत्राधिकार रखने वाले खान विभाग के कार्यालयों में इस संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं थी। इन दो एजेन्सियों (भारतीय खान ब्यूरो और निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग) के मध्य समन्वय दोनों विभागों के लिये खनन संक्रियाओं को नियमानुसार विनियमित करने और खनन पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति इत्यादि की निश्चित शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये सहायक होगा।

भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रदान की गई सूचना से यह भी प्रकट हुआ कि 65 खनन पट्टा धारकों ने नियमानुसार देय ₹ 6.91 करोड़ के विरूद्ध केवल ₹ 0.50 करोड़ का वित्तीय आश्वासन प्रस्तुत किया था।

सरकार ने उत्तर दिया (नवंबर 2019) कि भारतीय खान ब्यूरो से बकाया वित्तीय आश्वासन के बारे में सूचना प्राप्त करने के पश्चात वसूली की प्रगति से अवगत करा दिया जावेगा। तथापि, 30 खनन पट्टों में कार्य निलंबित करने, 17 खनन पट्टों में कार्य समाप्त करने और नौ खनन पट्टों को कालातीत घोषित करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

7.3.7 अनुपालना के मुद्दे

7.3.7.1 जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट फण्ड राशि का कम भुगतान

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 73 के अनुसार पट्टाधारी के लिये ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से सृजित ई-रवन्ना[14] प्राप्त करना अनिवार्य है। आगे, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियम, 2016 का नियम 13(1) (iii) (ए) प्रावधान करता है कि प्रधान खनिजों का प्रत्येक खनिज रियायत धारक आवंटित/अनुमत्य क्षेत्र से उसके द्वारा हटाये गये अथवा/या क्षेत्र के भीतर उपयोग किये गये किसी भी खनिज के संबंध में खान एवं खनिज (जिला खनिज फाउंडेशन को अंशदान) नियम, 2015 में निर्धारित अनुसार अंशदान का भुगतान करेगा।

खान एवं खनिज (जिला खनिज फाउंडेशन को अंशदान) नियम, 2015 (सितंबर 2015) के नियम 2 के अनुसार प्रधान खनिज का प्रत्येक खनन पट्टा धारक अधिशुल्क के अतिरिक्त, जिला

[14] ई-रवन्ना किसी भी खनिज रियायत या अनुमति पत्र के अन्तर्गत अनुदानित एक विनिर्दिष्ट क्षेत्र से खनिज या ओवरबर्डन के निर्गमन, उपभोग या प्रसंस्करण के लिये विभागीय वेब पोर्टल से इलेक्ट्रोनिक रूप से सृजित एक फार्म है।

जिसमें खनन संक्रियायें की जा रही हैं, के जिला खनिज फाउंडेशन को इस दर से राशि का भुगतान करेगाः

(अ) 12 जनवरी 2015 को या उसके पश्चात अनुदानित खनन पट्टों या, पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा जैसा भी प्रकरण हो, के संबंध में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची के संदर्भ में भुगतान किये गये अधिशुल्क का दस प्रतिशत; तथा

(ब) 12 जनवरी 2015 से पूर्व अनुदानित खनन पट्टों के संबंध में उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के संदर्भ में भुगतान किये गये अधिशुल्क का तीस प्रतिशत।

पांच खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों[15] के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि यद्यपि विभाग ने अपने वेब पोर्टल के माध्यम से अधिशुल्क के भुगतान (मई 2016) और ई-रवन्ना के सृजन (अक्टूबर 2017) की सुविधा दी, परंतु जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट फंड राशि भुगतान के लिए समान प्रावधान नहीं किये। अभिलेखों की संवीक्षा ने आगे प्रकट किया कि प्रधान खनिज के 21 पट्टा धारकों ने 17 सितंबर 2015 और 31 मार्च 2018 के दौरान ₹ 773.79 करोड़ की अधिशुल्क देयता के 4.33 करोड़ मैट्रिक टन खनिजों का निर्गमन किया। इन निर्गमनों पर जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट फंड की राशि ₹ 232.11 करोड़ देय थी लेकिन पट्टा धारकों ने केवल ₹ 195.15 करोड़ ही जमा कराये। इसके परिणामस्वरूप जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट फंड राशि ₹ 36.96 करोड़ (₹ 232.11 करोड़ – ₹ 195.15 करोड़) का कम भुगतान हुआ। 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिये नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी समान आक्षेप शामिल किया गया था। तथापि, कमी अभी भी विद्यमान है और लेखापरीक्षा द्वारा नये प्रकरण देखे जा रहे हैं।

सरकार ने उत्तर दिया (नवंबर 2019) कि संबंधित कार्यालयों को राशि वसूल करने के लिए निर्देशित (सितंबर 2019) किया गया है। आगे, खान एवं भू-विज्ञान विभाग की ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली (डीएमजीओएमएस) में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट फंड राशि के लिये उचित प्रावधान किए जा रहे हैं। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मई 2020)।

7.3.7.2 राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट फंड की राशि कम जमा कराना

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 9-सी (4) के अनुसार, एक खनन पट्टा धारक राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट में द्वितीय अनुसूची के संदर्भ में भुगतान किये गये अधिशुल्क के दो प्रतिशत के बराबर एक राशि का ऐसे तरीके से जो केन्द्रीय सरकार निर्धारित करे भुगतान करेगा।

छः खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों[16] के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 22 प्रधान खनिज पट्टा धारकों द्वारा भुगतान योग्य राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट राशि ₹ 91.35 करोड़ जो 2015-16 से 2017-18 की अवधि के दौरान भुगतान योग्य अधिशुल्क

---

[15] खनि अभियंताः जैसलमेर (6), सिरोही (2) तथा उदयपुर (3)। सहायक खनि अभियताः गोटन (4) तथा निम्बाहेडा (6)।

[16] खनि अभियंताः भीलवाड़ा (2), जैसलमेर (7), राजसमन्द-II (2) तथा उदयपुर (3)। सहायक खनि अभियंताः गोटन (3) तथा निम्बाहेडा (5)।

राशि ₹ 4,567.47 करोड़ पर देय हुई थी, के बजाय राशि ₹ 71.81 करोड़ का भुगतान किया गया । इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट फण्ड राशि ₹ 19.54 करोड़ (₹ 91.35 करोड़ – ₹ 71.81 करोड़) का कम भुगतान हुआ।

सरकार ने उत्तर दिया (नवंबर 2019) कि संबंधित कार्यालयों को राशि वसूल करने के लिए निर्देशित (सितंबर 2019) किया गया है । आगे, खान एवं भू-विज्ञान विभाग की ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली (डीएमजीओएमएस) में राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट फण्ड राशि के लिये उचित प्रावधान किए जा रहे थे। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मई 2020)।

7.3.7.3 विलम्बित जमाओं पर ब्याज की अवसूली

खनिज (परमाणु तथा हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों के अलावा) रियायत नियम, 2016 के नियम 49 के अनुसार राज्य सरकार, अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उस सरकार को अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या किसी खनिज रियायत की शर्तों और निबंधनों के अधीन देय किसी किराया, अधिशुल्क या अन्य रकम पर उस सरकार द्वारा ऐसे अधिशुल्क, किराया, शुल्क या अन्य रकम के भुगतान के लिये नियत तारीख की समाप्ति के साठवें दिन से, ऐसे अधिशुल्क, किराया, शुल्क या अन्य राशि का भुगतान किये जाने तक 24 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्रभारित कर सकेगी।

तीन खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों[17] के अभिलेखों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि चार पट्टा धारकों ने सरकार को देय अधिशुल्क तथा अन्य राशियों को जमा कराने में 38 से 2,764 दिनों का विलम्ब किया। लेकिन विभाग ने ₹ 30.16 करोड़ के ब्याज का आरोपण नहीं किया।

सरकार ने उत्तर दिया (नवंबर 2019) कि ब्याज की गणना के लिये खान एवं भू-विज्ञान विभाग की ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली (डीएमजीओएमएस) में आवश्यक प्रावधान किये जा रहे थे । तथापि, आक्षेपित राशि की वसूली के संबंध में उत्तर नहीं दिया गया।

7.3.7.4 अधिशुल्क की कम वसूली

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 9(1) के अनुसार इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व अनुदानित एक खनन पट्टे का धारक, पट्टे के दस्तावेज में निहित किसी बात के या किसी प्रचलित कानून के लागू होने के बावजूद, पट्टा क्षेत्र से इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् उसके द्वारा या उसके प्रतिनिधि, प्रबंधक, कर्मचारी, ठेकेदार या उप पट्टेदार द्वारा हटाये या उपयोग किये गये किसी खनिज के लिये द्वितीय अनुसूची में उस खनिज के संबंध में तत्समय विनिर्दिष्ट की गई दर पर अधिशुल्क का भुगतान करेगा।

राज्य सरकार ने मासिक आधार पर अधिशुल्क की गणना करने, मांग कायम करने और उसकी वसूली की कार्यवाही के लिये आदेश जारी (अप्रेल 2000) किये । आगे, सरकार ने अनंतिम

[17] चित्तौड़गढ (₹ 22.53 करोड), गोटन (₹ 1.47 करोड) तथा उदयपुर (₹ 6.16 करोड)।

आधार[18] पर प्रत्येक माह की 7 तारीख तक देय अधिशुल्क की वसूली का भी आदेश दिया (मार्च 2008)।

चूंकि चूना पत्थर (सीमेंट श्रेणी) के खनन पट्टों का अधिशुल्क निर्धारण 2001 से लंबित था, इसलिए विभाग ने बैठक आयोजित की (जनवरी 2014) जिसमें सीमेंट उद्योग के प्रतिनिधियों और विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 2013 से पूर्व के बकाया अधिशुल्क निर्धारणों को पहले से निर्धारित क्लिंकर[19] तथा चूना पत्थर अनुपात को लेते हुये अंतिम रूप दिया जा सकता है। बैठक के परिणामों के आधार पर विभाग ने राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजा (मार्च 2014) जिसने पूर्व निर्धारित क्लिंकर-चूना पत्थर अनुपात या खनिज का वास्तविक निर्गमन, जो भी अधिक हो के आधार पर लंबित अधिशुल्क निर्धारणों को अंतिम रूप देने के लिये निर्देशित (मई 2014) किया।

खनि अभियंता उदयपुर के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि तहसील वल्लभनगर, ग्राम मण्डेरिया के पास खनिज चूना पत्थर (सीमेन्ट श्रेणी) के दो खनन पट्टे (23/2001 तथा 186/2008) एक कंपनी के पक्ष में स्वीकृत किये गये थे। 10 दिसम्बर 1999 से 31 मार्च 2016 की अवधि के लिये पट्टों के अधिशुल्क निर्धारण को मई 2018 में अंतिम रूप दिया गया। अधिशुल्क निर्धारण आदेश की संवीक्षा में पाया गया कि 10 दिसम्बर 1999 से 31 मार्च 2002 की अवधि के दौरान पट्टा धारक ने 13.14 लाख मैट्रिक टन क्लिंकर का उत्पादन किया और उसके पश्चात् क्लिंकर उत्पादन नहीं किया। अधिशुल्क निर्धारण आदेश में 17.16 लाख मैट्रिक टन खनिज चूना पत्थर का सीमेंट उत्पादन में उपभोग होना दर्शाया गया था। निर्धारण अधिकारी ने तथापि, खनिज की अतिरिक्त मात्रा जोड़ी और क्लिंकर के उत्पादन के लिये 18.30 लाख मैट्रिक टन[20] खनिज चूना पत्थर के उपयोग का अनुमान किया और ₹ 6.87 करोड़ की अधिशुल्क राशि आरोपित की।

राज्य सरकार के निर्देश (मई 2014) के अनुसार 13.14 लाख मैट्रिक टन क्लिंकर तैयार करने के लिये 19.97 लाख मैट्रिक टन[21] खनिज चूना पत्थर की आवश्यकता थी। इसलिये ₹ 7.74 करोड़[22] का अधिशुल्क आरोपणीय था।

निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय आरोपणीय अधिशुल्क ₹ 7.74 करोड़ के विरूद्ध ₹ 6.87 करोड़ के अधिशुल्क का आरोपण किया। इसके परिणामस्वरूप अधिशुल्क ₹ 0.87 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

---

[18] अनंतिम अधिशुल्क की गणना पिछले माह के खनिज निर्गमन के आधार पर की जानी थी।

[19] क्लिंकर सीमेन्ट उत्पादन के भट्टी चरण में उत्पादित एक गांठदार सामग्री है तथा अनेक सीमेन्ट उत्पादों में बांधने वाली सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। चूना पत्थर तथा क्ले को गर्म करके इसका उत्पादन किया जाता है। क्लिंकर, जब जिप्सम के साथ मिलाकर बारीक पीसा जाता है, तो सीमेन्ट उत्पादन होता है।

[20] 17.73 लाख मैट्रिक टन (उपयोग किया गया चूना पत्थर) तथा 0.57 लाख मैट्रिक टन (अतिरिक्त मात्रा)।

[21] 13,13,624 मैट्रिक टन क्लिंकर X 1.52 (संपरिवर्तन गुणांक)।

[22] 10 दिसम्बर 1999 से 31 मार्च 2000 के दौरान उत्पादित क्लिंकर की मात्रा 2,02,209 मैट्रिक टन थी जिसके लिये अधिशुल्क ₹ 98,35,445.76 (₹ 32 प्रति मैट्रिक टन की दर से) तथा 1 अप्रेल 2000 से 31 मार्च 2002 के दौरान उत्पादित क्लिंकर की मात्रा 11,11,415 मैट्रिक टन थी जिसके लिये अधिशुल्क ₹ 6,75,74,032 (₹ 40 प्रति मैट्रिक टन की दर से) कुल अधिशुल्क ₹ 7,74,09,477.76 आरोपणीय था।

ध्यान में लाये जाने पर सरकार ने निर्धारण वर्ष 2016-17 और 2017-18 से संबंधित टिप्पणियां प्रस्तुत (नवंबर 2019) की जो लेखापरीक्षा आक्षेप से संगत नहीं थीं। इस प्रकार, प्रासंगिक अनुपालना मांगे जाने (दिसम्बर 2019) पर भी प्रतीक्षित थी (मई 2020)।

7.3.8 ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली

विभाग ने खनिज रियायत के लिये ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने, लगभग सभी सरकारी बकाया जमा करने, ऑनलाइन ई-रवन्ना/ट्रांजिट पास सृजन करने, मांग पंजिका संधारित करने, पट्टा सूचना, जारी किये गये अनुमति पत्रों, अनाधिकृत खनन प्रकरणों तथा जमा राशियों, तुला यंत्रों (वे ब्रिज) का पैनल इत्यादि का डेटा के लिये एक वेब आधारित एप्लिकेशन विकसित की थी जिसका नाम डीएमजीओएमएस था।

पट्टों के साथ कार्मिकों के काम की प्रभावी निगरानी के लिये डीएमजीओएमएस में सूचनाओं को समय पर अद्यतन करना आवश्यक है। हमने लेखापरीक्षा के दौरान डीएमजीओएमएस में निम्न कमियां पायीः

- आवंटित पट्टों के उपलब्ध खनिज भंडारों का डेटा संधारित नहीं किया गया था;
- विभाग ने अपने पट्टाधारियों को ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से अधिशुल्क भुगतान करने की सुविधा दी लेकिन जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट फण्ड और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट फण्ड अंशदान जमा कराने की सुविधा प्रदान नहीं की। यह पूर्व में 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिये नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुच्छेद संख्या 7.4.5 में भी प्रतिवेदित किया गया था, लेकिन अभी तक जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट/राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट फण्ड का मैन्युअल रूप से भुगतान किया जा रहा है (सितंबर 2019)।
- 12 खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों[23] की 111 रियायत पत्रावलियों की डीएमजीओएमएस पर संधारित डेटाबेस से तुलना की संवीक्षा में निम्न कमियां पायी गयीः
  - ✓ 27 प्रकरणों में प्रतिभूति जमा के विवरणों को अद्यतन नहीं किया गया था और 28 प्रकरणों में राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में प्रतिभूति जमा की अवधि समाप्त हो चुकी थी।
  - ✓ 57 प्रकरणों में पट्टा धारकों द्वारा जमा कराये गये वित्तीय आश्वासन को अद्यतन नहीं किया गया था।
  - ✓ 97 प्रकरणों में खनिज उत्पादन/निर्गमन के विवरण का उल्लेख नहीं था।
  - ✓ खनन योजना (43 प्रकरण), पर्यावरण अनुमति (31 प्रकरण) और संचालन की सहमति (24 प्रकरण) की सूचना को अद्यतन नहीं किया गया।
  - ✓ 16 प्रकरणों में डीएमजीओएमएस के माध्यम से अधिशुल्क और शास्ति की मांग कायम नहीं की गयी थी।

[23] चयनित कार्यालयः बाडमेर (30), भीलवाड़ा (8), चित्तौड़गढ़ (3), जैसलमेर (24), जालौर (5), सिरोही (9), राजसमन्द-II (3), उदयपुर (10) तथा निम्बाहेड़ा (9)। नियमित लेखापरीक्षा कार्यालयः बीकानेर (3), जयपुर (3) तथा गोटन (4)।

सरकार ने उत्तर दिया (नवंबर 2019) कि विभागीय ऑनलाइन प्रणाली में सूचना के अद्यतन करने का कार्य किया जा रहा था। तथापि, प्रणाली में सूचना को अद्यतन नहीं करने के कारण प्रस्तुत नहीं किये गये। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मई 2020)।

7.3.9 आंतरिक नियंत्रण तथा निगरानी

निगरानी तथा आंतरिक नियंत्रण एक प्रबंधन उपकरण है जो उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि एक संगठन के उद्देश्यों को कुशल, प्रभावी और पर्याप्त तरीके से प्राप्त किया जा रहा है। यह सुनिश्चित करता है कि संगठन के वित्तीय हितों और संसाधनों की सुरक्षा की जाती है, प्रबंधन के लिये विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध है तथा संगठन की गतिविधियां लागू नियमों, विनियमनों तथा कानूनों का पालन करती हैं। हमने निम्नलिखित कमियां/कमजोरियां पायीः

7.3.9.1 आंतरिक लेखापरीक्षा

खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर की नियमावली के प्रावधानों के अनुसार, सहायक खनि अभियंता टौंक तथा जैसलमेर को छोड़कर सभी खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा वार्षिक रूप से की जानी आवश्यक है। उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, विभाग ने अपने अधीनस्थ कार्यालयों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है; (i) खान, (ii) सतर्कता और (iii) भू-विज्ञान और उनकी अपनी प्राथमिकता अनुसार उनकी लेखापरीक्षा करने की योजना बनायी।

निदेशक, खान एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि लगभग सभी खान कार्यालयों की लेखापरीक्षा 2004-05 से लंबित थी। यह प्रकरण नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 2011-12 से लगातार ध्यान में लाया जा रहा है। विभाग ने सूचित किया कि 2015-16 से 2017-18 में 64 कार्यालयों के विरूद्ध पांच खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों[24] की आंतरिक लेखापरीक्षा की गयी थी। इस प्रकार विभाग द्वारा की गई आंतरिक लेखापरीक्षा अपर्याप्त थी।

आंतरिक लेखापरीखा के अभाव में, विभागीय अधिकारी प्रणाली में कमजोरियों के बारे में जानकार नहीं थे जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की छीजत या अपवंचना हुई, जैसा कि इस ओर गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में ध्यान में लाया गया। इस प्रकार विभाग को अपनी आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा को मजबूत करने की आवश्यकता है। विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और सूचित किया (जनवरी 2019) कि आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य लेखा कार्मिकों की अनुपलब्धता के कारण नहीं किया जा सका।

सरकार ने उत्तर दिया (नवंबर 2019) कि वर्ष 2017-18 के दौरान एक कार्यालय की तथा 2018-19 के दौरान 11 कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा की गयी। दो कार्यालयों की लेखापरीक्षा की जा रही थी। विभाग द्वारा 64 खान कार्यालयों की लेखापरीक्षा के लिये एक कार्य

[24] खनि अभियंता, डूंगरपुर (2017-18 तक), खनि अभियंता, जयपुर (2014-15 तक), खनि अभियंता, राजसमन्द-I (2014-15 तक), सहायक खनि अभियंता, ऋषभदेव (2014-15 तक) तथा खनि अभियंता, उदयपुर (2016-17 तक)।

योजना प्रस्तुत (जनवरी 2019) की जा चुकी है । तथापि, कार्य योजना के अनुमोदन एवं निष्पादन की स्थिति सूचित नहीं की गयी ।

7.3.9.2 पट्टा निरीक्षण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं करना

विभाग ने खनि अभियंताओं/सहायक खनि अभियंताओं के लिये खनन पट्टों के वार्षिक निरीक्षण मानदण्डों को निर्धारित किया (अप्रेल 2013) था ।

खनन पट्टों के निरीक्षण से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 2015-16 से 2017-18 की अवधि के दौरान खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा किये गये निरीक्षणों की संख्या निर्धारित मानदण्डों के मुकाबले नीचे दिये गये विवरणानुसार कम रहीः

खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा किये जाने वाले अपेक्षित निरीक्षण	2015-16 से 2016-17 के लिये लक्ष्य	औसत उपलब्धियां	औसत उपलब्धियों का प्रतिशत
120 खनन पट्टों के निरीक्षण	360	204	56.54
केवल खानों और खदानों और अनाधिकृत खनन की जांच, खनिज आवागमन, नाका, चैक पोस्ट, इत्यादि के निरीक्षण के लिये दौरे पर वार्षिक 84 दिन तथा 60 रात्रि विश्राम	252/180	174/112	69.09/62.22

विभाग द्वारा निरीक्षण के समय पायी गयी कमियों पर की गयी कार्यवाही की निगरानी के लिये पट्टा निरीक्षणों का डेटाबेस/पंजिका का भौतिक रूप में या ऑनलाइन प्रणाली में संधारण नहीं किया गया था। यह पाया गया कि अधीक्षण खनि अभियंताओं को केवल खनि अभियंता/ सहायक खनि अभियंता द्वारा किये गये निरीक्षणों की संख्या सूचित की गयी थी। निरीक्षण के लिये पट्टों के चयन हेतु विभाग ने कोई वैज्ञानिक तंत्र भी विकसित नहीं किया था।

सरकार ने उत्तर दिया (नवंबर 2019) कि अप्रैल 2013 में जारी किये गये निर्देशों की निरंतरता में अधीनस्थ कार्यालयों को एक पंजिका संधारित करने के लिये पुनः निर्देशित किया गया है । जिसकी नियमित निगरानी की जा रही थी। तथापि, पट्टों के निरीक्षण नहीं किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये।

7.3.10 निष्कर्ष/परिणाम

विभाग ने खनिज नीति, 2015 में परिकल्पित अनुसार खनन के अन्तर्गत भूमि को बढ़ाने के लिये उचित कार्यवाही नहीं की। विभाग ने अवधि समाप्त खनन पट्टों में उपलब्ध प्रमाणित खनिज भंडारों के होने के डेटाबेस के बावजूद, इन क्षेत्रों को पुनः आवंटित नहीं किया।

विभाग ने 2015-16 तथा 2018-19 के मध्य प्रधान खनिजों से अपने राजस्व का 63 प्रतिशत से अधिक अयस्क/सांद्र में धातु घटकों पर आधारित धात्विक खनिजों पर अधिशुल्क से प्राप्त किया था । तथापि, विभाग के पास पट्टेधारी द्वारा दर्शायी धातु घटक प्रतिशतता का प्रति-परीक्षण कर अधिशुल्क के सही आरोपण और वसूली को सुनिश्चित करने के लिये कोई तंत्र नहीं था।

विभाग ने पट्टाधारियों को अधिशुल्क, स्थिर भाटक इत्यादि के ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा दी थी, परन्तु जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट फण्ड और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट फण्ड के अंशदान के संग्रहण के लिये समान सुविधा प्रदान नहीं की। इसके परिणामस्वरूप जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट फण्ड और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट फण्ड राशि का कम संग्रहण हुआ।

विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा का कामकाज अपर्याप्त था तथा खनन पट्टों के निरीक्षणों तथा अनुवर्ती प्रक्रिया का डेटाबेस संधारित नहीं किया गया था।

सरकार ने उत्तर दिया (नवंबर 2019) कि विभाग की भूवैज्ञानिक शाखा और डीएमजीओएमएस अनुभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही थी।

7.3.11 सिफारिशें

सरकार/विभाग निम्न पर विचार कर सकते हैं कि:

- *खनिज भंडारों का मूल्यांकन करने के लिये खनन पट्टों की खनन योजनाओं में दर्शाये गये खनिज भंडारों का एक डेटाबेस संधारित करें;*
- *अधिशुल्क के सही आरोपण और वसूली को सुनिश्चित करने के लिये पट्टा धारक द्वारा निर्धारित धात्विक घटक के प्रतिसत्यापन के लिये एक तंत्र विकसित करना;*
- *ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से अधिशुल्क भुगतान के साथ जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट फण्ड तथा राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट फण्ड संग्रहण के लिये एक विकल्प जोड़ना; तथा*
- *निरीक्षणों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिये पट्टा निरीक्षणों और उसके अनुवर्तन का एक डेटाबेस संधारित करना।*

7.4 अधिशुल्क संग्रहण ठेकों के त्रुटिपूर्ण संशोधन के कारण कम वसूली

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 32(3) सपठित राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 36(4) के अनुसार ठेकेदार द्वारा सरकार को भुगतान की जाने वाली वार्षिक राशि निविदा/ई-निविदा या नीलामी/ई-नीलामी द्वारा निर्धारित की जावेगी; बशर्ते अधिशुल्क की दरों में वृद्धि या कमी होने पर:

(i) 'अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार' निम्नलिखित फॉर्मुला के अनुसार संगणित बढी हुई या कम ठेका राशि भुगतान के लिये दायी होगा:

संशोधित ठेका राशि ={(विद्यमान ठेका राशि + कुल विद्यमान स्थिर भाटक) X नयी अधिशुल्क दर/विद्यमान अधिशुल्क दर-कुल विद्यमान स्थिर भाटक} तथा

(ii) अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार ऐसी वृद्धि या कमी की दिनांक से ठेके की शेष अवधि के लिये वृद्धि या कमी के अनुपात में बढी हुई या कम ठेका राशि भुगतान के लिये दायी होगा।

आगे, जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट नियम 2016[25] के नियम 13 (1) (iii) (बी) के अनुसार अप्रधान खनिजों के प्रकरण में जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट फंड में किये जाने वाले अंशदान की राशि भुगतान किये गये अधिशुल्क का 10 प्रतिशत होगी।

चयनित इकाइयों में अधिशुल्क संग्रहण ठेकों से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा ने निम्नलिखित अनियमिततायें प्रकट कीः

क्र.सं.	विवरण	सरकार का उत्तर
राज्य सरकार ने दिनांक 5 अगस्त 2014 की अधिसूचना के द्वारा खनिज चूना पत्थर (निर्माण पत्थर) की अधिशुल्क दर को ₹ 90 प्रति मैट्रिक टन से ₹ 110 प्रति मैट्रिक टन[26] तथा खनिज साधारण पत्थर की अधिशुल्क दर को ₹ 17 प्रति मैट्रिक टन से ₹ 23 प्रति मैट्रिक टन[27] बढाया।		
1	खनि अभियंता रामगंज मण्डी के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान (अक्टूबर 2018) यह पाया गया कि एक अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका[28] ₹ 45.22 करोड़ वार्षिक ठेका मूल्य पर एक ठेकेदार के पक्ष में स्वीकृत (मार्च 2013) किया गया था। 5 अगस्त 2014[29] को अधिशुल्क दरों में वृद्धि के पश्चात सक्षम प्राधिकारी ने दिनांक 13 अगस्त 2014 के आदेश द्वारा ठेका राशि को ₹ 45.22 करोड़ से ₹ 55.92 करोड़ पर संशोधित किया। आदेश की संवीक्षा ने प्रकट किया कि त्रुटिपूर्ण संगणना के कारण ठेका राशि को सही राशि ₹ 56.64 करोड़ के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से ₹ 55.92 करोड़ वार्षिक पर संशोधित किया गया। ठेकेदार ने इस संशोधित ठेका राशि को जमा करा दिया। इसके परिणामस्वरूप 5 अगस्त 2014 से 31 मार्च 2015 की अवधि में ठेका राशि ₹ 47.24 लाख[30] की कम वसूली हुई।	सरकार ने उत्तर दिया (जून 2019) कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच ने वसूली प्रक्रिया को स्थगित कर दिया। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मई 2020)।
राज्य सरकार ने दिनांक 27 अक्टूबर 2017 की अधिसूचना के द्वारा खनिज ग्रेनाइट (70 सेन्टीमीटर से अधिक किसी भी आयाम वाले ब्लॉक) की अधिशुल्क दर को ₹ 215 प्रति मैट्रिक टन से ₹ 280 प्रति मैट्रिक टन, खनिज साधारण पत्थर की अधिशुल्क दर को ₹ 23 प्रति मैट्रिक टन से ₹ 28 प्रति मैट्रिक टन[31], खनिज बजरी की अधिशुल्क दर को ₹ 30 प्रति मैट्रिक टन से ₹ 35 प्रति मैट्रिक टन[32] तथा खनिज चूना कंकर की अधिशुल्क दर को ₹ 20 प्रति मैट्रिक टन से ₹ 25 प्रति मैट्रिक टन बढाया। खनिज ग्रेनाइट (70 सेन्टीमीटर से अधिक किसी भी आयाम वाले ब्लॉक) की बढी हुई अधिशुल्क दर को बाद में 27 नवम्बर 2017 को ₹ 235 प्रति मैट्रिक टन तक घटा दिया गया।		

[25] राज्य सरकार द्वारा 31 मई 2016 को अधिसूचित।

[26] कोटा एवं झालावाड़ जिलों के संबंध में।

[27] कोटा एवं झालावाड़ जिलों के संबंध में।

[28] ठेका 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2015 की अवधि के लिये जिला कोटा की तहसील रामगंज मण्डी तथा जिला झालावाड़ की तहसील झालरापाटन, पिडावा, पच पहाड के राजस्व क्षेत्रों में अवस्थित खनन पट्टा क्षेत्रों से निर्गमित चूना पत्थर (निर्माण पत्थर) तथा साधारण पत्थर पर अधिक अधिशुल्क संग्रहण के लिये दिया गया था।

[29] राज्य सरकार ने दिनांक 5 अगस्त 2014 की अधिसूचना के द्वारा जिला कोटा एवं झालावाड़ के संबंध में खनिज चूना पत्थर (निर्माण पत्थर) की अधिशुल्क दर को ₹ 90 प्रति मैट्रिक टन से ₹ 110 प्रति मैट्रिक टन तथा जिला कोटा एवं झालावाड़ के संबंध में खनिज साधारण पत्थर की अधिशुल्क दर को ₹ 17 प्रति मैट्रिक टन से ₹ 23 प्रति मैट्रिक टन बढाया।

[30] कम संशोधन ₹ 0.72 करोड़ वार्षिक था (₹ 56.64 करोड़ - ₹ 55.92 करोड़)। ठेका राशि के संशोधन का शुद्ध प्रभाव 239 दिनों के लिये था इसलिये ठेका राशि में कम संशोधन ₹ 0.47 करोड़ था।

[31] चित्तौडगढ तथा जालौर जिलों के संबंध में।

[32] बीकानेर जिला के संबंध में।

2	खनि अभियंता जालौर के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान (जनवरी 2019) यह पाया गया कि दो अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेके[33] क्रमशः ₹ 11.17 करोड़ एवं ₹ 10.28 करोड़ वार्षिक ठेका मूल्य पर दो ठेकेदारों के पक्ष में स्वीकृत (मार्च 2016 एवं मई 2017) किये गये थे। तत्पश्चात अधिशुल्क दरों में वृद्धि के कारण ठेका मूल्य को क्रमशः ₹ 14.17 करोड़ एवं ₹ 13.03 करोड़ पर संशोधित (1 नवम्बर 2017) किया गया। इसके पश्चात अधिशुल्क दरों में कमी के कारण ठेका मूल्य को क्रमशः ₹ 12.77 करोड़ तथा ₹ 11.74 करोड़ पर पुनः संशोधित (29 नवम्बर 2017 एवं 8 दिसम्बर 2017) किया गया। संशोधन आदेशों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि ठेका मूल्य में संशोधन पूर्वोक्त वर्णित फॉर्मुला के अनुसार नहीं किया गया था, क्योंकि संबंधित प्राधिकारी ने दोनों अवसरों पर पट्टों के विद्यमान स्थिर भाटक को फॉर्मुला में नहीं जोड़ा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 55.86 लाख की कम वसूली हुई (जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट फंड राशि के ₹ 3.25 लाख सहित)।	सरकार ने उत्तर दिया (जून 2019 एवं नवम्बर 2019) कि एक प्रकरण में ठेकेदार ने वसूली प्रक्रिया के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष सिविल याचिका दायर की है। तथापि, द्वितीय प्रकरण में भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत वसूली की जा रही है।
3	सहायक खनि अभियंता निम्बाहेड़ा के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान (फरवरी 2019) यह पाया गया कि एक अधिशुल्क संग्रहण ठेका[34] वार्षिक ठेका मूल्य ₹ 9.71 करोड़ पर एक ठेकेदार के पक्ष में स्वीकृत (अक्टूबर 2016) किया गया था। साधारण पत्थर की अधिशुल्क दर में वृद्धि (27 अक्टूबर 2017) होने पर सक्षम प्राधिकारी ने ठेका राशि को ₹ 10.35 करोड़ पर संशोधित (10 नवम्बर 2017) किया। आदेश की संवीक्षा ने प्रकट किया कि संशोधन उचित रूप से नहीं किया गया था क्योंकि सक्षम प्राधिकारी ने खनिज चूना पत्थर (निर्माण पत्थर) तथा साधारण पत्थर की निर्गमित मात्रा को गलत रूप से विभाजित किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 33.97 लाख की कम वसूली हुई (जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट फंड के ₹ 3.09 लाख सहित)। यह उल्लेख करना उचित होगा कि रामगंज मंडी (इस तालिका की क्रम संख्या 1 पर वर्णित प्रकरण) में विभागीय प्राधिकारियों ने ठेका मूल्य में संशोधन के लिये ठेका अवधि के दौरान निर्गमित खनिज की वास्तविक मात्रा को लिया था।	सरकार ने उत्तर दिया (जून 2019) कि उपरोक्त नियमों में अधिशुल्क संग्रहण ठेका मूल्य में संशोधन हेतु कोई फॉर्मूला निर्धारित नहीं किया गया है, इसलिये ठेका राशि ठेका अवधि से पहले निर्गमित खनिजों की मात्रा के आधार पर संशोधित की गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभागीय प्राधिकारियों ने ठेका मूल्य में संशोधन हेतु अलग-अलग मानदण्ड अपनाये थे।
4	खनि अभियंता बीकानेर के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान (अप्रैल 2019) यह पाया कि एक अधिशुल्क संग्रहण सह अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2018 की अवधि के लिये वार्षिक ठेका मूल्य ₹ 32.64 करोड़[35] पर एक ठेकेदार को स्वीकृत (मार्च 2016) किया गया था। ठेका[36] खनिज क्ले के खनन पट्टों के ओवरबर्डन से प्राप्त खनिज बजरी, ग्रेवल, मुर्रम, चूना कंकर तथा कंकर पर अधिशुल्क एवं अनुमति-पत्र शुल्क तथा स्वीकृत खनन पट्टों से उत्खनित खनिज बजरी पर अधिक अधिशुल्क संग्रहण के लिये था। अधिशुल्क दरों में वृद्धि के पश्चात	सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2019) कि बकाया राशि ₹ 59.74 लाख की वसूली हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत वसूली प्रमाण-पत्र

[33] प्रथम ठेका 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2018 की अवधि के लिये जिला जालौर की तहसील आहोर तथा जिला बाडमेर की तहसील समदडी, सिवाना की राजस्व सीमा में अवस्थित स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्रों से निर्गमित ग्रेनाईट, साधारण पत्थर तथा रायोलाइट पर अधिक अधिशुल्क संग्रहण के लिये दिया गया था तथा द्वितीय ठेका 5 जून 2017 से 31 मार्च 2019 की अवधि के लिये जिला जालौर (तहसील आहोर को छोडकर) की राजस्व सीमा में अवस्थित स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्रों से निर्गमित ग्रेनाईट, साधारण पत्थर तथा रायोलाइट पर अधिक अधिशुल्क एवं जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट फंड राशि संग्रहण के लिये दिया गया था।

[34] ठेका 16 अक्टूबर 2016 से 31 मार्च 2018 की अवधि के लिये जिला चित्तौडगढ़ की तहसील निम्बाहेडा तथा भदेसर की राजस्व सीमा में अवस्थित क्वारी अनुज्ञप्ति क्षेत्रों से निर्गमित चूना पत्थर (निर्माण पत्थर) तथा साधारण पत्थर के अधिशुल्क, तुलाई शुल्क तथा जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट फंड राशि संग्रहण के लिये दिया गया था।

[35] ठेका राशि में अधिशुल्क/अधिक अधिशुल्क तथा अनुमति पत्र शुल्क शामिल था।

[36] ठेके का क्षेत्र बीकानेर (शहरी सीमा को छोडकर), तहसील नोखा, लूणकरणसर तथा कोलायत का राजस्व क्षेत्र था।

	(27.10.2017) सक्षम प्राधिकारी ने ठेका मूल्य को बढ़ाकर ₹ 35.78 करोड़ कर दिया (13 दिसम्बर 2017)। संशोधन आदेश की संवीक्षा ने प्रकट किया कि सक्षम प्राधिकारी ने अनुमति-पत्र शुल्क को कुल ठेका मूल्य का 20 प्रतिशत मानते हुये ठेका मूल्य को बढाया। खनिज बजरी का अधिशुल्क भाग (48 प्रतिशत), मुर्रम का अधिशुल्क भाग (37 प्रतिशत) तथा चूना कंकर का अधिशुल्क भाग (15 प्रतिशत) माना। तथापि, संबंधित प्राधिकारी द्वारा इस अनुपात को मानने के कोई साक्ष्य अभिलेखों में नहीं थे। लेखापरीक्षा द्वारा किये गये अनुमानों के बारे में पूछताछ करने पर (अप्रैल 2019) सक्षम प्राधिकारी ने खनिज बजरी का अधिशुल्क भाग (50 प्रतिशत), मुर्रम का अधिशुल्क भाग (17 प्रतिशत) तथा खनिज चूना कंकर का अधिशुल्क भाग (33 प्रतिशत) मानते हुये ठेका मूल्य को ₹ 37.04 करोड़ पर संशोधित (जुलाई 2019) किया। तथापि, विभाग ने इन अनुमानों के आधार को सूचित नहीं किया। इस प्रकार विभाग ने 27/10/2017 से 31/03/2018 की अवधि के लिये ₹ 59.74 लाख का कम आरोपण किया (जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट फंड राशि के ₹ 5.43 लाख सहित)।	जारी (सितम्बर 2019) किया जा चुका है तथा वसूली सूचित कर दी जावेगी । तथापि, निर्गमित खनिज की मात्रा, वसूल की गई अनुमति-पत्र शुल्क तथा अधिशुल्क राशि के विवरण मांगे जाने (जुलाई 2019) पर भी उपलब्ध नहीं कराये गये (मई 2020)।
सरकार सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अधिशुल्क संग्रहण/अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका मूल्य संशोधन हेतु एक समान प्रक्रिया विकसित करने पर विचार कर सकती है।		

7.5 स्थिर भाटक भुगतान नहीं करने/विलम्बित भुगतान पर ब्याज का कम आरोपण

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9ए (1) सपठित खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 31 के अनुसार एक प्रधान खनिज खनन पट्टे का धारक यथा निर्दिष्ट[37] प्रत्येक वर्ष स्थिर भाटक का भुगतान करेगा। अधिनियम या नियमों के अन्तर्गत सरकार को देय किसी भी बकाया राशि पर उक्त नियमों के नियम 64(ए) के अंतर्गत नियत तिथि की समाप्ति के साठवें दिन से 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज आरोपणीय है।

खान मंत्रालय ने अधिसूचना दिनांक 10 फरवरी 2015 के द्वारा 31 प्रधान खनिजों (सिलिका सैण्ड, बैराइट्स, चायना क्ले, फायर क्ले, क्वार्टज तथा सोपस्टोन सहित) को अप्रधान खनिजों के रूप में अधिसूचित किया। आगे, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 18(3) सपठित राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 28(2) (ii) के अनुसार एक अप्रधान खनिज का पट्टाधारी वार्षिक स्थिर भाटक का अग्रिम त्रैमासिक किश्तों में भुगतान करेगा। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 61 सपठित राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 77 के अनुसार अधिशुल्क तथा स्थिर भाटक राशि से संबंधित सभी बकाया पर नियत तिथि से 15 प्रतिशत वार्षिक (28 फरवरी 2017 तक) तथा उसके पश्चात 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज प्रभार्य होगा।

कार्यालय खनि अभियंता करौली के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया (दिसम्बर 2018) कि अप्रैल 2014 से जनवरी 2019 की अवधि के दौरान तीन पट्टा धारकों[38]

[37] खनिज रियायत नियमों के नियम 31 के प्रावधानानुसार खनन पट्टा अनुबंध के आदर्श फार्म के अनुसार एक पट्टाधारी को वार्षिक स्थिर भाटक दो समान अग्रिम अर्द्धवार्षिक किश्तों में भुगतान करना आवश्यक था।

[38] (i) पट्टा संख्या 1/1973 (खनिज सिलिका सैण्ड के लिये-एक प्रधान खनिज जो 10 फरवरी 2015 को अप्रधान खनिज घोषित किया गया), (ii) पट्टा संख्या 1/1996 (खनिज बैराइट्स, चायना क्ले, फायर क्ले, क्वार्टज तथा सोप स्टोन के लिये-प्रधान खनिज जो 10 फरवरी 2015 को अप्रधान खनिज घोषित किये गये) तथा (iii) पट्टा संख्या 76/1979 (खनिज साधारण पत्थर तथा बलुआ पत्थर के लिये-अप्रधान खनिज)।

की ओर स्थिर भाटक राशि के ₹ 63.29 लाख बकाया थे। इन पट्टा धारकों ने पांच से **1**,065 दिन के मध्य की विलम्ब की सीमा में ₹ 18.59 लाख की राशि जमा की। पट्टा धारकों द्वारा शेष राशि 31 मार्च 2019 तक जमा नहीं कराई गई थी । विभाग ने 31 मार्च 2019 तक ₹ 0.37 लाख की राशि ब्याज के रूप में वसूल की।

मांग एवं संग्रहण पंजिका की संवीक्षा ने प्रकट किया कि उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार ब्याज राशि ₹ 22.15 लाख आरोपणीय थी । विभाग ने, तथापि, तद्नुसार मांग कायम नहीं की। इसके परिणामस्वरूप ब्याज राशि ₹ 21.78 लाख की अवसूली रही।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित (जून 2019) किया गया । सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2019) कि दो प्रकरणों में राशि जमा कराने के लिये नोटिस जारी किये जा चुके हैं; वसूली संबंधी प्रगति प्रतीक्षित है। शेष प्रकरण में खनन पट्टा खण्डित किया जा चुका है, उत्तर तथापि, वसूली संबंधी कार्यवाही पर स्पष्ट नहीं था।

7.6 आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता

7.6.1 आन्तरिक नियंत्रण

आन्तरिक नियंत्रण संगठन के जोखिम निवारण हेतु बनाई गई एक अभिन्न प्रक्रिया है तथा उचित आश्वासन प्रदान करता है कि निम्नलिखित सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त किया जा रहा हैः

- क्रियाकलापों का व्यवस्थित, नैतिक, मितव्ययी, दक्ष और प्रभावी निष्पादन करना;
- जवाबदेही दायित्वों को पूरा करना;
- लागू कानूनों और विनियमनों का अनुपालन करना तथा
- हानि, दुरूपयोग तथा क्षति से संसाधनों की सुरक्षा।

7.6.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक नियंत्रण का एक घटक होने के कारण आन्तरिक लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है कि विभागीय क्रियाकलापों को लागू कानूनों, विनियमनों तथा अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार मितव्ययी, दक्ष तथा प्रभावी ढंग से किया जा रहा है तथा राजस्व संग्रहण न करने, कम संग्रहण या अपवंचना के विरूद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने के अतिरिक्त अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा निर्धारित अभिलेखों और पंजिकाओं का उचित एवं शुद्धता से संधारण किया जा रहा है।

निदेशक खान एवं भू-विज्ञान, उदयपुर के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि खान एवं भू-विज्ञान विभाग के लगभग सभी कार्यालयों की लेखापरीक्षा 2004-05 से बकाया थी। आन्तरिक लेखापरीक्षा के अभाव में विभागीय प्राधिकारियों को प्रणाली की कमजोरियों के क्षेत्रों के बारे में जानकारी नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की छीजत या अपवंचना हुई । यह प्रकरण नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 2011-12 से लगातार ध्यान में लाया जा रहा है। तथापि, वर्ष 2018-19 के दौरान 133 इकाइयों में से केवल चार की लेखापरीक्षा की गई जिसके कारण न केवल अनियमिततायें बनी रही बल्कि लेखापरीक्षा किये जाने तक उजागर नहीं हुई।

कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा अप्रभावी आन्तरिक लेखापरीक्षा पर प्रकाश डालने वाले दृष्टांतों पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की जा रही हैः

क्र.सं.	विवरण	सरकार का उत्तर
1	**अल्पावधि अनुमति पत्र के बिना निर्माण ठेकेदारों द्वारा साधारण मिट्टी का उपयोग** भारत सरकार ने अधिसूचना दिनांक 8 फरवरी 2000 के द्वारा तटबंधों, सड़कों, रेलवे, इमारतों, इत्यादि के निर्माण में भराव या समतलीकरण के उद्देश्यों के लिये उपयोग की गई 'साधारण मिट्टी' को अप्रधान खनिज के रूप में अधिसूचित किया। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियम, 1986 का नियम 48(1) प्रावधान करता है कि इन नियमों के अन्तर्गत अनुदानित अनुमति की शर्तों तथा निबंधनों को छोडकर कोई व्यक्ति किसी प्रकार की खनन गतिविधी नहीं करेगा। आगे, उक्त नियमों का नियम 48(5) प्रावधान करता है कि जब कभी कोई व्यक्ति विधिक प्राधिकार के बिना या अल्पावधि अनुमति पत्र की शर्तो एवं निबंधनों के उल्लंघन में किसी भूमि से कोई खनिज उठाता है और जहां इस प्रकार से उठाया गया खनिज पहले से ही उपयोग या निर्गमित किया जा चुका है, तो प्राधिकारी खनिज की कीमत वसूल कर सकेगें जो प्रचलित दरों पर देय अधिशुल्क के दस गुणा के बराबर संगणित की जावेगी। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15 नवम्बर 2011 को जारी परिपत्र ने ठेकेदारों द्वारा राजकीय विभागों/स्वायत्त निकायों/राजकीय उपक्रमों के कार्य के निष्पादन में उपयोग किये जाने वालें खनिजों के सही अधिशुल्क के आरोपण एवं संग्रहण की प्रक्रिया निर्धारित की। प्रक्रिया के अनुसार संबंधित निर्माण विभाग को कार्य के कार्यादेश तथा कार्य के निष्पादन उपयोग किये जाने वाले खनिजों के विवरणों (मैट्रिक टन या घन मीटर में) को शामिल करते हुये जी-अनुसूची[39] की प्रति संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता को प्रस्तुत करनी आवश्यक थी। आगे, संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता को यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि निर्माण विभाग ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत विकल्प[40] के अनुसार अधिशुल्क की वसूली करें। विकल्प 'सी' प्रस्तुत करने वाले ठेकेदारों को अधिशुल्क प्रदत्त खनिजों का क्रय करना आवश्यक था। चूंकि राज्य सरकार द्वारा साधारण मिट्टी के लिये खनन पट्टा अनुदानित नहीं किया गया था तथा यह केवल अल्पावधि अनुमति-पत्र के अन्तर्गत अधिशुल्क के अग्रिम भुगतान पर ही प्राप्त किया जा सकता था। सहायक खनि अभियंता टौंक में अल्पावधि अनुमति पत्रों के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया एक प्रकरण में 'जी-अनुसूची' के अनुसार दो निर्माण कार्यो के निष्पादन के लिये 66,304.74 मैट्रिक टन (47,360.53 घन मीटर) साधारण मिट्टी की आवश्यकता थी जहां ठेकेदारों ने विकल्प 'सी' प्रस्तुत किया था। कार्यों के सतत बिल/अंतिम बिल के अनुसार इन दोनों कार्यो के निष्पादन में 50,955.23 मैट्रिक टन साधारण मिट्टी उपयोग की गई थी। खान कार्यालय ने इन ठेकेदारों को अल्पावधि अनुमति-पत्र जारी नहीं किये थे तथा इस प्रकार ठेकेदारों ने अनियमित रूप से साधारण मिट्टी का उपयोग किया था। संबंधित अधिकारी इस अनियमितता का पता लगाने में	सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2019 तथा अक्टूबर 2019) कि एक प्रकरण में नोटिस (राशि जमा करने के लिये) जारी (फरवरी 2019) किया जा चुका है। दूसरे प्रकरण में ठेकेदार ने संबंधित निर्माण विभाग से प्राप्त खनिज उपयोगिता प्रमाण-पत्र के आधार पर राशि ₹ 2.71 लाख (अनुमति-पत्र शुल्क सहित) जमा करा दिये थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा आक्षेप सातवें सतत बिल तक कार्य में उपयोग किये गये खनिज की मात्रा पर आधारित था। अतः खनिज का मूल्य कार्य के अंतिम बिल में दर्शाई गई खनिज की उपयोजित मात्रा के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिये था।

[39] अनुबंध दस्तावेज में शामिल मात्राओं एवं मूल्यों की एक अनुसूची।

[40] ठेकेदार को कार्य के निष्पादन से पूर्व अधिशुल्क भुगतान के लिये संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता को शपथ पत्र के साथ विकल्पों (ए, बी, सी, डी या ई) में से एक प्रस्तुत करना आवश्यक था यथा संबंधित निर्माण विभाग द्वारा सतत बिलों से अधिशुल्क की कटौती की जाना (विकल्प 'ए'), अल्पावधि अनुमति-पत्र जारी करने के समय संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालय में अग्रिम अधिशुल्क जमा कराना (विकल्प 'बी'), अधिशुल्क चुकता खनिजों का क्रय तथा प्रथम के साथ-साथ अंतिम बिल के स्तर पर निर्धारण के लिये उनके अभिलेख संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालय में प्रस्तुत करना (विकल्प 'सी'), संयुक्त रूप से विकल्प 'बी' एवं 'सी' का उपयोग यथा अग्रिम अधिशुल्क भुगतान के पश्चात खनिजों की एक निश्चित मात्रा का स्व-उत्खनन तथा शेष वांछित मात्रा के लिये अधिशुल्क चुकता खनिजों का क्रय (विकल्प 'डी') तथा कार्य के निष्पादन के दौरान अधिशुल्क चुकता खनिजों का उपयोग और अंतिम बिल के भुगतान के समय एक राशि यथा कार्य की कुल लागत का एक निश्चित प्रतिशत भी अधिशुल्क के रूप में काटा जावेगा (विकल्प 'ई')।

	विफल रहे । इसके परिणामस्वरूप साधारण मिट्‌टी के अवैध उत्खनन के लिये राशि ₹ 15.29 लाख[41] की मांग कायम नहीं की गई ।	
2	**अधिशुल्क वसूली की गलत रसीदों को स्वीकार करने के कारण खनिज की कीमत वसूल नहीं करना** राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 51(1) के अनुसार सरकारी/अर्द्ध सराकरी संस्थानों, स्थानीय निकाय या सरकार से सहायता प्राप्त या वित्त पोषित संगठनों के कार्यों को निष्पादित करने के लिये एक ठेकेदार को खनिज के उत्खनन एवं उपयोग के लिये अल्पावधि अनुमति-प़त्र अनुदानित किया जा सकता है । आगे, उपरोक्त नियमों का नियम 51(9)(iii) प्रावधान करता है कि ठेकेदार को अनुमति-पत्र के लिये स्व-प्रमाणित वचन-पत्र के साथ यह कथन करते हुये कि अधिशुल्क प्रदत्त खनिज की संपूर्ण मात्रा ही प्राप्त या उपयोग की जावेगी, आवेदन करना आवश्यक है । आगे, यह भी प्रावधान था कि ठेकेदार निर्धारण के लिये उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ अधिशुल्क प्रदत्त खनिजों के अभिलेख प्रस्तुत करेगा तथा संबंधित खनि अभियंता से ना-बकाया का प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा । आगे उपरोक्त नियमों के नियम 54(5) के अनुसार जब कभी कोई व्यक्ति बिना किसी विधिक प्राधिकार के किसी भूमि से कोई खनिज उठाता है तथा जहां इस प्रकार से उठाया गया खनिज पहले ही उपयोग किया जा चुका है सक्षम प्राधिकारी खनिज की कीमत वसूल करेगा जो अधिशुल्क की दस गुणा ली जावेगी । कार्यालय खनि अभियंता प्रतापगढ के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान (फरवरी 2019) लेखापरीक्षा ने पाया कि खनि अभियंता ने राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमों के नियम 51(9)(iii) के अन्तर्गत एक ठेकेदार को खनिज बजरी के लिये तीन अल्पावधि अनुमति-पत्र[42] जारी (दिसम्बर 2017) किये थे । इसके पश्चात ठेकेदार ने निर्धारण हेतु अधिशुल्क प्रदत्त खनिजों के अभिलेख प्रस्तुत किये । अभिलेखों की अग्रेत्तर संवीक्षा ने प्रकट किया कि निर्धारण पूरा करते समय निर्धारण अधिकारी ने ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत सितम्बर-अक्टूबर 2017 के दौरान जारी अधिशुल्क रसीदों पर विचार किया तथा अदेय प्रमाण-पत्र प्रदान किया (अक्टूबर 2018) । ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत अधिशुल्क रसीदें कार्य आदेशों[43] की स्वीकृति की दिनांक से पूर्व जारी की गई थी तथा इस प्रकार ये अधिशुल्क रसीदें उपरोक्त नियमों के नियम 51 के अनुसार इन कार्यों के साथ जोड़ी नहीं जानी चाहिये थी । निर्धारण अधिकारी ने तथापि, ठेकेदार को अदेय लाभ प्रदान करने के लिये इन अधिशुल्क रसीदों पर अनियमित रूप से विचार किया । इसके परिणामस्वरूप खनिजों की कीमत राशि ₹ 12.43 लाख[44] की अवसूली रही ।	सरकार ने प्रत्युत्तर दिया (अगस्त 2019) कि ठेकेदार को राशि जमा करने के लिये नोटिस जारी किया (जून 2019) जा चुका है । तथापि, विभाग ने इस अनियमितता के बारे में मांगे जाने पर (दिसम्बर 2019) भी उतरदायित्व निर्धारण के बारे में सूचना नहीं दी ।

[41] ₹ 15.29 लाखः 50,955.23 मैट्रिक टन X अधिशुल्क दर ₹ 3 प्रति मैट्रिक टन X 10 ।

[42] (i) अल्पावधि अनुमति-पत्रः 50 दिनांक 19 दिसम्बर 2017, (ii) अल्पावधि अनुमति-पत्रः 52 दिनांक 21 दिसम्बर 2017 तथा (iii) अल्पावधि अनुमति-पत्रः 53 दिनांक 21 दिसम्बर 2017 ।

[43] (i) कार्य आदेश संख्या 1240 दिनांक 11 दिसम्बर 2017, (ii) कार्य आदेश संख्या 2300 दिनांक 15 दिसम्बर 2017 तथा (iii) कार्य आदेश संख्या 2316 दिनांक 15 दिसम्बर 2017 ।

[44] ₹12.43 लाखः 3,552 मैट्रिक टन (1,120+1,440+992) खनिज बजरी X अधिशुल्क दर ₹ 35 प्रति मैट्रिक टन X 10 ।

भाग-2

आर्थिक क्षेत्र

अध्याय–VIII

आर्थिक क्षेत्र की अनुपालना लेखापरीक्षा

अध्याय-VIII: आर्थिक क्षेत्र की अनुपालना लेखापरीक्षा

8.1 परिचय

8.1.1 लेखापरीक्षा की रूपरेखा

महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर द्वारा आर्थिक क्षेत्र के बारह विभागों[1] के खर्चों की लेखापरीक्षा की जाती है। इन विभागों का नेतृत्व अतिरिक्त मुख्य शासन सचिवों/प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों द्वारा किया जाता हैं, जिनकी सहायता आयुक्तों/उप शासन सचिवों एवं अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा की जाती है। इस अध्याय में नौ विभागों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्ष समाहित है। पर्यटन, ऊर्जा एवं उद्योग विभाग से सम्बन्धित लेखापरीक्षा टिप्पणियां राजस्थान के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर सीएजी के प्रतिवेदन में शामिल है ।

राजस्थान सरकार के वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान राजकोषीय संव्यवहारों का सारांश नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका: वर्ष 2017-19 में राजकोषीय संव्यवहारों का सारांश

(₹ करोड़ों में)

प्राप्तियां			संवितरण		
	2017-18	2018-19		2017-18	2018-19
अनुभाग-अ: राजस्व खाते					
कर राजस्व	50,605.41	57,380.34	सामान्य सेवायें	43,450.36	54,364.06
कर-भिन्न राजस्व	15,733.72	18,603.01	सामाजिक सेवायें	53,064.07	65,686.92
संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा	37,028.01	41,852.35	आर्थिक सेवायें	49,326.98	46,722.12
भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान	23,940.04	20,037.32	सहायतार्थ-अनुदान एवं अंशदान	0.11	0.09
योग अनुभाग-अ राजस्व प्राप्तियां	**1,27,307.18**	**1,37,873.02**	**योग अनुभाग-अ राजस्व व्यय**	**1,45,841.52**	**1,66,773.19**
अनुभाग-ब: पूंजीगत खाते एवं अन्य					
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	16.61	20.13	पूंजीगत परिव्यय	20,623.28	19,638.20
कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियां	15,133.41	15,158.41	संवितरित कर्जे तथा अग्रिम	1,334.02	1,113.09
लोक ऋण प्राप्तियां*	28,556.57	37,846.82	लोक ऋण की पुनर्अदायगी*	11,673.66	16,914.80
आकस्मिकता निधि	-	-	आकस्मिकता निधि	-	-
लोक लेखा प्राप्तियां#	1,56,811.26	1,70,527.88	लोक लेखा संवितरण#	1,47,088.02	1,60,570.22
प्रारम्भिक रोकड़ शेष	8,112.46	9,376.99	अंतिम रोकड़ शेष	9,376.99	5,793.75
योग अनुभाग-ब प्राप्तियां	**2,08,630.31**	**2,32,930.23**	**योग अनुभाग-ब संवितरण**	**1,90,095.97**	**2,04,030.06**
कुल योग (अ+ब)	**3,35,937.49**	**3,70,803.25**	**कुल योग (अ+ब)**	**3,35,937.49**	**3,70,803.25**

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

* मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल संव्यवहारों को छोड़कर

लोक लेखा प्राप्तियां/संवितरण की राशि तालिका में सकल आधार पर दर्शायी गई है ।

[1] लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, वन, सिंचित क्षेत्र विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, भूजल, पर्यावरण विभाग, पर्यटन, ऊर्जा तथा उद्योग।

8.1.2 लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकृति

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकृति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 से ली गई है।

महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर द्वारा राजस्थान सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्तशासी निकायों को शामिल करते हुए आर्थिक क्षेत्र के विभागों के व्ययों की लेखापरीक्षा सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवाओं की शर्तें) अधिनियम, 1971 तथा इसके अधीन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा एवं लेखाओं पर विनियम, 2007 के अन्तर्गत की जाती है। निष्पादन एवं अनुपालना लेखापरीक्षा के लिए सिद्धांत एवं विधियां, सीएजी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं नियम पुस्तिकाओं में निर्दिष्ट की गई हैं।

8.1.3 लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया की शुरूआत सरकार के विभिन्न विभागों/संगठनों/स्वायत्तशासी निकायों एवं योजनाओं/परियोजनाओं इत्यादि के कार्यकलापों के जोखिम के आंकलन से होती है। जोखिम आंकलन व्यय की मात्रा, गतिविधियों के महत्व, समग्र आंतरिक नियंत्रणों की स्थिति एवं भागीदारों की अपेक्षाओं पर आधारित है। इस प्रक्रिया में गत लेखापरीक्षा निष्कर्ष भी ध्यान में रखे जाते हैं। 2018-19 के दौरान, आर्थिक क्षेत्र-II लेखापरीक्षा समूह में, 256 इकाइयों के लेखापरीक्षा करने के लिए 1699 लेखापरीक्षा दल-दिनों का उपयोग किया गया था। इसके अलावा, 201 लेखापरीक्षा दल-दिनों का उपयोग एक विषयगत लेखापरीक्षा के संचालन करने के लिए किया गया। मार्च 2019 तक आर्थिक क्षेत्र के तहत नौ विभागों की 2680 निरीक्षण प्रतिवेदन (11248 अनुच्छेद) बकाया थे।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा पूर्ण होने के उपरान्त, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का समावेश करते हुए इकाई के प्रमुख को एक निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किया जाता है। इकाइयों से लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के एक माह के अन्दर उत्तर प्रेषित करने हेतु निवेदन किया जाता है। जब भी उत्तर प्राप्त होता है, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निपटारा कर लिया जाता है या अनुपालना के लिए अग्रेतर कार्यवाही की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से उजागर किये गये मुख्य लेखापरीक्षा आक्षेपों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए तैयार किया जाता है।

8.1.4 लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष

इस अध्याय में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की कार्यप्रणाली पर अनुपालन लेखापरीक्षा और पाँच एकल अनुच्छेद शामिल हैं। मुख्य बिन्दु निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिए गए हैं:

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की कार्यप्रणाली

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (विभाग) की स्थापना 1983 में समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने एवं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान के लाभों का उपयोग करके जनता के सामाजिक आर्थिक स्थिति और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के उद्देश्य से की गई थी।

नियमित गतिविधियों जैसे विज्ञान दिवस का आयोजन, विज्ञान क्लब का आयोजन, बच्चों का विज्ञान सम्मेलन, विज्ञान गतिविधियों का लोकप्रियकरण और संचार, उद्यमशीलता जागरूकता शिविर, बौद्धिक पेटेंट शिविर और अन्य विभिन्न सेमिनार/सम्मेलन विभाग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। विभाग की लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआः

- विभाग वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि आवंटित बजट का केवल 45.65 प्रतिशत का उपयोग किया गया, सैटकॉम डिवीजन की विभिन्न परियोजनाओं के लिए राज्य योजना शीर्ष के तहत आवंटित पूरे बजट को 2015-16 से 2018-19 के दौरान समर्पित कर दिया गया।
- विभाग के पास विभागीय नियमावली नहीं है। जैव-प्रौद्योगिकी नीति 2015 को छोड़कर कोई व्यापक नीति (दीर्घकालिक/अल्पकालिक) और मार्गदर्शक सिद्धांत विभाग द्वारा तैयार नहीं किए गए; और इस नीति के उद्देश्यों को भी प्राप्त नहीं किया जा सका। विभाग ने उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कोई सर्वेक्षण/अध्ययन नहीं किया है जिनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग राज्य के सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।
- विभाग जोधपुर में जैव-प्रौद्योगिकी और मेडिकल जैव-प्रौद्योगिकी केन्द्र, जयपुर में नैनो-प्रौद्योगिकी केन्द्र का संचालन नहीं कर सका और सैटकॉम कोचिंग योजना और विज्ञान क्लब के तहत प्रगति न्यूनतम थी। विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कमजोर थी क्योंकि विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदान में से विभिन्न संस्थानों/विभाग द्वारा सृजित परिसंपत्तियों के सम्बन्ध में समेकित डेटा उपलब्ध नहीं था तथा समयबद्ध रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए। मानव संसाधन प्रबन्धन को सुव्यवस्थित नहीं किया गया क्योंकि विभाग की स्थापना के 36 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी कैडर नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है और तकनीकी पदों पर प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की जा रही है।
- विभाग ने 2016-19 के दौरान भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के तहत आवंटित ₹ 29.93 करोड़ समर्पित किए। विभाग में व्याप्त कमजोर दक्षता मानकों को देखते हुए, जिसके परिणामस्वरूप करोड़ों रुपये के अनुदान का समर्पण हुआ हैं, वास्तव में शुरू हुई कुछ परियोजनाओं की गैर-निगरानी और उपयोगकर्ता विभाग के साथ समन्वय की कमी के परिप्रेक्ष्य में विभाग के अस्तित्व को बनाए रखने के औचित्य की समीक्षा की आवश्यकता है ।

इन निष्कर्षों के आधार पर, हम अनुशंसा करते हैं कि विभाग को लम्बी अवधि की नीतियों और इसमें दिए गए अधिदेश क्रियान्विति की प्रक्रिया को शामिल करने के लिए एक व्यापक मैनुअल तैयार करना चाहिए । विभाग को अध्ययन/सर्वेक्षण करना चाहिए ताकि विशिष्ट समस्याओं की पहचान की जा सके और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से जनसंख्या की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के उत्थान के लिए किया जा सके । विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुदान का उपयोग उचित और समयबद्ध तरीके से किया जाए । विभाग कैडर नियमों को प्राथमिकता पर तैयार करना चाहिए ताकि महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती स्थायी आधार पर की जा सके और विभाग की विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू और मॉनीटर किया जा सके । विभाग को विद्यालय स्तर पर विज्ञान शिक्षा की स्थिति का

मूल्यांकन करना चाहिए एवं विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षा विभाग के साथ समन्वय कर एक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए।

(***अनुच्छेद 8.2***)

लोक निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग

लोक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग ने मूल्य वृद्धि क्लॉज के तहत उचित समायोजन सुनिश्चित किए बिना अंतिम बिल पारित किए, गलत थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्षों पर आधारित मूल्यवृद्धि दावों की गणना एवं भुगतान और वित्तीय बोली खोलने की तिथि को आधार तिथि मानने की बजाए गलत तरीके से तकनीकी बोली खोलने की तिथि को आधार तिथि माना जिसके परिणामस्वरूप संवेदकों को अधिक भुगतान किया।

(***अनुच्छेद 8.3***)

योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, लोक निर्माण विभाग ने मानक से अधिक चौड़ाई, मोटाई के साथ बिना राज्य तकनीकी एजेंसी से डिजाइन प्राप्त किए और सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किये उन क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण किया जिनमें ग्रामीण गौरव पथ योजना के दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्माण की अनुमति नहीं थी।

(***अनुच्छेद 8.4)***

लोक निर्माण विभाग द्वारा सशर्त प्रस्तावों पर और उन अयोग्य निविदादाताओं को जिन्होंने उचित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये थे, अनियमित रूप से कार्य आवंटित किए गए।

(***अनुच्छेद 8.5***)

लोक निर्माण विभाग ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रामगढ़ पचवारा से कंवरपुरा रोड़ पर गलत श्रृंखला में फ्लश कॉजवे (flush causeway) के निर्माण पर ₹ 1.22 करोड़ का निष्फल व्यय किया, जिसके परिणामस्वरूप, बारिश के दौरान सड़क का 800 मीटर हिस्सा बह गया।

(***अनुच्छेद 8.6***)

लोक निर्माण विभाग द्वारा लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के उल्लंघन में एक संवेदक को ₹ 0.78 करोड़ का भुगतान कार्य आदेश देने के एक सप्ताह के भीतर किया गया। कार्य, तथापि, कार्यादेश के एक वर्ष के बाद शुरू किया गया था।

(***अनुच्छेद 8.7***)

8.1.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

राज्य सरकार के वित्त विभाग ने निश्चय किया (दिसम्बर 1996) कि सभी अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं, जो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किये गये है, पर व्याख्यात्मक नोट्स, प्रतिवेदन के विधान सभा में प्रस्तुत होने के तीन माह के अन्दर लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा

करवाकर जनलेखा समिति को प्रस्तुत किये जाये। वर्ष 2017-18 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधान-मण्डल में 6 मार्च 2020 को प्रस्तुत किया गया जिसकी निष्पादन लेखापरीक्षा/अनुच्छदों पर व्याख्यात्मक नोट 5 जून 2020 को लम्बित होंगे।

जन लेखा समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की चर्चा

31 मार्च 2020 तक जन लेखा समिति (पीएसी) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) में सम्मिलित होने वाले अनुच्छेद/निष्पादन लेखापरीक्षा की चर्चा की स्थिति निम्नानुसार है:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित एवं चर्चा किये गये अनुच्छेद/निष्पादन लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षा/अनुच्छेदों की संख्या			
	लेखापरीक्षा में सम्मिलित		चर्चा किये गये अनुच्छेद	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद
2016-17	1	11	1	10
2017-18	2	7	-	-

2015-16 तक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) में सम्मिलित हुए निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुच्छेदों पर चर्चा पूरी हो चुकी है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

8.2 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की कार्यप्रणाली

8.2.1 प्रस्तावना

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (विभाग) की स्थापना वर्ष 1983 में समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने एवं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के लाभों का प्रयोग करते हुए विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में एवं समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से की गई थी। नियमित गतिविधियों जैसे विज्ञान दिवस का आयोजन, विज्ञान क्लब का आयोजन, बच्चों का विज्ञान सम्मेलन, विज्ञान गतिविधियों का लोकप्रियकरण और संचार, उद्यमशीलता जागरूकता शिविर, बौद्धिक पेटेंट शिविर और अन्य विभिन्न सेमिनार/सम्मेलन विभाग द्वारा आयोजित किए जाते हैं।

8.2.2 संगठनात्मक संरचना

राज्य स्तर पर, प्रमुख शासन सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रशासनिक मुखिया है। विभाग स्तर पर, निदेशक, प्रशासनिक एवं तकनीकी प्रकरणों के लिए, विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर में पाँच क्षेत्रीय कार्यालय है तथा प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय का प्रमुख, परियोजना अधिकारी/अनुसंधान अधिकारी होता है। इसके अतिरिक्त राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केन्द्र (सरसैक), जोधपुर तथा क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र एवं विज्ञान पार्क, जयपुर भी सम्बन्धित परियोजना निदेशक (पीडी) के अन्तर्गत कार्य कर रहे है। विशिष्ट कार्यक्रमों/गतिविधियों[2] का संचालन निदेशालय में कार्यरत परियोजना निदेशकों

---

[2] जैसे स्टार्ट-अप बूट क्लब, कृत्रिम गर्भाधान, सैटकॉम कोचिंग सेन्टर, आदि।

द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, परियोजना अधिकारी, उपग्रह संचार (सैटकॉम) केन्द्र जयपुर निदेशक को रिपोर्ट करता है।

8.2.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य निम्न का आंकलन करना था:

- विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं/गतिविधियों की योजना बनाने की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता।
- विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं/गतिविधियों के कार्यान्वयन में प्रभावशीलता।
- प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एमआईएस) एवं निगरानी प्रणाली की प्रभावशीलता।

8.2.4 लेखापरीक्षा के मानदंड

- राजस्थान कार्य संचालन नियम 2005;
- राजस्थान सरकार के राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013;
- सामान्य वित्तीय और लेखा नियम;
- विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं को लागू करने हेतु विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश;
- राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र और आदेश।

8.2.5 लेखापरीक्षा व्याप्ति

लेखा अवधि 2016-17 से 2018-19 की लेखापरीक्षा जनवरी से जून 2019 के दौरान की गई। निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर के साथ ही पाँच क्षेत्रीय कार्यालयों[3] की लेखापरीक्षा की गई। परियोजना निदेशक, राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केन्द्र (सरसैक), जोधपुर, परियोजना अधिकारी, क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र एवं विज्ञान पार्क, जयपुर तथा परियोजना अधिकारी, सैटकॉम केन्द्र, जयपुर के कार्यालयों के अभिलेखों की भी जांच की गई। इसके अतिरिक्त, 14 में से सात खण्डों[4] के तहत लागू प्रमुख योजनाओं की लेखापरीक्षा निदेशक कार्यालय के साथ ही सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों में भी की गई। 31 जनवरी 2019 को तत्कालीन आयुक्त[5] के साथ परिचयात्मक चर्चा (Entry Conference) आयोजित की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। 27 अगस्त 2019 को विषयक आधारित अनुपालन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर चर्चा करने हेतु समापन चर्चा (Exit Conference) आयोजित की गई।

8.2.6 वित्तीय संसाधन

राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत स्वीकृत पदों हेतु केंद्रीय प्रवर्तित योजना (सीएसएस) में केंद्रीय अनुदान/सहायता के रूप में राज्य के बजट

---

3 अजमेर (मु. जयपुर), कोटा, जोधपुर, उदयपुर, और बीकानेर।

4 विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सरसैक, विज्ञान एवं समाज, विज्ञान संचार एवं लोकप्रियकरण, जैव प्रौद्योगिकी, उद्यमिता विकास कार्यक्रम तथा अनुसंधान एवं विकास।

5 विभाग प्रमुख का पदनाम पद धारण करने वाले अधिकारी की वरिष्ठता पर निर्भर करता है।

के साथ-साथ भारत सरकार से वित्तीय संसाधन प्राप्त होते हैं। वर्ष 2016-19 के दौरान विभाग द्वारा 26 वैज्ञानिक योजनाएं/परियोजनाएं[6] संचालित की गई।

विगत तीन वर्षों का आवंटन और व्यय निम्न प्रकार था:

(₹ करोड़ों में)

वर्ष	आयोजना		आयोजना भिन्न		केंद्रीय प्रवर्तित योजना		योग	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2016-17	35.52	12.48	5.55	4.64	आयोजना में सम्मिलित		41.07	17.12
2017-18	27.53	14.26	5.49	5.08	2.10	1.18	35.12	20.52
2018-19	30.44	6.80	6.36	6.03	1.86*	1.96	38.66	14.79

* संशोधित अनुमान 2.06 करोड़

उपर्युक्त तालिका की जांच में पाया गया कि राज्य आयोजना शीर्ष तथा केन्द्रीय प्रवर्तित योजना में विभिन्न परियोजनाओं में आवंटित बजट का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया जो 27.12 और 52.11 प्रतिशत के मध्य रहा। इसके अलावा प्रभागवार बजट आवंटन और व्यय ***परिशिष्ट 8.1*** में दर्शाया गया है जिसके विश्लेषण में पाया गया कि आवंटित बजट का उपयोग वर्ष 2018-19 के दौरान 14 में से 10 प्रभागों में 21.92 और 96.49 प्रतिशत रहा जबकि बायो-टेक्नोलॉजी अनुसंधान केन्द्र में यह ₹ 3000 के आवंटन के विरूद्ध शून्य था। वर्ष 2018-19 के दौरान शेष तीन प्रभागों को कोई बजट आवंटन नही किया गया।

बजट की अधिक मांग और उसके कम उपयोग के सम्बन्ध में विभागों का उत्तर अपेक्षित रहा (मई 2020)।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

8.2.7 वित्तीय प्रबन्धन

8.2.7.1 वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य

प्रत्येक प्रभाग द्वारा की गई गतिविधियों के आधार पर और बजट घोषणा/आवंटन को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक प्रभाग हेतु भौतिक लक्ष्य (परियोजना स्थापना हेतु) के साथ ही वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किये जाते है। विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों और सूचनाओं के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि 2016-19 के दौरान छः खण्डों[7] के वित्तीय लक्ष्यों की औसत उपलब्धि

[6] अनुसंधान एवं विकास प्रभाग (आर एण्ड डी परियोजना, नैनो-प्रौद्योगिकी, छात्र परियोजना, कार्यशाला/सेमिनार, परिवहन सहयोग) एसएसडी प्रभाग (पायलट परियोजना जैसे सेनेटरी नैपकिन, कृत्रिम गर्भादान, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण), संचार एवं लोकप्रियकरण (विज्ञान क्लब, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, बाल विज्ञान कांग्रेस, बाल प्रतियोगिता, अकादमिक यात्रा, विज्ञान नाटक प्रतियोगिता, विज्ञान मॉडल एवं शिक्षण सहायता तथा जागरूकता शिविर), ईडीपी प्रभाग (ईडीपी जागरूकता शिविर, कौशल विकास, आरटीबीआई / बीबीआई, स्टार्ट-अप बूट क्लब) पेटेंट प्रभाग (आईपीआर कार्यशाला / सेमिनार, विश्वविद्यालय आईपीआर प्रकोष्ठ), जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग (कार्यशाला / सेमिनार, जैव-प्रौद्योगिकी हेतु अग्रिम अनुसंधान केन्द्र), सैटकॉम प्रशिक्षण केन्द्र एवं सरसैक।

[7] सरसैक, विज्ञान एवं समाज, विज्ञान संचार एवं लोकप्रियकरण, जैव प्रौद्योगिकी, उद्यमिता विकास कार्यक्रम और अनुसंधान एवं विकास।

27.84 प्रतिशत और 83.84 प्रतिशत के मध्य रही जबकि भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि 30.22 प्रतिशत और 94.65 प्रतिशत के मध्य रही।

राज्य सरकार ने इन तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2019) और बताया कि तकनीकी कर्मचारियों की कमी और पात्र परियोजनाओं की प्राप्ति नहीं होने के कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सके। परियोजनाओं हेतु अनुदान तभी जारी किया जाता है जब पैनल द्वारा परियोजना योग्य पाई जावे। राज्य सरकार ने आगे कहा कि परियोजनाओं के अनुमोदन में समय लगने वाली प्रक्रिया के कारण, वित्त विभाग परियोजना पर कम खर्चे के आधार पर, बजट आवंटन को कम कर देता है; हालांकि, भौतिक लक्ष्य वही रहते है।

उत्तरको इस परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है कि प्राप्त औसत भौतिक लक्ष्य 30.22 प्रतिशत से 58.38 प्रतिशत तक रहे (सरसैक तथा विज्ञान और लोकप्रियकरण संचार को छोड़कर) जो इंगित करता है कि प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने और अन्य विभागों एवं संस्थानों के साथ समन्वय बढ़ाने के माध्यम से सार्वजनिक समझ और क्षमता बढ़ाने के लिए विभाग की ओर से अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।

8.2.7.2 वित्तीय संसाधनों का उपयोग नही किया जाना

राजस्थान बजट नियमावली के अध्याय 13 के बिन्दु 13.6 के अनुसार यह अति आवश्यक है कि व्यय के प्राक्कलन, जहां तक सम्भव हो, सटीक होने चाहिए।

सैटकॉम, जयपुर के अभिलेखों की संवीक्षा में विदित हुआ कि 2016-17 से 2018-19 के दौरान, विभिन्न परियोजनाओं हेतु राज्य आयोजना मद में आवंटित सम्पूर्ण बजट समर्पित किया जिसका विवरण निम्नानुसार हैः

(₹ लाखों में)

क्र.स.	मद का नाम	2016-17		2017-18		2018-19	
		आवंटन	समर्पित	आवंटन	समर्पित	आवंटन	समर्पित
1	रिसिव ओनली टरमिनल (आरओटी) की स्थापना (टीएसपी एरिया)	375.38	375.38	318.51	318.51	331.00	331.00
2	आरओटी की स्थापना (एससीएसपी[8] एरिया)	501.75	501.75	428.94	428.94	475.00	475.00
3	आरओटी की स्थापना	40.01	40.01	00.00	00.00	00.00	00.00
4	सैटकॉम टेलीमेडिसिन	50.00	50.00	00.00	00.00	00.00	00.00
5	सैटकॉम नेटवर्क का उन्नयन एवं विस्तार	00.00	00.00	50.00	50.00	10.00	10.00
	कुल योग	**967.14**	**967.14**	**797.45**	**797.45**	**816.00**	**816.00**

[8] शेड्यूल कास्ट्स सब प्लान।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर दिया गया (अक्टूबर 2019) कि उपग्रह की आवृति (अक्टूबर 2017) बदलने के कारण जिस पर ट्रांसमिशन चल रहा था, प्रौद्योगिकी के अद्यतन की आवश्यकता थी और इसलिए, राशि का उपयोग नही किया जा सका। आगे यह भी कहा गया कि विभाग प्रौद्योगिकी के प्रतिस्थापन की संभावना तलाश रहा है एवं उसके बाद नेटवर्क का विस्तार किया जा सकेगा।

चूंकि विभाग, प्रौद्योगिकी के अद्यतन की प्रक्रिया में था अतः वर्ष 2018-19 में नेटवर्क विस्तार हेतु बजट आवंटन की कोई आवश्यकता नहीं थी।

आगे सरसैक जोधपुर के अभिलेखों की संवीक्षा में विदित हुआ कि विभिन्न परियोजनाओं हेतु राज्य आयोजना मद के तहत आवंटित बजट लगभग पूरा समर्पित किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:

(₹ लाखों में)

क्र.स.	मद का नाम	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
		आवंटन	समर्पित	आवंटन	समर्पित	आवंटन	समर्पित	आवंटन	समर्पित
1.	सैटकॉम[9] (आरओटी)	234.22	234.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	डिप्लोमा कोर्स	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	मैन पावर व्हीकल हायरिंग	0.00	0.00	20.00	20.00	12.00	12.00	0.00	0.00
4.	लिडार मैपिंग	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	स्टडी ऑफ वेटलेण्ड	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	इम्पेक्ट असेसमेंट ऑफ वाटर शैड	0.00	0.00	30.00	28.00	30.00	30.00	0.00	0.00
योग		**234.22**	**234.22**	**102.00**	**100.00**	**42.00**	**42.00**	**0.00**	**0.00**

इस सम्बन्ध में उल्लेख किये जाने पर, विभाग ने बताया (मार्च 2019) कि सैटकॉम हेतु विभाग द्वारा वर्ष के अंत में[10] बजट आवंटित किया गया था जबकि डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु अलग भवन और संकाय उपलब्ध न होने के कारण बजट को समर्पित कर दिया गया । शेष परियोजनाओं के सम्बन्ध में अन्य योजनाओं के तहत उपलब्ध धनराशि का उपयोग किया गया तथा वित्त विभाग से मंजूरी नही मिलने एवं गतिविधियों का संचालन नहीं होने के कारण आवंटित बजट को समर्पित कर दिया गया।

[9] सैटकॉम का प्रशासनिक नियंत्रण सरसैक के पास फरवरी 2015 तक रहा।

[10] 30 मार्च 2016

राज्य सरकार ने आगे उत्तर में बताया (अक्टूबर 2019) कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा स्वीकृति नहीं मिलने के कारण डिप्लोमा पाठ्यक्रम का संचालन नहीं किया जा सका। शेष परियोजनाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग सैटकॉम के लिए बजट की समय पर उपलब्धता के साथ ही बजट आवंटन से पूर्व डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु भवन और संकाय की व्यवस्था के लिये जिम्मेदार था।

इसके अलावा, डिप्लोमा कोर्स को भवन और संकाय की व्यवस्था की कमी के कारण संचालित नहीं किया जा सका।

8.2.7.3 भारत सरकार से अनुदान सहायता

भारत सरकार से विभिन्न योजनाओं / गतिविधियों हेतु प्राप्त अनुदान सहायता राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (राजकोष्ट) जो विभाग के अधीन कार्यरत एक संस्था है, के व्यक्तिगत जमा खाते[11] में रखा गया। व्यक्तिगत जमा खाता एवं सम्बन्धित अभिलेखों की संवीक्षा में विदित हुआ कि विभिन्न योजनाओं हेतु 2008-09 एवं 2009-10 में भारत सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता राशि पाँच से आठ वर्षों पश्चात समर्पित कर दी गई जिसका विवरण निम्नानुसार हैः

(₹ लाखों में)

क्र.स.	योजना/गतिविधि का नाम	स्वीकृत		राशि		समर्पित	
		राशि (₹)	दिनांक	प्राप्ति (₹)	दिनांक	राशि (₹)	दिनांक
1	सैट इनपुट की आवश्यकता के लिए सेक्टर विशिष्ट समस्याओं की पहचान, आविष्कार एवं प्रलेखन	12.54	20/08/2008	6.77	03/11/2008	6.77	12/08/2016
2	राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में पाइलट प्रदर्शन परियोजना ऑन कस्टम हायरिंग ऑन एनिमल ड्रान फार्म के क्रियान्वयन हेतु	7.23	04/02/2010	5.36	26/07/2010	5.36	12/08/2016
3	उन्नत हैडपम्पों का सामाजिक प्रसार	27.75	28/01/2010	14.00	13/04/2010	14.00	12/08/2016
4	पृथ्वी ग्रह को समझना	27.90	24/03/2009	10.00	13/05/2009	10.00	18/12/2014
योग		**75.42**		**36.13**		**36.13**	

राज्य सरकार ने तथ्यों (अक्टूबर 2019) को स्वीकार किया और कहा कि रिक्त पदों के कारण, तकनीकी अधिकारियों की कमी और अन्य प्रशासनिक कारणों से, स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनुदान के उपयोग हेतु ठोस प्रयास नहीं किए गए। इससे न केवल ₹ 36.13 लाख का समर्पण हुआ, बल्कि ₹ 39.29 लाख की अनुदान सहायता की दूसरी किस्त प्राप्त करने के अवसर को भी गंवा दिया।

[11] संख्या II/547/288

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में यह ध्यान में आया कि कुछ प्रकरणों में विभिन्न योजनाओं[12] / गतिविधियों हेतु भारत सरकार से प्राप्त अनुदान का उपयोग समय पर नहीं हुआ और धनराशि व्यक्तिगत जमा खाते में 76 से 103 माहों तक अनुपयोगी रही।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2019) कि आरओ प्लांट के प्रकरण में शेष राशि का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जाएगा। बायो-गैस प्लांट के प्रकरण में, परियोजना की प्रगति को प्रस्तुत करने एवं अवशेष राशि को वापस करने हेतु कई पत्र लिखे गए हैं, साथ ही भौतिक सत्यापन हेतु एक समिति का गठन किया गया (अगस्त 2019) है। चूड़ी बनाने के भट्ठों के प्रकरण में, बकाया राशि के सम्बन्ध में निर्णय परियोजना के भौतिक सत्यापन के बाद लिया जाएगा।

उत्तर मान्य नही है क्योंकि विभाग निधियों के उपयोग को सुनिश्चित करने में सक्रिय नहीं है, इसके अतिरिक्त, विभाग पिछले आठ वर्षों में चूड़ी भट्ठों का भौतिक निरीक्षण कर सकता था जो कि नहीं किया गया।

8.2.8 आयोजना

8.2.8.1 विभागीय नियमावली

आदर्श विभागीय नियमावली एक संगठन की दीर्घकालिक दृष्टि, मिशन और नीतियों का वर्णन करती है एवं कार्य प्रणाली और प्रक्रियाओं को निर्धारित करती है।

अभिलेखों की संवीक्षा में विदित हुआ कि विभाग ने अब तक (अक्टूबर 2019) यानी अपने अस्तित्व के 36 वर्ष से अधिक समय के बाद भी विभागीय नियमावली तैयार नहीं की है। इस सम्बन्ध में अवगत कराने पर विभाग ने इस तथ्य की पुष्टि की।

8.2.8.2 नीति विवरण और मार्गदर्शक सिद्धांत

राजस्थान कार्य संचालन नियम, 2005 के अनुसार, विभाग के कर्तव्यों में शामिल हैं:

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में नीति विवरण[13] और मार्गदर्शक सिद्धांतों का गठन तथा उनके कार्यान्वयन की निगरानी करना।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों का विकास करना।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाना एवं राज्य के विकास हेतु उनको लागू करना।

तदनुसार, विभाग द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की पहचान की गई:

- सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक उपाय करना।

---

[12] आरओ प्लांट का संचालन एवं रख-रखाव (एसएसडी), भरतपुर जिले में चूड़ी बनाने के लिए बायोगैस संवर्धन तथा ग्रामीण और ऑटोमोबाइल अनुप्रयोगों एवं बॉटलिंग प्रणाली तथा उन्नत भट्ठों के डिजाईन और विकास का पायलट स्तर पर प्रदर्शन।

[13] नीति निर्माण कार्यसूची के प्रभावी और स्वीकार्य पाठ्यक्रमों का विकास है जिसे नीतिगत एजेंडे में रखा गया है।

- उन क्षेत्रों की पहचान करना जिनमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग राज्य के सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों एवं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ेपन, बेरोजगारी और गरीबी की समस्याओं से निपटने के उद्देश्यों हेतु किया जा सकता है ।
- ऐसे अनुसंधान और विकास परियोजनाओं और कार्यक्रमों को शुरू करने, समर्थन, बढ़ावा देने एवं समन्वय करने हेतु (प्रदर्शन परियोजनाओं सहित) विशिष्ट उद्देश्यों और समस्याओं की उपलब्धि हेतु प्रासंगिक होने और राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के उपयोगी दोहन में मदद करना है ।
- राज्य में विद्यालय स्तर पर विज्ञान शिक्षा का आंकलन एवं विज्ञान शिक्षा को मजबूत करने हेतु कार्य योजना का गठन ।

अभिलेखों की संवीक्षा में विदित हुआ किः

➢ जैव प्रौद्योगिकी नीति 2015 को छोड़कर कोई व्यापक नीति (दीर्घकालिक/ लघुकालिक) एवं मार्गदर्शक सिद्धान्त विभाग द्वारा तैयार नहीं किए गए थे । इसके अतिरिक्त विभाग ने अन्य विभागों से नियमित आधार पर डेटा/रिर्टन एकत्र करने हेतु कोई प्रणाली विकसित नहीं की है ताकि व्यापक नीति/योजना तैयार की जा सके ।

विभाग ने अवगत कराया (अक्टूबर 2018) कि आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, योजना विभाग द्वारा जारी रिपोर्टों के आधार पर कार्ययोजना तैयार की गई है । यद्यपि, कार्ययोजनाओं के अस्तित्व से सम्बन्धित कोई दस्तावेजी साक्ष्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाया गया ।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2019) कि विश्वविद्यालय आईपी नीति का मसौदा तैयार किया गया है तथा अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा “ओपन साइंस- ओपन इनोवेशन” में एक अध्ययन पूरा किया गया है तथा इस क्षेत्र में नीतिगत दिशानिर्देश बनाए जाएंगे ।

➢ उन क्षेत्रों की पहचान करने हेतु सर्वेक्षण अध्ययन नहीं किया गया जिनमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग राज्य के सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों-और विशेष रूप से, ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ेपन, बेरोजगारी और गरीबी की समस्याओं से निपटने हेतु किया जा सकता है ।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि (दिसम्बर 2018) विभाग द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

विभाग ने 2014-15 से 2018-19 के दौरान सर्वेक्षण/अध्ययन के अभाव में किसी भी शोध परियोजना[14] की शुरूआत नही की, हालांकि विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों के विभिन्न क्षेत्रों में मई 2013 से मार्च 2018 के बीच 55 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी । इन 55 परियोजनाओं में से मई 2019 तक 10 परियोजनाएं पूर्ण हुई । अभिलेखों की जांच में पाया गया कि लाभार्थियों/अंतिम उपयोगकर्ताओं को परिणामों के बारे में बताने हेतु न ही कोई प्रयास किया गया और न ही परिणामों को प्रसारित करने हेतु कोई उपयोगकर्ता कार्यशाला आयोजित की गई । इसके अलावा, अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के परिणामों के आधार पर किसी भी योजना को क्रियान्वित करने हेतु अन्य विभागों/संस्थानों से समन्वय के साथ प्रयास नहीं किये गये ।

[14] अपशिष्ट जल प्रबंधन, विभिन्न रोगों का उपचार, पानी का डी-फ्लोराइडाइजेशन आदि से सम्बन्धित परियोजनाएं।

राज्य सरकार ने कहा (अक्टूबर 2019) कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों का चयन अध्ययन या सर्वेक्षण के पश्चात नहीं किया गया । विषयों को, प्रथम विशेषज्ञ सलाहकार समिति जिसमें प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद् शामिल थे, द्वारा तय किया गया था। राज्य सरकार ने आगे कहा कि उपयोगकर्ताओं की कार्यशाला के आयोजन के प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

उत्तर मान्य नही है क्योंकि प्रथम विशेषज्ञ सलाहकार समिति द्वारा महत्वपूर्ण क्षेत्र के चयन के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया।

➢ राज्य में विद्यालय स्तर पर विज्ञान के अध्ययन की स्थिति का मूल्यांकन करने की प्रणाली लागू नहीं थी। इसके अतिरिक्त, विज्ञान विषय के अध्ययन को मजबूत करने हेतु कार्य योजना तैयार नहीं की गई।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2019) कि विभाग की विज्ञान लोकप्रियकरण योजना[15] का उद्देश्य विद्यालयों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाना है तथा आगे बताया कि विज्ञान अध्ययन का मूल्यांकन एवं कार्य योजना तैयार करना विद्यालय शिक्षा विभाग के नियंत्रण एवं निगरानी में किया जाता है।

उत्तर मान्य नही है क्योंकि कार्य योजना तैयार करना और विज्ञान अध्ययन की स्थिति का मूल्यांकन करना विभाग का प्राथमिक उद्देश्य था।

8.2.9 योजनाओं और नीतियों का निष्पादन

8.2.9.1 जैव-प्रौद्योगिकी (बीटी) नीति -2015

जैव-प्रौद्योगिकी (बीटी) नीति 2015, निम्न मुख्य उद्देश्यों के साथ तैयार की गई थीः

- राज्य को जैव प्रौद्योगिकी के एक आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित करना;
- वैश्विक मानक के अनुसंधान संस्थानों की स्थापना;
- जैव प्रौद्योगिकी नवाचारों हेतु प्रौद्योगिकी-सह-व्यापार इनक्यूबेटरों की स्थापना;
- सभी पारंपरिक रियायत / प्रोत्साहन पैकेजों के साथ जैव प्रौद्योगिकी में विनिर्माण सहित व्यावसायिक सेवा तैयार करना;
- जैव-विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु जैव प्रौद्योगिकी / जीवन विज्ञान उद्यान तैयार करना; तथा
- टीके, निदानिकी (diagnostics), दवा वितरण उपकरणों एवं जैव-सदृश हेतु जैव-फार्मा कंपनियों को विशेष प्रोत्साहन प्रदान करना।

उपरोक्त नीति के अनुसार, निम्नलिखित शासन एवं नियामक क्रियाविधि को प्रारम्भ करना थाः

- **राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी परिषद (आरबीसी):** एक सर्वोच्च सलाहकार समिति के रूप में राज्य की जैव प्रौद्योगिकी नीति के अधिदेश के लिए प्रासंगिक जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों की सिफारिश करने एवं सरकारी उद्योग-शैक्षणिक संपर्क को सुविधाजनक बनाने हेतु।
- **राजस्थान राज्य जैव प्रौद्योगिकी मिशन (आरएसबीटीएम):** शासन सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग एवं शासन सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के मार्गदर्शन में विशेषज्ञों, टेक्नोक्रेट्स (Technocrats), पेशेवरों, शिक्षाविदों, उद्योगपतियों एवं नीति

[15] विज्ञान क्लब, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, बाल विज्ञान कांग्रेस, बाल प्रतियोगिता, अकादमिक यात्रा, विज्ञान ड्रामा प्रतियोगिता, विज्ञान मॉडल और तकनीकी सहायता, जागरूकता शिविर।

निर्माताओं के साथ नीतियों को तैयार करने एवं लागू करने का कार्य करने हेतु एक संस्था। प्रमुख शासन सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इसके सदस्य सचिव होंगे।

- **जैव–प्रौद्योगिकी विकास, विनियामक और परीक्षण प्राधिकरण:** राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के "एकल खिड़की" अनुमोदन समिति एवं एक डेटाबेस के रूप में कार्य करने हेतु। इसे बौद्धिक संपदा एवं पेटेंटिंग, अनुसंधान, प्रक्रियाओं, उत्पाद खरीद एवं विपणन, डेटा उपयोग एवं डेटा गोपनीयता को विनियमित एवं सुविधाजनक बनाना तथा पूरे राज्य में एक समान मंच प्रदान करना था।
- **वेब आधारित विनियमन:** वेब आधारित विनियामक कार्यों को करने हेतु, जिनका एक आभासी (Virtual) कार्यालय एवं तंत्र हो।
- **जैव ई–कॉमर्स एजेंसी:** निवेश, सेवाओं, विपणन एवं वितरण हेतु जैव प्रौद्योगिकी प्राधिकरण के तहत कार्य करने हेतु। यदि संभव हो तो इसे सार्वजनिक-निजी सहभागिता प्रणाली के रूप में अथवा एक स्वतंत्र जैवप्रौद्योगिकी निवेश, सेवा एवं विपणन प्राधिकरण के रूप में बनाया जाना था।

बीटी नीति के कार्यान्वयन से सम्बन्धित अभिलेखों की संवीक्षा में विदित हुआ किः

आरबीसी और आरएसबीटीएम का गठन

राजस्थान जैव-प्रौद्योगिकी नीति 2015 के अनुपालन में, राजस्थान सरकार द्वारा आरबीसी एवं आरएसबीटीएम का गठन[16] किया गया, जिसमें जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के शासन सचिवों को भी सदस्यों के रूप में नामित किया गया था। प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य / जिला स्तरीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में जारी (07/09/2010) परिपत्र के पैरा 2.6 में वर्णित है कि जब राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय / विभागों के अधिकारियों को समितियों के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है तब सम्बन्धित विभाग की स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए। तदनुसार, प्रशासनिक सुधार विभाग ने सलाह[17] दी (मार्च 2016) कि उपरोक्त परिषदों के गठन के आदेश जारी करने के पूर्व डीबीटी, विभाग और डीएई के शासन सचिवों को शामिल करने हेतु भारत सरकार से अनुमोदन लिया जा सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त परिषदों के गठन के आदेश भारत सरकार से सहमति प्राप्त करने से पूर्व यह कहते हुए जारी किए गए थे (मई 2016) कि अनुमति की औपचारिकताएं एक पखवाड़े में पूरी कर ली जाएगी तथा अनुमति प्राप्त करने के बाद नामों को शामिल किया जाएगा। डीबीटी और डीएई विभाग से सहमति प्राप्त हो गई है, तथापि, विभाग से सहमति अपेक्षित थी (जनवरी 2019)।

लेखापरीक्षा द्वारा आक्षेपित किए जाने पर (सितम्बर/ अक्टूबर 2018) विभाग ने बताया (दिसम्बर 2018) कि दोनों निकायों की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण विभाग के साथ बैठक हेतु प्रस्ताव की पहल हेतु कदम नहीं उठाए गए थे। इसके अतिरिक्त, परिषद / मिशन के मई 2016 में गठन के बाद से की गई बैठक या की गई गतिविधियों के सम्बन्ध में कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को प्राप्त नही हुआ।

[16] कार्यालय आदेश संख्या 3807 दिनांक 10/05/2016 द्वारा।

[17] सम्बन्धित पत्रावली की नोटशीट का पैरा 32-33।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2019) तथा बताया कि कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु ठोस एजेंडा की कमी के कारण आरबीसी एवं आरएसबीटीएम की बैठक आयोजित नहीं की गई थी ।

जैव ई-कॉमर्स पोर्टल, आरबीआरए और वेब आधारित विनियमों को लागू करने में विफलता

जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों के विपणन में सहायता प्रदान करने के लिए अलीबाबा डॉट कॉम के साथ साझेदारी में एक ई-कॉमर्स उद्यम स्थापित करने का प्रस्ताव प्रमुख शासन सचिव, विभाग द्वारा सरकार को भेजा गया (जनवरी 2016) था । मुख्यमंत्री, राजस्थान के अनुमोदन के पश्चात प्रस्ताव को वित्त विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (डीओआईटी एण्ड सी) को भेजा गया (फरवरी 2016) था । वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा दिया गया (मार्च 2016) कि व्यापार के नियम के अनुसार, ई-कॉमर्स पोर्टल सहित आईटी प्लेटफॉर्म का विकास डीओआईटी एण्ड सी के अधिकार क्षेत्र का भाग है तथा डीओआईटी एण्ड सी ने पहले ही इस तरह के नवाचारों को लागू किया है एवं किसी अन्य विभाग द्वारा पृथक से ई-पोर्टल स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है । इसके अलावा जैव ई-कॉमर्स पोर्टल स्थापित करने के प्रस्ताव को विभाग द्वारा मुख्यमंत्री को पुनः प्रस्तुत किया गया (मार्च 2016) जिसे टिप्पणियों हेतु डीओआईटी एण्ड सी को अग्रेषित कर दिया गया (अप्रैल 2016) । डीओआईटी एण्ड सी ने बताया (मई 2016) कि बीटी नीति 2015 की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विपणन के लिए मौजूदा प्लेटफॉर्म को आकार (Configured) दे दिया जाएगा ।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2019) कि राज्य में जैव-उद्यमों की ऐसी आवश्यकताओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जैव प्रौद्योगिकी एजेंसियों को तभी से डीओआईटी एण्ड सी के पास भेजा गया है ।

उत्तर मान्य नहीं है क्योकि डीओआईटी एण्ड सी ने लेखापरीक्षा को पुष्टि की (मई 2019) है कि किसी भी सेवा के सम्बन्ध में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आज दिनांक तक कोई सम्पर्क नहीं किया गया ।

इसी प्रकार, आरबीआरए तथा वेब आधारित विनियामकों को भी बीटी नीति 2015 की अनुपालन में लागू किए जाने की आवश्यकता थी । संवीक्षा में विदित हुआ कि आरबीआरए और वेब आधारित विनियामकों के गठन के प्रस्तावों को वित्त विभाग द्वारा रद्द कर दिया गया था क्योंकि निवेश संवर्धन ब्यूरो, उद्योग विभाग तथा रीको के तहत एकल खिड़की व्यवस्था पहले से ही स्थापित थी तथा जैव तकनीकी क्षेत्र की गतिविधियों को इन्ही विभागों द्वारा देखा जा रहा था ।

विभाग को नीति तैयार करने से पहले एकल खिड़की प्रणाली, ई-कॉमर्स पोर्टल के अस्तित्व/ संचालन के बारे में अन्य विभागों / निकायों के साथ समन्वय करना चाहिए था, परन्तु विभाग ऐसा करने में विफल रहा । संवीक्षा में आगे विदित हुआ कि इस सम्बन्ध में स्थिति से अवगत होने के बाद भी विभाग ने निवेश संवर्धन ब्यूरो, उद्योग विभाग तथा रीको से समन्वय करने का कोई प्रयास नहीं किया । इन विभागों द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की गई (मार्च एवं मई 2019) ।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2019) कि नीतिगत विवरणों को तैयार करने एवं अंतिम रूप देने से पूर्व सम्बन्धित विभागों यथा बीआईपी, उद्योग विभाग, प्रदूषण बोर्ड आदि के साथ समन्वय स्थापित किया गया था।

उत्तर मान्य नही है क्योंकि इस सम्बन्ध लेखापरीक्षा के समय तथा उत्तर के साथ कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये।

इस प्रकार सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय की कमी और अत्यधिक महत्वाकांक्षी नीति को लागू करने में विफलता के कारण, अपेक्षित लाभों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

8.2.9.2 जैव प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु केन्द्र

वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा में, माननीय मुख्यमंत्री ने जैव प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु एक उन्नत अनुसंधान केन्द्र को जोधपुर में स्थापित करने की घोषणा की। प्रस्तावित केन्द्र को दो चरणों में स्थापित किया जाना थाः

प्रथम चरणः उपकरण खरीदे जाने थे तथा केन्द्र को जोधपुर में किराये के भवन में स्थापित किया जाना था।

द्वितीय चरणः विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार एक समर्पित केन्द्र का निर्माण किया जाएगा तथा मानव शक्ति को काम पर रखा जाएगा।

प्रस्तावित केन्द्र के लिए परियोजना विकास सेवाएं प्रदान करने हेतु मैसर्स पीडी कोर लिमिटेड, जयपुर को दोनों चरणों हेतु क्रमशः राशि ₹ 25.00 लाख एवं ₹ 15.00 लाख का कार्यादेश प्रदान किया (अगस्त 2013) गया। विभाग एवं पीडी कोर के मध्य दिनांक 30 अक्टूबर 2013 को समझौता ज्ञापन (एमओए) हस्ताक्षरित किया गया।

प्रारूप विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर विभाग से टिप्पणियां प्राप्त होने के, यदि कोई हो, 15 दिनों के भीतर पीडी कोर द्वारा अंतिम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत की जानी थी। पीडी कोर द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को तीन विशेषज्ञों की समिति द्वारा पुनरीक्षित किया जाना था तथा उक्त समिति द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को मंजूरी देने के उपरान्त, द्वितीय चरण की गतिविधियों को शुरू करने हेतु कदम उठाए जाने थे (जुलाई 2013)।

संवीक्षा में विदित हुआ कि पीडी कोर द्वारा प्रथम चरण हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन 3 जनवरी 2014 को प्रस्तुत किया गया, जबकि विशेषज्ञों की समिति का गठन (20 जनवरी 2014) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद किया गया था तथा तीन विशेषज्ञों की सहमति प्राप्त करने हेतु पत्र जारी किए गए (29 जनवरी 2014) थे। उनकी सहमति प्राप्त करने के पश्चात, उनकी पुनरीक्षित टिप्पणियों को प्राप्त करने हेतु 26 फरवरी 2014 को पत्र जारी किए गए थे। यह पाया गया कि दो विशेषज्ञों की पुनरीक्षित टिप्पणियां 26 मार्च 2014 और 6 अगस्त 2014 के मध्य प्राप्त की गईं। तीसरे विशेषज्ञ की पुनरीक्षित टिप्पणियां 22 माह की देरी से दिसम्बर 2015 में प्राप्त हुईं थी। इस दौरान पीडी कोर द्वारा सूचित किया गया (14 नवम्बर 2014) कि 3 जनवरी 2014 को प्रस्तुत की गई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को अंतिम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मान लिया जावे।

लेखापरीक्षा में पाया (अक्टूबर 2018) गया कि:

- समय पर विशेषज्ञ समिति का गठन नही करने एवं पुनरीक्षित टिप्पणियां प्राप्त करने में देरी के कारण, पीडी कोर द्वारा विशेषज्ञ समिति की पुनरीक्षित टिप्पणियों को शामिल किए बिना अंतिम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
- प्रथम चरण की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की अंतिम रूप से प्रस्तुति के बाद (अप्रैल 2016), केन्द्र की स्थापना हेतु कदम नहीं उठाये गये और इस प्रकार तीन वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी, प्रथम चरण की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने पर राशि ₹ 28.09 लाख का व्यय निष्फल रहा।
- यह भी पाया गया कि केन्द्र को राज्य सरकार के स्तर पर जोधपुर से जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया था, परन्तु इसका कारण अभिलेख में नहीं पाया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने (सितम्बर-अक्टूबर 2018) पर विभाग द्वारा अवगत कराया (अक्टूबर-दिसम्बर 2018) गया कि केन्द्र को स्थानांतरित करने का निर्णय सरकार स्तर पर लिया गया था, इसके अतिरिक्त, तीन विशेषज्ञों में से एक ने यह सुझाव भी दिया था कि यदि केन्द्र जयपुर में स्थापित किया जाता है तो अधिक प्रासंगिक होगा। उत्तर मान्य नही है क्योकि सक्रिय कार्रवाई की कमी एवं उचित योजना के अभाव के कारण पाँच वर्ष से अधिक का समय बीतने के बावजूद भी केन्द्र स्थापित नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा द्वारा आगे बताया जाने (जुलाई 2019) के बाद, केन्द्र की स्थापना में देरी के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कोई विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया, हालांकि, यह स्वीकार किया गया कि केन्द्र की स्थापना हमेशा विभाग का शीर्ष एजेंडा रहा है तथा वर्तमान में इसका दृढ़ता से पालन किया जा रहा है।

8.2.9.3 नैनो-प्रौद्योगिकी के लिए उत्कृष्टता केन्द्र

वर्ष 2011-12 की बजट घोषणा के अनुसार, "नैनो-प्रौद्योगिकी" में उच्च स्तरीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय (यूओआर) के रूपान्तरित (Converging) प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीसीटी) में एक केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था। तदनुसार, उपरोक्त केन्द्र की स्थापना हेतु अनुदान जारी करने के लिए विभाग एवं राजस्थान विश्वविद्यालय के मध्य एक अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किये गये (11 फरवरी 2012) थे। अनुबन्ध के अनुसार, 2011-12 के दौरान प्रथम चरण हेतु राशि ₹ 8.00 करोड़ का गैर-आवर्ती अनुदान तथा 2012-13 के दौरान द्वितीय चरण में उपकरणों की खरीद हेतु राशि ₹ 2.00 करोड़ जारी की जानी थी। उपकरणों के रख-रखाव एवं उपभोग्य वस्तुओं हेतु 2012-13 से 2014-15 के दौरान प्रति वर्ष ₹ 1.00 करोड़ का आवर्ती अनुदान भी जारी किया जाना था। विभाग द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय को ₹ 8.00 करोड़ जारी किए गये (30 मार्च 2012)।

अभिलेखों की संवीक्षा में विदित हुआ कि:

- विभाग को निगरानी समिति के माध्यम से केन्द्र के अनुसंधान/प्रशिक्षण कार्यक्रम की निगरानी करनी थी। समिति का गठन जुलाई 2012 में किया गया था परन्तु समिति की बैठक आज तक नहीं हुई एवं न ही विभाग ने भौतिक/वित्तीय प्रगति के बारे में समिति से रिपोर्ट मांगी/प्रयास किये।

- विभाग द्वारा उपभोग्य वस्तुओं पर आनुपातिक शुल्क के आधार पर नैनो प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित अनुसंधान कार्य करने हेतु एक वैज्ञानिक को मनोनीत करना था परन्तु विभाग ने वैज्ञानिक के मनोनयन हेतु कोई कार्यवाही नही की।
- अनुबन्ध के बिन्दु 2.7 एवं 2.9 के अनुसार, सीसीटी को सभी आवधिक रिपोर्ट एवं दस्तावेज विभाग द्वारा आवश्यक होने पर, परियोजना के तहत किये गये खर्च के वार्षिक लेखापरीक्षित विवरण के साथ तैयार कर प्रस्तुत करने थे। संवीक्षा में विदित हुआ कि केवल उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्राप्त करने के प्रयास किये गये जो कि बहुत देरी के बाद प्रस्तुत[18] किया गया परन्तु इसके बाद मशीनों की स्थापना एवं उनके संचालन की प्रगति के बारे में न तो विभाग द्वारा पूछा गया और न ही आज तक सीसीटी द्वारा ब्यौरा प्रस्तुत किया गया।
- विभाग और राजस्थान विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ आयोजित[19] केन्द्र के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान, यह देखा गया कि यूएस डॉलर की विनिमय दर में वृद्धि के कारण सात आवश्यक उपकरणों के विरूद्ध केवल चार उपकरण (लागत राशि 8.96 करोड़) ही खरीदे जा सके। इसके अलावा केन्द्र का संचालन नहीं किया गया था क्योंकि प्रमुख उपकरणों को अभी भी स्थापित किया जाना बाकी था (जून 2019)।
- विभाग द्वारा द्वितीय चरण हेतु राशि ₹ 2.00 करोड़ एवं रख-रखाव तथा उपभोग्य वस्तुओं हेतु प्रति वर्ष राशि ₹ 1.00 करोड़ का अनुदान प्रदान नही किया गया। इसके अलावा, केन्द्र के संचालन हेतु योजना तैयार नही की गई। इस प्रकार, उपकरणों की स्थापना नहीं होने एवं विभाग द्वारा शेष अनुदान जारी नहीं करने के कारण, नैनो-प्रौद्योगिकी केन्द्र को इसकी अवधारणा के छः वर्ष बाद भी संचालित नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर दिया गया (अक्टूबर 2019) कि उपकरणों की खरीद एवं स्थापना में देरी के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार है। आगे अवगत कराया गया कि दो उपकरण 2014 से संचालन में थे तथा सीसीटी छात्रों एवं संकाय सदस्यों द्वारा उपयोग किए जा रहे थे।

उत्तर दर्शाता है कि विभाग एवं राजस्थान विश्वविद्यालय के मध्य निगरानी एवं समन्वय की कमी थी। इसके अलावा, दो उपकरणों के उपयोग के सम्बन्ध में आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये गये तथा अनुसंधान कार्य करने के लिए वैज्ञानिकों को मनोनीत करने की कार्य योजना भी तैयार नहीं की गई थी।

8.2.9.4 सैटकॉम कोचिंग योजना का कार्यान्वयन

उपग्रह संचार की स्थापना 2005 में विभिन्न विभागों की गतिविधियों के प्रशिक्षण और प्रचार के उद्देश्य से इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, जयपुर में विकास एवं शिक्षा संचार इकाई (डीईसीयू), ईसरो अहमदाबाद के साथ की गई थी। विभाग इस परियोजना हेतु नोडल एजेंसी है। कार्यक्रम को प्रारम्भ में अप्रैल 2011 से तीन लगातार वर्षों के लिए प्रस्तावित किया गया था तथा निर्धारित मानदंडों के अनुसार फीडबैक के आधार पर नियमित मूल्यांकन के बाद, कार्यक्रम को भविष्य में जारी रखा जाना था।

---

[18] 30 मार्च 2016 को।

[19] 30 अक्टूबर 2018 एवं 21 जून 2019

अभियांत्रिकी की प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु सैटकॉम कोचिंग द्वारा राज्य के दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़े परिवारों के लगभग 7000 मेधावी छात्रों को प्रतिवर्ष सुविधा प्रदान की जानी थी। यह कोचिंग जिला परिषद, पंचायत समिति एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (जीएसएसएस) आदि पर स्थापित 512 रिसीव ओनली टर्मिनल[20] (आरओटी) एवं 76 सैटेलाइट इंटरएक्टिव टर्मिनल[21] (एसआईटी) के माध्यम से प्रदान की जानी थी।

2016-17 से 2018-19 के दौरान संचालित सैटकॉम केन्द्र तथा इन केन्द्रों पर किये गये व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ लाखों में)

वर्ष	स्थापित किये गये केन्द्रों की कुल संख्या		संचालित सैटकॉम केन्द्रों की संख्या (%)	कुल आवंटित बजट	कुल व्यय (%)
	आरओटी	एसआईटी			
2016-17	512	76	92 (15.65)	220.00	65.93 (29.97)
2017-18	512	76	46 (7.82)	220.00	46.84 (21.29)
2018-19	512	76	46 (7.82)	100.00	20.24 (20.24)
कुल				**540.00**	**133.01 (24.63)**

उपरोक्त सारणी से प्रदर्शित होता है कि केवल 7.82 से 15.65 प्रतिशत केन्द्र संचालित थे तथा आवंटित बजट का केवल 20.24 से 29.97 प्रतिशत का उपयोग किया गया था।

इसके अतिरिक्त, अभिलेखों की संवीक्षा में योजना के संचालन में निम्नलिखित कमियां विदित हुई:

- कार्यक्रम के तहत पंजीकरण का मापदंड यह था कि छात्र को 11वीं कक्षा में विज्ञान विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त होने चाहिए। विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) के माध्यम से जमा किया जाना था तथा जिन छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाना था, उनकी अंतिम सूची विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की समिति जिसमें परियोजना निदेशक, परियोजना अधिकारी एवं अनुसंधान अधिकारी शामिल हो, द्वारा जांच के पश्चात तैयार की जानी थी। अभिलेखों की संवीक्षा में विदित हुआ कि पात्र छात्रों से आवेदन आमंत्रित करने तथा दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों से पिछड़े छात्रों के चयन हेतु प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी।
- जिला परिषद और पंचायत समिति स्तर पर सैटकॉम कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति की निगरानी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा की जानी थी। इसके अतिरिक्त, परियोजना के मूल्यांकन हेतु, एक पखवाड़े में एक बार छात्रों से नियमित फीडबैक प्राप्त किया जाना था। इस प्रयोजन के लिए छात्रों को एक प्रारूप वितरित किया जाना था तथा एसआईटी संचालक द्वारा एकत्र किया जाना था। सैटकॉम कार्यालय, जयपुर फीडबैक की जांच करने एवं इसे शासन सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अध्यक्षता वाली विभागीय समिति को प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेदार था। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

[20] 312 आरओटी 2008 से 2010 मे मध्य तथा 200 आरओटी 2013 में स्थापित किये गये।

[21] 2008 से 2010 मे मध्य स्थापित किये गये।

- कार्यक्रम के मूल्यांकन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को विभिन्न संस्थानों से भाग लेने वाले छात्रों के चयन के बारे में जानकारी एकत्र करनी थी। संवीक्षा में विदित हुआ कि न तो कार्यक्रम के मूल्यांकन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जानकारी एकत्रित की जा रही थी और न इस तरह की सूचना विभागीय स्तर के दस्तावेजों में पाई गई।
- राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों पर संचालित 46 केंद्रों में से 14 सैटकॉम केंद्रों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया किः
  - 13 केन्द्रों पर छात्रों के चयन, कक्षाओं की अनुसूची, छात्रों की उपस्थिति, छात्रों के फीडबैक सम्बन्धी अभिलेखों का संधारण नहीं किया गया।
  - 11 केन्द्रों पर पिछले दो से छह वर्षों से कक्षाएं आयोजित नहीं की गईं।
  - 10 केन्द्रों पर सैटकॉम टर्मिनल काम नही कर रहा था। इन 10 में से चार केन्द्रों पर, पिछले दो से छह वर्षों से टर्मिनल काम नहीं कर रहा था।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2019) तथा अवगत कराया कि आरओटी का कम उपयोग, उपग्रह के नई आवृत्ति (Frequency) पर स्थानान्तरण (Migration) के कारण हुआ। छात्रों से नामांकन, उपस्थिति एवं फीडबैक के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि ये नोडल अधिकारियों / प्राचार्यों से प्राप्त किए जा रहे थे। सकारात्मक फीडबैक के आधार पर योजना को आगे जारी रखा गया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 14 में से 11 केंद्रों पर पिछले दो से छह वर्षों के दौरान सैटकॉम कक्षाएं आयोजित नहीं की गई थी जो कि विभागीय अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक निरीक्षण में सत्यापित किया गया।

इस प्रकार, दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़े परिवारों के छात्रों को अभियांत्रिकी एवं चिकित्सा पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु सैटकॉम कोचिंग की सुविधा प्रदान करने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। लेखापरीक्षा आश्वस्त नही है कि सैटकॉम कोचिंग की स्थापना के लिए ₹ 1.33 करोड़ का किया गया व्यय अपने वांछित उद्देश्य को प्राप्त कर चुका है।

8.2.9.5 पशुधन में कृत्रिम गर्भाधान के उपयोग पर परियोजना

पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा मूल्यांकन करने के पश्चात पीईसी लिमिटेड[22] के "कृत्रिम गर्भाधान में नवीनतम तकनीक का उपयोग करके पशुधन की आबादी बढ़ाने के पायलट प्रोजेक्ट" सम्बन्धी प्रस्ताव को विभाग ने स्वीकार किया। तदनुसार, राशि ₹ 63.05 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति और साथ-साथ पीईसी लिमिटेड के पक्ष में राशि ₹ 31.52 लाख (अनुदान का 50 प्रतिशत) अग्रिम के रूप में जारी करने की वित्तीय स्वीकृति जारी (13 मई 2016) की गई। संयुक्त निदेशक (प्रजनन एवं गौशाला) को राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया तथा पाँच जिलों (जयपुर, उदयपुर, नागौर, भरतपुर और चूरू) के जिला उप निदेशकों को जिला स्तरीय नोडल अधिकारी[23] नियुक्त किया गया। परियोजना के तहत जयपुर, उदयपुर और भरतपुर जिलों के विभिन्न कृत्रिम गर्भाधान (एआई) केंद्रों पर पशु चिकित्सा अधिकारियों और एआई कार्यकर्ताओं को 60 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाना था।

[22] भारत सरकार का उपक्रम।

[23] 23/02/2016 के आदेश द्वारा।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि:

- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तीन जिलों यथा जयपुर, उदयपुर एवं भरतपुर में पायलट परियोजना को लागू करने हेतु जारी की गई थी, जबकि केवल जयपुर जिले में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था तथा पीईसी लिमिटेड द्वारा अग्रिम के रूप में जारी की गई राशि ₹ 31.52 लाख के विरूद्ध सम्पूर्ण राशि ₹ 63.05 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया।
- पीईसी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत (मार्च 2017) की गई परियोजना प्रतिवेदन को पशुपालन विभाग के दो अधिकारियों को मूल्यांकन हेतु भेजा (जुलाई 2017) गया था परन्तु उनकी टिप्पणियां अपेक्षित थी (अक्टूबर 2019)। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा पशुपालन विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ संपर्क करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गयी।
- पशुपालन विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पशु चिकित्सा अधिकारियों / एआई कार्यकर्ताओं को नामित नहीं किया गया। हालाँकि, विभाग के दस्तावेजों से पता चला है कि एक कंपनी[24] द्वारा 16 मई 2016, अर्थात विभाग द्वारा निर्देश जारी (26 मई 2016) किये जाने से पूर्व ही, से प्रशिक्षण प्रारम्भ कर दिया गया था। पशुपालन विभाग ने अभी तक प्रशिक्षण के लिए अपने अधिकारियों को नामित नहीं किया था तथा प्रशिक्षण प्रदान करने वाली कंपनी के साथ सहयोग करने के लिए क्षेत्र अधिकारियों को केवल दूरभाष पर निर्देश जारी किए गए।
- परियोजना को लागू करने हेतु विभाग तथा पशुपालन विभाग के मध्य समन्वय बनाए जाने सम्बन्धी क्रियाविधि का कोई सबूत नहीं था।
- परियोजना के लाभों का विश्लेषण करने के लिए न तो विभाग द्वारा और न ही पशुपालन विभाग द्वारा परियोजना की अनुवर्ती जांच संचालित की। पायलट परियोजना के कार्यान्वयन एवं निगरानी के सम्बन्ध में पशुपालन विभाग नोडल अधिकारियों से विभाग ने न तो प्रगति/फॉलोअप (Follow up) प्रतिवेदन प्राप्त किया एवं न ही अनुरोध किया।

लेखापरीक्षा द्वारा आक्षेपित किए जाने (दिसम्बर 2018) पर विभाग ने उत्तर दिया कि मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु पशुपालन विभाग को बार-बार पत्र जारी किए गए। यह भी बताया गया कि परियोजना की फॉलोअप और निगरानी हेतु पशुपालन विभाग के नोडल अधिकारी को नियुक्त किया गया था, लेकिन इस सम्बन्ध में अब तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

राज्य सरकार ने उत्तर (अक्टूबर 2019) दिया कि विभाग द्वारा जारी स्वीकृति के अनुसार परियोजना को दो जिलों में लागू किया गया था तथा प्रशिक्षण के सभी विवरण पीईसी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रतिवेदन में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, परियोजना को सभी संदर्भों में पूर्ण करवाने के लिए आवश्यक कार्यवाही/निर्णय लेने हेतु पशुपालन विभाग के साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभागीय दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि प्रशिक्षण तीन जिलों में दिया जाना था, जिसके विरुद्ध केवल जयपुर जिले में प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त, नामांकन / दिये गये प्रशिक्षण के सम्बन्ध में दस्तावेज विभाग/पशुपालन विभाग द्वारा न तो संधारित किये गये और न ही प्रस्तुत किये गये। इस प्रकार प्रशिक्षण पर राशि ₹ 31.52 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

[24] पीईसी लिमिटेड द्वारा बाहर से सेवाएं ली गई।

इसका तात्पर्य यह है कि विभाग ने एक पायलट परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु सक्रिय कदम नहीं उठाए, जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास तथा वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती थी।

8.2.9.6 स्टार्ट–अप बूट क्लब

वर्ष 2017-18 की बजट घोषणा के अनुसार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी एवं गणित को बढ़ावा देने हेतु 71 मॉडल विद्यालयों में प्रथम चरण में स्टार्ट-अप बूट क्लब स्थापित किए जाने थे। इस योजना के तहत, छात्रों को "रैस्पबेरी पाई किट" (एक छोटे आकार का कंप्यूटर) प्रदान किया जाना था। इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु विद्यालय शिक्षा विभाग के साथ एक बैठक आयोजित की गई (मई 2017)। विद्यालय शिक्षा विभाग से उप निदेशक (मॉडल विद्यालय) को नोडल अधिकारी नामित किया गया था तथा विभाग से परियोजना निदेशक- II को नोडल अधिकारी नामित किया गया था। विद्यालय शिक्षा विभाग ने समन्वय सुनिश्चित करने हेतु एक नोडल अधिकारी के नामांकन के साथ 71 सरकारी मॉडल विद्यालयों की सूची प्रदान की। इसने उन शिक्षकों की भी सूची प्रदान की जिन्हें एक सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाना था प्रशिक्षण 14 से 18 मार्च 2018 के दौरान 68 शिक्षकों[25] को प्रदान किया गया।

अभिलेखों की संवीक्षा में विदित हुआ किः

- विद्यालय शिक्षा विभाग ने किटों की आवश्यकता के सम्बन्ध में सूचना प्रदान नही की। इन क्लबों के संचालन की निगरानी हेतु कोई कार्य योजना / कार्यविधि अस्तित्व में नही थी।
- संचालित 71 में से 27 बूट क्लबों में विभागीय अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान पाया गया किः
  - नौ विद्यालयों में, मार्च 2018 से अभी तक किट पैक (बन्द) अवस्था में थे, जबकि 15 विद्यालयों में, दो या तीन किट खोले गए थे, जिनके माध्यम से छात्रों को प्रारंभिक जानकारी प्रदान की गई थी। केवल तीन विद्यालयों[26] में ठीक तरह से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा था।
  - सात विद्यालयों के शिक्षकों को, जिन्हे मूल रूप से प्रशिक्षण दिया गया था, इस प्रशिक्षण के एक या दो माह पश्चात अन्य विद्यालयों में स्थानांतरित कर दिया गया था।
  - अधिकांश बूट क्लब के प्रभारियों ने स्वीकार किया कि उन्हें आगे प्रशिक्षण की आवश्यकता है ताकि छात्रों को प्रभावी शिक्षण प्रदान किया जा सके। शिक्षित छात्रों की संख्या और उनके फीडबैक के बारे में कोई अभिलेख संधारित नहीं किये जा रहे थे।

राज्य सरकार द्वारा अवगत कराया गया (अक्टूबर 2019) कि स्टार्ट-अप बूट क्लब की स्थापना का निर्णय विद्यालय शिक्षा विभाग के साथ एक बैठक में लिया गया था। इसके अतिरिक्त, नोडल अधिकारी होने के नाते, स्टार्ट-अप बूट क्लब की निगरानी और निरीक्षण का दायित्व विद्यालय शिक्षा विभाग का था। यह भी अवगत कराया गया कि किटों के अधिकतम उपयोग हेतु विभाग के साथ आधिकारिक सम्पर्क किया गया था। फीडबैक के विषय में, राज्य सरकार ने उत्तर दिया कि शिक्षकों ने छात्रों की राय के आधार पर फीडबैक प्रेषित किया।

---

[25] तीन शिक्षक अनुपस्थित थे।

[26] मॉडल विद्यालय कोडिया (कोटरी), डिबश्या (गंगापुर सिटी) तथा डिडवाना (लालसोट)।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग ने अपनी गणना के आधार पर किटों की खरीद की थी तथा इन किटों की आवश्यकता के बारे में प्रस्ताव विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत नही किए गए थे। इसके अतिरिक्त, विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा प्रेषित फीडबैक विश्वसनीय नहीं थे क्योंकि छात्रों से प्राप्त फीडबैक का आधार न तो अभिलेखों में पाया गया और न ही उत्तर के साथ प्रस्तुत किया गया।

8.2.9.7 विज्ञान क्लबों की स्थापना

वर्ष 2011-12 की बजट घोषणा के अनुसार, ऐसे माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जहां विज्ञान प्रयोगशालाएँ पहले से ही स्थित थी एवं विज्ञान एक वैकल्पिक विषय के रूप में पढाया जा रहा था, 5000 विज्ञान क्लबों की स्थापना की जानी थी। प्रत्येक क्लब के लिए योग्य विद्यालयों को राशि ₹ 10,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जानी थी; जिसका 50 प्रतिशत हिस्सा विज्ञान से सम्बन्धित किताबें, सीडी, पोस्टर, चार्ट, विज्ञान किट क्रय करने एवं 50 प्रतिशत हिस्सा विज्ञान से सम्बन्धित कार्यक्रम/गतिविधियां आयोजित करने में उपयोग किया जाना था।

दिशानिर्देशानुसार, विज्ञान क्लबों का मूल्यांकन इनके द्वारा आयोजित गतिविधियों, विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित वार्षिक प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र के आधार पर करना था। वार्षिक प्रतिवेदनों के आधार पर पंचायत, जिला एवं संभाग स्तर पर श्रेष्ठ विज्ञान क्लब को विशेष आर्थिक एवं कार्यक्रम आधारित सहायता प्रदान की जानी थी।

अभिलेखों की संवीक्षा में विदित हुआ कि सहायता प्राप्त करने वाले क्लबों की संख्या नीचे दिये अनुसार लगातार घट रही थी:

(₹ लाखों में)

वर्ष	विज्ञान क्लबों की स्थिति		अनुदान राशि
	विज्ञान क्लबों की संख्या जिन्हे अनुदान जारी किया गया	विज्ञान क्लबों का प्रतिशत जिन्हे अनुदान जारी किया गया (आधार वर्ष 2011-12)	
2011-12	5000	100.00	500.00
2012-13	550	11.00	55.00
2013-14	550	11.00	55.00
2014-15	00	00.00	00.00
2015-16	375	7.50	37.50
2016-17	416	8.32	41.60
2017-18	430	8.60	43.00
2018-19	160	3.20	16.00

इस प्रकार, 3.20 प्रतिशत क्लब ही मार्च 2019 को संचालन में थे। संवीक्षा में विदित हुआ कि 2011-12 से 2015-16 की अवधि में अनुदान सीधे क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से विज्ञान क्लबों को जारी किए गए थे, उसके पश्चात् सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारियों को अनुदान जारी किया गया जो कि आगे विज्ञान क्लबों को जारी करते थे। वर्ष 2018-19 के लिए, विभाग ने निदेशक, विद्यालय शिक्षा, बीकानेर को एकमुश्त अनुदान जारी किया, जहाँ से अनुदान सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारियों को एवं इसके पश्चात विज्ञान क्लबों को जारी किया गया।

यह इंगित करता है कि विज्ञान क्लबों को अनुदान जारी करने की प्रणाली पूर्णतः तदर्थ थी। संवीक्षा में आगे विदित हुआ किः

- वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान विज्ञान क्लबों द्वारा न तो कोई गतिविधि रिपोर्ट / वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और न ही विभाग द्वारा इन्हे प्राप्त करने का प्रयास किया;
- क्लबों में से एक को सर्वश्रेष्ठ विज्ञान क्लब घोषित करने की शर्त का पालन नहीं किया गया। इसलिए, क्लबों को कोई विशेष सहायता प्रदान नहीं की गई जो कि छात्रों को और प्रेरित कर सकती थी।
- विभाग ने वित्तीय सहायता जारी करने के बाद इन विज्ञान क्लबों की गतिविधियों की कोई निगरानी नहीं की एवं केवल उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करके ही संतुष्ट रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये जाने पर तीन[27] क्षेत्रीय कार्यालयों ने सूचित किया (जनवरी-अप्रैल 2019) कि सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अभाव में मूल्यांकन नहीं किया गया था। इसके अलावा, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर ने सूचित किया कि कर्मचारियों की कमी के कारण कोई निगरानी नहीं की गई, जबकि क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर ने सूचित किया कि शिक्षा विभाग से कुछ मूल्यांकन प्रतिवेदन[28] प्राप्त हुये थे, लेकिन कार्यभार की अधिकता एवं स्टाफ की कमी के कारण उनके स्तर पर आगे मूल्यांकन नहीं किया गया।

राज्य सरकार ने जवाब दिया (अक्टूबर 2019) कि बजट में कटौती के कारण विज्ञान क्लबों की संख्या में कमी आई। उपयोगिता प्रमाण पत्रों के समय पर न मिलने और कर्मचारियों की कमी के कारण सर्वश्रेष्ठ विज्ञान क्लबों का चयन नहीं किया गया था। आगे कहा गया कि विज्ञान क्लबों की निगरानी क्षेत्रीय कार्यालयों और जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा की जा रही है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा योजना के उचित अनुवर्ती कार्यवाही, मूल्यांकन एवं निगरानी के अभाव में यह आश्वस्त नही किया जा सकता कि योजना अपने वांछित उद्देश्यों की पूर्ति में सफल रही। इस प्रकार, विज्ञान के बारे में छात्रों के बीच अधिक रूचि उत्पन्न करने का उद्देश्य अपूर्ण रहा।

8.2.9.8 बौद्धिक संपदा अधिकार प्रकोष्ठ

बदलते कारोबारी वातावरण में बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) महत्वपूर्ण हो गया है। महानियंत्रक, पेटेन्ट डिजाईन एवं ट्रेडमार्क कार्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार, राजस्थान में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में क्रमशः 151 एवं 186 पेटेन्ट आवेदन भरे गये थे।

विभाग ने एक आईपीआर प्रकोष्ठ स्थापित करने का निश्चय किया था जो आविष्कारकों द्वारा बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के सृजन एवं संरक्षण के लिए प्रोत्साहन को बढ़ाता है। इसके लिए विभाग ने वर्ष 2017-18 के दौरान पाँच विश्वविद्यालयों[29] को आईपीआर प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए प्रत्यके विश्वविद्यालय को राशि ₹ 2.00 लाख का अनुदान जारी किया। दिशानिर्देशानुसर, इन विश्वविद्यालयों द्वारा अनिवार्य रूप से त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक

[27] बीकानेर, कोटा और उदयपुर।

[28] 2015-16 में 125 में से एक, 2016-17 में 100 मे से 25 एवं 2017-18 में 100 में से पाँच।

[29] 1. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर 2. कोटा विश्वविद्यालय 3. राजस्थान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोटा 4. जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर एवं 5. महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।

प्रतिवेदन प्रस्तुत करने थे। विभाग की एक संचालन समिति द्वारा इन प्रकोष्ठों की प्रगति के बारे में त्रैमासिक समीक्षा की जानी थी।

अभिलेखों की संवीक्षा में विदित हुआ किः

- बजट उपयोग का प्रतिशत 46.44 और 71.87 के मध्य रहा। विवरण निम्न प्रकार हैं:

(₹ लाखों में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	व्यय का प्रतिशत
2016-17	35.75	16.60	46.44
2017-18	32.35	23.25	71.87
2018-19	25.57	17.74	69.38

- विभाग ने आईपीआर जागरूकता शिविर और गतिविधियों के आयोजन के लिए कोई भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं।
- विभाग, वित्त विभाग एवं प्रशासनिक विभाग को आईपीआर शिविर, सम्मेलन एवं कार्यशालाओं के आयोजन एवं उपलब्धियों पर प्रतिवेदन तैयार करने एवं प्रेषित करने में विफल रहा।
- विभाग ने राजस्थान राज्य में पेटेंट, कॉपी राइट और डिजाइन के लिए आवेदन भरने के सम्बन्ध में आंकड़े संधारित नही किये। जब पूछताछ की गई तो उसने महानियंत्रक, पेटेन्ट डिजाईन एवं ट्रेड मार्क कार्यालय की वार्षिक रिपोर्टो के आंकड़ों (2016-18) को उद्धृत किया।
- विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि *"विभाग एक ऐसी प्रणाली बनायेगा जो बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को सृजित करने एवं उनकी रक्षा करने के लिए आविष्कारकों को बढ़ावा दे सके।"* तथापि, इस उद्देश्य को लागू करने की कोई कार्ययोजना उपलब्ध नही थी। इसके अलावा, विभाग ने 16 प्रकरणों की एक सूची उपलब्ध कराई, जहां इसने सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था को पेटेन्ट दाखिल करने में सहायता की थी। यह दर्शाता है कि इस सम्बन्ध में विभाग की भूमिका नगण्य रही।
- पाँच विश्वविद्यालयों में से, दो विश्वविद्यालयों[30] ने आईपीआर प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए।
- संचालन समिति द्वारा की गई इन प्रकोष्ठों की त्रैमासिक समीक्षा के समर्थन में कोई दस्तावेज अभिलेखों में नही पाया गया।

इस प्रकार, आईपीआर प्रकोष्ठ की स्थापना का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ था।

[30] जयनारायण विश्वविद्यालय, जोधपुर एवं महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।

8.2.10 निगरानी

8.2.10.1 सहायतार्थ अनुदान स्वीकृतियों की निगरानी

सामान्य वित्तीय और लेखा नियमों के नियम 281 (v) से (vii) के अनुसार, जब तक कि सरकार द्वारा अन्यथा आदेशित नहीं किया जाता है, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए जारी प्रत्येक गैर-आवर्ती अनुदान निम्नलिखित निहित शर्तों के अधीन हैः

- अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों के साथ-साथ स्वीकृतिदाता प्राधिकारी को राशि ₹ 1000 से अधिक की स्थायी एवं अर्ध-स्थायी परिसंपत्तियों, पूंजीगत प्रकृति की अचल एवं चल सम्पति के लिए निर्धारित प्रारूप में एक रजिस्टर का संधारण करना होगा, जिनको पूर्णतया अथवा मुख्यतया सरकारी अनुदान से खरीदा गया हो।
- इस तरह के रजिस्टर को अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थाओं को संधारित करना होगा तथा इसकी एक प्रति वार्षिक रूप से स्वीकृतिदाता प्राधिकारी को प्रेषित की जाएगी।
- यह अभिलेख स्थायी प्रकृति का होगा तथा अनुदान प्राप्तकर्ता संस्था द्वारा शर्त संख्या (v) की पालना में प्रस्तुत की गई वार्षिक रिटर्न के आधार पर भरा जाएगा।
- उल्लेखित रजिस्टर लेखापरीक्षा को जांच हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

अभिलेखों की संवीक्षा में विदित हुआ कि विभाग ने नैनो प्रौद्योगिकी हेतु उत्कृष्टता केन्द्र, रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट, सेनेटरी नैपकिन पायलट प्रोजेक्ट, ग्रामीण प्रौद्योगिकी व्यापार उष्मायन (Incubation), सैटकॉम कोचिंग सेंटर आदि जैसी योजनाओं का संचालन किया तथा उनके लिए विभिन्न संस्थानों / विभागों को अनुदान जारी किया गया। हालांकि, विभाग के पास विभिन्न संस्थानों / विभागों को जारी अनुदान में से उनके द्वारा बनाई गई परिसंपत्तियों का समेकित आंकड़ा उपलब्ध नही था।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार (अक्टूबर 2019) किया तथा अवगत कराया कि निर्धारित प्रारूप में परिसंपत्ति रजिस्टर का संधारण कर लिया जाएगा।

8.2.10.2 अनुदान रजिस्टर का संधारण

सामान्य वित्तीय और लेखा नियमों के नियम 287 (सी) के तहत जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, स्वीकृतिदाता प्राधिकारी द्वारा एक अनुदान रजिस्टर का संधारण किया जाएगा।

अभिलेखों की संवीक्षा (दिसम्बर 2018) में विदित हुआ कि विभाग द्वारा ऐसा कोई रजिस्टर संधारित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा आक्षेपित किए जाने (जुलाई 2019) पर राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2019) तथा अवगत कराया कि निर्धारित प्रारूप में एक समेकित अनुदान रजिस्टर का संधारण कर लिया जाएगा।

8.2.10.3 वितरित सहायतार्थ अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्र

सामान्य वित्तीय और लेखा नियमों के नियम 281 के अनुसार, जब तक कि यह सरकार द्वारा अन्यथा आदेशित नहीं किया जाता है, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए जारी प्रत्येक गैर-आवर्ती अनुदान इस शर्त के अधीन होगा कि अनुदान को, उस उद्देश्य पर उचित समय में खर्च किया जाएगा, यदि स्वीकृतिदाता प्राधिकारी द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई हो। नियम

282(1) के अनुसार, उचित समय को अनुदान स्वीकृत करने हेतु जारी पत्र की तिथि से 'एक वर्ष' माना जाएगा।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि 202 प्रकरणों में राशि ₹ 6.30 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) मार्च 2019 तक प्राप्त नहीं हुए थे। अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थाओं द्वारा एक से नौ वर्ष तक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही करना; विभाग के स्तर पर उचित निगरानी की कमी का प्रतिबिंब है।

लेखापरीक्षा द्वारा आक्षेपित किए जाने (जुलाई 2019) पर राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार (अक्टूबर 2019) किया तथा अवगत कराया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र के लंबन (Pendency) को समाप्त करने के प्रयास किए जा रहे है।

8.2.11 मानव संसाधन प्रबन्धन

विभाग ने राजस्थान सिविल सेवा नियम 1986 (विशेष चयन सेवा नियम) के माध्यम से अर्थात् विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं वैज्ञानिक संस्थानों से प्रतिनियुक्ति पर परियोजना निदेशकों, परियोजना अधिकारियों, अनुसंधान अधिकारियों का चयन किया। इसका तात्पर्य यह है कि विभाग में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का स्थायी कार्यकाल नहीं था।

स्थायी कैडर नियमों को अब तक (अक्टूबर 2019) नहीं बनाया गया है। इस सम्बन्ध में 2009 में एक शुरुआत की गई थी तब कैडर नियमों के निर्धारण का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय यह तर्क दिया गया था कि स्थायी कैडर नियमों को नहीं बनाये जाने के कारण अधिकारी विभाग के साथ जुड़ाव महसूस नहीं कर रहे थे, जिसके कारण विभिन्न योजनाओं की प्रगति कम थी। 2012-13 के दौरान विधान सभा में आश्वासन दिया गया कि कैडर नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया प्रगतिरत थी तथा इसे शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान जयपुर ने अपने निर्णय (जनवरी 2017) में भी राजस्थान सरकार को निर्देश दिया था कि विभाग में अधिकारियों के स्थायी चयन के लिए नियम बनाए जाएं ताकि कार्यकाल की निरंतरता प्रदान की जा सके। उपरोक्त प्रयासों के बावजूद, कैडर नियमों को अभी तक (अक्टूबर 2019) अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

लेखापरीक्षा द्वारा बताया जाने (जुलाई 2019) पर राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार (अक्टूबर 2019) किया तथा अवगत कराया कि कैडर नियमों का गठन अंतिम चरण में है।

8.2.12 निष्कर्ष

विभाग वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि आवंटित बजट का केवल 45.65 प्रतिशत उपयोग किया गया था, तथा सैटकॉम प्रभाग की विभिन्न परियोजनाओं के लिए राज्य योजना मद के तहत 2015-16 से 2018-19 के दौरान आवंटित सम्पूर्ण बजट को समर्पित कर दिया गया।

विभाग के पास विभागीय नियमावली नहीं थी। विभाग द्वारा जैव प्रौद्योगिकी नीति 2015 के अलावा कोई व्यापक नीति (दीर्घकालिक / अल्पाकालिक) एवं मार्गदर्शन सिद्धांत तैयार नहीं किए गए थे तथा इस नीति के उद्देश्यों को भी प्राप्त नहीं किया जा सका। विभाग द्वारा उन क्षेत्रों

की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण / अध्ययन नहीं किया जिनमें राज्य के सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा सके।

विभाग जैव-प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा जैव-प्रौद्योगिकी केन्द्र , जोधपुर एवं नैनो-प्रौद्योगिकी केन्द्र, जयपुर को संचालित नहीं कर सका तथा सैटकॉम कोचिंग योजना एवं विज्ञान क्लबों के तहत प्रगति न्यूनतम थी। विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली खराब थी क्योंकि विभिन्न संस्थाओं / विभागों को विभाग द्वारा जारी अनुदान मे से उनके द्वारा बनाई गई परिसंपत्तियों के सम्बन्ध में समेकित आंकड़ें उपलब्ध नही थे तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर प्राप्त नहीं हुए थे। मानव संसाधन (एचआर) प्रबन्धन को सुव्यवस्थित नहीं किया गया क्योंकि विभाग की स्थापना के 36 वर्ष बाद भी कैडर नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका तथा तकनीकी पदों को प्रतिनियुक्ति द्वारा पूरा किया जा रहा था।

विभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के तहत भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा आवंटित राशि ₹ 29.93 करोड़ को 2016-19 के दौरान समर्पित कर दिया। इस प्रकार यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों को प्रयोग करते हुए समाज के कमजोर वर्ग की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने तथा समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकास करने के इसके मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा। विभाग में व्याप्त खराब दक्षता मानकों को देखते हुए, जिसके परिणामस्वरूप करोड़ों रुपये के अनुदानों को समर्पित किया गया, इसके द्वारा लागू कुछ परियोजनाओं की निगरानी नही होना तथा उपयोगकर्ता विभाग के साथ समन्वय की कमी के परिप्रेक्ष्य में विभाग के अस्तित्व को बनाए रखने के औचित्य की समीक्षा की आवश्यकता है।

8.2.13 सिफारिशें

- *विभाग दीर्घकालिक नीतियों एवं प्रक्रिया को शामिल करने एवं इसको दिए गए अधिदेश की क्रियान्विति हेतु एक व्यापक नियमावली बना सकता है।*
- *विभाग को अध्ययन/सर्वेक्षण आयोजित किये जाने चाहिये ताकि विशिष्ट समस्याओं की पहचान की जा सके तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा जनसंख्या के सामाजिक आर्थिक स्थिति के उत्थान हेतु उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग किया जा सके।*
- *विभाग यह सुनिश्चित कर सकता है कि अनुदानों का सही तरह से तथा समय पर प्रयोग किया जावे।*
- *विभाग कैडर नियमों को प्राथमिकता पर तैयार कर सकता है ताकि महत्वपूर्ण पदों पर स्थायी आधार पर भर्ती की जा सके और विभाग की विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके एवं निगरानी की जा सके।*
- *विभाग विद्यालय स्तर पर विज्ञान शिक्षण की स्थिति का मूल्यांकन कर सकता है तथा विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हेतु शिक्षा विभाग के साथ समन्वय में एक कार्य योजना तैयार कर सकता है।*

लोक निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग

8.3 मूल्य वृद्धि की गणना सुनिश्चित किये बिना अंतिम विपत्रों के भुगतान के कारण संवेदकों को किया गया अधिक भुगतान / अतिरिक्त भुगतान

लोक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग द्वारा मूल्य वृद्धि क्लॉज के तहत उचित समायोजन किए बिना अंतिम विपत्रों का भुगतान किया गया, मूल्य वृद्धि दावों का भुगतान एवं गणना गलत थोक मूल्य सूचकांक आधारित वर्षों के आधार पर की गई एवं वित्तीय निविदा खोलने की दिनांक के बजाय तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक को गलत रूप से आधार दिवस मानने के कारण संवेदकों को अधिक भुगतान किया गया।

- लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम[31] के सम्बद्ध प्रावधान एवं केंद्रीय सड़क निधि योजनान्तर्गत (राज्य सड़के) राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना के अधीन प्रायोजित कार्य से सम्बन्धित नियमों[32] द्वारा अनुबन्ध की राशि में वृद्धि एवं कमी और श्रम, माल, ईंधन एवं ल्यूबरिकेंट तथा अन्य कार्योपयोगी वस्तुओं की कीमत में समायोजन का निर्धारण किया जायेगा।
- वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने निर्देशित किया (मई 2004) है कि "यदि निविदाएँ खोलने की दिनांक को प्राप्त दरों को स्वीकार किया जाता है, तो मूल्य समायोजन के लिए निविदा खोलने की दिनांक पर विचार किया जाएगा।"
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ), भारत सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) नई श्रृंखला के आधार वर्ष 2011-12 को दृष्टिगत करते हुए जारी कार्यालय ज्ञापन (जून 2018) जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि अप्रेल 2017 से पहले जारी किये गये कार्यादेश थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखला 2004-05 के अन्तर्गत संचालित किये जाएंगे एवं थोक मूल्य सूचकांक की श्रृंखला 2011-12 उन कार्यो के लिए उपयोग की जाएगी जो कार्य मार्च 2017 के पश्चात् सम्पादित किये गये है।
- इसके अलावा, लेखापरीक्षा द्वारा मूल्य वृद्धि क्लॉज में अनियमितताओं के प्रकरण संदर्भित किये जाने (नवम्बर 2015) पर मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग (लोनिवि), राजस्थान द्वारा (जनवरी 2016, अप्रेल 2016, जून 2016, सितम्बर 2016 एवं फरवरी 2018) क्षेत्रीय खण्डों को मूल्य विचलन खण्ड का सख्ती से पालन करने के लिए निर्देशित किया गया एवं आदेश दिया कि बिना मूल्य वृद्धि के समायोजन किये अंतिम विपत्र का भुगतान न किया जाए तथा सरकार को हुई वित्तीय अनियमितता/वित्तीय हानि के लिए संभागीय लेखाकार / संभागीय अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

[31] लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के परिशिष्ट XI के खंड 45, केन्द्रीय सड़क निधि (राज्य सड़क) योजना के तहत प्रायोजित कार्यों के लिए विशेष बोली दस्तावेजों (एसबीडी) के अनुबंध की विशेष शर्तों (एससीसी) का खंड 47 और राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना के लिए अनुबन्ध की विशेष शर्तों (एससीसी) का खंड 47

[32] मूल्य वृद्धि की स्वीकार्यता के लिए सामान्य शर्तों की शर्त संख्या 4, खंड 4 की शर्त संख्या 26 (अनुबन्ध डेटा) और 47 (एच) क्रमशः विभिन्न आदानों के गुणांक और बिलों की मात्रा के विभिन्न कार्यक्रम (बीओक्यू) के सूचकांकों का संकेत देते हैं और यह निर्धारित करते हुए कि जब तक कि एससीसी में अन्यथा न कहा गया हो, मूल्य समायोजन हर तिमाही / प्रत्येक मासिक आईपीसी (जैसा भी मामला हो) में किया जाएगा।

लोक निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग के नमूना परीक्षित खण्डों के अभिलेखों की संवीक्षा में विदित हुआ कि उपरवर्णित निर्देशों की अनुपालना नहीं किए जाने के कारण मूल्य वृद्धि का अतिरिक्त / अधिक भुगतान हुआ जिसका वर्णन निम्न प्रकार है:

(₹ करोड़ों में)

विभाग	खण्ड का नाम	कार्य का नाम अनुबन्ध राशि	मूल्यवृद्धि के पेटे भुगतान राशि	राशि जिसका भुगतान किया जाना था	अधिक भुगतान	टिप्पणी
लोक निर्माण विभाग	खानपुर	Package No. RJ19-WB-RRSMP-43 ₹ 15.95 करोड़	-	(-) 0.83	0.83	पूर्व में भुगतान किए गए मूल्य वृद्धि के समायोजन के बिना अंतिम बिल पारित किया गया। लेखापरीक्षा आक्षेप के पश्चात वसूली की गई।
लोक निर्माण विभाग	छबड़ा	RIDF-XX Package No. RJ-04-03/Non-Patchable/RIDF-20/5054/2014-15 ₹ 18.57 करोड़	-	(-) 0.48	0.48	पूर्व में भुगतान किए गए मूल्य वृद्धि के समायोजन के बिना अंतिम बिल पारित किया गया। लेखापरीक्षा आक्षेप के पश्चात वसूली की गई।
लोक निर्माण विभाग	निम्बाहेड़ा	CRF Job No. CRF-844/ RJ/ 2015-16 ₹ 46.70 करोड़	0.244	0.00002	0.24	खण्ड द्वारा 2004-05 के थोक मूल्य सूचकांक के बजाए 2011-12 थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मूल्य वृद्धि का भुगतान किया गया।
		CRF Job No. CRF-864 /RJ /2015-16) ₹ 16.54 करोड़	0.24	0.16	0.08	खण्ड द्वारा उपयोग लिये गये बिटुमिन एवं किये गये कार्य की कम मात्रा पर भी विचार करने के कारण अधिक भुगतान किया गया। लेखापरीक्षा आक्षेप के पश्चात वसूली की गई।
लोक निर्माण विभाग	अलवर खण्ड-I	CRF Job No. CRF-844/ RJ/ 2015-16 ₹ 21.21 करोड़	1.67	0.71	0.96	खण्ड द्वारा तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक को आधार दिनांक मानते हुए मूल्य वृद्धि का भुगतान किया गया। वसूली लम्बित रही है।
जल संसाधन विभाग	बून्दी	Bada Naya Gaon Minor Irrigation Project ₹18.57 करोड़	0.65	0.45	0.19	खण्ड द्वारा तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक को आधार दिनांक मानते हुए मूल्य वृद्धि का भुगतान किया गया। वसूली लम्बित रही है।

- राज्य सरकार द्वारा 5 प्रकरण में से 3 प्रकरणों में अधिक / अतिरिक्त भुगतान स्वीकार किया गया एवं सूचित किया गया कि लोनिवि खण्ड खानपुर, लोनिवि खण्ड छाबड़ा एवं लोनिवि

खण्ड, निम्बाहेड़ा द्वारा आक्षेपित राशि ₹ 1.64 करोड़[33] की वसूली कर ली गई है जबकि लोनिवि खण्ड-I अलवर एवं जल संसाधन विभाग खण्ड बूंदी द्वारा ₹ 1.15 करोड़ का अधिक भुगतान अस्वीकार किया गया।

- राज्य सरकार ने इसके उत्तर में कहा (अगस्त 2019) कि लोनिवि खण्ड,-I अलवर द्वारा मूल्य वृद्धि का भुगतान वित्त विभाग द्वारा जारी ज्ञापन एवं परिपत्र (मई 2004 और जुलाई 2018) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार किया गया। इसके अलावा तकनीकी बोली खोलना निविदा प्रक्रिया का प्रारम्भिक चरण है एवं वित्तीय बोली तकनीकी बोली खोलने के पश्चात कभी भी खोली जा सकती है। वित्तीय बोली खोलने में हुई देरी के लिए, यदि हो तो, संवेदक को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता।

- जल संसाधन विभाग, बूंदी द्वारा किये गये अतिरिक्त भुगतान के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कहा (सितम्बर 2019) कि मूल्य वृद्धि के उद्देश्य से निविदा खोलने सम्बन्धी प्रावधान लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के खंड 45 में उपलब्ध नहीं है एवं विभाग जैसे कि राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा मूल्य वृद्धि की गणना के लिए तकनीकी बोली खोले जाने की दिनांक को आधार दिनांक मानने के लिए आदेश दिये गये। इसके अलावा, यह उल्लेख किया गया था कि भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 4 यह बताता है कि जबसे निविदा खोलने की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है, विभाग पहले दिन से ही सफल निविदा को स्वीकार करने के लिए उत्तरदायी होता है अतः निविदा खोलने की तारीख पर विचार करते हुए मूल्य वृद्धि का भुगतान किया गया।

- उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि वित्त विभाग द्वारा जारी ज्ञापन (मई 2004) स्वतः व्याख्यात्मक है जो कि यह बताता है कि यदि निविदा खोलने की दिनांक को प्राप्त दरों को स्वीकार किया जाता है तो मूल्य समायोजन के लिए निविदा खोलने की तारीख मान्य होगी। इस प्रकार, जैसा कि तकनीकी बोली को खोलने की तारीख पर दरे प्राप्त नहीं हुई है, जब दरें पहली बार ज्ञात हुई है वित्तीय बोली खोलने की तारीख को ही आधार दिनांक माना जाना चाहिए। वित्त विभाग का जुलाई 2018 का परिपत्र इस प्रकरण में प्रासंगिक नहीं है क्योंकि यह पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं रखता है। इसके अलावा, लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों की व्याख्या करने की शक्तियां वित्त विभाग में निहित है एवं इसलिए विभाग को अन्य एजेंसियों द्वारा की गई व्याख्या पर निर्भर नही चाहिए।

इसके अलावा, यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक है कि ये लेखापरीक्षा निष्कर्ष केवल चयनित खण्ड के प्रकरणों के विश्लेषणों पर आधारित हैं और यह भी संभावना है कि शेष खण्डों में भी इस प्रकार के प्रकरण घटित हो रहे हो। इसलिए सरकार से यह आशा की जाती है कि उन अन्य सभी प्रकरणों की समीक्षा करे जहां इस तरह की कमियां/अनियमितताओं की संभावना है एवं सुधारात्मक कार्य किये जाने की आवश्यकता है।

[33] लोनिवि खानपुर ने ₹ 82.04 लाख वाऊचर नम्बर 661 दिनांक 9/1/2019 एवं ₹ 0.74 लाख डीडी 460465 दिनांक 2/1/2019 से वसूल किये। खण्ड छबड़ा ने ₹ 47.29 लाख वाऊचर नम्बर 90 दिनांक 31/3/2018 से वसूल किये और लोनिवि निम्बाहेड़ा ने ₹ 32.53 लाख वाऊचर नम्बर 67040 दिनांक 11/12/2019 से वसूल किये।

8.4 निर्धारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर ग्रामीण गौरव पथ सड़कों के निर्माण पर अनियमित व्यय

योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, लोक निर्माण विभाग द्वारा अतिरिक्त चौड़ाई, मोटाई में एवं उन क्षेत्रों में जहां योजना के दिशानिर्देश उनकी निर्माण कार्य की अनुमति प्रदान नहीं करते थे, राज्य तकनीकी एजेंसी से डिजाईन तथा सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना सड़कों का निर्माण किया गया।

- ग्रामीण गौरव पथ राजस्थान सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है जो कि 2014 में प्रारम्भ की गई थी। ग्रामीण गौरव पथ योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय में साफ एवं स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने हेतु सीमेंट कंक्रीट (सीसी) सड़क एवं नाली का निर्माण करना एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय पर यात्रियों के लिए क्षतिरहित सड़कें उपलब्ध कराना है। इस योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों की लम्बाई का दायरा 0.5 किलोमीटर (किमी) से 2.00 किमी तक है। प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय के लिए सड़क निर्माण हेतु औसत 1.00 किमी लिया गया है। कुल 6820 ग्रामीण गौरव पथ कार्यों में 6427.49 किमी सड़क निर्माण हेतु कुल ₹ 2994.12 करोड़ का व्यय किया गया है (दिसम्बर 2019 तक)।

सड़कें निम्नलिखित विशिष्टिताओं के तहत बनायी जानी थीः

(i) ग्रामीण गौरव पथ योजना के अन्तर्गत 3.75 मीटर चौड़ी एवं 150 मिलीमीटर (मिमी) मोटी सीमेंट कंक्रीट रोड़ के लिए ही प्रस्ताव तैयार किये जाने चाहिए।

(ii) क्षेत्रीय खण्ड निकटतम राजकीय अभियांत्रिकी कॉलेज, राज्य तकनीकी एजेंसी (एसटीए) द्वारा तैयार किये गये सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट के डिजाईन प्राथमिकता से प्राप्त करे और यदि एसटीए से प्राप्त डिजाईन के अनुसार सीसी पेवमेंट की मोटाई 150 मिमी से अधिक है तो मुख्य अभियन्ता (सड़क) की अनुमति सीसी पेवमेंट के निष्पादन से पूर्व प्राप्त की जाएगी।

(iii) पंचायत मुख्यालय (पीएचक्यू) जो कि राज्य हाईवे/जिला मुख्य सड़क (एमडीआर) पर स्थित है एवं जो सड़के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत प्रस्तावित है, को ग्रामीण गौरव पथ के प्रस्तावों में नहीं लिया जाना चाहिए।

(iv) ग्रामीण गौरव पथ सड़कों की चौड़ाई 3.75 मीटर से अधिक हो सकती है यदि मौजूदा सड़क की चौड़ाई अधिक है। यद्यपि उस स्थिति में रोड़ की लम्बाई इस सीमा तक कम करनी होगी कि सीसी एम 30 की प्रयुक्त मात्रा बिल ऑफ क्वांटिटी (बीओक्यू) में दर्शित कुल सीसी एम 30 की मात्रा से अधिक न हो। प्रमुख शासन सचिव, लोनिवि, राजस्थान द्वारा आगे यह चेतावनी दी गई कि सम्बन्धित अधिशाषी अभियंता किसी भी अनियमित निष्पादित कार्य के लिए जिम्मेदार होंगे।

लोनिवि खण्डों के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा द्वारा निम्न प्रकरणों में योजना के दिशानिर्देशों का पालन न करने एवं ग्रामीण गौरव पथ सड़कों के अनियमित निर्माण उजागर हुए हैं:

I. लोनिवि खण्ड, भवानी मंडी द्वारा ऊपर वर्णित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए एसटीए द्वारा डिज़ाइन अनुमोदन प्राप्त किये बिना IRC: 58-2002 जो कि हाईवे डिज़ाइन निर्माण पर लागू होती है को मानते हुए 150 मिमी सीसी पेवमेंट की बजाए 200 मिमी मोटी सीसी पेवमेंट

की नौ सड़कों[34] का निर्माण किया गया। जिसके परिणामस्वरूप ***परिशिष्ट 8.2*** में दर्शित विवरण के अनुसार **₹** 0.70 करोड़ का अनियमित एवं अपरिहार्य व्यय किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा आक्षेपित किये जाने पर लोक निर्माण विभाग ने अपने उत्तर में कहा (जुलाई 2019) कि यातायात भार एवं झालावाड़ की मिट्टी काली कपास मिट्टी होने के कारण सीसी पेवमेंट का डिजाईन 200 मिमी अनुमोदित किया गया। इसके अलावा, उनके द्वारा प्रमुख शासन सचिव, लोनिवि, राजस्थान द्वारा दिये गये निर्देशों का (मार्च 2015) उल्लेख करते हुए कहा गया कि 200 मिमी मोटाई की सड़क का निर्माण साइट के अनुसार मुख्य अभियंता (सड़क), लोनिवि, राजस्थान की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है। राज्य सरकार ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2019) में 200 मिमी सीसी पेवमेंट निर्माण के लिए मुख्य अभियंता, लोनिवि, राजस्थान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रस्तुत की लेकिन उनके द्वारा गलत आईआरसी के चयन एवं एसटीए द्वारा डिजाईन अनुमोदित नही किये जाने के मुद्दे पर कोई जवाब नही दिया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि मुख्य अभियंता (सड़क) द्वारा निर्देशित किया गया (जनवरी 2015) था कि यदि सीसी पेवमेंट की मोटाई एसटीए से प्राप्त डिजाईन के अनुसार 150 मिमी से ज्यादा हो तो सीसी पेवमेंट के कार्य निष्पादन से पूर्व अनुमति ली जानी चाहिए थी। विभाग के द्वारा आठ सड़कों के प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों से ज्ञात होता है कि डिजाईन एसटीए से प्राप्त नहीं किए गए थे। इसके अलावा, इन कम यातायात भार की ग्रामीण सडकों के निर्माण की डिजाईन आईआरसीः 58-2002 दिशानिर्देशों पर आधारित थी। यद्यपि ये दिशानिर्देश सरल मिश्रित कठोर पेवमेंट जो कि उच्च भार के हाईवे सड़कों की डिजाईन के लिए उपयुक्त थे एवं आईआरसीः 58-2002 स्वतः ही कम भार के ग्रामीण सडकों की डिजाईन के लिए प्रतिबंधित करता है। इन कम भार वाली ग्रामीण सड़कों के लिए आईआरसी : SP: 62-2014 उपयुक्त थी।

II. लोनिवि, खण्ड केकड़ी द्वारा दो सड़कों का निर्माण कार्य[35] करने पर **₹** 78.84 लाख[36] का व्यय किया। यह सड़कें क्रमशः खुले क्षेत्र में जहां कोई बस्ती नही थी एवं जिला मुख्य सड़क पर स्थित थी। सड़क एसएच -7 ई किलोमीटर 7/200 से मारोग्ला गणेशपुरा तिराहा के गूगल मानचित्र द्वारा प्राप्त इमेज यह इंगित करती है कि योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए सड़क का निर्माण बस्ती क्षेत्र के बाहर खुले क्षेत्र में किया गया। राज्य सरकार ने इसके उत्तर में कहा (अक्टूबर 2019) कि मुख्य अभियंता के सितम्बर 2014 के निर्देश लोनिवि खण्ड, केकड़ी द्वारा एसएच -7 ई किलोमीटर 7/200 मारोग्ला गणेशपुरा तिराहा पर निर्मित ग्रामीण गौरव पथ सड़क पर लागू नही होता है क्योंकि यह एक बाईपास सड़क है तथा राज्य हाईवे नही है। इसके अलावा, नागोला पंचायत मुख्यालय (पीएचक्यू) पर केकड़ी बिजयनगर सड़क (किमी 29/00 से 30/00) पर ग्रामीण गौरव पथ सड़क का निर्माण घनी आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्र में किया गया जो कि गांव की अधिकतम जनसंख्या को लाभान्वित करेगा।

---

[34] पैकेज संख्या आरजे/ 19/04/5054/जीजीपी सड़क/प्लान 2016-17

[35] पैकेज संख्या आरजे/ 01/03/जीजीपी-III/प्लान 2017-18 अर्थात एसएच 7-ई किमी 7/200 से मारोग्ला गणेशपुरा तिराहा सड़क (फतेहगढ़ गांव में बाईपास) और केकड़ी बिजयनगर सड़क (किमी 29/00 से 30/00) (पीएचक्यू नागोला))

[36] ₹ 27,79,148/- + ₹ 43,40,541/- = ₹ 71,19,690 घटाये टी पी @2 प्रतिशत = ₹ 69,79,296/- जोडे प्रोराटा @13 प्रतिशत = ₹ 9,07,048 कुल व्यय = ₹ 78,84,344/-

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ग्रामीण गौरव पथ सड़क का निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य चयनित ग्राम पंचायतों के मुख्य भाग में पानी एवं कीचड़ मुक्त गुणवत्ता की सड़क प्रदान करना था जिससे अधिकतम आबादी को लाभ प्राप्त हो सके । वर्णित दिशानिर्देशों के अनुसार ग्रामीण गौरव पथ सड़क का निर्माण खुले क्षेत्र / उच्च श्रेणी सड़क पर प्रतिबंधित था । इसके अलावा, ग्रामीण गौरव पथ कार्य के लिए जारी दिशानिर्देश (अप्रैल 2018) लेखापरीक्षा मत को मजबूती प्रदान करते हैं जिसमें यह वर्णित था कि ग्रामीण गौरव पथ का निर्माण खुले क्षेत्र तथा मुख्य जिला सड़क पर नहीं किया जाना है ।

III. लोनिवि खण्ड, नागौर में मौजूदा सड़कों की चौड़ाई 3.75 मीटर होने के बावजूद भी खण्ड ने निर्देशों/योजना दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, 5.50 मीटर चौड़ी सड़कों का निर्माण किया एवं इस प्रकार अनियमित व्यय **₹** 1.42 करोड़ (***विवरण परिशिष्ट 8.3 और 8.4 में दिया गया है***) किया । लोनिवि खण्ड, नागौर ने कहा (फरवरी 2019) कि निर्मित ग्रामीण गौरव पथ सड़कों[37] पर यातायात घनत्व बहुत अधिक था एवं 3.75 मीटर सड़क की कैरिज वे की चौड़ाई ग्रामीणों, जानवरों एवं वाहनों के आवागमन के लिए अपर्याप्त थी और यह सड़क नजदीकी घरों द्वारा छोड़े गए नाली के पानी के कारण जलमग्न रहती थी । अतः ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और विधान सभा के सदस्य की मांगों पर, 5.50 मीटर चौड़ी सड़कों का निर्माण किया गया । राज्य सरकार ने इसके जवाब (नवम्बर 2019) में कहा कि गांव जहां ग्रामीण गौरव पथ सड़क का निर्माण किया गया, खनन क्षेत्र के बिल्कुल समीप है एवं अतिभारित भारी वाहन इन सड़कों पर चलते है एवं प्रमुख शासन सचिव के निर्देश (मार्च 2015) को ध्यान में रखते हुए एवं मौजूदा सड़कों का सर्वेक्षण / निरीक्षण, जो 5.50-मीटर चौड़ी थी, प्रस्ताव तकनीकी रूप से आवश्यक था और योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार की गई थी और ग्रामीण गौरव पथ सड़क का निर्माण तकनीकी स्वीकृति और बीओक्यू के अनुसार किया गया । राज्य सरकार ने यह भी कहा कि गंगवाना और चुंटीसरा ग्रामीण गौरव पथ सड़क की चौड़ाई यात्री कार ईकाई (पीसीयू) जो 2000 से अधिक होने से यातायात भार के कारण बढ़ाई गई ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यों की स्वीकृति के पूर्व के 10 ग्रामीण गौरव पथ सड़कों के रैखिक चार्ट तैयार किये गये जो दर्शाते हैं कि मौजूदा सड़कों की चौड़ाई 3.75 मीटर थी न कि 5.50 मीटर जैसा कि सरकार द्वारा उत्तर में दावा किया है । इसके अलावा राज्य सरकार ने जवाब के समर्थन में 5.50 मीटर चौड़ी ग्रामीण गौरव पथ सिनोद, चैनार, टंकला, छिलो, हनुमान नगर, रोहिणी और सिंगाड के रैखिक चार्ट संलग्न किये लेकिन लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध इन सड़क के रैखिक चार्ट के अनुसार, इनकी चौड़ाई केवल 3.75 मीटर थी । इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने यह पाया कि 2000 पीसीयू का नियम बीटी सड़कों के लिए लागू होता है न कि सीसी सड़कों के लिए । आईआरसी विनिर्देशों एसपीः 62-2014 के अनुसार प्रतिदिन 450 व्यवसायिक वाहन के भार हेतु ग्रामीण सड़कों की चौड़ाई 3.75 मीटर निर्धारित थी जबकि गंगावना और चुंटीसरा ग्रामीण गौरव पथों के प्रकरण में व्यवसायिक वाहन प्रतिदिन (सीवीपीडी) क्रमशः 323 और 341 था ।

[37] पैकेज संख्या आरजे/ 24/14/जीजीपी-II/प्लान 2016-17 एवं आरजे/ 24/15/जीजीपी-II/प्लान 2016-17

इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि विभाग ने योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए ग्रामीण गौरव पथ सड़कों का निर्माण किया और ₹ 2.91 करोड़ का अनियमित व्यय किया।

इसके अलावा, यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक है कि लेखापरीक्षा निष्कर्ष केवल चयनित खण्डों में प्रकरणों के विश्लेषण पर आधारित हैं यह भी संभावना है कि इस प्रकार के प्रकरण शेष खण्डों में भी घटित हो रहे हो इसलिए सरकार से आशा की जाती है कि अन्य सभी प्रकरण जिसमें इस तरह की कमियां / अनियमितताओं की संभावना है, की समीक्षा करे एवं आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करे।

8.5 सशर्त बोली की स्वीकृति एवं निविदाओं के अनुचित तकनीकी मूल्यांकन/प्रसंस्करण की स्वीकृति के परिणामस्वरूप अनियमित व्यय

लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुचित निविदा मूल्यांकन कर सशर्त प्रस्तावों पर और उन अयोग्य निविदादाताओं को जिन्होंने उचित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये थे, अनियमित रूप से कार्य आवंटित किए गए।

अ. लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 29 यह निर्धारित करता है कि संवेदक केवल बिना शर्त निविदाओं को ही प्रस्तुत करेगा। सशर्त निविदाएं सरसरी तौर पर निरस्त होने के लिए उत्तरदायी हैं। मुख्य अभियंता सह अतिरिक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग, जयपुर द्वारा निर्देश जारी किये गये (दिसम्बर 2009) कि ₹ 150 लाख और अधिक की निविदाओं के लिए दर विश्लेषण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

- लोनिवि खण्ड-II, सवाई माधोपुर के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2018) से विदित हुआ कि चार संवेदकों[38], जिन्होने निविदा में भाग लिया था, मुख्य अभियंता सह अतिरिक्त सचिव, लोनिवि, राजस्थान द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना नही की जिसके अनुसार दर विश्लेषण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था। दर विश्लेषण प्रस्तुत करने के बजाय, संवेदकों ने सशर्त पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें कहा कि दर विश्लेषण तभी प्रस्तुत किया जाएगा यदि उनकी सम्बन्धित फर्म न्यूनतम बोलीकर्ता आती है। इस तथ्य के बावजूद कि सशर्त प्रस्ताव सरसरी तौर पर निरस्त किये जाने थे विभाग ने उन पर विचार किया एवं निविदाओं को अंतिम रूप दिया।

उक्त प्रकरण राज्य सरकार की टिप्पणी हेतु प्रेषित किया गया (मार्च 2019)। लोक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार ने इसके जवाब में कहा (अप्रैल 2019) कि:

- सभी फर्म जिन्होने निविदा में भाग लिया था एक सशर्त घोषणा पत्र प्रस्तुत किया था कि यदि फर्म एल-1 बनती है तभी वे दर विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। यह सशर्त घोषणा पत्र निविदा स्वीकृति पर कोई भी वित्तीय अथवा तकनीकी प्रभाव नही रखता है।
- टेन्डर प्रीमियम जो कि बीएसआर 2014 पर आधारित "जी" अनुसूची से 15.51 प्रतिशत कम पर प्राप्त हुआ को ध्यान में रखते हुए, दर विश्लेषण प्राप्त करना उचित प्रतीत नही होता है। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि कार्य पूर्ण हो चुका है।

[38] ग्रामीण गौरव पथ (जिला सवाई माधोपुर में पैकेज नम्बर आरजे/28/02/जीजीपी II /2016-17)

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निविदा दस्तावेजों के साथ दर विश्लेषण प्रस्तुत करना अनिवार्य था एवं सशर्त प्रस्ताव नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है; इसलिए निविदाकर्ताओं के प्रस्तावों को सरसरी तौर पर निरस्त करना आवश्यक था । इसके अलावा, ऐसा कोई भी साक्ष्य अभिलेखों में मौजूद नहीं है कि विभाग ने सशर्त प्रस्तावों को उचित कारण एवं आवश्यक सावधानी के पश्चात अन्तिम रूप दिया था । अब दिये जा रहे तर्क बाद की सोच की प्रकृति के है । इस प्रकार सशर्त निविदाओं को प्रसंस्करण करना लोक निर्माण वित्तीय और लेखा नियमों एवं मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव, लोनिवि द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन के कारण अनियमित था ।

ब. प्रमुख शासन सचिव (लोनिवि) राजस्थान ने, अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा तकनीकी मूल्यांकन में आई कमी को देखते हुए निर्देशित किया (मार्च 2015) कि सभी संवेदक जिन्होने निविदा में भाग लिया है, के द्वारा तकनीकी बोली मूल्यांकन जांच सूची में दर्शित सूचनाओं के साथ वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ, टेक्स क्लीयरेंस प्रमाण पत्र इत्यादि जमा कराना सुनिश्चित करे । इसके अलावा, धारा-1 के खंड 4.4.5 अर्थात केंद्रीय सड़क निधि कार्यों के मानक निविदा दस्तावेज के बोलीदाताओं के आदेश में उल्लेख है कि आवेदक के पास पूर्ण कार्य के दौरान उपकरणों के मुख्य मदों का स्वामित्व होना चाहिए अथवा स्वामित्व का आश्वासन देवे एवं ज्ञात प्रतिबद्धताओं के आधार पर यह प्रदर्शित करे कि वे सभी प्रस्तावित अनुबंध में उपयोग हेतु उपलब्ध रहेगी ।

- भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं उच्चमार्ग मंत्रालय अक्टूबर 2015 में 53 कार्यों की समेकित प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जो कि केन्द्रीय सड़क निधि योजना से वित्त पोषित होगी जिसमें सीकर के फतेहपुर खण्ड[39] में ₹ 12.23 करोड़ के कार्य की स्वीकृति शामिल थी । लोनिवि खण्ड, फतेहपुर ने मैसर्स सुरेंद्र कुमार बंसल, (संवेदक) को कार्यादेश जारी किया (मार्च 2016) । संवेदक को सितम्बर 2018 तक ₹ 11.00 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है ।

खण्ड के अभिलेखों की नमूना जांच (फरवरी 2019) से विदित हुआ कि समिति द्वारा तैयार की गई तकनीकी मूल्यांकन पत्रक द्वारा यह पता चला है कि एल-1 संवेदक मैसर्स सुरेंद्र कुमार बंसल को दो अन्य संवेदकों के साथ "अपर्याप्त टीएंडपी" के कारण "गैर- उत्तर दायी" घोषित किया गया था । बाद में, निविदा मूल्याकंन समिति ने आवेदक द्वारा निविदा दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किये गये शपथ पत्रों को स्वीकार कर लिया (जो कि वास्तव में बोली के मूल्यांकन के समय पूर्व में ही मौजूद थे), फर्म को उत्तर दायी बोलीकर्ता घोषित किया गया जो अनियमित एवं निर्धारित योग्यता मानदंडों के विरूद्ध था । लेखापरीक्षा ने यह पाया कि संवेदक ने 13 संयंत्र व मशीनरी की मदों में से केवल 04 के स्वामित्व दस्तावेज प्रस्तुत किए थे । विस्तृत विश्लेषण ***परिशिष्ट 8.5*** में वर्णित है ।

राज्य सरकार ने अपने उत्तर (फरवरी 2020) में कहा कि अनभिज्ञ त्रुटि के कारण 10 बोलीकर्ताओं के निविदा दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच पर, संवेदकों द्वारा बोली मूल्यांकन पत्रक में मौजूद मशीनरी एवं उपकरण की उपलब्धता के बारे में जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया था, को ध्यान में नही रखा गया और बोलीकर्ता को गैर-उत्तरदायी घोषित कर दिया गया था । इसके

[39] सीकर-सालासर सड़क एसएच-20 (5.50 मीटर से 7 मीटर) किमी 39/00 से 44/00 और अजमेर डीडवाना-सालासर सड़क एसएच-60 (3.75 मीटर से 7 मीटर) किमी 193/500 से 198/500 का चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण तथा ग्राम गनेरी सड़क (एसएच 60 पर) के सीसी पेवमेंट के साथ नाली निर्माण का कार्य ।

पश्चात् निविदा मूल्यांकन समिति ने संवेदक द्वारा अपलोड किये गये निविदा दस्तावेजों के साथ नोटरी शपथ पत्र की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए फर्म को उत्तरदायी घोषित किया एवं यह 8 बोलीकर्ताओं जो कि तकनीकी मापदण्डों पर योग्य घोषित किये गये थे के साथ L-1 बन गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि बोलीकर्ता के पास उपलब्ध प्लांट और मशीनरी के स्वामित्व का प्रमाण, नोटरी शपथ पत्र अपलोड करना ही एकमात्र मापदण्ड/आवश्यकता की क्षमता सत्यापन के लिये है तो विभाग द्वारा मैसर्स दीप ज्योति कंपनी, श्री गंगानगर को "गैर उत्तर दायी" घोषित करना उचित नही है क्योंकि उस फर्म द्वारा भी आवश्यक संयंत्र एवं मशीनरी की उपलब्धता (स्वामित्व या लीज) के सम्बन्ध में नोटरी शपथ पत्र अपलोड किया गया था। इसके अलावा, मैसर्स सुरेंद्र कुमार बंसल टिप्पर ट्रक, फ्रंट एंड लोडर और स्मूथ व्हील्ड रोलर के स्वामित्व को साबित करने में विफल रहे। फर्म ने इन निर्माण मशीनरी के स्वामित्व दस्तावेजों को अपलोड ही नहीं किया और ना ही पट्टे के रूप में दिखाये गये संयंत्र और मशीनरी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए पट्टा अनुबन्ध की पुष्टि की। विभाग को मैसर्स सुरेंद्र कुमार बंसल की बोली को सरसरी तौर पर निरस्त कर देना चाहिए था जैसा कि मैसर्स दीप ज्योति कंपनी के प्रकरण में किया गया था। इस प्रकार,यह देखा जा सकता है कि निविदा के अनियमित प्रसंस्करण के कारण "गैर उत्तर दायी" बोलीकर्ता का चयन हो गया एवं ₹ 11.00 करोड़ का अनियमित व्यय किया गया।

स. ग्रामीण गौरव पथ योजना के लिये निविदा दस्तावेजों के बोलीकर्ताओं को दिये गये आदेश (आईटीबी) में उल्लेखित है कि बोलीदाताओं को बोली दस्तावेजों की अनुसूची-III में निर्दिष्ट मशीनरी और उपकरणों को तैनात करने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा बोलीदाताओं को वैध टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट अपलोड करना अनिवार्य होगा एवं बोलीकर्ता को बोली की लागत के 10 प्रतिशत के बैंक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। यदि एक बोली सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ नहीं लगाई जाती है अथवा नियत प्रारूप में नही लगाई जाती है तो यह निरस्त होने के लिए उत्तर दायी है।

- लोनिवि खण्ड, फतेहपुर ने ₹ 3.29 करोड़ के 8 सड़कों[40] के लिए कार्यादेश संवेदक को जारी किया (नवम्बर 2017)। संवेदक को सितम्बर 2018 तक ₹ 2.18 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। कार्य पूर्ण नहीं हुआ (मई 2020)।

खण्ड के अभिलेखों की नमूना जांच (फरवरी 2019) से विदित होता है कि लोनिवि, जोन-I कार्यालय, जयपुर ने निविदा आमंत्रित की एवं मूल्यांकन किया जिसमें सफल बोली लगाने वाले बोलीकर्ता द्वारा जमा किये गये आवश्यक दस्तावेजों की सत्यता / वैधता जांच नही की गई। लेखापरीक्षा ने पाया गया कि संवेदक ने ₹ 40 का बैंक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जबकि कम से कम ₹ 40 लाख के बैंक प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। इसके अलावा, निविदा खोलने की तारीख से 6 माह पूर्व तक का ही टैक्स क्लीयरेंस प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। जबकि संवेदक ने नवम्बर 2016 का टैक्स क्लीयरेंस प्रमाण पत्र जमा कराया जिसकी वैधता दिसम्बर 2016 तक थी। जैसा कि निविदा अगस्त 2017 के माह में खुली थी, संवेदक को फरवरी

[40] पैकेज संख्या आरजे/29/04/5054/ जीजीपी /2017-18 जिला सीकर

2017 अथवा इसके बाद के माह में जारी किये गये टैक्स क्लीयरेंस प्रमाण पत्र जमा कराने चाहिए।

इसके अलावा, बोली दस्तावेजों की संवीक्षा करने पर विदित हुआ कि संवेदक द्वारा टूल्स, संयंत्र एवं मशीनरी मदों के स्वामित्व के दस्तावेज जमा नही कराये गये थे। संवेदक द्वारा एक शपथ पत्र जो दर्शाता है कि टूल्स, संयंत्र एवं मशीनरी लीज पर उपलब्ध हो जाएंगे, अपलोड किया गया। यद्यपि संवेदक द्वारा जमा किये गये शपथ पत्र पर दोनों दलों के हस्ताक्षर नही थे (अर्थात पार्टी जिससे उपकरण लीज पर लिये जाने थे) न ही कोई नियम व शर्तें थी। यह अनुबन्ध की आवश्यक शर्तों के अनुसार पूर्ण दस्तावेज नही है। प्रकरण को राज्य सरकार की टिप्पणी हेतु संज्ञान में लाया गया (अक्टूबर 2019)।

राज्य सरकार ने कहा (फरवरी 2020) कि संवेदक द्वारा अपलोड किए गए नोटरी शपथ पत्र को ध्यान में रखते हुए उसे सफल घोषित किया गया। यह भी वर्णित किया गया कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की नई टैक्स प्रणाली एनआईटी के समय (23/08/2017), रोल आउट (जुलाई 2017) किया गया था एवं संवेदक ने जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र के साथ साथ टैक्स क्लीयरेंस प्रमाण पत्र जो कि दिसम्बर 2016 तक वैध थी, जमा कराया। इसके अलावा, ₹ 40 लाख की बजाए, संवेदक ने ₹ 40 की कार्यशील पूंजी के लिए जारी किया गया प्रमाण पत्र जमा कराया। निविदा मूल्यांकन समिति ने इसे एक टंकन त्रुटि मानते हुए प्रस्ताव को वैध मान लिया क्योंकि बैंक सामान्य तौर पर इस तरह के प्रमाण पत्र लाख में ही जारी करते है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संवेदक स्वामित्व दस्तावेज एवं वैध पुख्ता लीज अनुबन्ध जो कि टूल्स एवं मशीनरी के लिए था, अपलोड करने में विफल हो गया व अभी तक कार्य पूर्ण नही होना लेखापरीक्षा की राय को मजबूती प्रदान करता है कि संवेदक अयोग्य था। इसके अलावा, जीएसटी का रोल आउट टैक्स क्लीयरेंस प्रमाणपत्र जारी होने पर कोई प्रभाव नहीं रखता है। इसके अलावा, यह जवाब कि समिति ने ₹ 40 के प्रमाण पत्र को ₹ 40 लाख माना, बाद का विचार है क्योंकि इस प्रकार की कोई भी टिप्पणी समिति की कार्यवाही में उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, यदि संवेदक अंत में कार्य पूर्ण नही करता है तो इस विशेष मूल्य का प्रमाण पत्र स्वीकार करना खतरे से भरा है। विभाग द्वारा निविदा को अंतिम रूप देने से पूर्व बैंक प्रमाण पत्र एवं टैक्स क्लीयरेंस प्रमाणपत्र की सत्यता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, यह भी उल्लेखित करना प्रासंगिक है कि यह लेखापरीक्षा निष्कर्ष केवल चयनित खण्डों के प्रकरणों के विश्लेषण पर आधारित हैं एवं यह भी संभावना है कि इस प्रकार के शेष खण्डों में भी घटित हो रहे हो इसलिए, राज्य सरकार से यह आशा की जाती है कि वह अन्य सभी प्रकरण जिसमें इस तरह की कमी / अनियमितता की संभावना हो, समीक्षा करे एवं आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करें।

8.6 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़क के निर्माण पर निष्फल व्यय

लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत *रामगढ़ पचवारा से कंवरपुरा* सड़क पर गलत चैनेज में फ्लश कॉजवे का निर्माण कर ₹ 1.22 करोड़ का निष्फल व्यय किया गया, जिसके परिणामस्वरूप सड़क का 800 मीटर हिस्सा बरसात के दौरान बह गया।

पर्यावरण अभ्यास संहिता (Environmental code of practice) साथ में पर्यावरण प्रबंधन फ्रेमवर्क जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (National Rural Development Agency; NRRDA) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये है, उन सभी तथ्यों का विवरण करते है जिन्हें परियोजना तैयार करते समय ध्यान रखा जाये जिससे कि परियोजना डिजाईन के संशोधन एवं शमन उपायों के माध्यम से पर्यावरण सम्बन्धी समस्याओं से बचा जा सके। यह संरेखण को अंतिम रूप देने से पहले बाढ़ प्रवृत क्षेत्रों एवं या बहुत अधिक ढ़लान वाले क्षेत्रों में हाइड्रोलॉजिकल सर्वे की आवश्यकता पर जोर देता है। इन सर्वेक्षणों से निकाले गये परिणाम जैसे पुलिया/पुलों की आवश्यकता के प्रावधान या अन्य पार/सड़क किनारे की नालियों की संरचनाओं पर संरेखण को अंतिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाना चाहिए।

मुख्य अभियंता सह अतिरिक्त सचिव, लोनिवि ने दिशानिर्देश (जुलाई 2012) जारी किए कि बांध/जल निकायों के जलग्रहण क्षेत्र में सड़क/भवन निर्माण से पूर्व जल संसाधन विभाग/राजस्व विभाग की पूर्व अनुमति लेने का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए क्योंकि जलग्रहण क्षेत्र में सड़क एवं भवन का निर्माण से जल के मुक्त प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

दौसा जिले में विश्व बैंक की सहायता से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत तीन अन्य सड़कों के साथ *रामगढ़ पचवारा से कंवरपुरा* सड़क निर्माण के लिए लागत मूल्य ₹ 1.15 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की (जून 2012)।

चार सड़कों के पैकेज के लिए ₹ 3.28 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति जारी की (जुलाई 2012)। मुख्य अभियंता, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, राजस्थान ने ₹ 3.99 करोड़ का कार्य स्वीकृत किया (जनवरी 2013)। लोनिवि खण्ड, दौसा ने कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की प्रस्तावित तारीख क्रमशः 18/02/2013 एवं 17/12/2013 के लिए कार्यादेश (फरवरी 2013) जारी किया। संवेदक को अंतिम लेखा बिल के द्वारा ₹ 3.14 करोड़ का भुगतान किया गया (सितम्बर 2014)।

लोनिवि खण्ड दौसा के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2018) के दौरान यह पाया गया कि नवनिर्मित सड़क जिसमें सीमेंट कंक्रीट रोड़, फ्लश कॉजवे हेतु एवं अर्थवर्क शामिल था, अगस्त 2014 में हुई बारिश के कारण 800 मीटर क्षेत्र में बह गई। सड़कों के क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत के लिए लोनिवि, खण्ड दौसा से ₹ 1.00 करोड़ का अतिरिक्त अनुमान प्राप्त होने पर वृत दौसा ने संवेदक से सड़क की क्षति को मरम्मत करने के लिए कहा (दिसम्बर 2015) क्योंकि सड़क क्षति उत्तर दायित्व अवधि के अन्तर्गत थी। संवेदक ने सूचित किया (सितम्बर 2015) कि चैनेज 1650 से 2150 नदी क्षेत्र में होने के कारण एवं खण्ड के दिशानिर्देशानुसार इस चैनेज में कोई भी क्रास ड्रैनेज कार्य किये बिना सड़क निर्माण पूर्व में ही पूर्ण कर लिया गया था, क्षतियों की मरम्मत करने से मना कर दिया क्योंकि अतिरिक्त प्रस्ताव में शामिल मद वास्तविक प्रस्ताव का हिस्सा नहीं था।

लेखापरीक्षा में आगे यह पाया कि इस सड़क की हाइड्रोलॉजिकल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, चैनेज 1650 से 2050 नदी क्षेत्र में थी एवं बरसात के पानी के लिए क्रॉस ड्रेनेज / फ्लश कॉजवे के उचित व्यवस्था की आवश्यकता थी । यह भी पाया गया कि इस सड़क के रेखिक चार्ट में चैनेज 1700 से 1900 के मध्य में एक फ्लश कॉजवे एवं एक ह्यूम पाइप कलवर्ट (HPC) के प्रस्ताव को शामिल करना था जो कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में था । सड़क की क्षति रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि यद्यपि चैनेज 1650 से 2050 नदी की धारा क्षेत्र में था लेकिन फ्लश कॉजवे 2150 से 2168 चैनेज पर कार्यान्वित किया गया । हाइड्रोलोजिकल सर्वे एवं तकनीकी अनुमान से प्राप्त डेटा को नही मानने के कारण नवनिर्मित सड़क (चैनेज 1643 से 2168) बारिश के दौरान बह गई एवं जिसके कारण **₹** 1.22 करोड़ का अलाभकारी व्यय हुआ एवं लक्षित आबादी के बीच सम्पर्क नहीं हो पाया ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने (अगस्त 2018) पर खण्ड ने कहा कि इस तथ्य के बावजूद भी कि सड़क की क्षति अगस्त 2014 से 2016 के मध्य हुई है, सड़क चलायमान थी क्योंकि संवेदक ने क्षति की मरम्मत की एवं लोग लाभान्वित हुए । खण्ड ने कहा कि सड़क निर्माण के दौरान हाइड्रोलॉजिकल सर्वे एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की सावधानी से पालना की गई ।

प्रकरण को राज्य सरकार की टिप्पणी हेतु प्रेषित किया गया (फरवरी 2019) । विभाग ने अपने उत्तर में कहा (अप्रैल 2019) किः

➢ फ्लश कॉजवे और सुरक्षा दीवार का कार्य चैनेज के 1700 और 1900 के मध्य किया गया एवं एल आकार की नाली व साइफन का निर्माण नहीं किया गया क्योंकि स्वीकृत अनुमान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था । दिनांक 09/08/2014 एवं 11/08/2014 को हुई भारी बारिश के कारण वर्षा जनित जलधारा ने चैनेज 1600 से 2100 में इसके रास्ते को परिवर्तित कर दिया एवं इस चैनेज में निर्मित सड़क व कॉजवे बह गई ।

➢ राज्य तकनीकी सलाहकार द्वारा स्वीकृत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार चैनेज 2150 से 2168 पर छोटी बरसाती नाले पर दूसरे कॉजवे का निर्माण किया गया ।

➢ सड़क/बांध के बहाव क्षेत्र में भवन/जल निकायों के निर्माण के लिए जल संसाधन विभाग / राजस्व विभाग की पूर्व अनुमति के संदर्भ में विभाग ने कहा कि यह एक वर्षा जनित जलधारा है, जल का निरन्तर बहाव क्षेत्र नहीं है । अतः सम्बन्धित अधिकारियों की अनुमति नहीं ली गई क्योंकि यह सड़क एक ग्रामीण सड़क थी ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकिः

- क्षति रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है कि चैनेज 2150 से 2168 में केवल एक फ्लश कॉजवे का निर्माण किया गया था । चैनेज 1700 और 1900 के मध्य फ्लश कॉजवे के निर्माण / क्षति का विवरण दस्तावेजों में नही पाया गया । इसके अलावा, रैखिक चार्ट चैनेज 1700 से 1900 में एक फ्लश कॉजवे व एक ह्यूम पाइप कलवर्ट (एचपीसी) के प्रावधान को दर्शाता है न कि चैनेज 2150 से 2168 में फ्लश कॉजवे के प्रावधान को । संवेदक द्वारा चैनेज 1600 से 2100 के मध्य मरम्मत कार्य रोकने से मना करना भी यह पुष्टि करता है कि सड़क का निर्माण बिना किसी क्रॉस ड्रेनेज कार्य के किया गया । रैखिक चार्ट जो कि जवाब के के साथ प्रस्तुत किया गया (फरवरी 2019) वह लेखापरीक्षा द्वारा क्षेत्र दौरे के दौरान प्राप्त किया गया उससे भिन्न था क्योंकि अभी प्रस्तुत किया गया चार्ट फ्लश कॉजवे के लिए अंकन नहीं रखता । शब्द फ्लश

कॉजवे कलम द्वारा लिखा गया है जबकि मूल चार्ट में फ्लश कॉजवे और एचपीसी को एक आरेखीय तरीके से उचित रूप से अंकित किया गया है जैसा कि सामान्यतया होता है ।

- हाइड्रोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट के अनुसार चैनेज 1600 से 2100 बरसात जनित नाला क्षेत्र में थी अतः जल संसाधन विभाग/राजस्व विभाग की पूर्व अनुमति आवश्यक थी । इसके अलावा, पहले से निर्मित सड़क पर क्रॉस ड्रेनेज के लिए ₹ 1.00 करोड़ का अतिरिक्त प्रस्ताव लेखापरीक्षा आक्षेप की पुष्टि करता है कि पर्यावरण अभ्यास संहिता में वर्णित मापदंडों को ध्यान में रखे बिना प्रारंभिक तकनीकी अनुमान तैयार किया गया ।

- राज्य सरकार ने कहा है कि पाँच वर्ष पश्चात् भी सड़क का बाकी हिस्सा सुरक्षित था एवं गुणवत्ता भी उत्तम थी । यह सिद्ध करता है कि नदी धारा क्षेत्र में किया गया कार्य उचित नही था एवं बिना क्रॉस ड्रेनेज वर्क एवं फ्लश कॉजवे के किया गया जिसके कारण सड़क को भारी क्षति हुई ।

इस प्रकार पर्यावरण अभ्यास संहिता दिशानिर्देशों की पालना में विफलता के कारण अलाभकारी व्यय हुआ ।

राज्य सरकार ने तथ्य को स्वीकार किया (जुलाई 2019) एवं कहा कि चैनेज 1/700 से 1/900 में एचपीसी के प्रावधान होने के बावजूद एचपीसी का निर्माण नही करने के कारण अभिलेखों में मौजूद नहीं थे । दो फ्लश कॉजवे जिनके लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में सटीक चैनेज वर्णित नहीं थी, क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुसार चैनेज 2/082 से 2/165 एवं चैनेज 2/869 से 2/931 पर निर्माण किया गया । त्रुटि करने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई प्रस्तावित है ।

8.7 संवेदक को अग्रिम भुगतान

लोक निर्माण विभाग ने लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों का उल्लंघन करते हुए संवेदक को कार्य आदेश प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंतर्गत ही ₹ 0.78 करोड़ का भुगतान कर दिया । यद्यपि कार्यादेश जारी होने के एक वर्ष पश्चात् कार्य प्रारम्भ किया गया ।

लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के खण्ड 1 का नियम 434 यह उल्लेख करता है कि नियम के रूप में संवेदक को अग्रिम भुगतान करना निषेध है एवं एक ऐसी प्रणाली विकसित किये जाने का प्रयास किया जाना चाहिए जिसके अन्तर्गत वास्तविक किये गये कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई भुगतान न किया जावे ।

उम्मेद हॉस्पिटल, चिकित्सा कॉलेज, जोधपुर में नई ओपीडी सह आपातकालीन संभाग बनवाने के लिए ₹ 2.84 करोड का कार्य लोनिवि, मेडिकल खण्ड जोधपुर द्वारा कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण होने की तारीख क्रमशः 17/03/2013 और 16/03/2014 के साथ स्वीकृत किया गया (मार्च 2013) । संवेदक को फरवरी 2017 तक किये गये कार्य के लिए ₹ 2.44 करोड का भुगतान किया गया । कार्य पूर्ण नही किया गया (मई 2019) ।

खण्ड के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा (जून 2016) के दौरान यह ज्ञात हुआ कि खण्ड द्वारा संवेदक को आरसीसी कार्य को गढ़ने एवं सुदृढीकरण हेतु **₹** 78.30 लाख[41] का भुगतान किया गया (मार्च 2013)। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि विपत्र के अनुसार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की VIZAG ब्रांड की स्टील की खरीद 06/03/2013 से 09/03/2013 के मध्य की गई थी, जबकि जांच रिपोर्ट (09/03/2013) प्रदर्शित करती है कि स्टील की खरीद भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) से की गई। मार्च 2014 में पुनः जांच की गई जिसकी रिपोर्ट यह प्रदर्शित करती है कि स्टील VIZAG ब्रांड की थी। यह पाया गया कि स्टील के वजन के अलावा कोई भी अन्य सिविल कार्य जैसे सुदृढिकरण कार्य नही किया गया जो कि माप पुस्तिका में दिनांक 11/03/2013 की प्रविष्टि के अनुसार मापा गया था। साइट क्लीयरेंस का मापन एवं सतह समतलीकरण से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ 25/08/2013 को की गई। ये तथ्य यह सिद्ध करते हैं कि संवेदक द्वारा सुदृढीकरण कार्य अगस्त 2013 तक नहीं किया गया। यद्यपि इसके लिए मार्च 2013 में **₹** 78.30 लाख का भुगतान किया गया।

अभिलेखों की पुनः संवीक्षा करने पर यह विदित हुआ कि आरसीसी कार्य हेतु खरीदे गए स्टील का उपयोग मार्च 2014 और नवम्बर 2015 के मध्य किया गया था जो कि संवेदक को सुदृढीकरण कार्य के लिए किये गये भुगतान से 12 से 30 माह पश्चात् किया गया था। यद्यपि संवेदक को किए गए भुगतान को बाद के चल विपत्रों से समायोजित कर लिया गया, तब भी संवेदक को अग्रिम भुगतान करना लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों का उल्लंघन था। इसके अलावा, स्टील को उसके खरीद से एक वर्ष से अधिक समय के पश्चात् उपयोग करना भवन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्योंकि समय के साथ स्टील इसकी जंग-रोधी क्षमता को खो देता है जिससे इसकी गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है।

राज्य सरकार ने इसके जवाब में कहा (मई 2019) कि आरसीसी कार्य के लिए सुदृढीकरण एवं गढ़ाई कार्य में सरिया को सीधा करना, काटना, मोड़ना, जोड़ना शामिल है जिसमें बहुत समय और मजदूरी लगती है अतः कार्यादेश होने के तुरंत बाद ही संवेदक ने अर्थ वर्क प्रारम्भ कर दिया एवं इसके लिए आवश्यक 128.215 मीट्रिक टन स्टील की खरीद की। इसी बीच विभाग ने साइट परिवर्तन कर लिया एवं जब तक नई साइट को अंतिम रूप (अगस्त 2013) दिया गया तब तक कार्य रोक दिया गया। इसके अलावा, पक्षकार विभाग ने भूगर्भ पार्किंग के लिए अनुरोध किया, जो कि मूल स्वीकृति के दायरे में शामिल नहीं थी, जिसके कारण परियोजना की लागत में वृद्धि हुई परिणामस्वरूप कार्य अपूर्ण रह गया। संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जिसके लिए **₹** 6.86 करोड़ का संशोधित अनुमान भेजा गया था, के प्राप्त होने के बाद ही कार्य पूर्ण किया जा सकता था। भवन के निर्मित भाग को पक्षकार विभाग द्वारा काम में लिया जा सकता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह लेखापरीक्षा आक्षेप के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है कि लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम का उल्लंघन करते हुए अग्रिम भुगतान किया जाए। प्रथम चल बिल एवं माप पुस्तिका से विदित होता है कि मद के प्रारम्भ एवं पूर्ण होने की वास्तविक तारीख 11/03/2013 थी और मदों का पूर्ण होना जो कि राज्य सरकार के उत्तर कि मद सुदृढिकरण एवं गढ़ाई के लिए अधिक समय व मजदूरी की आवश्यकता है, के विपरीत है। इस प्रकार

---

[41] स्टील 124925.76 किलोग्राम X **₹** 60/- प्रति किलोग्राम **₹** 7829847/- (**₹** 7495546 + टीपी @ 4.46 प्रतिशत **₹** 334301/-)

128.215 मीट्रिक टन स्टील सरिया को सीधा करना, काटना, मोड़ना, जोड़ने का कार्य एक दिन में होने से सम्बन्धित राज्य सरकार का उत्तर अकल्पनीय है।

इसके अलावा, राज्य सरकार के उत्तर से यह विदित होता है कि कार्य समाप्ति की प्रस्तावित दिनांक के 60 माह पश्चात् भी भवन का कार्य पूर्ण होना बाकी था (जनवरी 2020) एवं अब तक किया गया व्यय बेकार रहा। कार्य में अनावश्यक देरी का यह तथ्य राजस्थान सरकार के सीएजी के 2019 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 4 के अनुच्छेद संख्या 3.5 में शामिल किया जा चुका है।

अतूर्वा सिन्हा

(अतूर्वा सिन्हा)
महालेखाकार
(लेखापरीक्षा-II), राजस्थान

जयपुर
दिनांक 24 जुलाई 2020

प्रतिहस्ताक्षरित

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 27 जुलाई 2020

परिशिष्ट

परिशिष्ट 8.1

(संदर्भ अनुच्देद 8.2.6)

प्रभागवार बजट आवंटन और व्यय की स्थिति*

(₹ करोड़ों में)

क्र. स.	प्रभाग का नाम	2016-17		2017-18		2018-19	
		लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
1	विज्ञान एवं तकनीकी	3.07	1.82	2.73	2.15	3.54	3.33
2	स्टेट रिमोट सेंसिंग एंड एप्लीकेशन सेंटर	7.74	1.49	2.15	0.77	1.55	0.45
3	विज्ञान एवं समाज	0.74	0.34	0.82	0.50	0.57	0.55
4	विज्ञान संचार और लोकप्रियता	5.07	3.84	3.50	3.04	2.72	2.41
5	जैव प्रौद्योगिकी	0.55	0.30	0.53	0.21	0.36	0.29
6	जैव- प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00#	0.00
7	उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)	0.21	0.09	4.10	3.65	0.73	0.16
8	पेटेंट सूचना केंद्र (पीआईसी)	0.36	0.16	0.32	0.23	0.27	0.19
9	एमआईएस	0.28	0.08	0.14	0.08	0.08	0.02
10	अनुसंधान और विकास (आरएण्डडी)	1.05	0.65	1.98	1.78	0.61	0.30
11	निर्माण कार्य	4.00	3.65	5.51	3.03	2.76	1.06
12	विज्ञान शहर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	जीआईएस केन्द्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	विज्ञान अकादमी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	**23.13**	**12.48**	**21.78**	**15.44**	**13.19**	**8.76**

* योजना एवं सीएसएस सम्मिलित, # केवल ₹ 3000 आवंटित

लक्ष्य संशोधित अनुमानों के अनुसार

परिशिष्ट 8.2

(संदर्भ अनुच्छेद 8.4)

ग्रामीण गौरव पथ-II के तहत निष्पादित और निष्पादित किए जाने वाले कार्य का विवरण

क्र.स.	गांव का नाम	स्वीकृत लंबाई	3.75 मीटर चौड़ाई के साथ संपादित लंबाई	5.50 मीटर चौड़ाई के साथ संपादित लंबाई	कुल संपादित लंबाई कॉलम (4+5)	सीसी पेवमेंट एम-30 की मात्रा यदि सड़क 3.75 मीटर चौड़ाई एवं 150 मिली मीटर मोटाई में बनाई जाती (कॉलम 6 X 3.75 X 0.15)	सीसी पेवमेंट एम-30 की वास्तविक मात्रा जो कि 3.75 मीटर चौड़ाई को शामिल करते हुए 5.50 मीटर चोड़ाई एवं 200 मिली मीटर मोटाई में संपादित की गई (कॉलम-4 X 3.75+कॉलम-5 X 5.5) X 0.20	सीसी पेवमेंट एम-30 की अतिरिक्त निष्पादित मात्रा एवं भुगतान @ ₹ 5542 प्रति घन मीटर (कॉलम 8 – 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अलावा	1000	450	150	600	337.50	506.95	169.50
2	घाटोड	1000	650	0	650	365.60	486.23	120.60
3	सुलिया	1000	600	0	600	337.50	449.93	112.40
4	कुंडी खेडा	1000	350	235	585	329.10	521.00	191.90
5	कारवान	1000	485	150	635	357.20	528.80	171.60
6	बिश्तूनिया	1000	655	0	655	368.40	490.12	121.70

7	खोकारिया खुर्द	1000	450	175	625	351.60	529.98	178.40
8	घुडा	1000	650	0	650	365.60	486.44	120.80
9	सिलेहागढ़	1000	655	0	655	368.40	491.21	122.80
		9000	**4945**	**710**	**5655**	**3180.90**	**4490.66**	**1309.70**
सीसी पेवमेंट की भुगतान योग्य एवं भुगतान की गई आधार राशि @ ₹ 5542/- प्रति घनमीटर						17628756	24887238	7258482
कम करे निविदा प्रीमियम @ 15.01 प्रतिशत						2646076	3735574	1089498
निविदा प्रीमियम के बाद राशि						14982679	21151663	6168984
प्रोराटा जोड़े @ 13 प्रतिशत						1947748	2749716	801968
सीसी पेवमेंट की निवल राशि						16930428	23901380	6970952
वित्तीय हानि								**6970952**

परिशिष्ट 8.3

(सन्दर्भ अनुच्छेद 8.4)

ग्रामीण गौरव पथ (जीजीपी) सड़कों पर किये गये अनियमित व्यय का ब्यौरा

कार्य का नाम एवं पैकेज संख्या		**GGP Phase-II/Package No. RJ-24-15/5054/GGP Roads/2016-17**											
क्र.स.	गांव का नाम/जीजीपी सड़क	जमीन कार्य		अधिक निष्पादित मात्रा	डब्ल्यू बी एम ग्रेड-II		अधिक निष्पादित मात्रा	डब्ल्यू बी एम ग्रेड-III			सीसी पेवमेंट		
		3.75+.015=3.90 मीटर में निष्पादन योग्य कार्य	5.65 मीटर में निष्पादित कार्य		3.75+0.15=3.90 मीटर में निष्पादन योग्य कार्य	5.65 मीटर में निष्पादित कार्य		3.75+0.15=3.90 मीटर में निष्पादन योग्य कार्य	5.65 मीटर में निष्पादित कार्य	अधिक निष्पादित मात्रा	3.75 मीटर में निष्पादन योग्य कार्य	5.5 मीटर में निष्पादित कार्य	अधिक निष्पादित मात्रा
1	सिंगाड	1088	1655.10	567	272.02	413.79	141.77	272.02	413.79	141.77	523.125	805.61	282.485
2	रोहिणी	1088	1655.10	567	272.02	413.79	141.77	272.02	413.79	141.77	523.125	805.18	282.055
3	हनुमान नगर	1088	1646.64	559	272.02	411.69	139.67	272.02	411.69	139.67	523.125	803.83	280.705
4	छीला	1088	1627.77	540	272.02	407.50	135.48	272.02	407.50	135.48	523.125	792.18	269.055
5	टांकला	1088	1552.31	464	272.02	388.05	116.03	272.02	388.05	116.03	523.125	755.26	232.135
योग		**5440**	**8136.92**	**2697**	**1360.10**	**2034.82**	**674.72**	**1360.10**	**2034.82**	**674.72**	**2615.625**	**3962.06**	**1346.435**

अतिरिक्त कार्य एवं दर का विवरण	मात्रा	राशि (₹)
निष्पादित जमीन कार्य (अर्थ वर्क) @ ₹ 47/- प्रति घनमीटर	2696.92	126755
डब्ल्यू बी एम ग्रेड II @ ₹ 1160/- प्रति घनमीटर	674.72	782675
डब्ल्यू बी एम ग्रेड III @ ₹ 1250/- प्रति घनमीटर	674.72	843400
सीसी पेवमेंट @ ₹ 4150/- प्रति घनमीटर	1346.435	5587705
टी पी के बिना अनियमित व्यय		7340536
कम करे टी पी @ 6.08 प्रतिशत		446305
योग		6894231
जोड़े प्रोराटा @ 13 प्रतिशत		896250
कुल अनियमित व्यय		**7790481**

परिशिष्ट 8.4

(सन्दर्भ अनुच्छेद 8.4)

ग्रामीण गौरव पथ (जीजीपी) सड़कों में अनियमित व्यय का ब्यौरा

कार्य का नाम एवं पैकेज संख्या				GGP Phase-II/Package No. RJ-24-14/5054/GGP Roads/2016-17									
क्र.स	गांव का नाम/जीजीपी रोड़	जमीन कार्य		अधिक निष्पादित कार्य	डब्ल्यू बी एम ग्रेड II		अधिक निष्पादित कार्य	डब्ल्यू बी एम ग्रेड III			सीसी पेवमेंट		
		3.75+0.15=3.90 मीटर में निष्पादन योग्य कार्य	5.65 मीटर में निष्पादित मात्रा		3.75+0.15=3.90 मीटर में निष्पादन योग्य कार्य	5.65 मीटर में निष्पादित मात्रा		3.75+0.15=3.90 मीटर में निष्पादन योग्य कार्य	5.65 मीटर में निष्पादित मात्रा	अधिक निष्पादित कार्य	3.75 मीटर में निष्पादन योग्य कार्य	5.5 मीटर में निष्पादित मात्रा	अधिक निष्पादित कार्य
1	सिनोद	1088	1610.83	523	261.56	402.71	141.15	261.56	402.71	141.15	523.125	784.49	261.365
2	गगवाना	1088	1202.30	114	261.56	336.38	74.82	261.56	336.38	74.82	523.125	650.62	127.495
3	चूंटीसरा	1088	1573.29	485	261.56	390.39	128.83	261.56	390.39	128.83	523.125	761.42	238.295
4	थीरोड	1029.60	1367.43	338	261.56	337.71	76.15	247.00	337.71	90.71	495.000	682.77	187.770
योग		**4293.60**	**5753.85**	**1460**	**1046.24**	**1467.19**	**420.95**	**1031.68**	**1467.19**	**435.51**	**2064.375**	**2879.30**	**814.925**
		एमबैंकमेंट			**जीएसबी**			**डब्ल्यू बी एम ग्रेड II**			**सीसी पेवमेंट**		
1	चेंनार	2207.45	3237	1030	541	738.75	197.75	270.5625	399.73	129.1675	523.125	785.44	262.315

अधिक कार्य का विवरण एवं दर	मात्रा	मूल्य (₹)
जमीन कार्य निष्पादन @ ₹ 47/- प्रति घनमीटर	1460.00	68620
डब्ल्यू बी एम ग्रेड II @ ₹ 1160/- प्रति घनमीटर	550.1175	638136
डब्ल्यू बी एम ग्रेड III @ ₹ 1250/- प्रति घनमीटर	435.51	544388
जीएसबी @ ₹ 340/- प्रति घनमीटर	197.75	67235
ऐमबेकमेंट @ ₹ 99/- प्रति घनमीटर	1030.00	101970
सीसी पेवमेंट @ ₹ 4150/- प्रति घनमीटर	1077.24	4470546
टी पी के बिना अनियमित व्यय		5890895
कम करे टी पी		240349

योग	5650546
जोड़े प्रोराटा @ 13 प्रतिशत	734571
कुल अनियमित व्यय	**6385117**
पैकेज सं. RJ-24-14/5054/GGP Roads/2016-17 के अंतर्गत अनियमित व्यय	₹ 7790481
पैकेज सं. RJ-24-15/5054/GGP Roads/2016-17 के अंतर्गत अनियमित व्यय	₹ 6385117
कुल अनियमित व्यय	**₹ 14175598**

परिशिष्ट 8.5

(सन्दर्भ अनुच्छेद 8.5)

संवेदक के पास (स्वामित्व/पट्टे) उपलब्ध संयंत्र और मशीनरी का विवरण

क्र.स.	उपकरण का प्रकार	₹ 51–200 मिलियन तक के कार्यो हेतु आवश्यक संयंत्र एवं मशीनरी	संवेदक द्वारा स्वामित्व/पट्टे पर दिखाए गए संयंत्र और मशीनरी	स्वामित्व का प्रमाण	वैध पट्टे इकरारनामा का प्रमाण	टिप्पणियां
1	टिप्पर ट्रक	10	10 (स्वामित्व और पट्टे पर)	अपलोड नहीं किया गया	अपलोड नहीं किया गया	गैर उत्तरदायी
2	मोटो ग्रेडर	2	2 (पट्टे पर)	उपलब्ध नहीं	अपलोड नहीं किया गया	गैर उत्तरदायी
3	डोजर	1	1 (पट्टे पर)	उपलब्ध नहीं	अपलोड नहीं किया गया	गैर उत्तरदायी
4	फ्रन्ट एण्ड लोडर	2	2 (स्वामित्व)	1	अपलोड नहीं किया गया	गैर उत्तरदायी
5	स्मूद व्हील्ड रोलर	2	2 (स्वामित्व और पट्टे पर)	अपलोड नहीं किया गया	अपलोड नहीं किया गया	गैर उत्तरदायी
6	वाईब्रेटरी रोलर	2	2 (पट्टे पर)	उपलब्ध नहीं	अपलोड नहीं किया गया	गैर उत्तरदायी
7	इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण के साथ हॉट मिक्स प्लांट (न्यूनतम 80-100 टीपीएच क्षमता)	1	1 (स्वामित्व)	अपलोड किया गया	उपलब्ध नहीं	गैर उत्तरदायी
8	इलेक्ट्रॉनिक के साथ पेवर फिनिशर	1	1 (स्वामित्व)	अपलोड किया गया	उपलब्ध नहीं	उत्तरदायी
9	वाटर टेंकर	3	3 (पट्टे पर)	उपलब्ध नहीं	अपलोड नहीं किया गया	गैर उत्तरदायी
10	बिटुमिन स्प्रेयर	1	1 (पट्टे पर)	उपलब्ध नहीं	अपलोड नहीं किया गया	गैर उत्तरदायी
11	टेण्डम रोलर	1	1 (स्वामित्व)	अपलोड किया गया	उपलब्ध नहीं	उत्तरदायी
12	इंटीग्रल वेट पैचिंग सुविधा के साथ कंक्रीट मिक्सर	2	2 (पट्टे पर)	उपलब्ध नहीं	अपलोड नहीं किया गया	गैर उत्तरदायी
13	कंक्रीट बैचिंग और मिक्सिंग प्लांट (न्यूनतम क्षमता **15** घन मीटर/घंटा)	1	1 (स्वामित्व)	अपलोड किया गया	उपलब्ध नहीं	उत्तरदायी

© COMPTROLLER AND

AUDITOR GENERAL OF INDIA

www.cag.gov.in